VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मार्च 2023

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

दिल्ली | जयपुर | हैदराबाद | अहमदाबाद | प्रयागराज | लखनऊ
पुणे | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | भोपाल | राँची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI
12 मई, 9 AM | 15 मार्च, 1 PM
JAIPUR
15 मई, 3 PM
LUCKNOW
7 जून, 9 AM
BHOPAL
5 जुलाई

#PrelimsIsComing
ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT) MOCK TEST SERIES
2 APRIL | 23 APRIL | 7 MAY
All India ranking & detailed comparison with other students
Vision IAS Post Test Analysis ™ for corrective measures and continuous performance improvement
Closely aligned to UPSC pattern
Available in ENGLISH/ हिन्दी
Register @
www.visionias.in/abhyaas
OFFLINE* IN 170+ CITIES
*SUBJECT TO GOVERNMENT REGULATIONS AND SAFETY OF THE STUDENTS
AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI (ANDHRA PRADESH) | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI (MAHARASHTRA) | AMRITSAR
ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHADOHI | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA BHOPAL
BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN
DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD
GORAKHPUR | GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM (GURGAON) | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE ITANAGAR
JABALPUR | JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI (GULBARGA) | KANNUR | KANPUR KARIMNAGAR
KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI (TAMILNADU)
MANDI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE NIZAMABAD | NOIDA | ORAI
PALAKKAD | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK
ROORKEE | ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE
THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. सातवीं अनुसूची (The Seventh Schedule) 7

1.2. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding) 9

1.3. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति का गठन (Panel for Appointment of Election Commissioner) 11

1.4. जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण (GST Appellate Tribunal: GSTAT) 12

1.5. लोकपाल का पद (Office of Lokpal) 15

1.6. फेक न्यूज का विनियमन (Regulation of Fake News) 18

1.7. शत्रु संपत्ति (Enemy Property) 20

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 21

1.8.1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India: BCI) 21

1.8.2. आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) 21

1.8.3. उपभोक्ता विवाद (Consumer Disputes) 22

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 24

2.1. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations) 24

2.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India Australia Relations) 26

2.2.1. ऑकस (AUKUS) 29

2.3. दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र (Doha Political Declaration) 32

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 35

2.4.1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 35

2.4.2. बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement) 36

2.4.3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF) 37

2.4.4. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank: NDB) 38

2.4.5. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 38

2.4.6. भारत-यू.एस.ए. (India-US) 39

2.4.7. रायसीना डायलॉग 2023 (Raisina Dialogue 2023) 40

2.4.8. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave: CSC) 40

2.4.9. UNSCR 2396 / संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396 (United Nations Security Council resolution 2396)40

2.4.10. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association: EFTA) 40

2.4.11. विंडसर फ्रेमवर्क (Windsor Framework) 41

2.4.12. ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स (Operation Interflex) 41

 ©Vision IAS

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 42

3.1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियम {Regulations by Securities and Exchange Board of India (SEBI)} 42

3.1.1. निवेशक सुरक्षा और भागीदारी (Investor Protection and Participation) 43

3.1.2. द्वितीयक बाजार को मजबूती (Strengthening Secondary Market) 44

3.1.3. पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance: ESG)....45

3.1.4. सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क (Regulatory Framework for Index Providers) 46

3.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)....46

3.3. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)/ PMAY(U)} 48

3.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission) 50

3.5. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन (E-Commerce Promotion And Regulation)....52

3.6. ई-फार्मेसी क्षेत्रक (E-Pharmacy Sector) 55

3.7. प्राथमिक कृषि साख/ ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)....57

3.8. टमाटर, प्याज़ और आलू (टॉप्स) की कीमतें (Prices of TOPs)....61

3.9. व्हीकल स्क्रैपेज (Vehicle Scrappage) 63

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 66

3.10.1. UPI लेन-देन पर ट्रांजैक्शन चार्ज (Interchange Fee on UPI Transactions)....66

3.10.2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली (Indian Banking System)....66

3.10.3. मिशन 'हर भुगतान डिजिटल' (Mission 'Har Payment Digital')....67

3.10.4. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (Infrastructure Finance Company: IFC)....67

3.10.5. ग्रीन शू विकल्प (Green Shoe Option) 67

3.10.6. एवरग्रीनिंग (Evergreening)....68

3.10.7. सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022 (City Financing Ranking 2022) 68

3.10.8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) 68

3.10.9. ग्रीन शिपिंग (Green Shipping) 69

3.10.10. स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम (Smart Power Transmission System)....70

3.10.11. आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 (Basic Animal Husbandry Statistics 2022)....70

3.10.12. व्यापक रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म (Comprehensive Rubber Information System Platform: CRISP)71

3.10.13. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 {Competition (Amendment) Bill 2022}....71

4. सुरक्षा (Security) 73

4.1. सशस्त्र बलों का थिएटराइजेशन (Theaterisation of Armed Forces)....73

4.2. गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम {Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967} 75

 ©Vision IAS

4.3. कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी (Technology For Law Enforcement) 77

4.4. सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस समझौता {Suspension of Operations (SoO) Agreement}...79

4.5. धन-शोधन (Money Laundering)..81

4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम: अफस्पा {Armed Forces (Special Powers) Act: AFSPA} 84

4.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 86

4.7.1. रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence) 86

4.7.2. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023 {Global Terrorism Index (GTI) 2023}..87

4.7.3. वायुलिंक (Vayulink)..87

4.7.4. प्रिसिजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिशन {Precision Attack Loitering Munition (PALM 400)} 87

4.7.5. MQ-9 रीपर (MQ-9 Reaper) 87

4.7.6. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)..87

5. पर्यावरण (Environment) 89

5.1. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि (खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि) {Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction Treaty (United Nation High Seas Treaty)}..89

5.2. संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन (UN 2023 Water Conference) 93

5.3. AR6 संकलन रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023).......................95

5.4. जलवायु न्याय (Climate Justice)..98

5.5. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का मसौदा (Draft of Carbon Credits Trading Scheme: CCTS) 101

5.6. वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी अवसंरचना (Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure: GGMI).......104

5.7. राइट-टू-रिपेयर (Right To Repair: RTR)..105

5.8. इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicles Policy) 106

5.9. भारत में वन अधिकार (Forest Rights in India)..109

5.10. भारत का भूस्खलन एटलस (Landslide Atlas of India)..111

5.11. हिमनद प्रबंधन (Glacier Management)..113

5.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 116

5.12.1. 'वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन' रिपोर्ट (CO2 Emissions in 2022 Report)..116

5.12.2. जैव ईंधन (Biofuels) 117

5.12.3. व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैव-संसाधन का उपयोग (Bio Resources for Commercial Purposes) 117

5.12.4. एशियाई शेर (Asiatic Lions) 118

5.12.5. कैप्टिविटी में रखे गए वन्यजीव (Captive Wild Animals) 118

5.12.6. बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य परिषद (Greater Panna Landscape Council: GPLC) 119

 ©Vision IAS

5.12.7. वन प्रमाणन (Forest Certification) 119
5.12.8. हीट इंडेक्स रीडिंग {Heat Index (HI) Reading} 120
5.12.9. स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत: दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य रिपोर्ट (Striving for Clean Air: Air Pollution and Public Health in South Asia report) 120
5.12.10. लिक्विड ट्री/ लिक्विड 3 (Liquid Tree/LIQUID 3) 121
5.12.11. प्लास्टिक चट्टानें (Plastic Rocks) 121
5.12.12. विलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plants) 121
5.12.13. दक्षिण अटलांटिक विसंगति (South Atlantic Anomaly: SAA) 123

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 124

6.1. भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Protection in India) 124
6.2. स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health) 126
6.3. दुर्लभ रोग (Rare Diseases) 128
6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 131
6.4.1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report 2023) 131
6.4.2. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (Global Education Monitoring Report) 131
6.4.3. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme: NILP) 132
6.4.4. किशोरियों और महिलाओं में पोषण संबंधी संकट (Nutrition Crisis in Adolescent Girls and Women) 132
6.4.5. वीमेन, बिज़नेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट (Women, Business and the Law 2023 Report) 133
6.4.6. भारत में महिला और पुरुष 2022 (Women and Men in India 2022) 134
6.4.7. वीमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता (विन्स/WINS) अवार्ड्स 2023 {Women Icons Leading Swachhata (WINS) Awards 2023} 134
6.4.8. स्वच्छोत्सव 2023 (Swachhotsav 2023) 134

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 136

7.1. भारत 6G मिशन (Bharat 6G Mission) 136
7.2. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism) 139
7.3. वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस (टी.बी.) शिखर सम्मेलन {One World Tuberculosis (TB) Summit} 141
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 143
7.4.1. बायो-कंप्यूटर (Bio-computers) 143
7.4.2. क्वांटम कम्युनिकेशन (Quantum Communication) 144
7.4.3. सोडियम के सेवन में कमी (Sodium Intake Reduction) 144
7.4.4. प्रक्षेपण यान मार्क-3 {Launch Vehicle Mark 3 (LVM-3)} 145
7.4.5. उपग्रह का नियंत्रित री-एंट्री प्रयोग (Controlled Re-Entry of Satellite) 145
7.4.6. पैलेट-बीम प्रणोदन (Pellet-Beam Propulsion) 146

 ©Vision IAS

7.4.7. खाद्य विकिरण (Food Irradiation)......146
7.4.8. कैंडिडा ऑरिस (C. ऑरिस) {Candida Auris (C. auris)}......147
7.4.9. प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2023 (Technology and Innovation Report 2023)......147
7.4.10. वैभव फेलोशिप (VAIBHAV Fellowships)......148
7.4.11. 'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो' पहल (Learning Science via Standards Initiative)......149
7.4.12. सैंड बैटरी (Sand Battery)......149

8. संस्कृति (Culture) 150

8.1. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)......150

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)......152
8.2.1. भारत में पुरावशेष (Antiquities in India)......152
8.2.2. मतुआ समुदाय (Matua Community)......152
8.2.3. कट्टूनायकन्न जनजाति (Kattunayakan Tribe)......153

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 154

9.1. हेल्थकेयर में AI नैतिकता (AI Ethics in Healthcare)......154

9.2. पशु अधिकारों की नैतिकता (Ethics of Animal Rights)......156

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 159

10.1. समर्थ (वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना) योजना (Samarth: Scheme for Capacity Building in Textiles Sector Scheme)......159

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

	विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

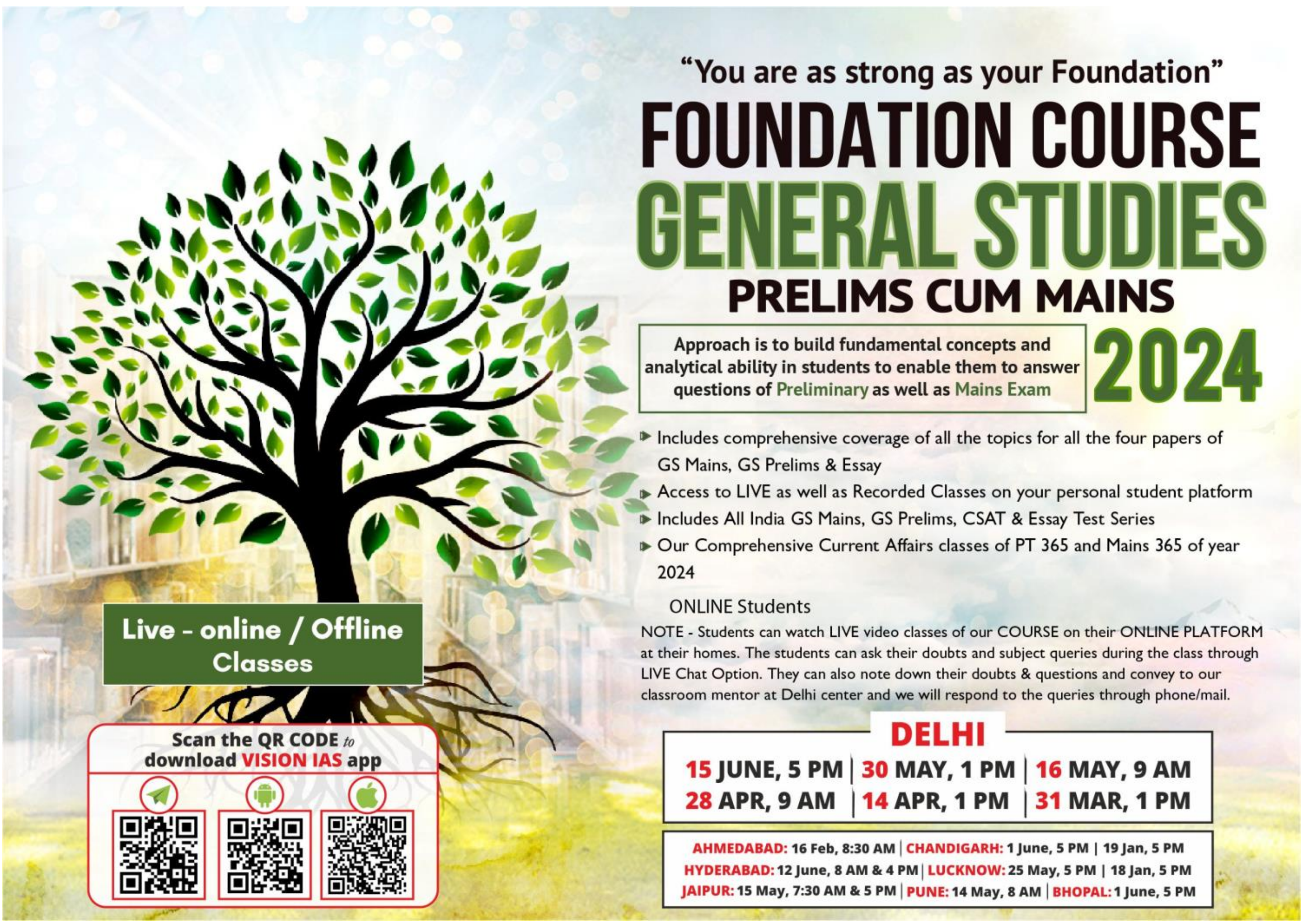

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. सातवीं अनुसूची (The Seventh Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)**[1] ने "भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची का मूल्यांकन" नाम से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसमें सातवीं अनुसूची के काम-काज का विश्लेषण किया गया है।

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के बारे में

- यह एक **स्वतंत्र निकाय** है। इसका कार्य भारत सरकार (विशेष रूप से प्रधान मंत्री) को **आर्थिक मामलों और संबंधित मुद्दों पर सलाह** देना है।
- यह परिषद या तो **स्वत: संज्ञान लेते हुए या प्रधान मंत्री या किसी और के कहने** पर सरकार या पी.एम. को सलाह देती है।

सातवीं अनुसूची के बारे में

- संविधान की सातवीं अनुसूची का प्रावधान **अनुच्छेद 246** के तहत किया गया है।
- इसमें **तीन सूचियां** शामिल हैं, जो **संघ और राज्यों** के बीच शक्तियों का वितरण एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती हैं। ये सूचियां हैं: **सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची)**।
    - **संघ सूची में 97 विषय (प्रविष्टियां)** शामिल हैं।
    - **राज्य सूची में 66 विषय** शामिल हैं।
    - **समवर्ती सूची में 47 विषय** शामिल हैं।
- संविधान के **अनुच्छेद 248** के अनुसार, **अवशिष्ट शक्तियां (Residuary powers)** संसद को प्रदान की गई हैं।
    - जिन विषयों का राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियां) के तहत उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है।
- **सातवीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया:**
    - इसे **संविधान के अनुच्छेद 368** के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही संशोधित किया जा सकता है।
    - इसके लिए **संसद के विशेष बहुमत** और **कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों के साधारण बहुमत से पारित** संशोधन की आवश्यकता होती है।
        - **विशेष बहुमत:** सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत।

[1] Economic Advisory Council to the Prime Minister

भारतीय संघीय ढांचे में मजबूत केंद्र (संघ/ Union) पर बल देने के पीछे निहित तर्क

- **विभाजन की घटना:** आजादी के समय एक मजबूत केंद्र की तत्काल आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत की एकता व अखंडता को भविष्य की अलगाववादी प्रवृत्तियों से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत केंद्र की व्यवस्था का चयन किया गया था।
- **रियासतों की समस्या:** आजादी के समय भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रफल में रियासतों की हिस्सेदारी 40% और कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 30% थी। इसलिए, उन सभी का एकल इकाई में विलय करने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी।
- **संतुलित आर्थिक संवृद्धि को सक्षम बनाना:** आजादी के समय, भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक था। इसके चलते देश के संसाधनों के सामूहिक उपयोग की आवश्यकता महसूस हुई थी।
- **देश की विविधता:** संविधान सभा के अनुसार, उस समय देश को बेहतर ढंग से एक सूत्र में बांधने के लिए कई पहलुओं में एक समान दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी।
- **राष्ट्र की सुरक्षा (Security) और रक्षा (Defense):** यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और सशस्त्र बल बाह्य खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम हैं, एक मजबूत केंद्र का होना बहुत आवश्यक था।

वर्तमान में सातवीं अनुसूची से संबंधित चिंताएं

- **संतुलित संवृद्धि का अभाव:** केंद्र को राज्यों के विकास में आवश्यक संतुलन स्थापित करने के लिए शक्तिशाली बनाया गया था, लेकिन **स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी संवृद्धि और मानव संकेतकों के संदर्भ में राज्यों के बीच स्पष्ट असमानता** देखने को मिलती है।
- **राज्यों की सांस्कृतिक स्वायत्तता में कमी:** विविधता में एकता को देश की एक अनूठी विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। **कई राज्यों ने यह दावा किया है कि केंद्र के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण उनकी अनूठी विशेषताएं और परंपराएं सुभेद्य स्थिति में हैं।**
- **सूची में गलत प्रविष्टियां (विषय):** कई विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जा चुका है, उदाहरण के लिए- शिक्षा। इस स्थानांतरण के लिए अभी तक एक भी ठोस कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, कई मामलों में राज्य ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के एकमात्र प्रदाता बने हुए हैं।
- **राज्य सूची के विषयों पर संघ द्वारा कानून बनाना:** केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 जैसे कई कानून बनाए हैं। ये कानून राज्य सूची की प्रविष्टियों में शामिल विषयों से संबंधित हैं।

आगे की राह

- **सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार:**
    - **अवशिष्ट शक्तियां** केंद्र को सौंपने के बजाए **समवर्ती सूची में स्थानांतरित** की जानी चाहिए।
    - **केंद्र सरकार को समवर्ती सूची के विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने से पहले राज्यों से परामर्श** करना चाहिए।
    - समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय **केंद्र को लचीला रूख अपनाना चाहिए।** उदाहरण के लिए- यदि समवर्ती सूची के विषयों पर किसी कानून को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता की जरूरत है, तो केंद्र उसे संबंधित कानून के जरिए पूरा करे, लेकिन उसी कानून में ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए, जिससे राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव कर सकें।
- **अंतर्राज्यीय परिषद के जरिए राज्यों के साथ परामर्श: वेंकटचलैया आयोग** की सिफारिश के अनुसार, **समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से** राज्यों के साथ अलग-अलग और सामूहिक परामर्श किया जाना चाहिए।
- **परामर्श के लिए मंचों को फिर से सक्रिय करना:** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच परामर्श के लिए बने मंचों (जैसे- क्षेत्रीय परिषद) को फिर से सक्रिय करना चाहिए। इसके अलावा, इन क्षेत्रीय मंचों को प्रभावी विचार-विमर्श के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने की भी आवश्यकता है।

1.2. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने चुनावी फंडिंग से संबंधित एक रिपोर्ट** जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग का आधे से अधिक हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिलने वाला चंदा है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है।

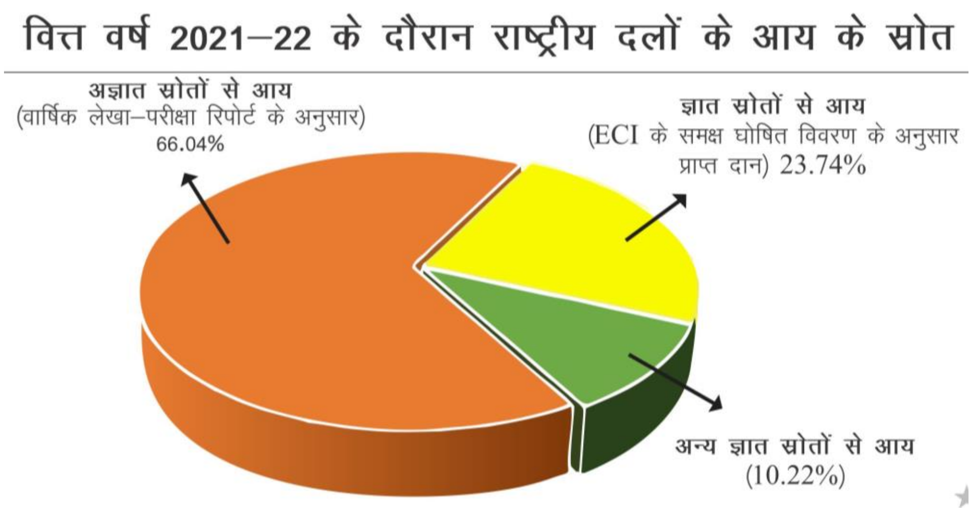

अन्य संबंधित तथ्य

- राजनीतिक दलों को **20,000 रुपये से कम चंदा** देने वाले व्यक्तियों या संगठनों के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, न ही उन लोगों/ संगठनों के नाम का प्रकटीकरण करने की जरूरत होती है, **जिन्होंने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा** दिया है।
- **अज्ञात स्रोतों** से प्राप्त कुल फंडिंग में से, चुनावी बॉण्ड से प्राप्त फंडिंग का हिस्सा **83.4 प्रतिशत** था।

चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे

- **राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत **केवल उम्मीदवारों के लिए** ही चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके विपरीत, राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है।

चुनावी बॉण्ड

चुनावी बॉण्ड क्या है?

- चुनावी बॉण्ड्स राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने के लिए **ब्याज मुक्त वित्तीय साधन (लिखत)** होते हैं। ये एक वचन–पत्र (Promissory Note) की भांति होते हैं।

ये बॉण्ड्स कौन खरीद सकता है?

- इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा ख़रीदा जा सकता है।

बॉण्ड का मूल्यवर्ग

- ये बॉण्ड्स **1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये** के मूल्यवर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की चयनित शाखाओं से ख़रीदा जा सकता है।

ऐसे बॉण्ड्स कब खरीदे जा सकते हैं?

- ये प्रत्येक वर्ष **जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए** खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं।

बॉण्ड की जीवन अवधि

- ये बॉण्ड्स **जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर** पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय (Redeemable) होते हैं।

कौन–से राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के जरिए दान प्राप्त करने के पात्र हैं?

- वे राजनीतिक दल, जिन्होंने **लोक सभा या राज्य विधान सभा के विगत चुनावों में कम–से–कम 1% मत** प्राप्त किए हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं।

इसकी घोषणा कब की गई थी?

- **केंद्रीय बजट 2017–18** में चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा की गई थी।

अन्य विशेषताएं:

- किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा ख़रीदे जा सकने वाले **चुनावी बॉण्ड्स की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।**
- बॉण्ड्स जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं भुनाया जाता है तो SBI बॉण्ड्स की राशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा कर देता है।

- **पारदर्शिता का अभाव:**
    - राजनीतिक दलों को **उनके द्वारा प्राप्त धन के स्रोत का विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं** होती है। नतीजतन, चुनाव के समय राजनीतिक दलों के दाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
    - उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत आयकर की छूट दी गई है।
    - इसके अतिरिक्त, **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 0.96 प्रतिशत दलों** ने ही निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी अनुदान प्राप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- **कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़:** राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाले चंदे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चुनावी बॉण्ड में गोपनीयता का भी प्रावधान है, जिसके चलते यह गठजोड़ और मजबूत बन जाता है।

आगे की राह

- **राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) के अधीन लाना:** राजनीतिक दलों को **केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेश** का पालन करना चाहिए। इस आदेश में उन्हें **RTI अधिनियम, 2005** के तहत **लोक प्राधिकारी (Public authorities)** घोषित किया गया था। इस आदेश के पालन से उन्हें **और अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी** बनाया जा सकता है।

 ©Vision IAS

- **राजनीतिक दलों को विनियमित करना:** राजनीतिक दलों को विनियमित करने वाला एक व्यापक विधेयक लाना समय की मांग है। यह विधेयक दल के संविधान, संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार के चयन आदि से संबंधित होना चाहिए।
- **भारतीय निर्वाचन आयोग को अधिक शक्ति देना:** निर्वाचन आयोग को **राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की शक्ति** प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में उन पर कठोर दंड आरोपित करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट फंडिंग पर सीमा निर्धारित करना:** राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की राशि पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियां अपने वार्षिक निवल लाभ का 7.5% तक ही चंदा या दान दे सकती हैं।
- **निम्नलिखित प्रकार के दान पर या तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उन्हें सीमित किया जा सकता है:**
  - **सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं** द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पब्लिक फंड्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनुपालन की निगरानी की व्यापक संभावना के लिए **गुमनाम स्रोतों को प्रतिबंधित या सीमित** किया जा सकता है।
- **राजनीतिक दलों के एकाउंट्स की लेखापरीक्षा करना:** राजनीतिक दलों को पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षों (Account heads) के तहत उचित लेखाओं को बनाए रखना चाहिए। ऐसे लेखाओं की **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा अनुशंसित एवं अनुमोदित लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा होनी चाहिए।

चुनावी बॉण्ड के लाभ और नुकसान	
चुनावी बॉण्ड के लाभ	**चुनावी बॉण्ड के नुकसान**
यह राजनीतिक दलों को **अधिक पारदर्शी तरीके** से कार्य करने में मदद करता है।	**अनामिता (Anonymity) का प्रावधान सरकार पर लागू नहीं होती है।** तात्पर्य यह है कि यदि मौजूदा सरकार चाहे तो वह स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा देने वाले का विवरण प्राप्त कर सकती है।
यह चुनावी फंडिंग में **नकदी को हतोत्साहित** करता है।	चुनावी बॉण्ड कंपनी द्वारा चंदा देने की निर्धारित **7.5% की ऊपरी सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त** करता है।
चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान **केवल दल के बैंक खाते में ही जमा** किया जाता है। निर्वाचन आयोग को इस खाते का पूर्ण विवरण दिया जाता है।	**मतदाता यह नहीं जान पाते** हैं कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को चंदा दिया है।

इस मामले में विश्व के कुछ देशों में अच्छी प्रथाएं

- **नॉर्वे में, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कमिटी** एक स्वतंत्र निकाय है। यह चुनावी अभियानों के लिए राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग की निगरानी करती है। साथ ही, यह समिति अपनी पहल पर या जनता की शिकायतों के आधार पर कार्य करती है।
- फ्रांस में, व्यावसायिक घरानों, निगमों और अन्य कानूनी संस्थाओं (कॉर्पोरेट्स) को राजनीतिक दलों को चंदा देने से प्रतिबंधित किया गया है।

1.3. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति का गठन (Panel for Appointment of Election Commissioner)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक **मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेगा।**

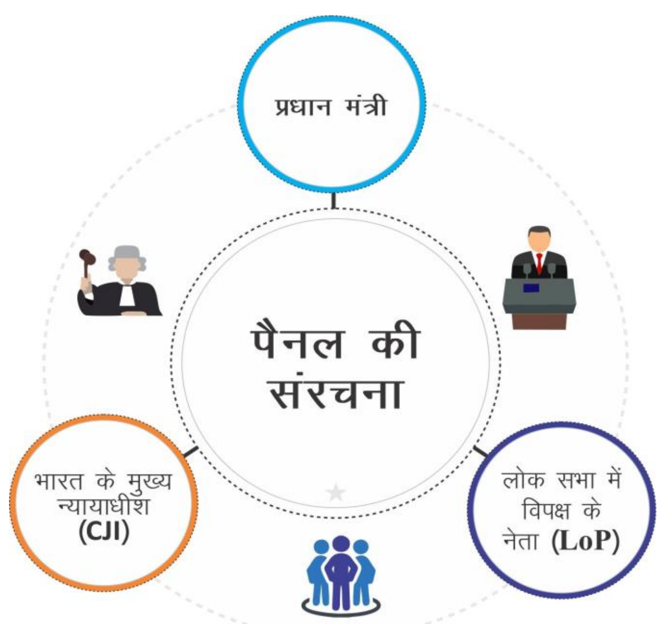

अन्य संबंधित तथ्य

- **अस्थायी व्यवस्था:** यह समिति राष्ट्रपति को नियुक्ति पर तब तक सलाह देती रहेगी, जब तक कि **संसद** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कोई **कानून पारित नहीं कर देती।**
- **निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता:** इस कदम का उद्देश्य **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)**[2] **और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति** को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना है।

---
[2] Chief Election Commissioner

- **स्थायी सचिवालय:** सुप्रीम कोर्ट ने **संसद और केंद्र सरकार** से भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)[3] के लिए एक **स्थायी सचिवालय** स्थापित करने के लिए भी कहा है।

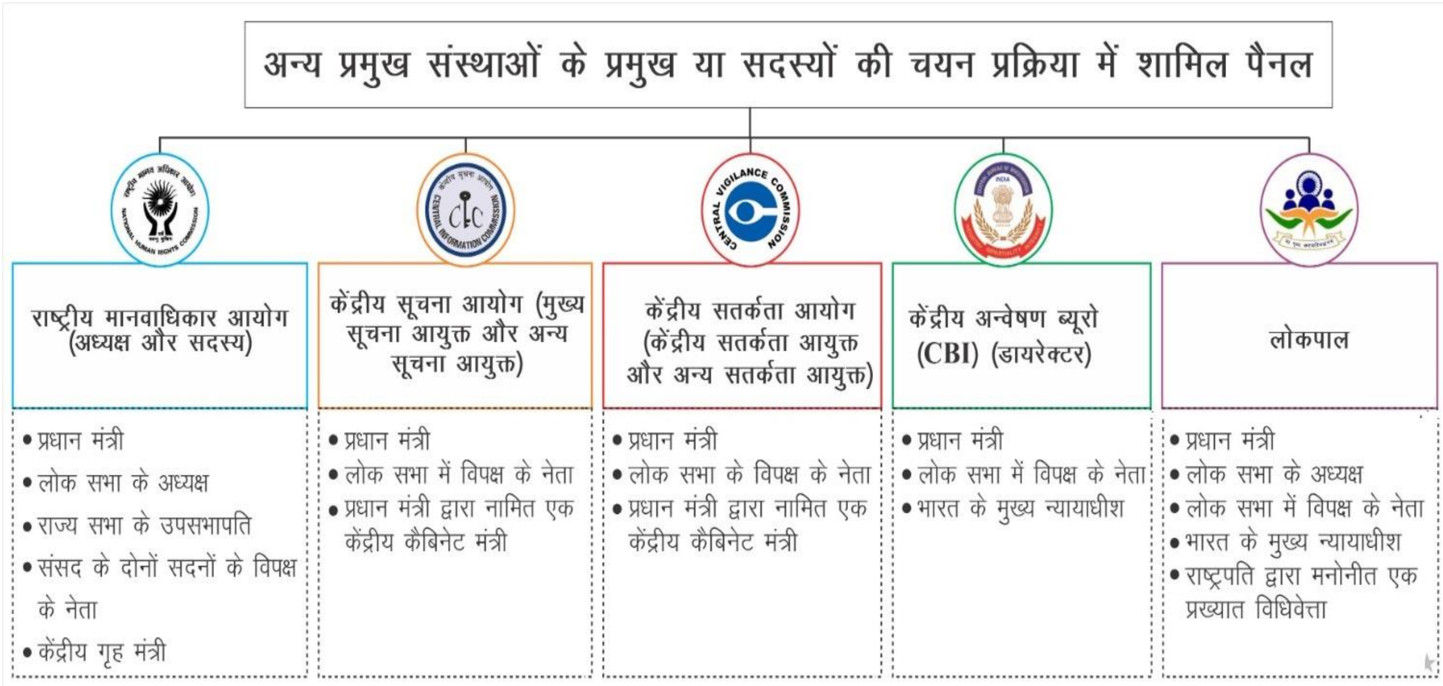

नोट: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया दिसंबर, 2022 की मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 1.3 - 'निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति' - का संदर्भ लें।

1.4. जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण (GST Appellate Tribunal: GSTAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त विधेयक, 2023 में **वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT)**[4] की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जी.एस.टी. परिषद की 49वीं बैठक** में मंत्रियों के समूह (GoM) की एक रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। इसमें GSTAT की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- वित्त विधेयक, 2023 द्वारा **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 में संशोधन** किया गया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य **GSTAT और इसकी खंडपीठों** के गठन का मार्ग प्रशस्त करना है।
- ज्ञातव्य है कि GSTAT का गठन **2017 से लंबित** था।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में

- GST एक **अप्रत्यक्ष कर** है। गौरतलब है कि देश में लागू कई अप्रत्यक्ष करों, जैसे- **उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर** आदि का GST में विलय कर दिया गया है।
    - हालांकि, इसमें **शराब, पेट्रोलियम, बिजली और मूल सीमा शुल्क** शामिल नहीं हैं।
- इसे 2017 में **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से देश में लागू किया गया था।
- इसके अलावा, यह एक **व्यापक, बहुस्तरीय** व **गंतव्य** आधारित कर है, जो कि प्रत्येक स्तर पर होने वाले मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।
- इसने भारत में **कर क्षेत्राधिकार** में एकरूपता ला दी है अर्थात् **"एक देश एक कर प्रणाली"** को लागू किया है।

[3] Election Commission of India

[4] Goods and Service Tax (GST) Appellate Tribunal

GSTAT की आवश्यकता क्यों है?

- **न्यायपालिका पर बोझ: GST अपीलीय अधिकरण के न होने से** विवाद की स्थिति में करदाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कर रहे हैं।
  - ऐसे में, GSTAT **लंबित मुकदमों को निपटाने** में मदद करेगा।
  - **न्यायपालिका के पास ऐसे विशेषज्ञ सदस्यों का अभाव है,** जो GST के तकनीकी मुद्दों से निपट सकें।
- **CESTAT[5] का विकल्प:** इसने GST के लागू होने से पहले कर व्यवस्था में मुकदमेबाजी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **GST प्रावधानों की वैधता:** GST में शामिल कुछ संक्रमणकालीन प्रावधानों की संवैधानिकता से जुड़े मुद्दों का समाधान करना आवश्यकता है।
- **कार्य में कुशलता लाना:** कई मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने निर्यात रिफंड के दावों को खारिज कर दिया है। GSTAT की अनुपस्थिति में, करदाता ऐसे प्रतिकूल आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनके वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है।
- **आर्थिक हानि को कम करना:** मामलों के निपटान में देरी से अंततः करदाताओं को 18% की भारी ब्याज देनदारियों को वहन करना पड़ता है, जो मौजूदा बैंक ऋण दर से बहुत अधिक है।

वस्तु और सेवा कर परिषद {Goods and Services Tax (GST) Council}

सचिवालय	नई दिल्ली
उत्पत्ति	इसे संविधान के **अनुच्छेद 279A** के तहत स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के जरिए संविधान में शामिल किया गया था।
GST परिषद के बारे में	यह **केंद्र** और **राज्यों** का एक **संयुक्त मंच** है। यह **GST के कार्यान्वयन** में मदद करती है।
कार्य	यह GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को **सिफारिशें** करती है। उदाहरण के लिए– उन **वस्तु और सेवाओं के बारे में सिफारिशें करना जिन्हें GST के अधीन रखना है** या जिनके लिए छूट दी जा सकती है; **मॉडल GST कानून;** आपूर्ति के स्थान, ऊपरी सीमा आदि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें करना।
सदस्यता	**अध्यक्ष**– केंद्रीय वित्त मंत्री **सदस्य**– केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री
अपीलीय तंत्र	**केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017** अपील और समीक्षा के चार चरण प्रदान करता है (पहले से अंत तक): ✦ **GST अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील** ✦ **GSTAT के समक्ष अपील** ✦ **हाई कोर्ट में अपील** ✦ **सुप्रीम कोर्ट में अपील**

GSTAT के बारे में	
• यह GST के तहत **द्वितीय अपील फोरम** होगा। यह **अपीलीय प्राधिकरण** (Appellate Authority) या **पुनरीक्षण प्राधिकरण** (Revisional Authority) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। GSTAT का यह कर्तव्य होगा कि वह **GST के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान में एकरूपता** सुनिश्चित करे।	
पीठें	
मुख्य पीठ (Principal Bench)	**राज्य में स्थित खंडपीठ (State Bench)**
• इसमें 4 सदस्य शामिल होंगे- **एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र)** और **एक अन्य तकनीकी सदस्य (राज्य)।**	• इसमें शामिल होंगे- **दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र)** और **एक अन्य तकनीकी सदस्य (राज्य)।** • इन्हें **राज्य सरकार के अनुरोध और GST परिषद की सिफारिशों** पर गठित किया

[5] Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal/ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण

○ **मुख्य पीठ** की अध्यक्षता एक **न्यायिक सदस्य** द्वारा की जाएगी। • यह **नई दिल्ली** में स्थित होगा। • **आपूर्ति के स्थान (Place of supply)** के मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई **केवल मुख्य पीठ** करेगी।	जाएगा।
मुख्य पीठ एवं **राज्य खंडपीठ** दोनों के अंतर्गत **न्यायाधीशों (सदस्यों) का अधिकार क्षेत्र**	
एकल सदस्य	**एक न्यायिक** और **एक तकनीकी सदस्य**
• **एक सदस्यीय पीठ 50 लाख रुपये से कम के बकायों व शुल्कों वाले विवादों** की सुनवाई करेगी। • उपर्युक्त मामले में केवल **कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जुर्माना, शुल्क या दंड** से संबंधित विवाद शामिल होंगे। • इस प्रकार के विवाद की सुनवाई में **कानूनी पहलुओं अर्थात् कानून के प्रश्न (Question of Law)** को शामिल नहीं किया जाएगा।	• अन्य सभी मामलों में विवादों की सुनवाई **एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य द्वारा एक साथ** की जाएगी। • यह पीठ **50 लाख रुपये से अधिक के बकायों व शुल्कों वाले विवादों की सुनवाई** करेगी। इसमें **कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जुर्माना, शुल्क या दंड** से संबंधित विवाद शामिल होंगे। • यहां विवादों की सुनवाई में **कानूनी पहलुओं अर्थात् कानून के प्रश्न (Question of Law)** को शामिल किया जाएगा। • हालांकि, **आपूर्ति के स्थान** के मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल **मुख्य पीठ (Principal Bench) द्वारा की जाएगी।**
न्यायाधीशों के बीच मतभेद	
राज्य खंडपीठ (State Bench)	अध्यक्ष **मामले को सुनवाई के लिए उसी राज्य खंडपीठ के किसी अन्य सदस्य** के पास या यदि ऐसा कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो **किसी अन्य राज्य की खंडपीठ के सदस्य के पास भेजेगा।**
मुख्य पीठ (Principal Bench)	अध्यक्ष, **मामले को सुनवाई के लिए मुख्य पीठ के किसी अन्य सदस्य के पास** या यदि ऐसा कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो **किसी भी राज्य खंडपीठ के सदस्य के पास भेजेगा।**
सदस्यों की योग्यता	
अध्यक्ष	सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
न्यायिक सदस्य	हाई कोर्ट का न्यायाधीश या दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति।
तकनीकी सदस्य (केंद्र)	भारतीय राजस्व (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) सेवा, ग्रुप A या कानून प्रशासन के मामले में 3 साल का अनुभव वाला अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य, जिसने सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हों।
तकनीकी सदस्य (राज्य)	ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी रहा हो या अखिल भारतीय सेवा आदि का कोई अधिकारी रहा हो।
खोज-सह-चयन समिति (नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिए)[6]	
अलग-अलग समितियां- अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) का चयन करेंगी।	

[6] Search-cum-Selection Committee (for appointment or re-appointment)

GSTAT की सीमाएं

- **शक्ति का केंद्रीकरण:** आपूर्ति के स्थान के मुद्दे से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की शक्ति केवल **मुख्य पीठ** को ही दी गई है।
    - आपूर्ति का स्थान **वस्तु (गुड्स) के स्थान** को संदर्भित करता है, जहां **वस्तु की आवाजाही** प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तु को प्राप्त करने के साथ **समाप्त** होती है।
- **अध्यक्ष को शक्ति:** अध्यक्ष को बिना पूर्वोपायों (Precautionary measures) के **मामलों को स्थानांतरित** करने की शक्ति दी गई है।
- **न्यायिक सदस्य:** राज्य खंडपीठों में दो न्यायिक सदस्य होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि **तकनीकी सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।**

आगे की राह

- **GSTAT का गठन:** ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए यह सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **राज्य सरकारों को सशक्त बनाना:** उन्हें राज्य खंडपीठों के गठन की शक्ति सौंपी जानी चाहिए, ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो सके।
- **प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की दक्षता में वृद्धि:** इससे GSTAT पर बोझ कम होगा।

1.5. लोकपाल का पद (Office of Lokpal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर गठित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि लोकपाल ने आज तक एक भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलाया है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
(United Nations Convention against Corruption: UNCAC)

उत्पत्ति: इसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत गया था और यह 2005 में लागू हुआ था।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य **अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से भ्रष्टाचार की रोकथाम** करना है। साथ ही, **भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों को बढ़ावा देना व उन्हें मजबूत करना** भी इसका उद्देश्य है।

स्थिति / दर्जा: हस्ताक्षरकर्ता: 140 और पक्षकार: 189

भारत पक्षकार है

प्रमुख विशेषताएं:

- यह कन्वेंशन (अर्थात् UNCAC), **एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार–रोधी साधन** है।
- इस कन्वेंशन में पाँच मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: **निवारक उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली, तकनीकी सहायता** और **सूचना का आदान–प्रदान।**
- हालांकि, कन्वेंशन के तहत भ्रष्टाचार के कई अलग–अलग प्रकारों को भी शामिल किया गया है, जैसे– रिश्वतखोरी, प्रभाव में आकर व्यवहार करना, पद का दुरुपयोग, निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार संबंधी कृत्य आदि।

लोकपाल के बारे में

- लोकपाल का गठन **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत **एक वैधानिक निकाय** के रूप में किया गया था।
    - यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद के सृजन का प्रावधान करता है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। साथ ही, **भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** में उल्लिखित दायित्वों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए **वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत** करना भी इसका उद्देश्य है।
- **लोकपाल का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) अर्थात् लोकपाल के दायरे में कौन-कौन शामिल हैं:**
    - **प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी** तथा केंद्र सरकार के अधिकारी।

- **संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा संघ या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त-पोषित** किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, न्यास या स्वायत्त निकाय के **अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व निदेशक।**
- ऐसी कोई भी **सोसाइटी या न्यास या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता हो।**

- **लोकपाल की संरचना:** लोकपाल में **एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** होते हैं। इनमें से **आधे सदस्य न्यायिक सदस्य** होते हैं।
  - लोकपाल के **आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं** में से होंगे।
- **लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति:** लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है (इन्फोग्राफिक देखें)।

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कुछ अपवाद

- यदि **प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से संबंधित है, तो लोकपाल इसकी जांच नहीं कर सकता है।
- **न्यायपालिका और सशस्त्र बल** लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं।
- **राज्य सरकार के कर्मचारियों** को तब इसकी अधिकारिता के अधीन लाया जाता है, जब वे संघ के मामलों के संबंध में सेवा दे रहे होते हैं।

- **कार्यकाल या पदावधि:** अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य **पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो,** पद धारण करते हैं।
- **वेतन और भत्ते:** अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
  - अन्य सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
- **लोकपाल को पद से हटाना:** लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों को **कदाचार (Misbehaviour)** के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के कम-से-कम 100 सदस्य हस्ताक्षर कर अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते हैं तो राष्ट्रपति उस याचिका को आगे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद आरोपों को सही पाया जा है, तो आरोपित अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में स्वयं भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है-
  - दिवालिया घोषित होने पर;
  - अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक कार्य में संलिप्त होने पर; तथा
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होने पर।

- **पुनर्नियुक्ति:** पद त्यागने के उपरांत, **अध्यक्ष** और **प्रत्येक सदस्य** लोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, यदि किसी सदस्य का कार्यकाल बाकी है तो वह लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा। **इसके अतिरिक्त वे निम्नलिखित के लिए भी अपात्र होंगे-**

- किसी राजनयिक कर्तव्यभार के लिए, किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यभार हेतु जिसे राष्ट्रपति निर्देशित करे;
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए; तथा
- पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होंगे।

- **शिकायत का प्रारूप:** किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई भी शिकायत लोकपाल अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए। साथ ही, उक्त शिकायत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित होनी चाहिए।
  - इस तरह की शिकायत कौन कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **लोकपाल की शाखाएं:** लोकपाल की **दो प्रमुख शाखाएं हैं: जांच शाखा और अभियोजन शाखा**[7]**।**

क्या आप जानते हैं?

- **लोकपाल** शब्द को **'ओम्बुड्समैन'** की अवधारणा के **एक भारतीय संस्करण** के रूप में गढ़ा गया था। ओम्बुड्समैन की अवधारणा सबसे पहले **स्कैंडिनेवियाई** देशों में विकसित हुई थी। इसका आशय एक ऐसे अधिकारी से है **जिसे प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त** किया जाता है।

  - जब लोकपाल को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वह अपनी जांच शाखा या किसी अन्य एजेंसी को प्रारंभि क जांच का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रतीत होता है, तो लोकपाल इसे CBI सहित किसी भी एजेंसी के पास जांच के लिए भेज सकता है।
    - लोकपाल, **केंद्र सरकार के कर्मचारियों** से संबंधित शिकायतें **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** को भेजेगा।
    - प्रारंभिक जांच शिकायत प्राप्त होने के **30 दिनों** के भीतर पूरी की जाएगी।
  - यदि जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई अपराध किया गया है, तो लोकपाल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। यह विशेष अदालत में मामला (केस) भी दायर कर सकता है।
    - केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उत्पन्न या इस अधिनियम के अधीन उठाए गए मामलों की सुनवाई और उनका निर्णय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकपाल द्वारा सिफारिश की जाएगी।
  - लोकपाल को किसी अपराध की जांच करने या विशेष अदालत में अभियोजन शुरू करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

भारत में लोकपाल से संबंधित मुद्दे

- **नियुक्तियों में देरी:** लोकपाल कानून 2013 में ही पारित हो गया था, फिर भी अगले कई सालों तक लोकपाल का पद खाली पड़ा था। मार्च 2019 में पहले लोकपाल (जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष) की नियुक्ति हुई थी।
  - इसके अलावा, मई 2022 से ही अध्यक्ष का पद रिक्त है, जो लोकपाल अधिनियम, 2013 के मूल भावना के खिलाफ है। वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के **कार्यवाहक अध्यक्ष** हैं।
  - दो न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों को भी 2020 से नहीं भरा गया है।
- **रिक्ति:** लोकपाल में कुल स्वीकृत पदों (कर्मचारी सहित) की संख्या 82 है। इनमें से केवल 32 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं।
  - लोकपाल की जांच और अभियोजन शाखा का गठन किया जाना अभी शेष है।
  - लोकपाल में अभी जांच या अभियोजन निदेशक की नियुक्ति भी नहीं की गई है।
- **निम्नस्तरीय प्रदर्शन:** अब तक केवल तीन शिकायतों की ही जांच पूरी की गई है।
  - इनमें से **भ्रष्टाचार के आरोपी एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया है।**
  - इसने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 68% शिकायतों का बिना किसी कार्रवाई के निपटान किया है।

---

[7] Inquiry wing and prosecution wing

   - बड़ी संख्या में शिकायतों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया, **क्योंकि शिकायतें निर्धारित प्रारूप (Prescribed format) में दायर नहीं** की गई थीं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** 2013 से ही, कई राज्यों ने लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी की है।
  - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63** के अनुसार, प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से **एक वर्ष की अवधि के भीतर** लोकायुक्त नामक निकाय की स्थापना करेगा।
- **विश्वास की कमी:** शिकायतों की घटती संख्या इस बात की ओर संकेत करती है कि लोक प्रहरी (लोकपाल) पर ही लोगों का विश्वास कम हो गया है।
- **शिकायत निवारण:** लोकपाल के फैसले के खिलाफ अपील के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं।

आगे की राह

- **संवैधानिक दर्जा:** लोकपाल को वास्तव में राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र बनाने के लिए उसे **संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।**
- **नियुक्तियों में देरी को कम करना:** लोकपाल के प्रभावी काम-काज के लिए सरकार को जल्द-से-जल्द रिक्तियों को भरना चाहिए।
- **चयन समिति में संशोधन:** भविष्य में **विपक्ष के नेता** की अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने हेतु एक संशोधन किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान **CBI डायरेक्टर** और **केंद्रीय सतर्कता आयुक्त** की नियुक्तियों के संबंध में किया गया है।
- **जवाबदेही बढ़ाना:** लोकपाल को उसके कार्यों और उसकी प्रभावशीलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
  - लोकपाल द्वारा केवल **तकनीकी** और शिकायतों के **निर्धारित प्रारूप में नहीं** होने के कारणों के आधार पर **भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को खारिज नहीं** किया जाना चाहिए।
- **जन जागरूकता बढ़ाना:** लोकपाल को कानून और उसके कार्यों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करने चाहिए। इसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के तरीके और प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए।

1.6. फेक न्यूज का विनियमन (Regulation of Fake News)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम[8], 2023** को अधिसूचित किया है।

आई.टी. नियम, 2021 में नवीन संशोधन

- इसमें **'डिजिटल मीडिया'** तथा **'समाचार और समसामयिक कंटेंट'** जैसी पदावली को परिभाषित किया गया है।
- **नियमों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना (Due diligence):** सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (जैसे- फेसबुक, ट्विटर आदि) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नए नियमों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होगा।
- **नोडल संपर्क व्यक्ति:** मध्यवर्तियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं अधिकारियों के साथ 24x7 समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी। इससे उन एजेंसियों व अधिकारियों के आदेशों या अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों की दो श्रेणियां:** सोशल मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती।
- **पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की तथ्य जांच इकाई (Fact-checking unit):** फैक्ट-चेकिंग यूनिट द्वारा 'फर्जी खबर' के रूप में पहचाने गए किसी समाचार के किसी भी हिस्से को मध्यवर्तियों द्वारा प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **शिकायत अधिकारी:** इसे मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- **शिकायत अपीलीय समिति:** केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी।

ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित संशोधन

- संशोधन के द्वारा **'ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती', 'ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय' आदि** की परिभाषाओं को शामिल किया गया है।
- **मध्यवर्तियों के दायित्व:** वे ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम को **होस्ट, प्रकाशित या साझा** नहीं करेंगे, जिससे उपयोगकर्ता को **नुकसान पहुंचे** या जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, **रियल मनी** को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम के संबंध में अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
- **स्व-विनियामक निकाय (एक से अधिक):** यह जांचने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि ऑनलाइन गेम से किसी को मनोवैज्ञानिक नुकसान सहित कोई अन्य नुकसान नहीं पहुंचे।
  - इन स्व-विनियामक निकायों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

[8] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules

ऑनलाइन फेक कंटेंट के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- **फेक न्यूज की संख्या में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)**[9] की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में फेक न्यूज के कुल 1,527 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में ऐसे मामलों की संख्या 486 थी।
- **सामाजिक ताने-बाने को नुकसान:** सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ या फेक वीडियो शेयर करने से साम्प्रदायिक हिंसा की दर में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए- 2017 में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले से एक फेक इमेज व वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इससे जिले में साम्प्रदायिक दंगे फैल गए थे।
- **उग्रवादियों और असामाजिक संगठनों द्वारा उपयोग:** इनके द्वारा दुष्प्रचार, कट्टरता और षड्यंत्रकारी सिद्धांतों (Conspiracy Theories) के प्रसार हेतु फेक न्यूज़ का उपयोग किया जाता है, ताकि समाज को अस्थिर किया जा सके।
    - हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 35 यू-ट्यूब (YouTube) समाचार चैनलों और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। ये **भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने** में शामिल थे।
- **संस्थाओं की प्रतिष्ठा:** फेक न्यूज अभियानों का इस्तेमाल संगठनों की प्रतिष्ठा खराब करने के साथ-साथ शेयर बाजारों में हेर-फेर करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए- 2012 में **शैल (Shell)** को लक्षित करने वाली फर्जी **'आर्कटिक रेडी'** वेबसाइट।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करना:** गुमराह करने वाले कंटेंट और फेक न्यूज़ धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
    - यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और पोस्ट-ट्रुथ राजनीति का भी कारण बन सकता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

फेक न्यूज से निपटने के लिए किए सरकार द्वारा गए प्रयास

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505** में "लोक हानि का कारण बनने वाले कथनों, किंवदंतियों व सूचनाओं" के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, यह धारा अफवाह फ़ैलाने व झूठी खबरों के प्रचार के लिए दंड का भी उपबंध करती है।
    - इसके लिए सजा दी जा सकती है, जिसमें **तीन वर्षों तक की जेल या जुर्माना या दोनों** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद-रोधी समिति (CTC)**[10] **की दिल्ली घोषणा-पत्र:** भारत ने सोशल मीडिया सहित साइबर स्पेस और अन्य सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के बढ़ते दुरूपयोग पर चिंता प्रकट की है।
- **PIB की फैक्ट-चेकिंग यूनिट:** इसकी स्थापना दिसंबर 2019 में की गई थी। इसे सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में फैलने वाले झूठी खबरों का सत्यापन करने के लिए गठित किया गया था। इस संबंध में यह व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मौजूद फेक या भ्रामक खबरों, सूचना या कंटेंट का भी आंकलन करती है।

शब्दावली को जानें

- **पोस्ट–ट्रुथ (Post–truth)**: इसका संबंध एक ऐसी स्थिति से है जिसमें लोगों द्वारा **तथ्यों पर आधारित तर्क के बजाए** अपनी **भावनाओं और धारणाओं पर आधारित दलील** को स्वीकार करने की अधिक संभावना होती है।

फेक न्यूज से निपटने में चुनौतियां

- **बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध सूचनाएं:** सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध है। ऐसे में विनियामकों के लिए सूचना के प्रत्येक भाग की सटीकता को सत्यापित करना बहुत कठिन हो जाता है।
- **सूचना प्रसार की तीव्र गति:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आगमन से सूचना प्रवाह की गति में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे फेक न्यूज़ की समय पर पहचान करना और उसे हटाना मुश्किल हो गया है।
- **मीडिया साक्षरता का अभाव:** विश्वसनीय और अविश्वसनीय स्रोतों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने के लिए नागरिकों के एक बड़े समूह के पास कौशल का अभाव है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रखना:** कुछ मामलों में फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ता है। इससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। इसलिए, उनके बीच एक नाजुक संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

---

[9] National Crime Records Bureau

[10] Counter-Terrorism Committee

©Vision IAS

आगे की राह

- **अलग-अलग हितधारकों के बीच समन्वय:** सरकारों, निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और नागरिक समाज को वैश्विक कल्याण के लिए नई व उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **विशेष कानून (Specific law) का निर्माण करना:** फर्जी ख़बरों/ सूचनाओं के चलते स्वास्थ्य या चुनाव जैसे मामलों में होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एक सख्त कानून आवश्यक है।
- **नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना:** नागरिकों के मध्य झूठी/ फेक न्यूज़ को पहचानने और स्रोतों एवं सूचनाओं की प्रामाणिकता के संबंध में डिजिटल/ मीडिया साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है।
  - **फैक्टशाला के विचार को बढ़ावा देना चाहिए।** यह 250 से अधिक पत्रकारों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित एक सहयोगी तथा बहु-हितधारक मीडिया साक्षरता नेटवर्क है।
- **फेक न्यूज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करना:** फेक न्यूज की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए एक पारदर्शी मानदंड तैयार करना चाहिए। साथ ही, ऐसे उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए, जो उक्त समस्या से निपटने के लिए आवश्यक और उसके समानुपाती हो।

1.7. शत्रु संपत्ति (Enemy Property)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों के लिए **बेदखली (Eviction)** और **उन्हें बेचने की प्रक्रिया शुरू** कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, शत्रु संपत्तियों के निपटान से जुड़े दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। नवीन बदलावों के तहत अब शत्रु संपत्तियों को बेचने से पहले **संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की मदद से शत्रु संपत्तियों के लिए बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।** दूसरे शब्दों में, शत्रु संपत्तियों को बेचने से पहले उन्हें पूरी तरह से अवैध कब्जे (यदि कोई है तो) से हटाया जाएगा।
- देश में **कुल 12,611 संपत्तियों** की शत्रु संपत्ति के रूप में पहचान की गई है। इनकी संयुक्त कीमत **एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने** का अनुमान है।
  - ये शत्रु संपत्तियां अभी **कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI)** के पास हैं। कुल 12,611 संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित हैं और 126 चीनी नागरिकों से संबंधित हैं।
  - सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां **उत्तर प्रदेश** में हैं। इसके बाद **पश्चिम बंगाल** तथा **दिल्ली** का स्थान है।
- सरकार ने इन **12,611 अचल शत्रु संपत्तियों में से अभी तक किसी का भी मुद्रीकरण नहीं** किया है अर्थात् सरकार इन्हें अभी तक नहीं बेच पाई है।

शत्रु संपत्ति के बारे में

- **शत्रु देश के किसी नागरिक या वहां की किसी कंपनी** की ओर से **धारित या प्रबंधित संपत्ति या परिसंपत्ति** को शत्रु संपत्ति कहते हैं। सरल शब्दों में, जब दो देशों में जंग होती है तो सरकार 'दुश्मन देश' के नागरिकों की संपत्ति को कब्जे में ले लेती है, ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान इसका फायदा न उठा सके।
  - **पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी गई अचल संपत्ति** को भी शत्रु संपत्ति कहा जाता है।
  - इन संपत्तियों में शत्रु देश के नागरिकों की **भूमि, भवन, कंपनियों में शेयर, आभूषण** आदि शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने **भारत रक्षा अधिनियम** के तहत चीन (1962 में) और पाकिस्तान (1965 व 1971 में) के नागरिकों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया हुआ है।
- **इन संपत्तियों के प्रशासन के लिए 1968 में 'शत्रु संपत्ति अधिनियम[11]'** बनाया गया था।
  - **शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम[12], 2017** के जरिए शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन किया गया था। इस कदम का उद्देश्य **विभाजन या युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चीन प्रवास कर गए लोगों के उत्तराधिकारियों को भारत में उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर किसी भी तरह के दावे को रोकना था।**
- शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार, **CEPI के पास भारत में शत्रु संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करने का अधिकार** है।

---

[11] Enemy Property Act

[12] The Enemy Property (Amendment and Validation) Act

- CEPI अब **100 करोड़ रुपये से कम और 1 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य** की किसी भी शत्रु संपत्ति का निपटान **ई-नीलामी** या केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य तरीके से करेगा। साथ ही, ऐसा निपटान शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किया जाएगा।
- **एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति के मामले में,** CEPI पहले कब्जा धारक को संबंधित संपत्ति खरीदने की पेशकश करेगा और यदि कब्जा धारक द्वारा खरीद की पेशकश को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो शत्रु संपत्ति का निपटान परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- CEPI साल 2007 से ही **गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य** कर रहा है।

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.8.1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India: BCI)

- BCI ने **भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए नियम, 2022** अधिसूचित किए हैं।
- **अधिसूचित नियमों की मुख्य विशेषताएं:**
  - **विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को निम्नलिखित की अनुमति दी गई है-**
    - उन्हें **भारत में प्रैक्टिस करने के लिए BCI में पंजीकरण** कराना होगा।
    - उन्हें **गैर-मुकदमों से जुड़े मामलों में प्रैक्टिस की अनुमति होगी।** ऐसे मामलों को विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से BCI निर्धारित करेगा।
    - वे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सहित **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर भारतीय पक्षकारों को सलाह** दे सकते हैं।
  - हालांकि, उन्हें किसी भी **अदालत, अधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के सामने पेश होने की अनुमति नहीं** दी जाएगी।
- **नए कदम का महत्त्व:**
  - लॉ फर्म्स **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के संपर्क में आने से लाभान्वित होंगी।**
  - इससे विदेशी फर्मों और निवेशकों को कुछ हद तक **न्यायिक सहजता प्राप्त होगी।**
  - इससे **FDI आकर्षित करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने** में मदद मिलेगी।

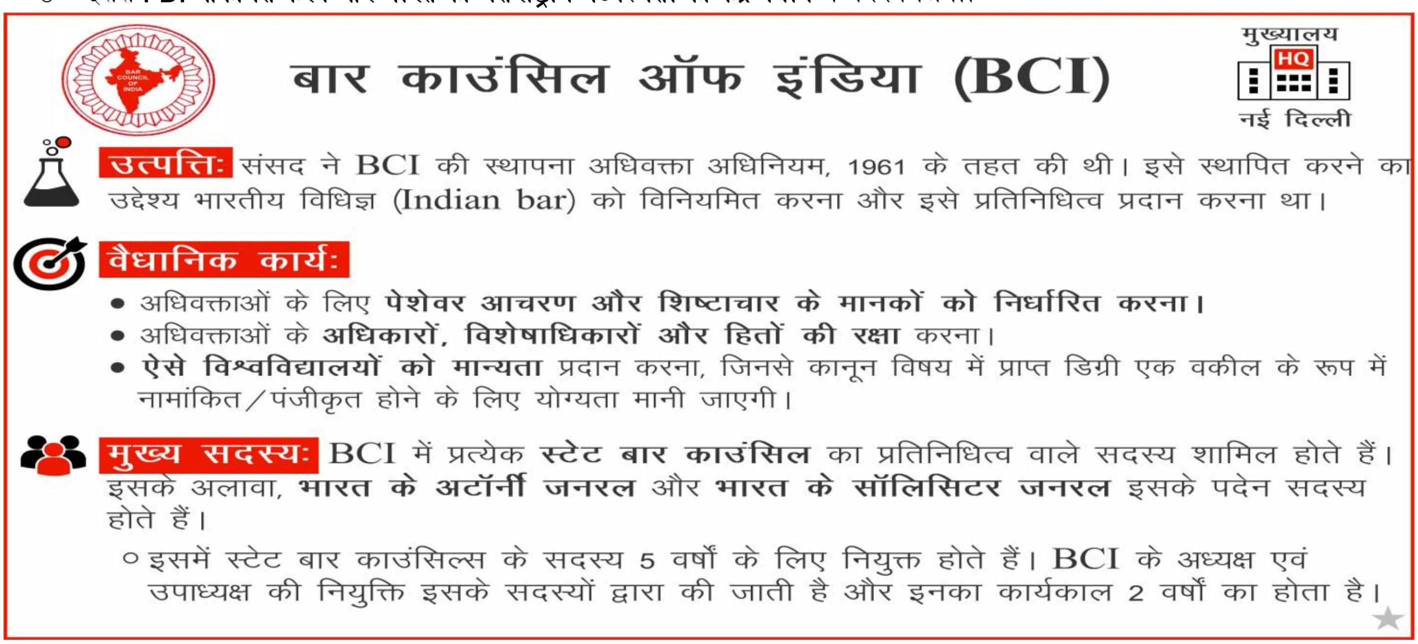

1.8.2. आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication)

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार प्रमाणीकरण के लिए नया सुरक्षा तंत्र लॉन्च किया है।
- **स्पूर्फिंग के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए UIDAI ने दो-स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली** लागू की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फिंगरप्रिंट **की मौलिकता** को अधिक विश्वसनीय व सुगम तरीके से कैप्चर किया जा रहा है।

- ○ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-आधारित तंत्र **फिंगरप्रिंट इमेज और फिंगर मिन्यूशिया दोनों को कैप्चर** करता है।
    - ▪ **फिंगर मिन्यूशिया-** एक फिंगरप्रिंट इमेज की कुछ सूक्ष्म विशेषताएं।
- यह नई प्रणाली **आधार के संभावित दुरुपयोग को लेकर प्रकट की गई चिंताओं** को देखते हुए शुरू की गई है। ये चिंताएं निम्नलिखित हैं:
    - ○ वर्तमान आधार प्रणाली **सभी 10 उंगलियों के निशान को एकल इकाई मानती है।** ऐसे में, **एक या अधिक अंगुलियों के फिंगरप्रिंट में बदलाव लाकर एक नया आधार बनवाया** जा सकता है।
    - ○ यह प्रणाली **वास्तविक फिंगरप्रिंट और सिलिकॉन इंप्रिंट के बीच अंतर करने में असमर्थ है।**
    - ○ यह **ID बनाते समय फेशियल बायोमेट्रिक मिलान नहीं** करती है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति उंगलियों के मिले-जुले फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अलग-अलग आधार प्राप्त कर सकता है।

- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को **संवैधानिक रूप से वैध** माना था। हालांकि, अलग-अलग सेवाओं की प्राप्ति में **इसके उपयोग के संबंध में कुछ निर्देश** भी जारी किए थे (इन्फोग्राफिक देखें)।

1.8.3. उपभोक्ता विवाद (Consumer Disputes)

- सुप्रीम कोर्ट ने **उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए मानदंडों को आसान** बनाया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता न्यायालयों की अध्यक्षता करने हेतु **युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए मानदंडों को सरल** बनाया है। शीर्ष न्यायालय ने संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **निम्नलिखित नए मानदंड तय किए हैं:**
    - ○ राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए **अनिवार्य व्यावसायिक अनुभव को घटाकर 10 वर्ष कर दिया** गया है। वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्षों और सदस्य बनने के लिए 15 वर्षों का अनुभव जरूरी है।
    - ○ उम्मीदवारों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए **लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा (viva voce) की शुरुआत की गई है।**
- विशेष रूप से डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019** पारित किया गया है।
    - ○ इस अधिनियम ने **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह** ली है।
- **CPA, 2019 की मुख्य विशेषताएं:**
    - ○ यह उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए **एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान** करता है (तालिका देखें)।
    - ○ उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** की स्थापना की गई है।
    - ○ **भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड के प्रावधान** किए गए हैं।

	संरचना	मौद्रिक क्षेत्राधिकार
जिला आयोग	**एक अध्यक्ष,** जो जिला न्यायाधीश के पद पर हो, या रह चुका हो, या बनने की योग्यता रखता हो। **कम से कम दो सदस्य** होने चाहिए।	**50 लाख रुपये तक के मामले।**
राज्य आयोग	**एक अध्यक्ष,** जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। **कम से कम चार अन्य सदस्य** होने चाहिए।	**50 लाख रुपये से अधिक तथा 2 करोड़ रुपये से कम के मामले।**
राष्ट्रीय आयोग	**एक अध्यक्ष** जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। **कम से कम चार अन्य सदस्य** होने चाहिए।	**2 करोड़ रुपये से अधिक के मामले।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जापान के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया। इस दौरान **जापान-भारत शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

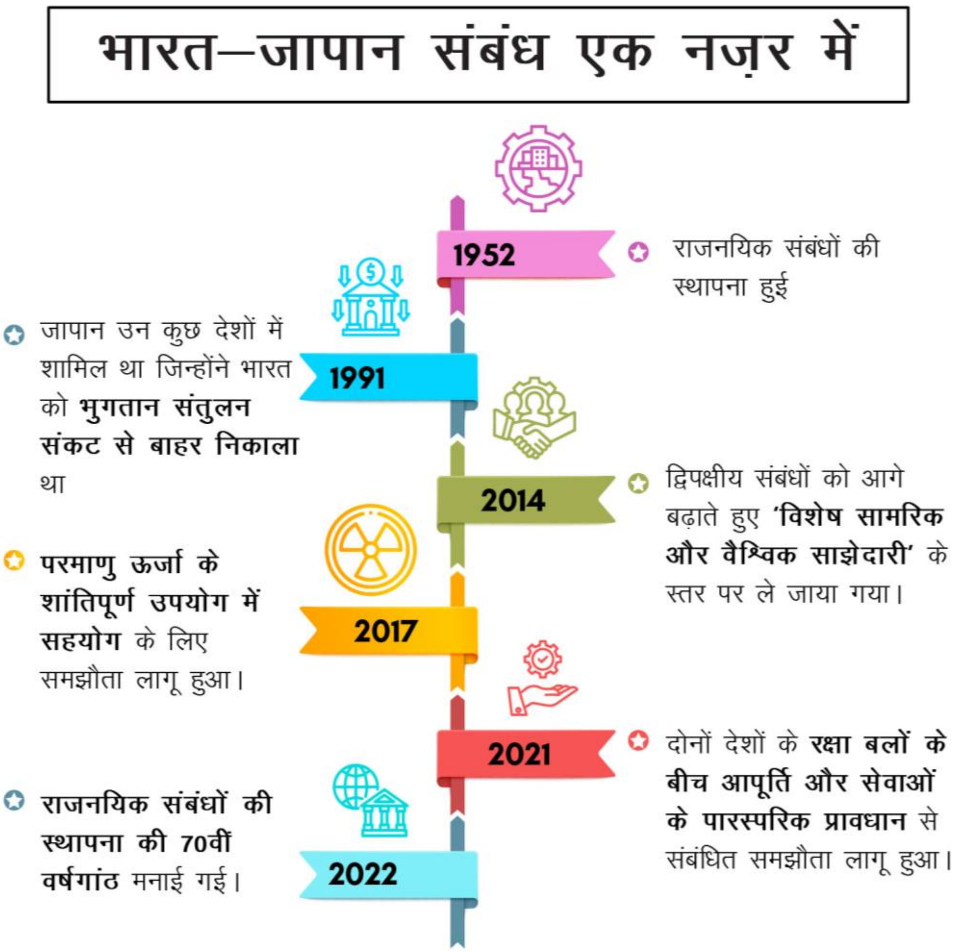

- इस यात्रा के दौरान, **दो प्रमुख समझौतों** पर हस्ताक्षर किए गए:
  - जापानी भाषा में **सहयोग ज्ञापन (MoC)**[13] **का नवीनीकरण** किया गया है। यह मुख्य रूप से उच्च स्तरीय जापानी भाषा सीखने से संबंधित है।
  - जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने 300 बिलियन जापानी येन का ODA[14] ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (MAHSR) परियोजना को वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

भारत के लिए जापान का महत्त्व

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: 2011 में भारत-जापान CEPA**[15] पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के कार्यान्वयन ने दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को गति प्रदान की है।
  - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान **भारत के साथ जापान का कुल द्विपक्षीय व्यापार 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था। यह 2020 में भारत का **12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था।
  - भारत द्वारा जापान को किए जाने वाले **प्राथमिक निर्यात** में पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, एलिमेंट्स, यौगिक, गैर-धात्विक खनिज, बर्तन, कपड़े और सहायक घटक आदि मदें शामिल रही हैं।
  - जापान से भारत के **प्राथमिक आयात** में मशीनरी, विद्युत मशीनरी, लौह और इस्पात उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, अलौह धातुएं आदि मदें शामिल रही हैं।
- **आधिकारिक विकास सहायता (ODA):** भारत जापानी ODA का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। इसका अधिकांश हिस्सा **बिजली, परिवहन, पर्यावरण परियोजनाओं और बुनियादी मानवीय जरूरतों से संबंधित परियोजनाओं** को प्राप्त होता है।

---

[13] Memorandum of Cooperation

[14] Official Development Assistance/ आधिकारिक विकास सहायता

[15] Comprehensive Economic Partnership Agreement/ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

- **भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास:** जापान एकमात्र ऐसा देश है, जिसे भारत ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं में मदद के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है।
    - **भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम के छठे संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में किया गया था।** इसमें पूर्वोत्तर भारत में **कनेक्टिविटी परियोजनाओं** पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **रक्षा साझेदारी:** दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक अभिन्न हिस्सा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को **भारत-जापान "2+2" (रक्षा और विदेश मंत्रालयी) संवाद के माध्यम से सुगम बनाया** गया है।
    - 2015 में, **जापान एक स्थायी सदस्य के रूप में मालाबार अभ्यास में शामिल** हुआ था। मालाबार अभ्यास **यू.एस.ए., जापान, भारत** और **ऑस्ट्रेलिया (2022 में शामिल) के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है।**

क्या आप जानते हैं?

- भारत और जापान दोनों **ग्रुप ऑफ फोर** (G4) के सदस्य हैं। जर्मनी और ब्राजील G4 के अन्य दो देश हैं।
- G4 देशों का मुख्य उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** (UNSC) में स्थायी सीट के लिए एक–दूसरे के प्रयास का समर्थन करना है।

- **चीन के बारे में साझा चिंताएं:** चीन को लेकर भारत और जापान दोनों की चिंताएं लगभग समान हैं। उल्लेखनीय है कि चीन की आक्रामकता इनके संबंधों का प्रमुख सरोकार रहा है।
    - भारत और चीन एक लंबी तथा अनसुलझी सीमा साझा करते हैं। इस कारण इनके मध्य समय-समय पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसी तरह **जापान भी पूर्वी चीन सागर में चीन के दबाव का सामना** कर रहा है।
    - हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए **दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 2021 में सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव (SCRI)** शुरू किया था।
- **समुद्र क्षेत्रक में सहयोग:** दोनों देश हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों ने **क्वाड/ QUAD (क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में अपने सहयोग का विस्तार** किया है।
    - जापान **"मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत[16]"** की योजना के तहत **पूर्वोत्तर भारत को शेष दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ एकीकृत करने की योजना** बना रहा है। इस कनेक्टिविटी योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत के अलावा **भूटान, नेपाल और बांग्लादेश** भी शामिल होंगे।
    - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी संबंधी अम्ब्रेला योजना में **एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)** जैसी परियोजनाओं को लेकर आपसी सहयोग भी शामिल है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण सदियों से भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ रहे हैं।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र: इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - भारत-जापान डिजिटल पार्टनरशिप (IJDP),
    - आपदा जोखिम में कमी लाना,
    - कौशल विकास,
    - द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग,
    - स्वास्थ्य देखभाल, तथा
    - सिस्टर-स्टेट और सिस्टर-सिटी जैसे सहयोग।

भारत-जापान संबंधों से जुड़ी चिंताएं

- **आर्थिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं:** आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच संबंध उनकी क्षमता से काफी कम हैं। जापान के कुल आयात का **24 प्रतिशत चीन से आता है और जापान के कुल निर्यात का 22 प्रतिशत चीन** को जाता है। इसके विपरीत, **जापान के कुल आयात का 0.8 प्रतिशत भारत से आता है और जापान के कुल निर्यात का 1.7 प्रतिशत भारत** को जाता है।

---

[16] Free and Open Indo-Pacific

- यद्यपि CEPA ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, किन्तु इसने **जापान के साथ भारत के व्यापार घाटे** को भी बढ़ाया है।
- **भारत से सेवाओं के निर्यात को बाधित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:**
  - भाषाई बाधाएं,
  - जापान की अनूठी औद्योगिक संगठन प्रणाली,
  - लंबी वीजा प्रक्रिया, आदि।
- FDI प्रवाह को सीमित करने वाले प्रमुख कारकों में **खराब बुनियादी ढांचा, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दे, खराब लॉजिस्टिक** आदि शामिल हैं।

- **यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मुद्दे पर असहमति:** दोनों देशों के मध्य यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर प्रतिक्रिया संबंधी मतभेद हैं। आक्रमण के विरोध में **जापान ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।** इन कदमों में रूसी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं। इसके विपरीत, **भारत ने संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीतिक मार्ग अपनाया है।**
- **AAGC पर संदेह:** जब इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, तब इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प के तौर पर दिख रहा था। हालांकि, अभी तक इसमें कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

एशिया एनर्जी ट्रांजीशन इनिशिएटिव (AETI)

- जापान ने 2021 में AETI की घोषणा की थी। इसमें एशिया में अलग-अलग व व्यावहारिक **एनर्जी ट्रांजीशन** (नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कदम) की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के समर्थन शामिल हैं।
- इसमें निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संघ) देशों का समर्थन किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी शामिल है।

आगे की राह

- **CEPA की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसका पुनर्मूल्यांकन करना:** निजी और सरकारी प्रयासों के माध्यम से दोनों देशों के हितधारकों को व्यापक स्तर पर जागरूक बनाने की आवश्यकता है।
  - इसके तहत सहयोगी कदम उठाने और एक साथ कार्य करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। साथ ही, नए बाजारों और उनकी विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करना:** व्यापार के लिए प्रासंगिक जापानी एजेंसियों के साथ सहयोग में सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्यात के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को सशक्त बनाना चाहिए।
  - जापान ऐसी तकनीकें उपलब्ध करा सकता है, जो भारतीय उत्पादों के सैनेटरी एंड फाईटोसैनेटरी मानकों में सुधार ला सकती हैं।
- **जापानी निवेशकों को आकर्षित करना:** सरकार को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सभी मानकों को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखने चाहिए।
  - बेहतर लॉजिस्टिक्स; एक अधिक खुली, स्थिर और सुसंगत व्यापार नीति; तथा एक केंद्रीकृत एकल विंडो स्वीकृति प्रणाली जापानी निवेशकों को भारत में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
- **रणनीतिक और व्यावसायिक हितों को संतुलित करके AAGC पर पुनर्विचार करना:** AAGC को और अधिक आकर्षक व लाभकारी बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देना:** जापान **AETI** में भारत को शामिल करके भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन पहलों का समर्थन कर सकता है।

2.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India Australia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत और ऑस्ट्रेलिया** के बीच **पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने-**
  - **व्यापक व्यापार समझौते, प्रवासन समझौते को अंतिम रूप देने** और **रक्षा सहयोग** को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की।
  - **खेल और ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन (MoU)[17] का आदान-प्रदान किया।

---
[17] Memorandum of Understanding

- **'अटल इनोवेशन मिशन'** और **'राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन'** के बीच 'आशय पत्र' (Letter of intent) तथा **'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स'** के लिए 'विचारार्थ विषय' (Terms of reference) का भी आदान-प्रदान किया।

- इससे पहले, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने **'योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र[18]'** पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के बीच **छात्रों और पेशेवरों** के आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** भारत, ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और ऑस्ट्रेलिया, भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।
  - भारत, **ऑस्ट्रेलिया को** मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तुओं/ उत्पादों का **निर्यात** करता है:
    - परिष्कृत पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोती और रत्न, आभूषण, निर्मित वस्त्र आदि।
  - भारत, **ऑस्ट्रेलिया से** मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तुओं/ उत्पादों का **आयात** करता है:
    - कोयला, तांबा अयस्क और कॉपर कन्संट्रेट्स, प्राकृतिक गैस, लौह और अलौह अपशिष्ट तथा स्क्रैप आदि।
  - 2022 में, दोनों देशों ने **आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA)[19]** पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों देश अधिकतर वस्तुओं के मामले में एक-दूसरे को **शुल्क मुक्त पहुंच** प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, सेवाओं से संबंधित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **नियमों में ढील दी जा रही** है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के विस्तार की दशा में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। दोनों देश **G-20, राष्ट्रमंडल, IOR-ARC[20], आसियान क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), CDRI[21]** के सदस्य हैं। साथ ही, दोनों देश **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन** में भी भाग लेते हैं।
  - दोनों देश **WTO** के संदर्भ में **फाइव इंट्रेस्टेड पार्टीज (FIP)** के सदस्यों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - ऑस्ट्रेलिया, **एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)[22]** और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)[23] में भी **भारत की सदस्यता** का समर्थन करता है।
- **रक्षा और सुरक्षा (Defence and security):** ऑस्ट्रेलिया और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए **2009** में **रणनीतिक साझेदारी** तथा **2020** में **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)[24]** को मूर्त रूप दिया था।
  - दोनों देशों ने जून, 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान **म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA)** को अंतिम रूप दिया था। वहीं, सितंबर, 2021 में **2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद** आयोजित किया गया था।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भू-रणनीतिक अवस्थिति ने परस्पर आपसी हितों को मिलाने में मदद की है।

---

[18] Framework Mechanism for Mutual Recognition of Qualification

[19] Economic Cooperation and Trade Agreement

[20] Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

[21] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[22] Asia-Pacific Economic Cooperation

[23] Nuclear Suppliers Group

[24] Comprehensive Strategic Partnership

        ▪ **चीन की बढ़ती आक्रामकता** के अलावा समुद्री सुरक्षा, समुद्री पायरेसी, तस्करी, समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार की सुरक्षा आदि से संबंधित **बहुआयामी चुनौतियां** भी दोनों देशों को एकजुट करती हैं।
        ▪ दोनों देश एक **नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था** का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, दोनों देश हिंद-प्रशांत में ऐसे क्षेत्रीय संस्थानों को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो **समावेशी हों और आगे चलकर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दें।**
    - रक्षा संबंधों के मामले में दोनों देश लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में भागीदारी कर रहे हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं: **रणनीतिक संवाद; सैन्य अभ्यास** (मालाबार अभ्यास, AUSINDEX आदि); मिलट्री-टू-मिलट्री एक्सचेंज़ेज; रक्षा वाणिज्य तथा तकनीकी सहयोग आदि।
    - दोनों देश **क्वाड** के सदस्य हैं। दोनों देश भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया संवाद जैसे **त्रिपक्षीय समूहों** के साथ-साथ **सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव (SCRI)** में भी संलग्न हैं।
    - **ऑस्ट्रेलिया-भारत हिंद-प्रशांत महासागर पहल भागीदारी (Australia-India Indo-Pacific Oceans Initiative Partnership: AIIPOIP):** यह विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर केंद्रित है।

क्या आप जानते हैं?

- फाइव इंट्रेस्टेड पार्टीज (FIP) उन देशों का एक समूह है, जिन्हें **WTO में प्रारंभिक गतिरोधों को दूर करने के लिए चुना गया था।**
- उस समय ये पक्षकार (Parties) वैश्विक व्यापार के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक भागीदार थे। ये हैं: **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत।**

- **लोगों के बीच संबंध:** भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए **कुशल आप्रवासियों के शीर्ष स्रोतों** में से एक है। 2021 की जनगणना के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में लगभग **9.76 लाख लोगों** ने बताया है कि उनके पूर्वज भारतीय मूल के हैं। इससे वे ऑस्ट्रेलिया में **प्रवासी मूल के निवासियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन** गए हैं।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:**
    - **असैन्य परमाणु सहयोग:** इस समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे,
    - **डिजिटल इकोनॉमी,**
    - साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां,
    - **महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों** का खनन एवं प्रसंस्करण आदि।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं?

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण में अंतर:** दोनों ने **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के तर्क को अपनाया** है, लेकिन इसे लेकर दोनों के बीच परस्पर समझ व्यापक नहीं है। भारत, **पूरे हिंद महासागर** को प्राथमिकता देता है। वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले **दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर**, इसके ठीक उत्तर वाला भाग और **प्रशांत महासागर के दक्षिण के विशाल क्षेत्र** को प्राथमिकता देता है।
- **असमान प्राथमिकताएं:** चीन की चुनौती ऑस्ट्रेलिया के लिए **राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इसके व्यापक क्षेत्र की सुरक्षा** से संबंधित है। भारत के संबंध में यह चुनौती चीन के साथ विवादित सीमा पर **सीधे सैन्य खतरे को लेकर** है।
    - ऑस्ट्रेलिया, भारत की अपेक्षा **अपनी सुरक्षा के लिए यू.एस.ए.** पर और अपनी **आर्थिक समृद्धि के लिए चीन** पर **अधिक निर्भर** है। इसके विपरीत, भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संबंधी संरचनाओं[25] के साथ बहुत कम जुड़ा हुआ है।** इसके अलावा, भारत **चीन से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भी बहुत कम एकीकृत** है।
    - **अमेरिकी-गठबंधन के नेतृत्व वाले** ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स और प्रक्रियाओं के साथ **भारत के पूरी तरह से नहीं जुड़ने** या **भारत की अक्षमता या अनिच्छा के कारण** ऑस्ट्रेलिया में निराशा बनी हुई है।
- **बेमेल क्षमताएं:** हालांकि कुछ समानताएं और पूरकताएं मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई तथा भारतीय नौसेनाओं की **क्षमता में काफी अंतर** है। साथ ही, **सुरक्षित संचार के अभाव** में साझा प्लेटफॉर्म्स के बीच सहयोग करना भी मुश्किल होता है।

[25] United States' security structures

* **प्रवासी भारतीयों के समक्ष समस्याएं:** ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के साथ **भेदभाव और नस्लवाद** की घटनाएं देखी जाती हैं।
* **व्यापार घाटा:** वित्त वर्ष 2022 में, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ **व्यापार घाटा 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात तथा ऑस्ट्रेलिया से 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को घनिष्ठ/ प्रगाढ़ करने के उपाय

* **परामर्श तंत्र को प्राथमिकता देना:** पिछले दो दशकों में **द्विपक्षीय और मिनीलेटरल परामर्श तंत्रों के विस्तार** को ध्यान में रखते हुए, वार्ता को **अधिक प्रभावी एवं नियमित** बनाने के लिए **प्राथमिकता देने की आवश्यकता** है।
* **तकनीकी सहयोग को और बढ़ाना:** ऐसे **कई क्षेत्र** हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है, जैसे- बख्तरबंद वाहनों, समुद्र में उपयोग हेतु सेंसर, रडार प्रणाली आदि का संयुक्त विकास।
    * भारतीय रक्षा उद्योग प्रदर्शनियों, जैसे- **डेफेक्सो (DEFEXPO) और एयरो इंडिया** में **ऑस्ट्रेलिया की अधिक सक्रिय भागीदारी** इस क्षेत्र में **संभावित सहयोग** में सुधार करेगी।
* **अंतर-संचालनीयता (Interoperability) में सुधार:** एक सुरक्षित संचार समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने से आपसी-तालमेल में काफी सुधार होगा। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहमत समझौते के समान होना चाहिए।
    * समुद्री क्षेत्र में अंतर-संचालनीयता निम्नलिखित के संदर्भ में गहन हो सकती है:
        * **समुद्री क्षेत्राधिकार में जागरूकता,**
        * **खोज और बचाव अभियान, तथा**
        * **मानवीय सहायता और आपदा राहत।**

2.2.1. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑकस (AUKUS)**[26] ने **परमाणु-संचालित पनडुब्बियों** का एक नया जहाजी बेड़ा तैयार करने की योजना से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है।

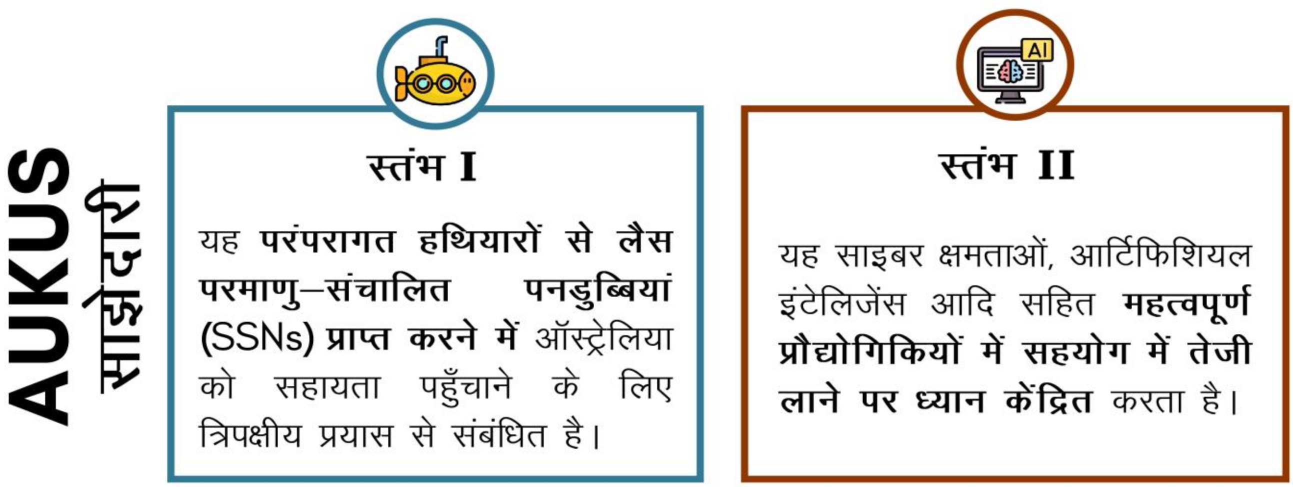

ऑकस (AUKUS) के बारे में

* ऑकस **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यू.एस.ए.** के बीच एक **नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन** है। इसकी घोषणा मार्च 2021 में की गई थी।
* इसका उद्देश्य **रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना** और तीनों देशों की **औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार करना** है।
* ऑकस भागीदारी में **दो स्तंभ** शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
* महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को साझा करने की सुविधा के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी** एक **त्रिपक्षीय समझौते** पर **2021** में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे **'एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (ENNPIA)'** के रूप में जाना जाता है।

---
[26] Australia, the UK and US

पनडुब्बियों के प्रकार

पनडुब्बियां या तो **डीजल–इलेक्ट्रिक** या **परमाणु–संचालित** हो सकती हैं। ये दोनों प्रकार की पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं:

डीजल संचालित पनडुब्बियां

- इन्हें अधिक बार सतह पर आने की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका पता लगाना आसान हो जाता है।
- तुलनात्मक रूप से इनका आकार छोटा होता है।
- इन्हें संचालित करना और इनका रखरखाव तुलनात्मक रूप से वहनीय होता है।

SSK- परंपरागत ईंधन से संचालित हमलावर पनडुब्बी

SSB- परंपरागत ईंधन से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां

परमाणु संचालित पनडुब्बियां

- ये सालों तक पूरी तरह से पानी में डूबी रह सकती हैं। इसलिए इनका पता लगाने के अवसर कम हो जाते हैं।
- तुलनात्मक रूप से इनका आकार बड़ा होता है।
- इनके बुनियादी ढांचे और रखरखाव के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है।

SSN- परमाणु–संचालित हमलावर पनडुब्बी

SSBN-परमाणु–संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी

ऑकस के निहितार्थ

- **एशिया में यू.एस.ए. की प्राथमिकताओं में बदलाव:** अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से क्षेत्रीय सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका को लेकर **विश्वसनीयता कम** हुई है। इसके बाद, ऑकस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की **सुरक्षा के लिए** अमेरिका की **मजबूत प्रतिबद्धता** के रूप में देखा जाता है।
- **यू.के. की रणनीतिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करना:** यूनाइटेड किंगडम ने 1960 के दशक के अंत में स्वेज नहर के पूर्व में **सुरक्षा संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था।** इसके बाद, यह एशियाई सुरक्षा के लिए महत्वहीन/ गैर-जरूरी हो गया था। इस प्रकार, ऑकस **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा** में इसकी **दीर्घकालिक भूमिका** को सुनिश्चित करेगी।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक निहितार्थ:** ऑकस का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की **रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने** के साथ-साथ मुक्त, खुले, लचीले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विजन को प्राप्त करना है।
- **ऐसे सहयोग के लिए मॉडल:** इस टेम्पलेट का उपयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों की रक्षा क्षमताओं के निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। यह **चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने** में काफी सहायक होगा। इसके अलावा, इससे क्षेत्र में **शांति बनी रहेगी और स्थिरता** भी आएगी।

- **अन्य:**
    - ऑकस **महत्वपूर्ण सूचनाओं और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा** देता है। इससे सुरक्षा और रक्षा से संबंधित **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक ठिकानों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं** के बीच गहन एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
    - ऑकस ने **"एंग्लोस्फीयर (Anglosphere)" के विचार** को फिर से मजबूत किया है, जो **यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड** के बीच **स्थायी भू-राजनीतिक संबंधों** का पक्षधर है।
        - **एंग्लोस्फीयर:** यह अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे 5 देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यू.के. और यू.एस.ए.) का एक समूह है, जिनकी जड़ें ब्रिटिश संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। एंग्लोस्फीयर को वर्तमान में **फाइव आइज़** से भी जोड़कर देखा जाता है।
    - **क्वाड, फाइव आइज़ और ANZUS** के साथ, ऑकस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ** की प्रधानता के एक और संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

शब्दावली को जानें

- **फाइव आइज़ (Five Eyes):** यह एक **खुफिया गठबंधन** है जिसमें पांच देश शामिल हैं। इनका कार्य दुनिया की जासूसी करना है। ये पांच देश हैं: **यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा** और **न्यूजीलैंड।**
- **ANZUS संधि:** यह संधि **ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 1952 में लागू हुई थी।
- ANZUS संधि में यह उल्लेख था कि **प्रशांत क्षेत्र में एक सदस्य पर सशस्त्र हमला दूसरों की शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा।**

ऑकस से संबंधित चिंताएं

- **स्पष्टता का अभाव:** ऑकस के **रणनीतिक उद्देश्य** स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऑकस के विचारों को **सहयोगियों, भागीदारों और विरोधियों** के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाएगा।
    - तीनों देशों का कहना है कि **ऑकस** से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता** आएगी, लेकिन किसी भी देश ने **अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह कैसे होगा।**
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव:** ऑकस के चलते ऑस्ट्रेलिया को अपने परमाणु सामग्री को IAEA[27] की जांच के दायरे से बाहर रखना पड़ेगा। आलोचकों का तर्क है कि ऐसा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गैर-परमाणु हथियार वाला पहला ऐसा देश बन जाएगा, जो NPT की भावना और उद्देश्य दोनों को कमजोर करेगा।
- **चीन का विरोध:** विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ऑकस **दक्षिण चीन सागर** और **पूर्वी चीन सागर** जैसे विवादित क्षेत्रों में **चीन की आक्रामकता को बढ़ा सकता** है।
    - चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों में **ऑकस को कमजोर करने के लिए सम्मिलित प्रयास** किए हैं।
- **ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में व्यापक विभाजन:** ऑकस ने यू.एस.ए. और यूरोप के बीच ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में विभाजन को भी बढ़ा दिया है।
    - ऑकस की वार्ता से जुड़ी गोपनीयता ने यूरोप में **अमेरिकी-गठबंधन प्रणालियों की वैधता के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।**
    - ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के पक्ष में फ्रांस के साथ **डीजल-संचालित पनडुब्बी समझौते** को रद्द कर दिया था। इससे **फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच की रणनीतिक साझेदारी कमजोर** हुई है।
- **इंटेलिजेंट शेयरिंग और संप्रभुता संबंधी चिंताएं:** ऑस्ट्रेलियाई आलोचकों का प्रश्न रहा है कि क्या उनका देश संप्रभुता से बहुत अधिक समझौता कर रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य उपकरणों के लिए ऑकस गठबंधन संरचना से गहराई से जुड़ चुका है।

निष्कर्ष

ऑकस **प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है।** ऑकस के भागीदार देश अलग-अलग प्रौद्योगिकी के मामले में अपने **विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की चाह रखे हुए हैं, जिसके बारे में स्पष्टता देने की आवश्यकता** है। **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक संवाद** को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने की ऑकस की क्षमता शायद केवल भविष्य में ही देखी जा सकती है।

---

27 International Atomic Energy Agency/ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

भारत और ऑकस

भारत के लिए ऑकस का क्या महत्व है?

- **भू-रणनीतिक क्षेत्र में क्वाड का पूरक:** यह क्वाड के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी गठबंधन हो सकता है। साथ ही, यह एक साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने हेतु क्वाड की एकीकृत क्षमता को बढ़ा सकता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाने के लिए ऑकस का उपयोग कर क्वाड को मजबूत बनाया जा सकता है।
- **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग:** यह **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग** और यूरोपीय देशों के साथ **विश्वास को गहरा करने** के लिए अवसर प्रदान करता है।

चिंताएं

- **भारत के क्षेत्रीय प्रभाव का कम होना:** भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के कारण पूर्वी हिंद महासागर में भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता में कमी आने की संभावना है।
- **चीन की आक्रामकता बढ़ सकती है:** ऑकस, चीन को **अधिक आक्रामक रूख** अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। **पूर्वी हिंद महासागर** में अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आलोचकों का तर्क है कि ऑकस भारत-चीन समुद्री माहौल को एक नकारात्मक चक्र में धकेल सकता है।
  - यह हिमालयी क्षेत्र में भारत के समक्ष आने वाले **रणनीतिक खतरे को भी कम नहीं करता** है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है:** जैसे-जैसे ऑकस के भागीदार **एडवांस तकनीकी क्षमताओं में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे,** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता जाएगा। हालांकि, इसके लिए **भारत पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।**
- **क्वाड पर प्रभाव:** आलोचकों का तर्क है कि ऑकस क्वाड के **प्रभाव और उसकी उपयोगिता को कम करता है।**

2.3. दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र (Doha Political Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अल्प-विकसित देशों के मुद्दे पर पांचवां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (LDC5)**[28] संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं द्वारा **'दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र'** अपनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस राजनीतिक घोषणा-पत्र में अल्प विकसित देशों (LDCs)[29] के लिए **दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (DPoA)** का स्वागत किया गया है। इसे 2022 में न्यूयॉर्क में आयोजित इस सम्मेलन के पहले भाग में अपनाया गया था।
  - इस सम्मेलन का दूसरा भाग **दोहा (कतर) में आयोजित** किया गया था, जिसकी **थीम** थी- **"क्षमता से समृद्धि तक (From Potential to Prosperity)"।**
- इस घोषणा-पत्र में प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया है कि कुछ सकारात्मक परिणामों के बावजूद, 2011-2020 के दशक के लिए **इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन (IPoA)** में LDC हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों की **प्रगति कम रही** है।

---

[28] Fifth United Nations Conference on the Least Developed Countries

[29] Least Developed Countries

- IPoA में यह उल्लेख था कि LDCs वैश्विक आर्थिक विकास, कल्याण और समृद्धि के लिए **मानव और प्राकृतिक संसाधन संबंधी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं।**

- इस घोषणा-पत्र में यू.एन. महासचिव से यह अनुरोध किया गया है कि वह DPoA के समन्वित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** की सभी संस्थाओं/ संगठनों की **एकजुटता और उनके बीच समन्वय** सुनिश्चित करें।

दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (DPoA) के बारे में

- **DPoA** वस्तुतः **अल्प विकसित देशों और उनके विकास भागीदारों के बीच** नए सिरे से **प्रतिबद्धताओं** के एक नए स्वरूप को व्यक्त करता है। इनके विकास भागीदारों में निजी क्षेत्रक, नागरिक समाज और **सभी स्तरों पर सरकारें** शामिल हैं।
- यह **एक 10 वर्षीय योजना है।** इस योजना की **समयावधि 2022-2031** तक है। इसका उद्देश्य विश्व के 46 सबसे कमजोर देशों को **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने** के लिए ट्रैक पर लाना है।

अल्प विकसित देशों (LDCs) के बारे में

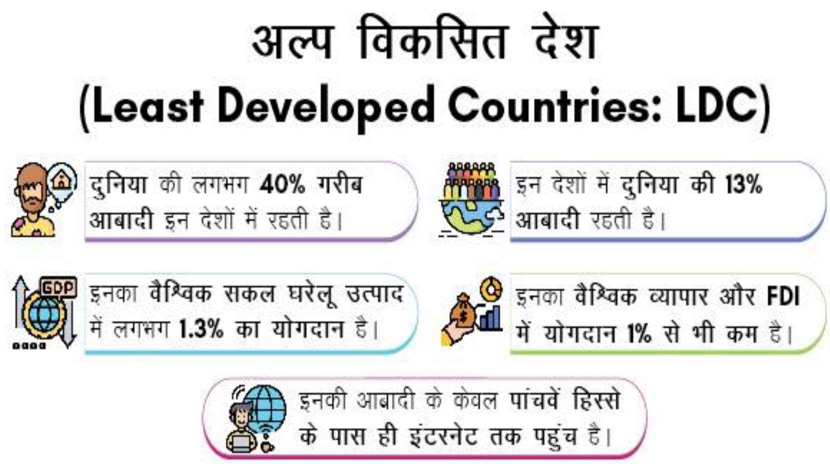

- LDCs, **निम्न आय वाले देश** हैं। ये देश SDGs को हासिल करने में गंभीर **संरचनात्मक बाधाओं** का सामना कर रहे हैं।
- ये देश **आर्थिक और पर्यावरणीय आघातों/ नुकसानों के प्रति अधिक संवेदनशील** हैं और यहां पर मानव-संपदा का स्तर निम्न है।
- वर्तमान में **LDCs की सूची में 46 देश** शामिल हैं। इसमें **अफ्रीका महाद्वीप के 33 देश, एशिया महाद्वीप के 9 देश, कैरेबियन क्षेत्र का 1 देश** और **प्रशांत क्षेत्र के 3 देश** शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा **कमिटी फॉर डेवलपमेंट (CDP)** द्वारा **प्रत्येक तीन वर्ष** में की जाती है। यह समिति **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)**[30] की एक सहायक संस्था है।
- **LDCs के निर्धारण के मानदंड:** CDP **निम्नलिखित मानदंडों** का उपयोग करके इसमें पात्र देशों को शामिल करने की सिफारिशें करती है:
  - **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI):** यह आय की स्थिति और किसी देश के लिए उपलब्ध संसाधनों के समग्र स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
  - **मानव संपत्ति सूचकांक (Human Assets Index: HAI):** यह **छह संकेतकों** से बना है। इन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा उप-सूचकांक में बांटा गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **आर्थिक और पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक (Economic and Environmental Vulnerability Index: EVI):** यह **आठ संकेतकों** से बना है, इन्हें आर्थिक और पर्यावरणीय उप-सूचकांक में वर्गीकृत किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।

[30] United Nations' Economic and Social Council

अल्प विकसित देशों (LDCs) को सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पहलें:

- **व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उपाय (International Support Measures: ISMs):** इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं एवं सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए **अधिमान्य बाजार पहुंच** प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें WTO के नियमों के तहत दायित्वों के बारे में **विशिष्ट आचरण/व्यवहार** और **कुछ क्षेत्रीय समझौते** भी शामिल हैं।

- **वित्तीय और तकनीकी सहायता:**
    - **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP):** UNDP के प्रमुख संसाधनों के आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या प्राथमिक मानदंड हैं।
    - **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD):** यह निम्नलिखित के लिए अल्प विकसित देशों की सहायता करता है:
        - संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए,
        - उत्पादक क्षमता बढ़ाने में,
        - गरीबी को कम करने में, और
        - प्रतिकूल कारकों के प्रति लचीला बनने में।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर LDCs:** अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने में उनकी मदद करने के लिए समर्थन के कई उपाय किए गए हैं, जैसे- संयुक्त राष्ट्र के बजट में **योगदान करने की अधिकतम निर्धारित सीमा और छूट;** वार्ताकारों के लिए **क्षमता निर्माण** आदि।
- **अल्प विकसित देश कोष (Least Developed Countries Fund: LDCF):** यह LDCs को **अधिक मजबूत** भविष्य के लिए तैयारी करने में सक्षम बनाता है। यह कोष, प्राप्तकर्ता देशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और इकोसिस्टम में **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता** को कम करने में मदद करता है।

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.4.1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

- ICC ने **यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट** जारी किया है।

- ICC का कहना है कि फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद से **यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के अपराध के लिए पुतिन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।**
    - हालांकि, ICC के पास **पदासीन राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने या उन पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है।**
- युद्ध अपराध, **संघर्ष के दौरान मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।** युद्ध अपराध की अवधारणा **1949 के जिनेवा कन्वेंशन्स** की देन है।
    - युद्ध अपराधों में **यातना देना, अंग-भंग करना, शारीरिक दंड देना, बंधक बनाना और आतंकवाद के कृत्य** शामिल हैं।

	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
गठन	• **रोम संविधि (Rome Statute)** द्वारा स्थापित। • यह **संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं** है।	• इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है। • यह **संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग** है।

अभियोजन-विषय (Subject Matter)	• यहां **आपराधिक मामलों पर मुकदमा** चलाया जाता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराध शामिल हैं।	• यह **कानूनी विवादों को सुलझाता है।** इनमें संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं।
सदस्य/ पक्षकार	• **ICC के पक्षकार देश या ऐसे देश जिन्होंने ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है।** • **भारत, रूस, यू.एस.ए. इसके सदस्य नहीं हैं।**	• केवल ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र या ICJ या दोनों के सदस्य हैं। • **भारत ICJ का सदस्य है।**
क्षेत्राधिकार	• **व्यक्तियों** पर आपराधिक मुकदमा चलाना।	• **दो प्रकार के क्षेत्राधिकार:** कानूनी विवाद, जो राष्ट्रों द्वारा लाए जाते हैं और सलाहकारी राय। • इसके **क्षेत्राधिकार में** युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपियों **पर मुकदमा चलाना शामिल नहीं है।**
न्यायालय की संरचना	• इसमें **18 न्यायाधीश** होते हैं, जो **नौ वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश **दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने** जाते हैं।	• इसमें **15 न्यायाधीश** होते हैं, जो **नौ वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश **दो और कार्यकालों** के लिए चुने जा सकते हैं।
अपील	• अपील चैम्बर में अपील की जा सकती है।	• ICJ के निर्णय के खिलाफ **अपील का कोई प्रावधान नहीं है।**

2.4.2. बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement)

- **जापान** 'बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था' (MPIA)[31] में शामिल होने वाला **नवीनतम देश है।**
- MPIA, **विश्व व्यापार संगठन (WTO) से संबंधित विवादों को हल** करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है। MPIA का गठन 2020 में हुआ था। यह WTO अपीलीय निकाय के सक्रिय नहीं रहने की स्थिति में WTO सदस्य द्वारा दायर अपील की सुनवाई करती है।
  - WTO के सदस्य देश **विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 25** के तहत MPIA में विवाद ले जा सकते हैं।
- WTO का **कोई भी सदस्य विवाद निपटान निकाय को सूचित करके MPIA में शामिल** हो सकता है। भारत अभी तक MPIA का सदस्य नहीं है। विवाद निपटान निकाय, **WTO के सभी सदस्य प्रतिनिधियों** से मिलकर बना है।
  - सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति में, MPIA **पिछली अपील प्रक्रियाओं का स्थान** ले लेगी। साथ ही, सदस्यों के बीच **भविष्य में होने वाले विवादों के मामले में भी MPIA ही लागू होगी।**
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में WTO का विवाद निपटान निकाय निष्क्रिय अवस्था में है, क्योंकि 2018 के बाद से अमेरिका ने इस निकाय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगा रखी है। इस कारण, MPIA की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था।
- **WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के निम्नलिखित दो मुख्य तरीके हैं:**
  - पक्षकार (विशेष रूप से द्विपक्षीय विचार-विमर्श के चरण के दौरान) परस्पर सहमति वाले समाधान खोजने का प्रयास करते हैं; तथा
  - अधिनिर्णयन के माध्यम से, जिसमें बाद में पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी शामिल है।

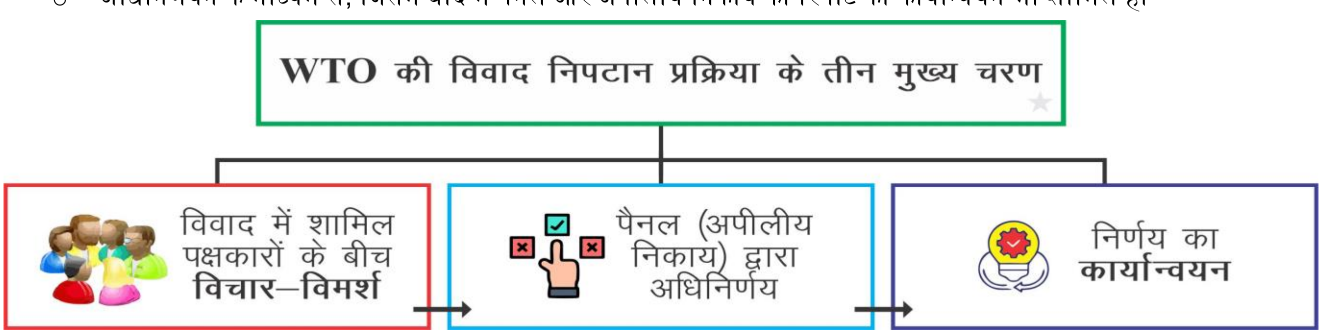

---

31 Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement

 ©Vision IAS

2.4.3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF)

- IMF ने **श्रीलंका के लिए 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी** दी है।
- IMF के बेलआउट में आमतौर पर **एक वित्तीय पैकेज, संरचनात्मक सुधार पैकेज और ऋण संबंधी विशेष शर्तें** शामिल होती हैं। संरचनात्मक सुधार पैकेज के तहत उधार लेने वाले देश को घरेलू आर्थिक सुधार करने होते हैं।
  - **भारत, जापान और चीन ने वित्त-पोषण आश्वासन प्रदान करके श्रीलंका के लिए** IMF सहायता सुनिश्चित कराने में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है। ये तीनों देश श्रीलंका के **तीन सबसे बड़े द्विपक्षीय कर्जदाता** देश भी हैं। भारत और जापान **पेरिस क्लब** के सदस्य हैं।
- बेलआउट पैकेज IMF की **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत प्रदान** किया जाता है। यह सहायता तब दी जाती है, जब कोई देश **अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम-अवधि में भुगतान संतुलन (BoP) की गंभीर समस्याओं का सामना कर** रहा होता है, जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है।
  - EFF सहायता से कई शर्तें जुड़ी होती हैं। ये शर्तें अर्थव्यवस्था की उन **संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने** के लिए होती हैं, जिनके कारण BoP संकट उत्पन्न हुआ था।
- **IMF की अन्य महत्वपूर्ण ऋण सुविधाएं:**
  - **स्टैंड-बाय अरेंजमेंट:** यह किसी देश की बाहरी वित्तीय जरूरतों के लिए और अल्पकालिक वित्तपोषण के साथ उसकी समायोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए दी जाती है।
  - **फ्लेक्सीबल क्रेडिट लाइन:** यह सुविधा बहुत मजबूत नीतिगत ढांचे वाले देशों को संकट-रोकने और संकट-दूर करने हेतु ऋण देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
  - **स्टैंडबाय क्रेडिट फैसिलिटी:** इसके तहत अल्पकालिक BoP जरूरतों वाले निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - **एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी:** यह सुविधा दीर्घकालिक BoP समस्याओं वाले देशों के लिए उपलब्ध है।
  - **प्रीकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन:** यह उन देशों के लिए उपलब्ध है, जिनकी बुनियादी आर्थिक स्थिति मजबूत तो है, लेकिन उनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। ये कमजोरियां उन्हें फ्लेक्सीबल क्रेडिट लाइन का उपयोग करने से रोकती हैं।

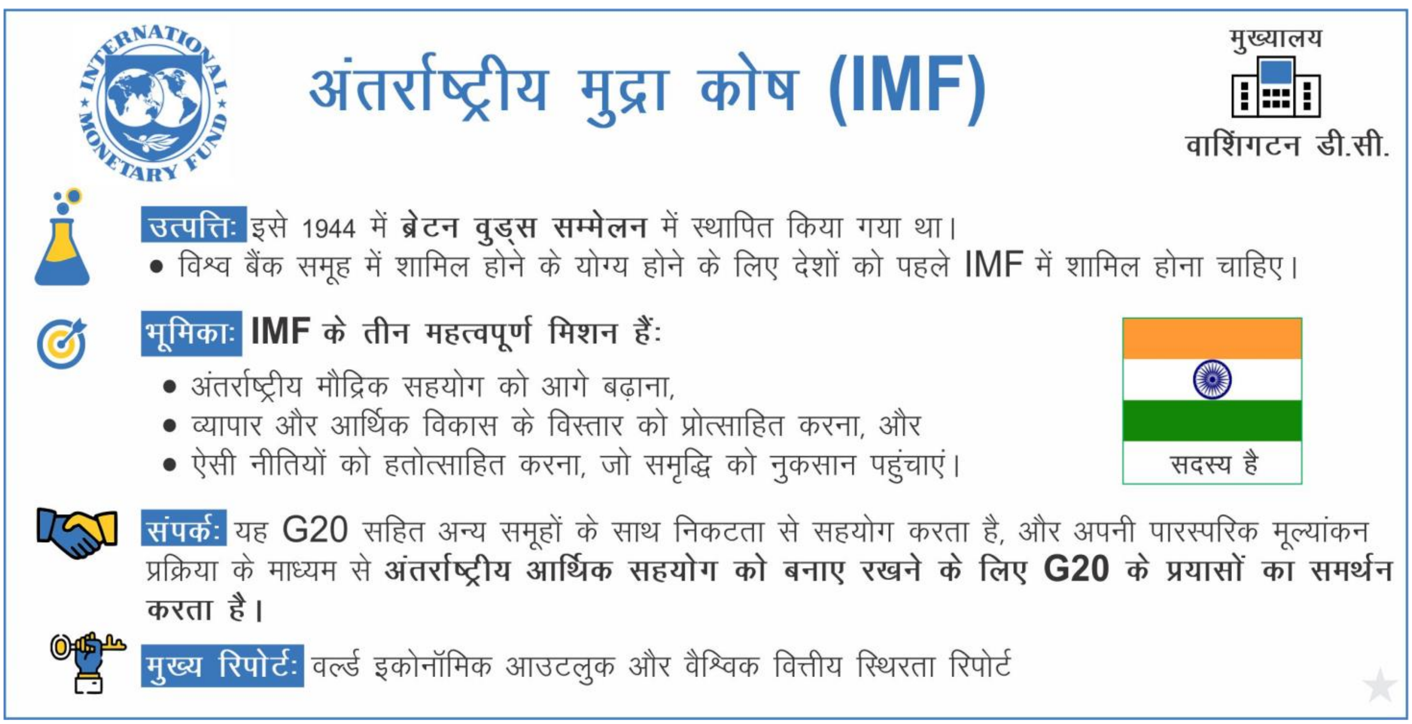

2.4.4. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank: NDB)

- NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति (श्रीमती डिल्मा वना रूसेफ) को अपना नया अध्यक्ष चुना है।

New Development Bank

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

मुख्यालय HQ शंघाई, चीन

उत्पत्तिः इसे फोर्टालेजा में आयोजित **छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2014)** के दौरान हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर स्थापित किया गया था। इस बैंक ने **2015 से अपना काम–काज शुरू किया था।**

उद्देश्यः उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों (EMDCs) में **अवसंरचना और संधारणीय विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।**

सदस्यः ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र

सदस्य है

क्षेत्रीय कार्यालयः जोहान्सबर्ग, साओ पाउलो, मॉस्को, गिफ्ट सिटी (भारत)।

प्रमुख परियोजनाएंः NDB भारत में **मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट** (ADB और AIIB द्वारा सह–वित्तपोषित), **चेन्नई और मुंबई मेट्रो परियोजनाओं** आदि सहित कई परियोजनाओं का **वित्त–पोषण** कर रहा है।

- इसने कोविड–19 से भारत को आर्थिक रूप से उबरने में सहयोग के लिए **कोविड–19 इमरजेंसी प्रोग्राम लोन** भी दिया था।

शेयरधारिताः ब्रिक्स के **संस्थापक सदस्यों में प्रत्येक की शेयरधारिता 18.98%** है। इसमें **बांग्लादेश** की 1.79%, **मिस्र** की 2.27% और **संयुक्त अरब अमीरात** की 1.06% शेयरधारिता है।

2.4.5. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

- भारत और बांग्लादेश ने **सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन** किया है।
- **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (IBFP), भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।** यह पाइपलाइन भारत के **सिलीगुड़ी** को बांग्लादेश के **पारबतीपुर** से जोड़ेगी। यह 1 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक (MMTPA) हाई-स्पीड डीजल (HSD) की आपूर्ति करने में सक्षम है।
  - IBFP, दोनों देशों के बीच **ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा** देगी। यह भारत और उसके पड़ोसियों के बीच **दूसरी सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।**
  - **2019 में, भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी (बिहार)-अमलेखगंज (नेपाल) तेल पाइपलाइन** शुरू हुई थी। यह **दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार तेल पाइपलाइन** है।
- **दक्षिण एशिया**, एशिया का एक उपक्षेत्र है। इसमें **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका** शामिल हैं।
  - ऊर्जा की कमी इस क्षेत्र की संवृद्धि में बड़ी बाधा बनी हुई है। **ऊर्जा कूटनीति या सीमा-पार ऊर्जा व्यापार,** दक्षिण एशियाई देशों के साथ **भारत के संबंधों को मजबूत करने** में मददगार सिद्ध होगी। साथ ही, इस क्षेत्र में **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करने में सहायता प्रदान करेगी।

2.4.6. भारत-यू.एस.ए. (India-US)

- भारत और अमेरिका के बीच **5वीं वाणिज्यिक संवाद बैठक** आयोजित हुई।
- यह द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद **एक सहयोगात्मक पहल है।** इसमें **सरकार-से-सरकार** के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित होती हैं। हालांकि, ये निजी **क्षेत्रक की बैठकों के साथ संयोजन में आयोजित** की जाती हैं।
  - इसका उद्देश्य **व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक क्षेत्रकों में निवेश के अवसरों को अधिकतम** करना है।
- **वाणिज्यिक संवाद के मुख्य निष्कर्ष:**

आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन का निर्माण	• **सेमीकंडक्टर (अर्द्धचालक) आपूर्ति श्रृंखला तथा नवोन्मेषी साझेदारी** की स्थापना से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। ○ यह समझौता **भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और अमेरिका के 'चिप्स एंड साइंस एक्ट'** को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। • वाणिज्यिक संवाद के तहत **सेमीकंडक्टर उप-समिति की स्थापना** के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • अमेरिका-भारत 'महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल' (iCET)[32] के तहत **द्विपक्षीय रणनीतिक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार में वृद्धि** की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।
जलवायु और स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहयोग को सुगम बनाना	• दोनों देश **ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों** में मिलकर कार्य करेंगे। • क्लीन EDGE एशिया पहल में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए **यू.एस.-इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क (EIN)** की घोषणा की गई है। क्लीन EDGE एशिया पहल, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा बाजार विकसित करने के लिए अमेरिकी सरकार की एक पहल है। • 2024 में **अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास मिशन** को भारत भेजा जाएगा।
महामारी के बाद आर्थिक सुधार, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों	• प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास पर एक नए **कार्य समूह के गठन** की घोषणा की गई। • यात्रा एवं पर्यटन SMEs की सहायता करने के लिए **यात्रा और पर्यटन कार्य समूह को फिर से लॉन्च** करने की इच्छा प्रकट

32 initiative on Critical and Emerging Technology

(SMEs) के लिए 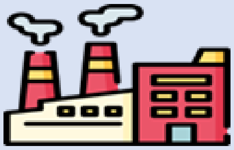	की गई। • **मानक और अनुरूपता सहयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण** का शुभारंभ किया गया।
अन्य	• निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे विषयों के लिए **रणनीतिक व्यापार वार्ता** की शुरुआत की योजना बनाई जाएगी। • दोनों देशों ने 6G सहित दूरसंचार के क्षेत्र में **अगली पीढ़ी के मानकों** को विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने के प्रति रूचि प्रदर्शित की।

2.4.7. रायसीना डायलॉग 2023 (Raisina Dialogue 2023)

- यह एक **बहुपक्षीय सम्मेलन** है। इसका आयोजन 2016 से **नई दिल्ली में प्रतिवर्ष** किया जाता है। यह **वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित** करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
    - इसका नाम **रायसीना पहाड़ी** के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन व अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस कारण इसे **भारत सरकार का सत्ता आसन** भी कहा जाता है।
    - इसकी मेजबानी **विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** (एक स्वतंत्र थिंक टैंक) करता है।
- यह **समकालीन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में** उभरा है।

2.4.8. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave: CSC)

- भारतीय तटरक्षक बल (पूर्वोत्तर क्षेत्र) ने CSC के तहत **टेबल टॉप एक्सरसाइज (सिम्युलेटेड इमरजेंसी) के चौथे संस्करण** का आयोजन किया है।
- CSC का गठन **2011** में किया गया था। यह **भारत, श्रीलंका और मालदीव** का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है।
    - बाद में **इसमें मॉरीशस चौथे सदस्य** के रूप में शामिल हुआ। इसमें **बांग्लादेश और सेशेल्स पर्यवेक्षक देशों** के रूप में भाग लेते हैं।
- यह कॉन्क्लेव **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों** को रेखांकित करता है।
- इसका उद्देश्य **क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण के खिलाफ प्रतिक्रिया तथा समुद्री खोज और बचाव हेतु प्राथमिकताओं** का निर्धारण करना है।

2.4.9. UNSCR 2396 / संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396 (United Nations Security Council resolution 2396)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ़ काउंटर टेररिज्म ने **'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021'** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
    - इस रिपोर्ट ने 2021 में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों **का पता लगाने, उन्हें रोकने और कम करने** के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की है।
- आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए, भारत ने **UNSCR 2396** को लागू किया है।
    - UNSCR 2396, सदस्य देशों से **सीमा नियंत्रण, आपराधिक न्याय और सूचना-साझाकरण तथा आतंकवाद-रोधी उपायों के माध्यम से विदेशी आतंकवादी लड़ाकों (FTFs)**[33] द्वारा उत्पन्न खतरे को समाप्त करने का आग्रह करता है।

2.4.10. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association: EFTA)

- सरकार ने EFTA देशों के लिए **स्वर्ण में कोई भी शुल्क-रियायत देने या बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में ढील देने से इनकार** कर दिया है।
- EFTA **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
- इसकी **स्थापना 1960 में (स्टॉकहोम कन्वेंशन)** की गई थी। इसे इसके सदस्यों के बीच **मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा** देने के लिए स्थापित किया गया था।
- EFTA **वस्तुओं के व्यापार में दुनिया का नौवां सबसे बड़ा और सेवाओं के व्यापार में पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक समूह** है।

---

[33] Foreign Terrorist Fighters

 ©Vision IAS

2.4.11. विंडसर फ्रेमवर्क (Windsor Framework)

- **ब्रेक्जिट के बाद के व्यापार नियमों पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार और यूरोपीय संघ** के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते की मदद से **उत्तरी आयरलैंड के साथ वस्तुओं के व्यापार को शासित** किया जाएगा।
    - विंडसर फ्रेमवर्क **'नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल'** का स्थान लेगा।
- **इस फ्रेमवर्क के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं**
    - वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने के लिए **ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी।** इसके अंतर्गत **ग्रीन लेन** उन वस्तुओं के लिए होगी, जो **उत्तरी आयरलैंड** भेजी जाएंगी और **रेड लेन** उन वस्तुओं के लिए होगी, जो **यूरोपीय संघ** में भेजी जाएंगी।
    - **स्टॉर्मोंट ब्रेक** के माध्यम से उत्तरी आयरलैंड के विधि निर्माताओं और लंदन को यूरोपीय संघ के ऐसे किसी भी नियम पर वीटो करने की अनुमति दी गई है।

2.4.12. ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स (Operation Interflex)

- **यूनाइटेड किंगडम (UK) ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन के लिए 2.3 बिलियन पाउंड की प्रतिबद्धता** प्रकट की थी। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इसी प्रतिबद्धता का **एक हिस्सा** है।
- इसके तहत **UK तथा अन्य देश जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया और नीदरलैंड** यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

 ©Vision IAS

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियम {Regulations by Securities and Exchange Board of India (SEBI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सेबी बोर्ड की बैठक में **द्वितीयक बाजार की विनियामकीय व्यवस्था**[34] के संदर्भ में कई निर्णय लिए गए हैं।

सेबी के बारे में

- **स्थापना: सेबी की स्थापना** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार **12 अप्रैल, 1992** को हुई थी। इस कानून के जरिए इसे एक **सांविधिक निकाय** बना दिया गया। हालांकि, इसे भारत सरकार के एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था।
- **कार्य:**
  - **मूल कार्य: प्रतिभूतियों/ शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना** और शेयर मार्केट के विकास को बढ़ावा देना तथा उसे विनियमित करना।
    - यह स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII)[35], क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति बाजारों को **पंजीकृत एवं उनके काम-काज को विनियमित** करता है।
    - यह शेयर मार्केट में **धोखाधड़ी, व्यापार संबंधी अनुचित व्यवहारों और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित** करता है।
  - **सेबी की प्रकृति:** यह एक अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और अर्ध-कार्यकारी[36] संस्था के रूप में तीन अलग-अलग कार्य करता है।
    - यह अपनी अर्ध-विधायी क्षमता के तहत **विनियमों के मसौदे को तैयार करता** है।
    - यह अपनी अर्ध-कार्यकारी क्षमता के तहत **जांच-पड़ताल और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई** करता है।
    - यह अपनी अर्ध-न्यायिक क्षमता के तहत **निर्णय और आदेश पारित करता** है।
- **शक्तियां:**
  - **जांच-पड़ताल करने संबंधी शक्तियां:** यह प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, मध्यवर्तियों और स्व-विनियामक संगठनों का **निरीक्षण, उनसे पूछताछ और उनकी संपरीक्षा या ऑडिट** कर सकता है।
  - **न्यायिक शक्तियां:** सेबी के पास वो सभी शक्तियां हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी सिविल (दीवानी) न्यायालय के पास होती हैं।
  - **बाजार विनियमन संबंधी शक्तियां:** इस संदर्भ में सेबी के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:
    - यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति के **व्यापार को निलंबित** कर सकता है।
    - यह **किसी व्यक्ति** को प्रतिभूतियों का **क्रय, विक्रय या लेन-देन करने से प्रतिबंधित** कर सकता है।
    - **स्टॉक एक्सचेंज या स्व-विनियामक संगठनों के किसी भी पदाधिकारी को निलंबित** कर सकता है।
    - जांच-पड़ताल के अधीन किसी भी लेन-देन के संबंध में प्राप्तियों या प्रतिभूतियों को **जब्त कर सकता है और अपने पास रख सकता है।**

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में बाजार विनियमन और निवेशकों के हितों की रक्षा करने संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए **सेबी ने कई सुधारों को लागू** किया है। इनका वर्णन आगे किया गया है।

---

[34] Regulatory environment of the secondary market

[35] Foreign Institutional Investor

[36] Quasi-legislative, Quasi-judicial and Quasiexecutive

3.1.1. निवेशक सुरक्षा और भागीदारी (Investor Protection and Participation)

सेबी मुख्यतः **निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय बाजार के विकास में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिशा में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ने वित्तीय प्रदर्शन (Financial performance), कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि से संबंधित कई उपाय किए हैं।

शब्दावली को जानें

- **बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institution: MII):** यह एक प्रकार का वित्तीय संस्थान होता है, जो शेयर बाजार/पूंजी बाजारों में दैनिक काम-काज को निपटाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग हाउस ये सभी इसके उदाहरण हैं।

सेबी द्वारा किए गए सुधार

- द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए निवेशकों हेतु **एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA)**[37] सुविधा को आरंभ किया गया है।
  - इसके तहत एक निवेशक **UPI** के माध्यम से अपने खाते में **एक निर्धारित राशि को ब्लॉक करके** द्वितीयक बाजार में व्यापार (अर्थात् शेयरों की खरीद) कर सकता है।
  - इस सुविधा को अपनाना निवेशकों के साथ-साथ स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी स्वैच्छिक होगा।
- **धोखाधड़ी पर रोक लगाना: स्टॉक ब्रोकर विनियम, 1992** में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग को रोकने और उसका पता लगाने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करना है। इस संशोधन में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - व्यापार संबंधी गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के लिए प्रणालियां;
  - स्टॉक ब्रोकर और उसके कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण;
  - उचित निपटान प्रणाली (ग्राहक की समस्या को हल करने के लिए ठोस व्यवस्था) और रिपोर्टिंग तंत्र; तथा
  - व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) नीति।
- **शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना:** पंजीकृत मध्यवर्तियों/ विनियमित संस्थाओं में निवेशकों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR)[38] तंत्र को सुचारू रूप देने के लिए संबंधित विनियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - MII (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन) द्वारा प्रशासित **सुलह और मध्यस्थता तंत्र**[39] का विस्तार पंजीकृत मध्यवर्तियों/ विनियमित संस्थाओं और उनके निवेशकों/ ग्राहकों के लिए किया गया है;
  - **हाइब्रिड मॉडल** के माध्यम से कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है;
  - **विवाद समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित** किया गया है; और
  - **निर्णयों को मजबूती से लागू करने** के उपायों को अपनाया गया है।

---

[37] Application Supported by Blocked Amount

[38] Online Dispute Resolution

[39] Conciliation and arbitration mechanism

3.1.2. द्वितीयक बाजार को मजबूती (Strengthening Secondary Market)

सेबी प्रतिभूतियों/ शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने और द्वितीयक बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी **एक विनियामकीय प्राधिकरण** है।

द्वितीयक बाज़ार

- निवेशक द्वितीयक बाजार में ही **प्रतिभूतियों/ शेयरों की खरीद और अपने पास पहले से मौजूद प्रतिभूतियों/ शेयरों की बिक्री** करते हैं।
  - गौरतलब है कि निवेशक द्वितीयक बाजार में ही एक-दूसरे से **प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री संबंधी लेन-देन** करते हैं। इस बाजार में कोई कंपनी IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के जरिए शेयर नहीं बेचती है।
- **प्राथमिक बाजार (Primary market)** वह स्थान है जहां कोई कंपनी पहली बार अपने स्टॉक/ बॉण्ड/ शेयर को जारी करती है तथा सीधे निवेशकों को बेचती है।
  - **IPO, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इश्यू** आदि प्राथमिक बाजार में होने वाले लेन-देन से जुड़े कुछ साधन हैं।
- यदि कोई प्रारंभिक निवेशक **कुछ समय बाद मूल कंपनी को ही उसके शेयर बेचना चाहता है,** तो इस तरह के लेन-देन को **केवल द्वितीयक बाजार** में ही किए जा सकते हैं।

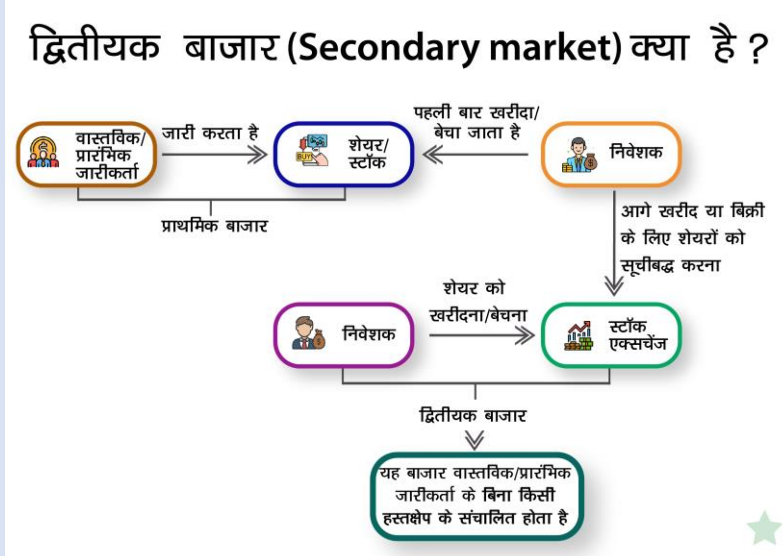

- द्वितीयक बाजार में होने वाले लेन-देन को केवल इसलिए द्वितीयक कहा जाता है क्योंकि यहां सबसे पहले प्रतिभूतियों/ शेयरों का लेन-देन नहीं होता है बल्कि यहां कंपनी द्वारा पहले से जारी प्रतिभूतियों/ शेयरों की खरीद/ बिक्री की जाती है।

द्वितीयक बाजार के लिए सेबी के द्वारा किए गए हालिया सुधार

- **कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) के लिए रूपरेखा**
  - **AIF के रूप में CDMDF:** सेबी बोर्ड ने CDMDF को वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)[40] के रूप में स्थापित करने के लिए **सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012** में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
  - **बैकस्टॉप सुविधा: CDMDF,** निवेश ग्रेड की कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद हेतु बैकस्टॉप सुविधा (अल्पकालिक ऋण व्यवस्था) के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार, यह दबाव के समय प्रतिभागियों के बीच **विश्वास पैदा करने** और **द्वितीयक बाजार में तरलता की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।**
  - **कार्य:** CDMDF वस्तुतः नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी के आधार पर **बाजार संबंधी दबावग्रस्त स्थितियों के दौरान** कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए धन जुटा सकता है।

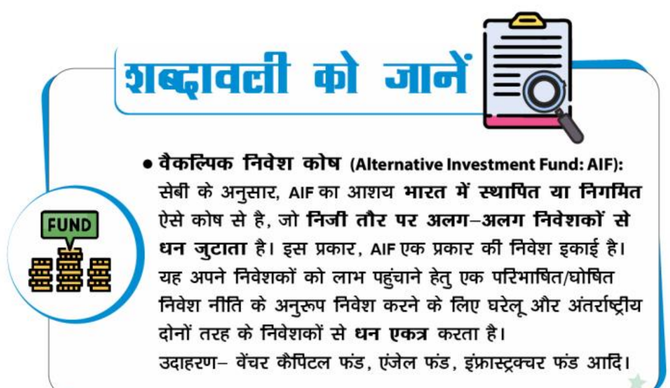

- **शेयरधारकों को सशक्त बनाने के लिए समय पर प्रकटीकरण:** इस संबंध में **"सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम[41]"** में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण घटनाक्रमों या जानकारियों को व्यापक रूप से और समय पर प्रकट करने को सुविधाजनक बनाना है।
  - यह **सूचीबद्ध संस्थाओं में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा।**

---

40 Alternative Investment Funds

41 SEBI {Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations}

- बॉण्ड/ वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए **जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (GID)** और **की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (KID)** की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है।
    - पहली बार बॉण्ड/ वाणिज्यिक पत्र को जारी करते समय स्टॉक एक्सचेंजों में GID को फाइल किया जाएगा, जबकि बाद के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए KID को फाइल किया जाएगा।
        - किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट इकाई या निवेशकों के एक छोटे समूह को अलग से स्टॉक/ शेयर आवंटित करना प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है।

3.1.3. पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance: ESG)

ESG एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग करके संधारणीयता एवं नैतिकता से संबंधित अलग-अलग स्तरों पर **किसी कंपनी की व्यावसायिक पद्धतियों और उसके प्रदर्शन का आकलन** किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

सेबी द्वारा ESG से संबंधित किए गए सुधार

- **ESG प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश के लिए संतुलित फ्रेमवर्क:**
    - **ESG प्रकटीकरण (ESG Disclosures):** इसके जरिए **BRSR[42] कोर** मानदंडों के तहत कंपनियों को क्रमिक रूप से शामिल करना निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में **BRSR कोर** में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 150 सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 तक शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
        - BRSR कोर में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs)[43] में से कुछ निर्धारित संकेतक शामिल किए जाएंगे। सूचीबद्ध कंपनियों को इन निर्धारित संकेतकों के संबंध में 'तार्किक आश्वासन' (Reasonable assurance) सुनिश्चित करना होगा।
    - **ESG रेटिंग्स (ESG Ratings):** ESG रेटिंग प्रदान करने वालों (ERPs)[44] को ESG रेटिंग्स के मामले में **भारत/ उभरते बाजार से संबंधित मानकों** पर विचार करना होगा।
        - ESG रेटिंग की विश्वसनीयता को सुगम बनाने के लिए ERPs द्वारा 'कोर ESG रेटिंग' नामक ESG रेटिंग की एक अलग श्रेणी शुरू की जाएगी। यह रेटिंग BRSR कोर के मानदंडों पर आधारित होगी।
    - **ESG निवेश (ESG Investing):** इस संदर्भ में मिस-सेलिंग और ग्रीनवाशिंग से संबंधित व्यापार पद्धति को रोकने, फंड्स के उपयोग के बारे में रिपोर्टिंग संबंधी अनिवार्यताओं में सुधार करने और ESG संबंधी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय आरंभ किए जाएंगे।
        - **मिस-सेलिंग (Mis-selling):** यह उत्पाद या सेवा के विक्रय से संबंधित एक अनैतिक पद्धति है। इसके तहत किसी उत्पाद या सेवा को जानबूझकर या लापरवाही पूर्वक गलत रूप से प्रस्तुत करके या ग्राहक को इनकी उपयुक्तता के बारे में गुमराह करके बेचा जाता है।
        - **ग्रीनवाशिंग (Greenwashing):** यह किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद या अपनी सेवा की संधारणीयता (पर्यावरण-अनुकूल) के बारे में **झूठी या भ्रामक जानकारी** के प्रसार को संदर्भित करता है।
- **सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999** में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रतिभूति/ शेयर बाजार में **ERPs के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क** बनाया गया है।

---

42 Business Responsibility and Sustainability Reporting/ व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग

43 Key Performance Indicators

44 ESG Rating Providers

3.1.4. सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क (Regulatory Framework for Index Providers)

सेबी ने इंडेक्स फंड के प्रसार के कारण उनके बढ़ते प्रभुत्व का हवाला देते हुए **एन.एस.ई. इंडेक्स** और **एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड** जैसे वर्तमान में अविनियमित सूचकांक प्रदाताओं पर अधिक निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है।

शब्दावली को जानें

- **इंडेक्स प्रोवाइडर:** यह एक विशेष फर्म होता है जो बाजार से संबंधित सूचकांकों को तैयार करने और उनका हिसाब किताब रखने का काम करता है। इंडेक्स प्रोवाइडर्स बाजार की गतिविधियों को मापते हैं और निवेश संबंधी प्रदर्शन को मापने के लिए एक मानक प्रदान करते हैं।
भारत के कुछ इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं: NSE इंडेक्स, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड आदि।

सेबी द्वारा किए गए सुधार

- **सूचकांक प्रदाताओं (Index Providers) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की शुरुआत:** दिसंबर 2022 में, सेबी ने सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक ड्राफ्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसके प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल थे:
  - **पंजीकरण:** भारत में उपयोग के लिए सूचकांकों की पेशकश करने वाले सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के साथ अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  - **निरीक्षण:** सूचकांक प्रदाता को अपने सूचकांक की मौजूदा रूपरेखा और उनकी मानदंड पद्धति की समीक्षा के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन करना होगा।
  - **निष्पक्षता का संरक्षण:** सूचकांक प्रदाताओं के पास **हितों के टकराव का प्रबंधन करने और सूचकांकों के निर्धारण के संबंध में किए जाने वाले अलग-अलग कार्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए** नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO)[45] के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए सूचकांक प्रदाताओं का बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पक्ष आकलन किया जाएगा। इस प्रकार का मूल्यांकन दो साल में एक बार किया जाएगा।

भारत में पूंजी बाजार के बारे में अधिक जानने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #86: भारत में पूंजी बाजार: संवृद्धि के लिए वित्त जुटाना

3.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने DBT के जरिए लाभार्थियों को सीधे भुगतान कर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत की है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के बारे में

- DBT की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसे सरकारी योजनाओं के लाभ के लक्षित वितरण के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार सीधे नागरिकों के आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में लाभ अंतरण (अर्थात् पैसा ट्रांसफर) करती है।
- इसे 2013 में पहले चरण में 43 जिलों में पायलट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था जिसमें कुल 24 योजनाएं शामिल थीं। दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं और 2,000 से अधिक राज्य योजनाओं को DBT के दायरे में लाया जा चुका था।

[45] International Organization of Securities Commissions

- गौरतलब है कि **DBT के लिए आधार अनिवार्य नहीं** है। चूंकि आधार अद्वितीय पहचान प्रदान करता है और यह लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, लाभार्थियों को आधार के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

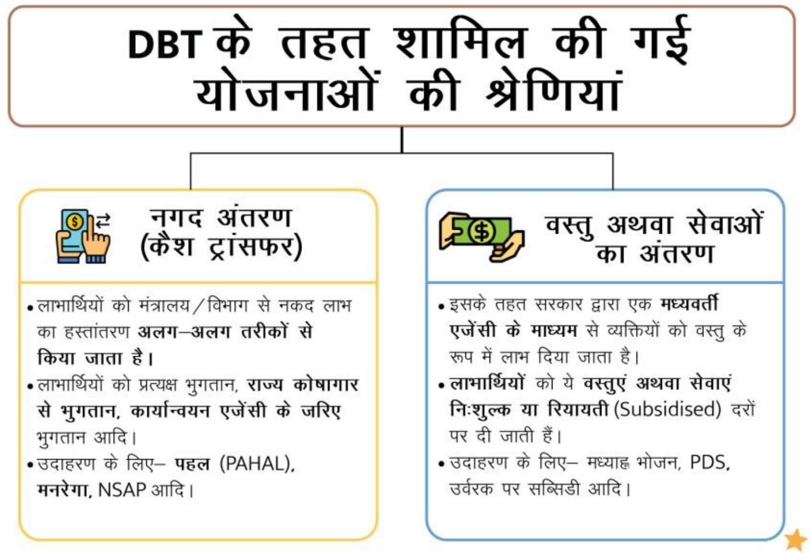

- **कार्यान्वयन:** DBT कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ववर्ती योजना आयोग में **DBT मिशन** तैयार किया गया था।
    - इस मिशन को 2013 में वित्त मंत्रालय के ***व्यय विभाग*** में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह वर्ष 2015 तक चलता रहा।
    - बाद में, DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को 2015 से कैबिनेट सचिवालय के **सचिव (समन्वय)** के अधीन कर दिया गया ताकि आवश्यकता अनुरूप प्रोत्साहन मिलता रहे।

भारत में DBT के सफल कार्यान्वयन में मुख्य सहायक

- **JAM ट्रिनिटी:** जन-धन, आधार और मोबाइल अर्थात् **JAM ट्रिनिटी** लीक-प्रूफ तथा लक्षित लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।
- **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स:** भौतिक उपस्थिति वाले बैंकों के विकल्प के रूप में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को बढ़ावा मिलने से करोड़ों लोगों को बैंकिंग (नए बैंक खाते आदि) प्रणाली से जोड़ा जा सका है।
- **पेमेंट्स बैंक:** इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित सुरक्षित वातावरण में भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है। यह लघु व्यवसायों, कम आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रमिकों आदि पर केंद्रित है।
- **मोबाइल मनी:** यह भुगतान करने का एक साधन है। यह DBT की बेहतर पहुंच के लिए लास्ट माइल समाधान प्रदान करने में सहायक है।

DBT का महत्व

- **सरकारी लाभ का कुशल हस्तांतरण:** DBT का उपयोग करके इच्छित लाभ (साधारण भाषा में सरकारी पैसा) सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके चलते प्रशासन के मध्य क्रम की ओर से आने वाली बाधाएं दूर हो गईं, जो पहले ऐसे हस्तांतरण की प्रक्रिया में देरी और लीकेज का मुख्य कारण था।
- **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी:** DBT के लागू होने से कल्याणकारी योजना के लिए इच्छित राशि और इसके संचालन को ट्रैक किया जा सकता है। इससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **फर्जी लाभार्थियों की संख्या में कमी:** इसके चलते नकली या पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों का आसानी से पता चल जाता है। दूसरी ओर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से फर्जी लाभार्थियों की पहचान में भी मदद मिलती है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** DBT लाभार्थी और अधिकारियों के बीच की प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करता है, जिससे रिश्वत तथा भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन में सहायक:** DBT के तहत आधार से जुड़े बचत खाते को तरजीह दी जाती है। यह लाभार्थी को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाता है और उसे बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराता है।

DBT के समक्ष आने वाली बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** देश में ऐसे कई क्षेत्र मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक बैंक शाखाओं और एटीएम जैसी नियमित बैंकिंग प्रणाली के तहत नहीं लाया गया है। इन क्षेत्रों में DBT का क्रियान्वयन करना थोड़ा मुश्किल है।
- **डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की डिजिटल साक्षरता तुलनात्मक रूप से कम है। ये लोग उन लाभों से भी अनजान हो सकते हैं, जिन्हें सरकार से प्राप्त करने के लिए वे पात्र हैं।
- **ऐसा संभव है कि इच्छित उद्देश्य के लिए नकदी का उपयोग नहीं किया जाए:** लाभार्थी को नकदी प्रदान करने से इच्छित धन का उपयोग अनुत्पादक गतिविधियों (जैसे- नशाखोरी, जुआ आदि) में हो जा सकता है, जिससे कल्याण का उद्देश्य प्रभावित हो जाता है।

- **अप्रभावी शिकायत निवारण:** कई योजनाओं में शिकायत निवारण की प्रक्रिया अपारदर्शी है। साथ ही, विसंगति के मामले में सहायता केंद्र का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए- कई नागरिकों ने दावा किया है कि एल.पी.जी. कनेक्शन लेने के बावजूद उन्हें DBT नहीं मिल रहा है।
- **बैंकों द्वारा मुनाफाखोरी:** कई बैंकों ने जन-धन खातों में एक निर्धारित सीमा से अधिक लेन-देन के लिए शुल्क लगाया है। इससे गरीब लाभार्थी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने से हतोत्साहित हुए हैं।

आगे की राह

- **लाभार्थी केंद्रित शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण तंत्र को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाना चाहिए। इसमें आम लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और एक निश्चित समय-सीमा में उनके निपटान के लिए एक उचित तंत्र शामिल होना चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा:** नागरिकों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए। इसमें एटीएम का उपयोग करना, फोन आदि के माध्यम से अपने बैंकिंग विवरणों की जानकारी लेना आदि शामिल हैं। इससे नागरिक सरकारी पहलों के बारे में और अधिक जागरूक हो सकेंगे।
- **अवसंरचना में सुधार:** ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना आवश्यक है ताकि उन क्षेत्रों में DBT का लाभ प्रदान किया जा सके।
- **कैश की डोरस्टेप डिलीवरी को सक्षम करना:** DBT का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्थात् बैंकों में स्थानांतरित धन को निकालने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है, ऐसे में उनके लिए लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है। अतः ऐसे में उनके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उनके घर तक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

3.3. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)/ PMAY(U)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

PMAY(U) के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - यह 2015 में शुरू किया गया एक **फ्लैगशिप मिशन** है। इस मिशन का उद्देश्य **"सभी के लिए आवास"** प्रदान करना है।
  - यह मिशन स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)/ निम्न आय समूहों (LIG) और मध्यम आय समूहों (MIG) के बीच शहरी आवास की समस्या का समाधान करता है।
  - इस योजना में मांग-संचालित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी का निर्धारण किया जाता है।
- **कार्यान्वयन:** यह मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **कवरेज:** यह मिशन देश के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें वैधानिक शहर, नोटिफायड प्लानिंग एरिया, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।
- **समयावधि:** प्रारंभ में, यह मिशन वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक अर्थात् सात साल की अवधि के लिए था।
  - अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल्स शामिल हैं। CLSS के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2022 तय की गई थी।

- PMAY(U) को निम्नलिखित **चार वर्टिकल्स** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है:

जहां झुग्गी वहीं आवास (In-Situ Slum Redevelopment: ISSR)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)	साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership: AHP)	लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण (Beneficiary-led Construction: BLC)
• इसके तहत निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी से झुग्गी वासियों का उसी क्षेत्र में ही पुनर्वास किया जाना है। योजना के तहत घर बनाने के लिए स्लम बस्तियों वाली भूमि का उपयोग किया जाएगा। • EWS श्रेणी से संबंधित पात्र परिवारों को सहायता। • **मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप।** • **केंद्र प्रायोजित योजना।**	• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा देना। • **EWS/ LIG और MIG के पात्र लाभार्थी जब बैंकों से होम लोन** लेते हैं तब उन्हें सब्सिडी सहायता दी जाती है। • **मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप।** • **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।**	• इसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी कर किफायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। • EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को सहायता, जिनके पास जमीन नहीं है। • **आपूर्ति पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप।** • **केंद्र प्रायोजित योजना।**	• लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर के निर्माण/ उसमें सुधार के लिए सब्सिडी। • EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को सहायता। • **मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप।** • **केंद्र प्रायोजित योजना।**

PMAY(U) को लेकर संसदीय स्थायी समिति के महत्वपूर्ण अवलोकन

- **आवास की मांग के आकलन में अंतराल:** ऐसा अनुमान लगाया गया था कि योजना के तहत आवास की मांग 2 करोड़ है, जबकि वास्तविक मांग 1.23 करोड़ है।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** दिसंबर 2022 तक, बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण 5.6 लाख आवास, लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके थे।
- **निर्माण कार्य के समापन की समय-सीमा:** दिसंबर 2022 तक केवल 87% स्वीकृत घरों की ही नींव रखी गई और 61 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए हैं।
- अक्टूबर 2022 तक, भौगोलिक और आर्थिक कारणों से पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा को छोड़कर) में 50% से भी कम घर बन पाए हैं।
- **लाभार्थी पर उच्च लागत का बोझ:** नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने अपना हिस्सा प्रदान नहीं किया है। नतीजतन, औसत लाभार्थी योगदान लगभग 60% आता है।
- **BLC पर जोर:** अधिकांश शहरी बेघर भूमिहीन भी हैं और शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदना उस जमीन पर घर बनाने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, BLC वर्टिकल पर अधिक जोर इस योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।
- **ISSR वर्टिकल के तहत घरों की कम स्वीकृति:** इसके तहत स्वीकृत घरों की संख्या कम है। 14.35 लाख आवासों की मांग के बदले केवल 30% स्वीकृत किए गए हैं।

समिति के सुझाव

- **आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान:** समिति का सुझाव है कि निर्मित किए गए घरों की संख्या की जगह उन घरों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें वास्तव में लाभार्थियों ने रहना शुरू कर दिया है।
- **लाभार्थियों की भागीदारी:** निर्माण से पहले लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए। उन्हें परियोजना की शुरुआत से ही हितधारकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उनके फीडबैक को स्वीकार करते हुए उसपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे आवास के खाली रह जाने जैसी समस्या से बचा जा सकता है।
- **स्लम-भूमि के डी-नोटिफिकेशन पर डेटा का मिलान करना:** समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को राज्यों द्वारा स्लम के डी-नोटिफिकेशन के संदर्भ में ISSR वर्टिकल के प्रभाव पर डेटा को एकत्र करना चाहिए। साथ ही, इसे समिति के समक्ष रखना चाहिए।
- **प्रभाव आकलन और आवश्यक परिवर्तन:** मंत्रालय द्वारा एक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता है। इस आकलन के आधार पर शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने हेतु आवश्यक परिवर्तनों के साथ योजना का विस्तार करना चाहिए या एक नई योजना तैयार की जानी चाहिए।
- **निर्माण के लिए सख्त समय-सीमा:** मंत्रालय द्वारा घरों का निर्माण शुरू करने और पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- **राज्य के कारकों के आधार पर बदलती केंद्रीय सहायता:** राज्यों को मिलने वाली एक समान और निश्चित केंद्रीय सहायता हटाई जा सकती है। यह राज्य की स्थलाकृति जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होनी चाहिए।
- **निर्माण-पूर्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाना:** परियोजना शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता, वैधानिक मंजूरी की मांग और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का कार्य सुगम होना चाहिए।

3.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** ने जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक **86% धन का उपयोग किया गया है**। इसके अलावा, **69% परियोजनाएं भी पूरी कर ली गई हैं।**

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू किया गया था।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराते हुए एक स्वच्छ तथा संधारणीय वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही, ये शहर 'स्मार्ट सॉल्यूशन' के जरिए नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करते हैं।
- स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए **100 शहरों** का चयन किया गया है।
- इस मिशन में 3 मॉडल को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - शहर में सुधार **(रेट्रोफिटिंग)**,
  - शहर का नवीनीकरण **(पुनर्विकास)**
  - सिटी एक्सटेंशन **(ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट)**।
- शहर के स्तर पर स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) को लागू करने के लिए प्रत्येक शहर द्वारा **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)** गठित किया जाता है।
  - SPV शहर स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक निगमित कंपनी होगी। इसमें प्रवर्तक/ प्रमोटर्स के रूप में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय (ULB)[46] शामिल होंगे। इनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग 50:50 के अनुपात में होगी।
  - SPV में निजी क्षेत्रक या वित्तीय संस्थानों की इक्विटी हिस्सेदारी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और ULB के 50:50 के शेयर होल्डिंग पैटर्न को बनाए रखना होगा। अधिकांश शेयरहोल्डिंग और SPV का नियंत्रण राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और ULB के पास होना चाहिए।

स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **स्मार्ट शहरों के लिए उपयुक्त अवसंरचना का अभाव:** स्मार्ट सिटी पहलों को भौतिक और आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता और डेटा गोपनीयता:** स्मार्ट शहर, अलग-अलग स्रोतों से डेटा के एकत्रण और विश्लेषण पर निर्भर हैं जो गोपनीयता संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

---

[46] Urban Local Bodies

- **वित्त-पोषण:** स्मार्ट शहरों को बरकरार रखने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि सभी शहरों के पास स्मार्ट सिटी पहलों को लागू करने हेतु वित्तीय क्षमता मौजूद नहीं है।
- **डाटा प्रोसेसिंग क्षमता और दक्षता:** स्मार्ट शहरों को बड़ी मात्रा में डेटा को प्रॉसेस और डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक विश्वसनीय तथा कुशल तरीका अपनाने की आवश्यकता होती है।
- **धीमी प्रगति:** यह संभावना व्यक्त की गई है कि केवल लगभग 20 शहर ही जून 2023 की समय-सीमा को पूरा करने में सक्षम होंगे; जबकि बाकी शहरों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।
    - प्रगति की धीमी गति से पता चलता है कि परियोजनाओं का प्रबंधन और निष्पादन अपर्याप्त रहा है। इससे संसाधनों की बर्बादी होती है और नागरिकों को देरी से लाभ मिलता है।
- **विकेंद्रीकरण के खिलाफ:** SPV स्थानीय सरकारों की शक्तियों और स्वायत्तता को सीमित करते हैं। यह 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 की मूल भावना के खिलाफ है जो विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है।

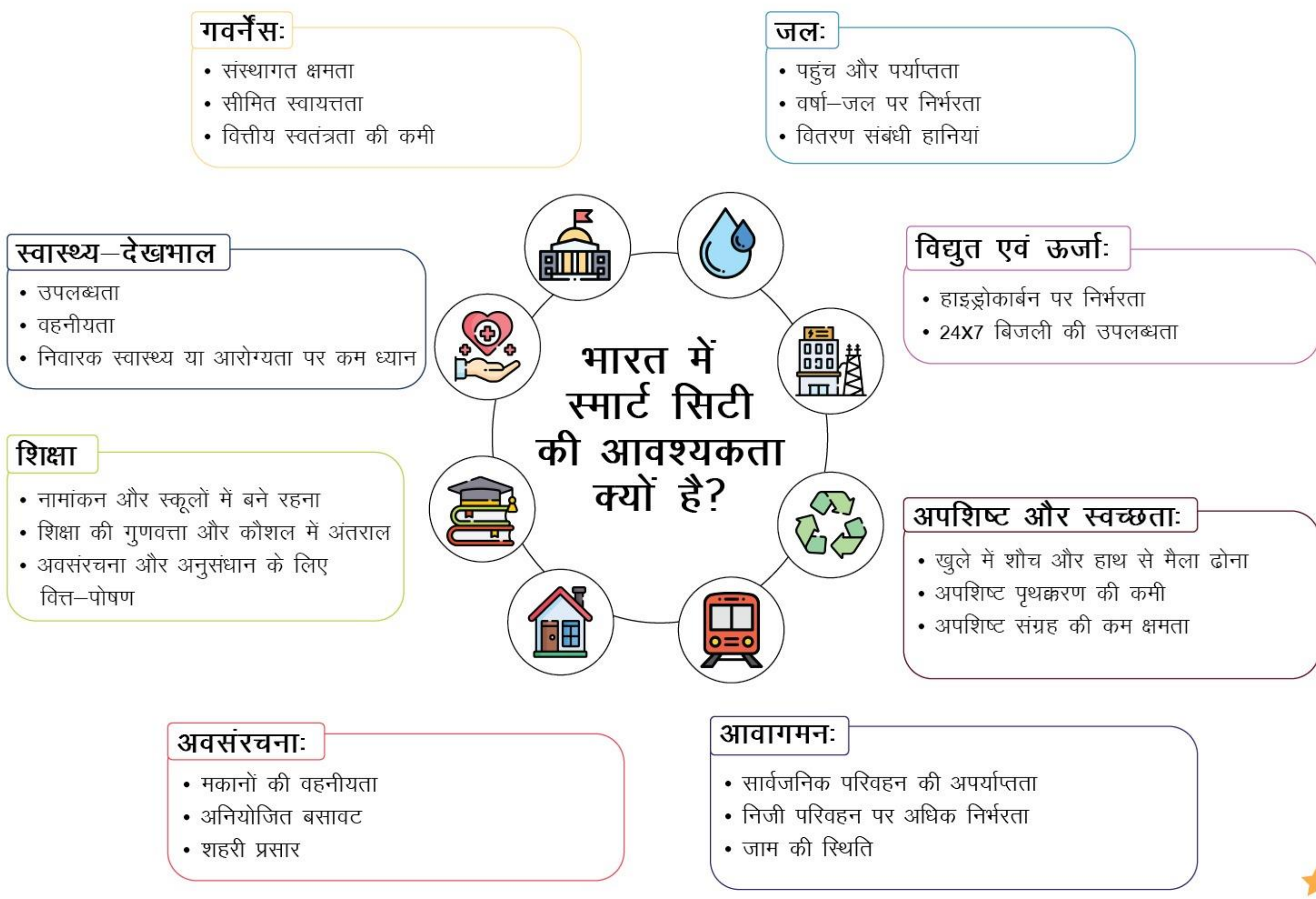

सुझाव

- **परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा:** स्मार्ट सिटीज मिशन ने नियोजित परियोजनाओं का केवल 69% ही पूरा किया है। यह परियोजना को पूरा करने के लिए एक सख्त समय-सीमा की आवश्यकता को दर्शाता है। हालांकि, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के संबंध में विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
- **दीर्घकालिक कार्यक्रम की आवश्यकता:** स्मार्ट सिटीज मिशन को एक दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसे महज पांच या छह वर्षों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान लक्ष्य के तहत निर्धारित किया गया है।

- दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में यह मिशन इन कस्बों और शहरों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा।
- **प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं का निर्माण:** SPV और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **SPV पर अनुभवजन्य अध्ययन:** देरी के कारणों को समझने के लिए कार्यान्वियन में पिछड़े शहरों में SPV पर अनुभवजन्य अध्ययन किए जाने चाहिए।
- **धन जुटाना:** केंद्र, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए धन जुटाने हेतु अधिक-से-अधिक प्रयास करने चाहिए। कुशल कराधान और वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की सहायता से अधिक राजस्व उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
- **साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना:** डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करके स्मार्ट शहरों को साइबर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

3.5. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन (E-Commerce Promotion And Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने "भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन[47]" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

ई-कॉमर्स के बारे में

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** "डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री" को ई-कॉमर्स के रूप में परिभाषित करता है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत **दो प्रकार के बिजनेस मॉडल** का उपयोग किया जाता है:
  - **मार्केटप्लेस मॉडल:** इस मॉडल में **प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स** खरीदारों और विक्रेताओं के बीच केवल **लेन-देन की सुविधा** प्रदान करते हैं। वे लॉजिस्टिक्स/ सामानों, उनकी डिलीवरी तथा रिटर्न का काम-काज देखते हैं और ऑर्डर को पूरा करते हैं। वे खुद कोई सामान नहीं बेचते हैं, उदाहरण के लिए- अमेज़न और फ्लिपकार्ट।
  - **इन्वेंटरी मॉडल:** इस मॉडल में **प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स** खुद अपना सामान बेचते हैं। वे अपने गोदाम से सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, उदाहरण के लिए- बिग बास्केट।

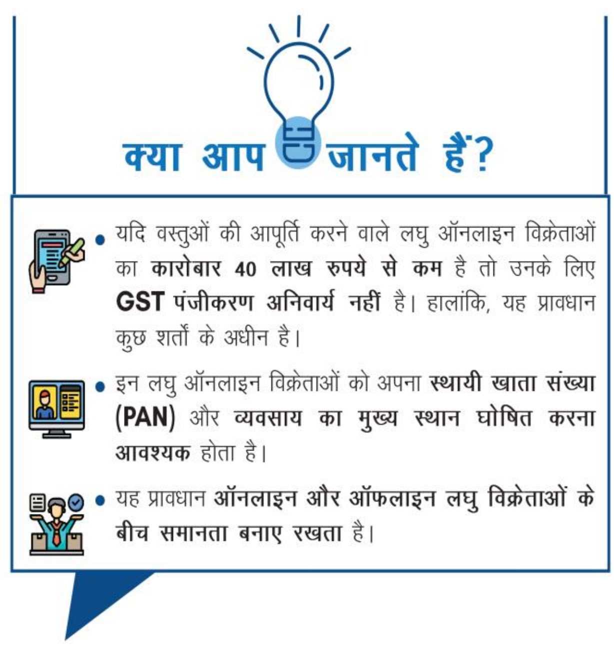

[47] Promotion and regulation of e-commerce in India

भारत में ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने वाले कानून

<table>
<tr><th>उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020</th><th>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति, 2020</th><th>अन्य कानूनी दायित्व</th></tr>
<tr><td>ये नियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए हैं।
• ये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं को व्यापार में किसी भी अनुचित व्यवहार को अपनाने, कीमत में हेरफेर करने आदि से रोकते हैं।
• ये नियम केवल ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होते हैं न कि किसी व्यक्ति पर।
• ये नियम भारत में कारोबार करने वाली देश के बाहर की संस्थाओं पर भी लागू (Extra-territorial application) हैं।
• ये ई-कॉमर्स संस्थाओं को शिकायत निवारण तंत्र की एक पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपते हैं और;
○ अधिनियम या नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क हेतु एक नोडल व्यक्ति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।</td><td>• FDI समर्थित ई-कॉमर्स संस्थाएं केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) ई-कॉमर्स में संलग्न हो सकती हैं, न कि बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स में।
• ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस आधारित मॉडल के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
• इन्वेंटरी आधारित मॉडल में FDI की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
• मार्केटप्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स इकाई को, बेची जाने वाली इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है।</td><td>• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई.टी. अधिनियम): इसके तहत, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (2023 में संशोधित) में मध्यस्थों को अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति तथा उपयोगकर्ता समझौते आदि को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
• प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: यह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले या प्रभावी अवस्थिति (Dominant position) के दुरुपयोग से संबंधित प्रथाओं को रोकने के लिए प्रावधान करता है।
• विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009[48]: इसके तहत, ई-कॉमर्स कंपनी के लिए लेबलिंग और पैकेजिंग से संबंधित मानकों का प्रावधान किया गया है।</td></tr>
</table>

ई-कॉमर्स निर्यात

- हाल ही में, वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्थान (GTRI)[49] ने 'भारत की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को साकार करना[50]' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ऐसा अनुमान है कि वैश्विक 'बिजनेस टू कंज्यूमर' (B2C) ई-कॉमर्स निर्यात **मौजूदा 800 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर** हो जाएगा।
- भारत को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर या अपनी कुल वस्तुओं का लगभग एक-तिहाई निर्यात ई-कॉमर्स के माध्यम से करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए **अलग कस्टम कोड्स** बनाए जाने चाहिए।
- **मार्केट इंटेलिजेंस विकसित** करने तथा कारीगरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने पर ध्यान देना चाहिए।
- सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और नकली उत्पादों को रोकने के लिए **भारत गुणवत्ता उत्पाद (IQP)[51] लेबल** को लॉन्च किया जाना चाहिए।

विदेश व्यापार नीति, 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात से संबंधित प्रावधान

- **ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सुविधा:**
  - FTP[52] के तहत मिलने वाले सभी **लाभ** ई-कॉमर्स निर्यात के लिए भी उपलब्ध होंगे।
  - कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात पर **प्रति कंसाइनमेंट अधिकतम मूल्य सीमा (Consignment wise Cap) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- **डाक घर निर्यात केंद्र:**
  - इसे क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स की सुविधा के लिए **विदेशी डाकघरों (Foreign Post Offices: FPOs)** के साथ मिलकर **हब-एंड-स्पोक मॉडल** में संचालित किया जाएगा।

---

48 Legal Metrology Act, 2009

49 Global Trade Research Institute

50 Realising India's E-Commerce Exports Potential

51 India Quality Product

52 Foreign Trade Policy/ विदेश व्यापार नीति

- यह देश के अंदरूनी इलाकों और स्थलरुद्ध क्षेत्रों में स्थित **कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, MSMEs** आदि को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

- **ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब:**
    - इसके तहत ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स के लिए **वेयरहाउसिंग सुविधा से युक्त एक्सपोर्ट हब** उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को स्टॉकिंग, कस्टम क्लीयरेंस और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी।
    - ग्राहक तक वस्तुएं पहुंचाने से संबंधित गतिविधियों, जैसे- लेबलिंग, टेस्टिंग, रीपैकेजिंग आदि के लिए **प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति** दी जाएगी।

भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में मौजूद चुनौतियां

- **व्यापक नीति का अभाव:** एक समर्पित ई-कॉमर्स नीति के अभाव के चलते गैर-एकीकृत और अप्रभावी विनियमन से जुड़ी चुनौतियों में वृद्धि हुई है।
- **प्रशासनिक कमियां: ई-कॉमर्स कंपनियां** 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (DPIIT)[53] के साथ **पंजीकृत नहीं** हैं।
    - DPIIT ई-कॉमर्स के संबंध में मूल विभाग है। इसके बावजूद यह स्थिति देखने को मिलती है।
- **डेटा सुरक्षा:** स्पष्ट डेटा नियामक ढांचे की अनुपस्थिति डेटा के यथोचित उपयोग में बाधा बन सकती है।
    - साथ ही, सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद साइबर अपराधों से संबंधित मामलों के संबंध में गैर-एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।
- **प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में अंतराल:** ई-मार्केटप्लेस मॉडल में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं पर लगाम लगाने में **FDI नीति** बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है।
    - FDI नीति केवल विदेशी वित्त-पोषित ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights: IPRs) का उल्लंघन:** IPRs का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों के संबंध में **प्रवर्तन तंत्र में कमियां मौजूद** हैं।
    - इसके अलावा, **नकली उत्पाद** और **उत्पादों के ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट** के उल्लंघन से भी वास्तविक विनिर्माताओं के राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- **ई-फार्मा:** इसके अंतर्गत अलग-अलग हितधारकों द्वारा आपत्तियों और चिंताओं को व्यक्त करने के बावजूद दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को **विनियमित नहीं** किया गया है।
- **ई-कॉमर्स के जरिए बहुत कम निर्यात:** वर्तमान में, ई-कॉमर्स का निर्यात **केवल 2 बिलियन** डॉलर का है। यह भारत के **कुल वस्तु निर्यात बास्केट के 0.5% हिस्से से भी कम** है। यह भारत की क्षमता की तुलना में बहुत कम है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति:** एक व्यापक **पूर्वानुमान आधारित ढांचे (Ex-ante Framework)** को अपनाया जाना चाहिए जो ई-कॉमर्स को पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करता हो।
    - **पूर्वानुमान आधारित ढांचे** के माध्यम से, **नियामक द्वारा हितधारकों को उन उपायों और प्रतिक्रियाओं के बारे में सूचित** किया जाता है जिन्हें उन्हें **किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पहले ही अपनाने की आवश्यकता** होती है।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** DPIIT के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों के अनिवार्य और आसान पंजीकरण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसे ई-कॉमर्स के **विनियमन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में प्रारंभिक कदम** के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

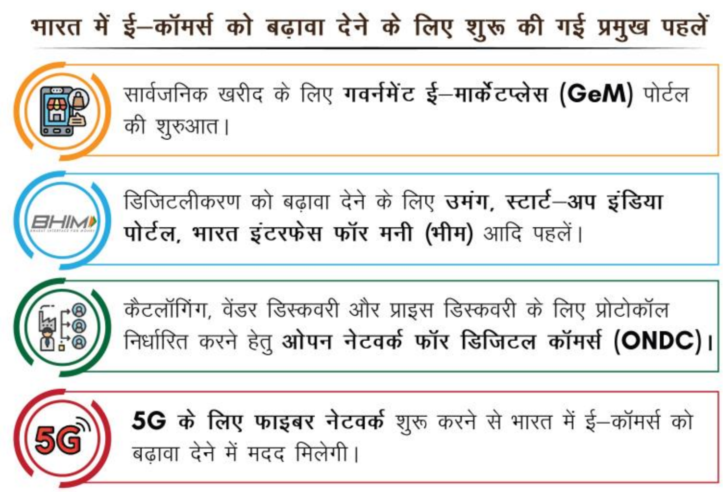

- **डेटा संरक्षण बिल:** डेटा प्रोटेक्शन बिल को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए उसे जल्द-से-जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

---
[53] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

- साथ ही, एक व्यापक **राष्ट्रीय साइबर अपराध नीति** को अपनाए जाने की भी आवश्यकता है।

- **ई-फार्मा का विनियमन:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बेहतर प्रशासन के लिए ई-फार्मेसी नियम अधिसूचित करने चाहिए।
- **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित संरक्षण:** वर्तमान में ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को स्वयं के प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली निम्नस्तरीय वस्तुओं की बिक्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसी समस्याओं के समाधान में उनकी सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा:** बैंकों पर लागू होने वाले सुरक्षा उपायों को यूपीआई आधारित भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs)[54] के लिए भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन न करने की स्थिति में **भुगतान प्लेटफॉर्म्स को उनके प्लेटफॉर्म पर होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह ठहराया** जाना चाहिए।
- **MSMEs को ई-कॉमर्स गतिविधियों में शामिल करना:** MSMEs को ई-कॉमर्स व्यवसाय में **आवश्यक डिजिटल और मार्केटिंग कौशल प्रदान** किया जाना चाहिए। यह **PPP मॉडल के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञों** की मदद से किया जा सकता है।

3.6. ई-फार्मेसी क्षेत्रक (E-Pharmacy Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)**[55] ने सभी ई-फार्मेसी कंपनियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। यह नोटिस ई-फार्मेसी कंपनियों द्वारा दवाओं से संबंधित कानूनों और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए जारी किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- एक **संसदीय समिति** ने स्वास्थ्य मंत्रालय से **ई-फार्मेसी नियमों के मसौदे (ड्राफ्ट) को अंतिम रूप देने** और उन्हें बिना किसी देरी के लागू करने की सिफारिश की है।

ई-फार्मेसी नियम, 2018 के मसौदे के बारे में

- **'ई-फार्मेसी' की परिभाषा:** किसी वेब पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड (जैसे- वेबसाइट, ऐप आदि) के माध्यम से औषधियों के वितरण या बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री का व्यवसाय ई-फार्मेसी कहलाता है।
- **गोपनीयता:** ई-फार्मेसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
- **पंजीकरण:** ई-फार्मेसियों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- **अधिनियम का पालन:** एक ई-फार्मेसी पंजीकरण धारक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- **निरीक्षण:** जिस परिसर से ई-फार्मेसी व्यवसाय का संचालन किया जाता है उसका प्रत्येक दो वर्ष में निरीक्षण किया जाएगा।
- **विज्ञापन:** कोई भी ई-फार्मेसी किसी भी उद्देश्य के लिए रेडियो या टेलीविजन या इंटरनेट या प्रिंट या किसी अन्य मीडिया पर किसी भी औषधि का विज्ञापन नहीं करेगी।

[54] Payment Service Providers

[55] Central Drugs Standard Control Organisation

भारत में ई-फार्मेसी क्षेत्रक के बारे में

- **तेजी से बढ़ता उद्योग:** भारत में ऑनलाइन फार्मेसी बाजार तीव्र गति से अर्थात् लगभग 22% की CAGR[56] से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी ने ई-फार्मेसी के विकास को और बढ़ावा दिया है।
- **बड़े फार्मास्युटिकल क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में:** भारत जेनेरिक दवाओं के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। मात्रा (Volume) के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत के करीब है। इसने वैश्विक टीकाकरण मांग में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान दिया है।

मौजूदा ई-फार्मेसी मॉडल		
ई-फार्मेसी का इन्वेंट्री आधारित मॉडल: ई-फार्मेसी वाले अलग-अलग स्थानों पर अपने गोदामों/ आपूर्ति केंद्रों में दवाओं को भंडारित करते हैं या उनका स्टॉक रखते हैं। पंजीकृत फार्मासिस्ट उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उदाहरण के लिए- **मेडलाइफ और नेटमेड्स।** 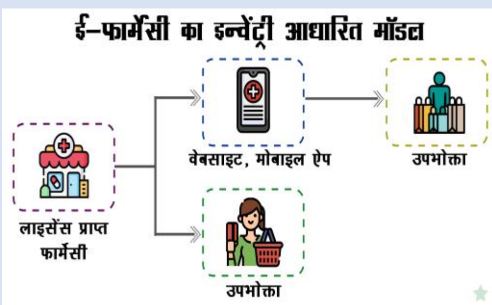	**जेनेरिक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस:** ये ऐसे डिजिटल प्रतिष्ठान हैं जो अलग-अलग प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में **फार्मास्यूटिकल्स** भी शामिल हैं। इस प्रकार के मार्केटप्लेस के उदाहरण हैं- **फ्लिपकार्ट और अमेजन।**	**ई-फार्मेसी का मार्केटप्लेस-बेस्ड (बाजार आधारित) मॉडल:** इस मॉडल में प्रौद्योगिकी कंपनियां एक खरीदार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती हैं। इसमें ई-फार्मेसी वाले एक **एग्रीगेटर** की भूमिका निभाते हैं, उदाहरण के लिए- **टाटा 1Mg** 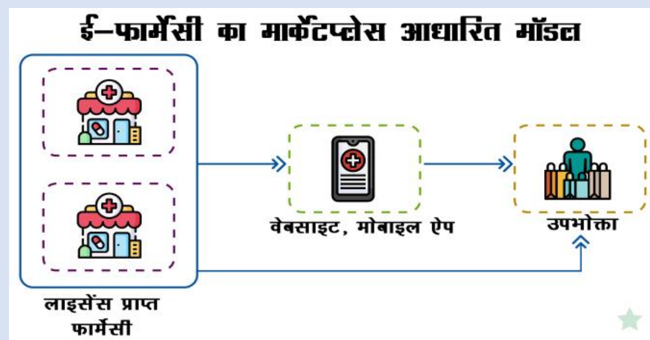

ई-फार्मेसी क्षेत्रक का महत्व

- **बढ़ती शहरी आबादी:** ऐसा अनुमान है कि बढ़ते शहरीकरण के चलते भारत की लगभग आधी आबादी अपनी चिकित्सा जरूरतों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करेगी।
- **वैश्विक बाजार:** वैश्विक ई-फार्मेसी बाजार के भी 20.1% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय कंपनियों को इस क्षेत्रक में अग्रणी बने रहने के लिए इस बदलाव को अपनाना होगा।
- **क्रॉनिक (चिरकालिक) रोगों से ग्रस्त बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और ऐसे रोगों का विस्तार:** भारत की लगभग 12 प्रतिशत आबादी 54 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की है। इनमें से कई लोग अलग-अलग क्रॉनिक रोगों से पीड़ित हैं। ई-फार्मेसी उनके लिए एक सहायक के रूप में कार्य कर सकती है।
- **पारंपरिक फार्मेसी रिटेल की असंगठित प्रकृति:** देश में कई स्थानों पर बहुत सारे खुदरा विक्रेता मौजूद हैं। इसलिए पारंपरिक फार्मेसी रिटेल/

---

[56] Compound Annual Growth Rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

खुदरा क्षेत्रक अत्यधिक असंगठित है। ये निम्नलिखित चुनौतियों का कारण बनते हैं:

- घटिया और नकली दवाओं की बिक्री;
- अलग-अलग खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक ही दवा को अलग-अलग मूल्य पर बेचना;
- दवाओं की सीमित उपलब्धता; आदि।

ई-फार्मेसी क्षेत्रक के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क का अभाव:** ग्राहकों को दवाएं खरीदने से पहले कई विवरण देने पड़ते हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **प्रिस्क्रिप्शन की प्रामाणिकता:** रोगी की पहचान एक और चुनौती है, क्योंकि दवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वेबसाइट्स/ऐप पर अपलोड किए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन (डॉक्टर की पर्ची) की प्रामाणिकता का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
- **अनुसूचित दवाओं की बिक्री (Selling Scheduled Drugs):** ग्राहकों को अनुसूची X और अनुसूची H में शामिल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से एक गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
    - अनुसूची X और H में शामिल दवाओं को **बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता है।** इन्हें **औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम[57], 1945** के परिशिष्ट में शामिल किया गया है।
- **कई महत्वपूर्ण दवाओं की डिलीवरी:** एक ही प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग कर अलग-अलग ई-फार्मेसी वेबसाइट्स/ ऐप से दवाओं की अलग-अलग डिलीवरी प्राप्त की जा सकती है।
- **दवाओं की अंतरराज्यीय बिक्री:** दवाओं की अंतरराज्यीय बिक्री से संबंधित नियम उचित रूप से लागू नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में, ऑनलाइन माध्यम से अंतरराज्यीय डिलीवरी **विनियामकीय भ्रम** पैदा कर सकती है।

आगे की राह

- **ई-फार्मेसी नियम, 2018 के मसौदे को अंतिम रूप देना और पारित करना:** ये नियम ई-फार्मेसी उद्योग के भविष्य के बारे में स्पष्टता प्रदान करेंगे। साथ ही, ये नियम इस क्षेत्रक के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने में भी मदद करेंगे।
- **एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण:** ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा सकता है। यह पोर्टल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और निगरानी के लिए नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- **कुछ श्रेणियों की दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध:** ऐसी दवाएं जिनके दुरूपयोग होने की संभावना बनी रहती है, उनको ई-फार्मेसी के जरिए बिक्री के दायरे से बाहर किया जा सकता है। इनमें नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ट्रैंक्विलाइज़र्स, नशीली/ लत उत्पन्न करने वाली दवाएं तथा अनुसूची X की दवाएं शामिल हैं।
- **अनिवार्य बारकोडिंग:** ऑनलाइन दवा डिलीवरी के लिए बारकोडिंग अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि ई-फार्मेसियों की डेटा प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता और सटीकता को बढ़ावा दिया जा सके।

3.7. प्राथमिक कृषि साख/ ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अगले पांच वर्षों में देश भर में **2 लाख** पैक्स (PACS), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य **"देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना तथा जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाना"** है।
- **इस योजन के जरिए-**
    - प्रत्येक छूटे हुए पंचायत/ गांव में **पैक्स** और उपयुक्त **डेयरी सहकारी समितियों** का गठन किया जाएगा; तथा

---

57 Drugs and Cosmetics Rules

- प्रत्येक **तटीय** पंचायत/ गांव के साथ-साथ बड़े जल निकायों वाले पंचायत/ गांव में **मत्स्य पालन** से संबधित उपयुक्त **सहकारी समितियां** स्थापित की जाएंगी।

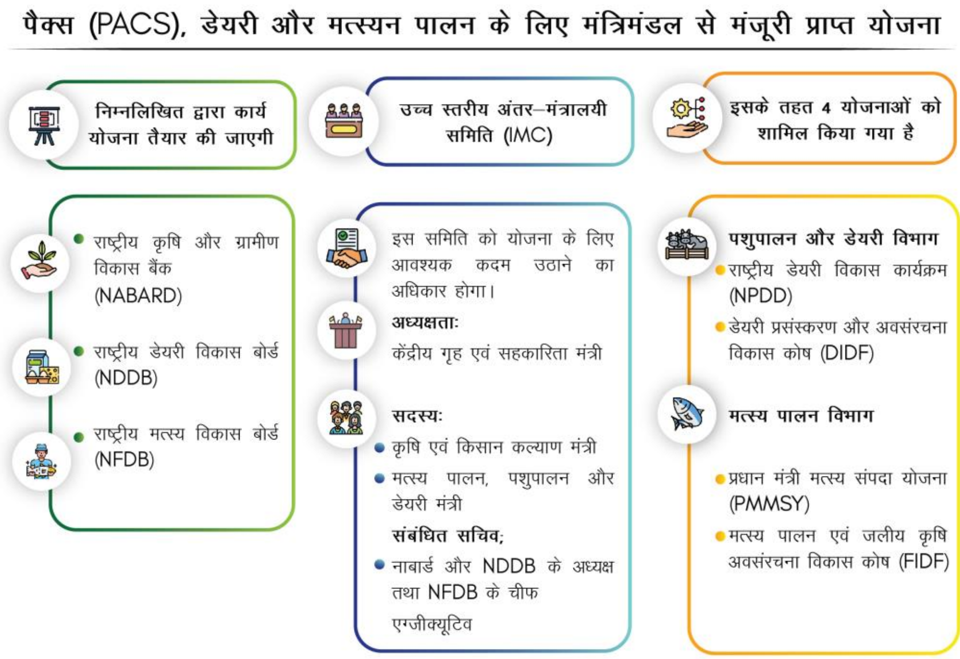

- पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित सहकारी समितियों को **उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा** जाएगा।
- **'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण** का लाभ उठाकर, ये समितियां अपनी **गतिविधियों में विविधता** लाने हेतु **आवश्यक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उनकी स्थापना करने में सक्षम** हो सकेंगी। इन गतिविधियों में दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, बायो फ्लॉक पॉन्ड्स का निर्माण, फिश कियोस्क आदि शामिल हैं।
    - **संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण (Whole-of-government approach):** इसका आशय सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक एजेंसियों आदि के बीच तालमेल से है।

इस योजना का महत्व

- यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी **1.6 लाख पंचायतों में पैक्स मौजूद नहीं** हैं और **लगभग 2 लाख पंचायतों में भी कोई डेयरी सहकारी समिति** उपलब्ध नहीं है।
- यह किसान सदस्यों को **आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी और इससे उनकी आय में वृद्धि** होगी।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में **रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद** करेगी।

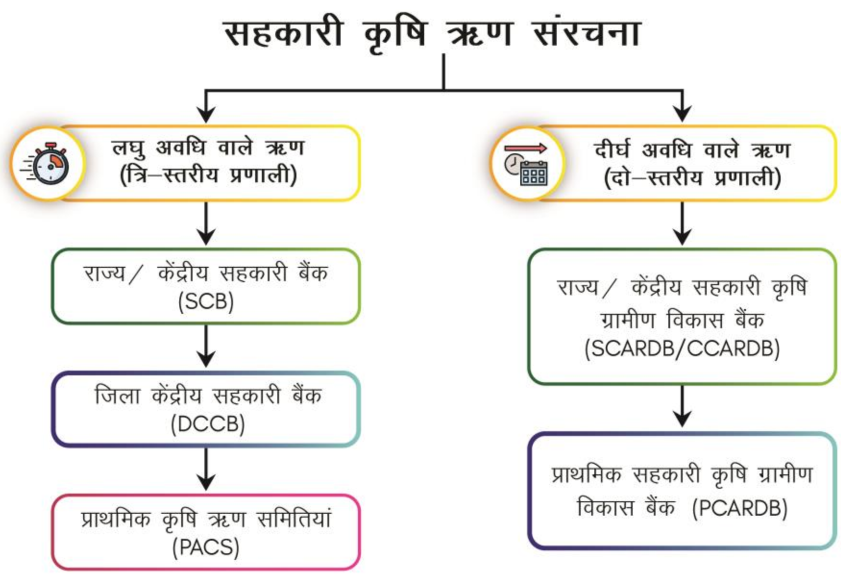

पैक्स (PACS) के बारे में

- पैक्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो **देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC)**[58] संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **विनियमन: पैक्स** न तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे के अधीन आते हैं और न ही इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
    - हालांकि, **SCBs/ DCCBs** संबंधित राज्य के **राज्य सहकारी समिति अधिनियम** के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होती हैं, जिन्हें **RBI द्वारा विनियमित** किया जाता है।
    - **नाबार्ड** SCBs और DCCBs के माध्यम से **पैक्स** को वित्त उपलब्ध कराता है।

---
[58] Short-Term Cooperative Credit

- **कार्य:** ये समितियां अल्पकालिक ऋण देने के अलावा, सदस्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण जैसी अन्य **इनपुट सेवाएं** भी प्रदान करती हैं।
- **महत्व:** ये सबसे कमजोर ग्रामीण आबादी के **वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित** करती हैं।
    - देश के सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए **KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋणों में पैक्स की हिस्सेदारी 41%** है और इनमें से **95% KCC ऋण लघु एवं सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **सहकारी समितियां बैंक नहीं होती हैं** और RBI की मंजूरी के बिना वे अपने नाम में 'बैंक', 'बैंकर' या 'बैंकिंग' शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, इन समितियों में जमा की गई राशि के लिए **डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)** की ओर से कोई बीमा कवर भी उपलब्ध नहीं होता है।

पैक्स (PACS) के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

- **प्रौद्योगिकी:** अधिकांश पैक्स अभी भी **दक्षता, लाभप्रदता और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में अन्य वित्तीय संस्थानों के समान नहीं** हो पाए हैं।
- **ऋण भागीदारी:** समय के साथ, ग्रामीण ऋण में क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की हिस्सेदारी **घटकर एक-तिहाई** हो गई है। गौरतलब है कि 1950 के दशक में यह हिस्सेदारी 60% से अधिक की थी।
- **संसाधनों पर निर्भरता:** पैक्स को कई अन्य सेवाएं प्रदान करने के कार्य सौंपे जाने के बावजूद ये अभी भी मुख्यत: **ऋण वितरण के व्यवसाय में ही संलग्न हैं।**
    - इस प्रकार, ये संसाधनों के लिए **उच्च स्तर की वित्त-पोषण एजेंसियों पर निर्भर** हैं।
- **प्रतिस्पर्धा:** पैक्स को **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)**[59] के **साथ प्रतिस्पर्धा** करनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि FPOs वर्तमान में कई महत्वपूर्ण गैर-ऋण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे- कृषि सलाह, गुणवत्तापूर्ण इनपुट्स (कृषि आदान) की आपूर्ति, प्रसंस्करण, आउटपुट मार्केटिंग आदि।
- **दोषपूर्ण गवर्नेंस मानक:** राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों की कमी, सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन का कारण है।
- **अकुशल मानव संसाधन:** सदस्यों की सक्रिय भागीदारी का अभाव, व्यावसायिकता की कमी, उम्रदराज़ कर्मचारी, आदि पैक्स के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **निष्पक्ष लेखा-परीक्षा तंत्र का अभाव:** देरी और अनियमित लेखा-परीक्षा वस्तुतः सहकारिता आंदोलन की लोकतांत्रिक भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **जागरूकता का अभाव:** अधिकांश लोगों के पास सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों, सहकारी संस्थाओं के नियमों और विनियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- **विकास में क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां महाराष्ट्र और गुजरात की तरह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं।

PACS को व्यवहार्य बनाने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** कृषि उपज के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करता है।
- PACS के काम–काज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उनका **कम्प्यूटरीकरण** किया गया है।
- **PACS के मॉडल उपनियम** उन्हें 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों, जैसे– डेयरी, मत्स्य पालन आदि का संचालन करने में सक्षम बनाते हैं।
- **कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए PACS** को सक्षम बनाया गया है।

पैक्स (PACS) के लिए आगे की राह

- **संसाधन जुटाना:** पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनसे जुड़े सदस्यों से जमा राशि जुटाने का प्रयास करना चाहिए। इस कदम से सदस्यों में बचत करने की आदत को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाना:** गैर-ऋण व्यवसाय अधिक लाभ प्रदान करने सहित लाभप्रदता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए पैक्स स्वयं को बहु-सेवा केन्द्रों **(MSC)**[60] में परिवर्तित कर सकते हैं।

---

[59] Farmer Producer Organizations

[60] Multi Service Centres

- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)**[61] से मिलने वाले वित्त का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरत आधारित अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में किया जा सकता है।
    - फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (पैक्स, FPOs, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स, आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के कोष के साथ **AIF की स्थापना** की गई थी।

- **लोकतांत्रिक भावना:** इनके चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। इसके अलावा निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति पेशेवर क्षमता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।
- **पारदर्शिता:** त्रिस्तरीय ढांचे के तहत आने वाली सभी संस्थाओं की नियमित लेखा-परीक्षा और इनके पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का काम शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
- **अवसंरचना:** विशेष रूप से गवर्नेंस, बैंकिंग और व्यवसायों में डिजिटलीकरण से पारदर्शी, जवाबदेह एवं कुशल प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है।
- **क्षमता निर्माण:** पैक्स के सदस्यों का कौशल विकास किया जाना चाहिए तथा लोगों को सहकारिता आंदोलन के बारे में जागरूक करना चाहिए।

मत्स्यन पालन और दुग्ध (डेयरी) क्षेत्रक की सहकारी समितियां:

- अपनी आजीविका के लिए डेयरी और मत्स्य पालन में संलग्न अधिकांश लोग लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान हैं।
- **क्षेत्रक विशिष्ट योगदान**

दुग्ध (डेयरी) क्षेत्रक	मत्स्य पालन क्षेत्रक
• भारत दुनिया में **दूध का सबसे बड़ा उत्पादक** देश है और इसका **वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान** है। • भारत में लगभग **9 करोड़ ग्रामीण परिवार** डेयरी उद्योग से सीधे जुड़े हुए हैं। • भारत ने **2033-34 तक 330 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य** निर्धारित किया है।	• मछली उत्पादन के मामले में **भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर** है तथा इसका **वैश्विक मछली उत्पादन में 8%** का योगदान है। • प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों[62] में **लगभग 38** लाख सदस्य शामिल हैं। • भारत ने **2024-2025 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन** तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

---

[61] Agriculture Infrastructure Fund

[62] Primary fishery cooperative societies

3.8. टमाटर, प्याज़ और आलू (टॉप्स) की कीमतें (Prices of TOPs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अधिशेष उत्पादन के कारण खरीफ प्याज की फसल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है।

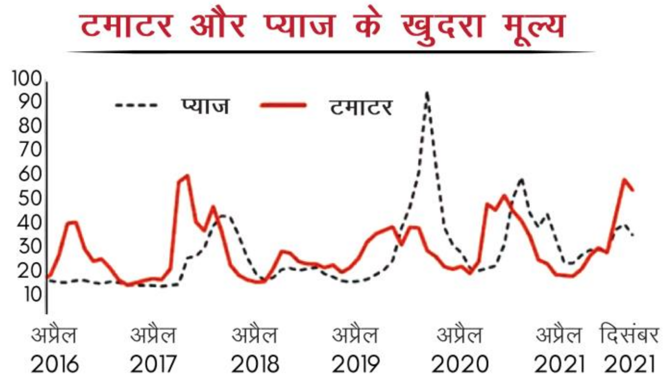

टॉप्स (TOPs) की कीमतों के बारे में

- **टमाटर, प्याज और आलू**[63] को लोकप्रिय रूप से TOP सब्जियों के रूप में जाना जाता है। ये भारत में **खेती की जाने वाली, उत्पादित और उपभोग की जाने वाली तीन अग्रणी सब्जियां** हैं।
- चीन के बाद भारत दुनिया में इन तीनों सब्जियों का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश** है।
- हालांकि, अन्य फसलों की तुलना में इन कृषि वस्तुओं की कीमतों में कई कारणों से उतार-चढ़ाव होते रहते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

टॉप्स (TOPs) की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए शुरू की गई पहलें

- **ऑपरेशन ग्रीन्स:**
  - इसे ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर **टॉप्स** की मूल्य अस्थिरता को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, 2020 में ऑपरेशन ग्रीन्स के दायरे में सभी फलों और सब्जियों **(टोटल/ TOTAL)** को शामिल कर लिया गया था।
- **ग्रामीण कृषि बाजार (Gramin Agricultural Markets: GRAMs):**
  - किसानों को अपनी उपज सीधे बाजार में बेचने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण हाटों (गाँव के बाजारों) को GRAMs के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH):**
  - बागवानी के समग्र विकास के लिए और कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना के लिए।
- **ग्रामीण गोदामों के लिए कृषिगत विपणन अवसंरचना {Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) for rural godowns}:**
  - यह लघु किसानों को उनकी उपज को उचित समय तक गोदामों में रखने और बाजार में तेजी या उचित समय पर उन्हें लाभकारी कीमतों पर बेचने में मदद करता है। इस प्रकार, यह किसानों को आनन-फानन में अपनी उपज बेचने (Distress sale) से बचाता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund: PSF):**
  - इसके जरिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/ एजेंसियों को वर्किंग कैपिटल के रूप में **ब्याज मुक्त अग्रिम** प्रदान किया जाता है।
  - यह प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए **बाजार हस्तक्षेप** को सुनिश्चित करने में सहयोग करता है।

टॉप्स (TOPs) की कीमतों में अस्थिरता के कारण

- **उत्पादन संबंधी चुनौतियां:**
  - **मौसमी घटक:** टॉप्स फसलों की बुवाई के समय कीमतें सामान्य से अधिक होती हैं, जबकि इनकी कटाई के मौसम में कीमतों में तेजी से गिरावट आती है। दूसरे शब्दों में, बुवाई और कटाई का मौसम क्रमश: इन फसलों की कीमतों में उछाल और गिरावट की स्थिति पैदा करता है।
    - उदाहरण के लिए- मौसमी घटकों के कारण हर साल जुलाई से नवंबर के दौरान टमाटर की कीमतों में वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाता है। यह दबाव जुलाई में सबसे अधिक रहता है।
  - **अनिश्चित मौसम:** अनियमित मौसम से जुड़े आघात, जैसे- ओलावृष्टि, लू, भारी वर्षा, आदि लागत में भिन्नता उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक हैं।
  - **कृषि विस्तार सेवाओं की खराब स्थिति:** किसानों को दी जाने वाले तकनीकी सलाह में कमियों के चलते **उपज की गुणवत्ता में भिन्नता** आती है और **फसल कटाई के बाद सामान्य से अधिक नुकसान** होता है।
- **भंडारण और प्रसंस्करण:**
  - **अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं:** भारत में वर्तमान में लगभग **375 लाख मीट्रिक टन** की संयुक्त क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं, जो **आवश्यकता से काफी कम** हैं।
  - **भंडारण सुविधाओं में असमानता:** कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का **लगभग 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल** और **बिहार** में केंद्रित है।

---

[63] Tomatoes, onions and potatoes

- कोल्ड स्टोरेज में सबसे अधिक **आलू (करीब 70 फीसदी) का भंडारण** होता है।

  - **प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव:** वर्तमान में, अधिकांश किसानों के पास प्रसंस्करण सुविधाओं तक उचित पहुंच उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई बार बंपर उपज के बावजूद उन्हें कम मूल्य पर अपनी पैदावार बेचनी पड़ती है।
- **प्रशासनिक मुद्दे:**
  - **योजना का अप्रभावी कार्यान्वयन:** एक ओर जहां ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए बहुत कम धन का आवंटन किया गया था, वहीं दूसरी ओर आवंटित धन का एक-तिहाई हिस्सा अब तक खर्च नहीं किया जा सका है।
  - **संस्थागत ऋण:** टॉप्स फसलों के अधिकांश उत्पादक लघु किसान हैं, इसलिए वे अपनी खेती के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं।

टॉप्स (TOPs) की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **बेहतर उत्पादन:**
  - **अनुसंधान एवं विकास:** लंबी शेल्फ लाइफ और अन्य वांछित विशेषताओं वाली नई किस्मों के विकास से संबंधित प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।
  - **खेती में विविधता लाना:** कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को **लीन सीजन (Lean Season) के दौरान टमाटर और प्याज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति विकसित** करनी चाहिए।
- **प्रसंस्करण:**
  - **बुनियादी ढांचा:** फार्म-गेट, कृषि-लॉजिस्टिक्स और भंडारण-सह-प्रसंस्करण से संबंधित अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

टमाटर, प्याज और आलू (TOPs) के उत्पादन/ विकास के लिए मुख्य परिस्थितियां

विवरण	टमाटर	प्याज	आलू
आदर्श तापमान	बीज को अंकुरित होने के लिए 21–24 डिग्री सेल्सियस तापमान और अच्छी धूप।	13–25 डिग्री सेल्सियस तापमान	20–24 डिग्री सेल्सियस तापमान
आदर्श वर्षा	600 मि.मी.– 1,500 मि.मी	650 मि.मी.– 750 मि.मी	1,200 मि.मी.– 2,000 मि.मी
मौसम	मई–जून नवंबर–दिसंबर	अप्रैल–मई अक्टूबर–नवंबर	पर्वतीय क्षेत्रः जनवरी–फरवरी मैदानी क्षेत्रः अक्टूबर–नवंबर
मृदा	कार्बनिक पदार्थों से भरपूर व सु–अपवाहित दोमट मृदा, जिसका pH मान 6.5–7.5 के बीच हो।	गहरी, भुरभुरी दोमट और जलोढ़ मृदा जिसका pH मान 6–7 के बीच हो।	लवणीय और क्षारीय मृदा को छोड़कर किसी भी प्रकार की मृदा, जिसका pH मान 4.8–5.4 के बीच हो।
अग्रणी उत्पादक राज्य	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश

  - **मूल्य संवर्धन (Value addition):** प्याज के चिप्स या पाउडर आदि बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे उत्पादों की शेल्फ लाइफ अधिक होती है।
- **किसानों को समर्थन:**
  - **स्थिर कृषि-निर्यात नीति:** टॉप्स के लिए स्थिर कृषि निर्यात नीति अपनाने से, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज से अच्छा लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - **बफर स्टॉकिंग:** टॉप्स सब्जियों के बफर स्टॉकिंग से किसानों को बाजार में कीमतों के कम होने की स्थिति में लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, इससे उपभोक्ताओं को तब मदद मिलेगी जब बाजार में इनकी कीमतों में तेजी आती है।
  - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP):** टॉप्स के लिए MSP होने से अधिकतर किसान अपनी पैदावार को आनन-फानन में बेचने से बच जाएंगे।
- **तथ्य आधारित नीति-निर्माण:**
  - **डेटा संग्रह:** प्याज उत्पादक क्षेत्र और प्याज के उत्पादन एवं बाजार में इसके आगमन से जुड़े विश्वसनीय डेटा के संग्रह से उचित प्लानिंग में मदद मिल सकती है।
  - **पूर्वानुमान:** भविष्य में कीमत और मांग का अनुमान लगाने से किसान उन फसलों को उगा सकते हैं, जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।

3.9. व्हीकल स्क्रैपेज (Vehicle Scrappage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दी है। गौरतलब है कि यह फंड "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना[64]" के तहत जारी की जाएगी।

व्हीकल स्क्रैपिंग के बारे में

- व्हीकल स्क्रैपेज का आशय 'एंड ऑफ़ लाइफ व्हीकल्स' (ELVs) अर्थात् अनफिट और पुराने वाहनों को समाप्त करने से है।
- **उद्देश्य: इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं-**
  - ऑन-रोड उत्सर्जन में कमी लाना,
  - बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की ओर बढ़ना, और
  - उपयोग किए जा रहे वर्तमान वाहन समूहों/ फ्लीट की बारीकी से निगरानी करना।

भारत में व्हीकल स्क्रैपेज नीति पर एक नज़र

- **ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड-129 (AIS-129), 2016:** इसके तहत पुराने वाहनों के संग्रह और डिस्मैंटलिंग (कल-पूर्जों को अलग करना) केंद्रों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही, इसमें वाहन विनिर्माताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति (RRR)[65] की संभावना का आकलन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
  - इसमें वाहनों के विनिर्माण में **भारी धातुओं के उपयोग पर रोक** लगाई गई है, और
  - इसमें पुराने वाहनों के अधिकृत संग्रह और डिस्मैंटलिंग केंद्रों को **डिस्मैंटलिंग संबंधी जानकारी प्रदान** करने का भी प्रावधान किया गया है।
- **ELV की हैंडलिंग, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से सुसंगत सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश, 2019[66]:** इसमें वाहनों से खतरनाक पदार्थों को हटाने, पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से कल-पूर्जों एवं ELVs के अवशेषों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के बारे में

- इस योजना के लिए **1 लाख करोड़ रुपये** की राशि आवंटित की गई है।
- इस योजना के तहत, राज्यों को **पूंजीगत निवेश परियोजनाओं** के लिए **50 साल हेतु ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में **वित्तीय सहायता** दी जाएगी।
- योजना के तहत प्रदान किया गया ऋण वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों को उपलब्ध सामान्य उधारी सीमा के अतिरिक्त है।
- इस पूंजीगत आवंटन का उपयोग पी.एम. गति शक्ति से संबंधित परियोजनाओं और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजीगत निवेश के लिए किया जाएगा, जिसमें कई घटक शामिल हैं, जैसे-
  - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्त-पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए भी समर्थन शामिल होगा।
  - अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण।
  - भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, ट्रांजिट-ओरिएंटेड विकास और हस्तांतरणीय डेवलपमेंट राइट्स से **जुड़े सुधार**।

---

64 Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment

65 Reusability, Recyclability, and Recoverability

66 Guidelines for Environmentally Sound Facilities for Handling, Processing and Recycling of ELV, 2019

- **स्वैच्छिक वाहन समूहों/ फ्लीट का आधुनिकीकरण कार्यक्रम या व्हीकल स्क्रैपेज नीति, 2021[67]:** इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
    - नई योजना के तहत, **20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के लिए 'फिटनेस' टेस्ट** को अनिवार्य बनाया गया है।
    - फिटनेस टेस्ट में विफल रहने पर ऐसे वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग की जाएगी।

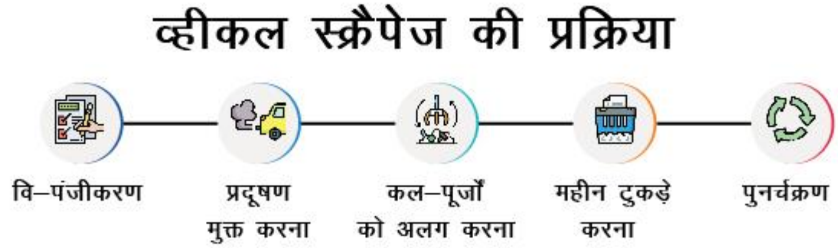

- **मोटर वाहन (व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्रों का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021[68]:** इसमें **मान्यता प्राप्त व्हीकल स्क्रैपेज केंद्रों (RVSF)** की स्थापना के लिए पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रक्रियाओं से जुड़े उपबंध शामिल हैं।
- **केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम:** इसके तहत वाहनों के **पंजीकरण, फिटनेस टेस्ट** और **फिटनेस प्रमाण-पत्र शुल्क** में अधिक वृद्धि की गई है।
    - हाल ही में, सरकार ने हेवी गुड्स और यात्री मोटर वाहनों के लिए पंजीकृत **ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS)** के माध्यम से **अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की समय-सीमा 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2024 कर** दी है।
- **ATS की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम: राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत ATS** वाहन फिटनेस टेस्ट का कार्य देखते हैं।
    - यदि कोई वाहन किसी या सभी आवश्यक टेस्टिंग में विफल रहता है, तो **परिणाम के तीस दिनों के भीतर रि-टेस्ट के लिए आवेदन** किया जा सकता है। हालांकि, रि-टेस्ट के लिए आवेदन पहले के टेस्ट परिणाम में बताए गए दोषों के सुधार के बाद ही किया जा सकता है।
    - परिणाम के **सात दिनों के भीतर अपील भी दायर की जा** सकती है। फिटनेस टेस्ट क्लियर करने पर वाहन को फिटनेस का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

भारत में व्हीकल स्क्रैपेज के समक्ष चुनौतियां

- **खराब बुनियादी ढांचा:**
    - **टेस्टिंग केंद्र: केंद्रीय मोटर वाहन (21वां संशोधन) नियम, 2021** के मानकों के अनुरूप कोई भी ATS परिचालनरत नहीं रहा है।
    - **अनौपचारिक क्षेत्रक:** वर्तमान में, अधिकांश ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग केंद्रों का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्रक द्वारा किया जाता है।

---

[67] Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme or Vehicle Scrappage Policy 2021

[68] Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021

    ▪ वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे कि नियमों का स्पष्ट अभाव, स्क्रैप से पहले वाहनों से प्रदूषण हटाने संबंधी नियमों का पालन न करना, बुनियादी ढांचे की कमी आदि।
  - **अपर्याप्त स्क्रैपिंग केंद्र:** मोटर वाहन (व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्रों का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के तहत केवल 6 व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्र ही कार्य कर रहे हैं।
- **आर्थिक मदद की कमी:**
  - **वित्तीय बाधाएं:** ELVs के स्क्रैपेज के लिए मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने का पूरा दायित्व **राज्य सरकारों और मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)**[69] के विवेक पर निर्भर करता है।
  - **वहनीयता:** वर्तमान में, भारत में सभी वाहन मालिक हर 15 साल में अपना वाहन बदलने का आर्थिक जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

शब्दावली को जानें

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** इस सिद्धांत के अनुसार, अपस्ट्रीम एक्टर्स अर्थात् विनिर्माताओं पर न केवल उत्पाद के पुनर्चक्रण या निपटान का उत्तरदायित्व होता है बल्कि उन्हें **डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के चलते उत्पन्न अपशिष्ट** के पुनर्चक्रण या निपटान लिए भी जिम्मेदार बनाया जाता है।

- **वाहनों के नवीनीकरण/ स्क्रैपेज के लिए निर्धारित मानदंड:**
  - **परीक्षण सुविधाओं के साथ वाहन पंजीकरण** को जोड़ने वाले **केंद्रीकृत डेटाबेस की कमी** के कारण परीक्षण प्रमाणन की निगरानी सीमित रही है।
  - **उत्सर्जन परीक्षण में विफल रहने वाले वाहनों पर नज़र** रखना मुश्किल है।
- **व्यापार व्यवहार्यता:**
  - एक डिस्मैंटलिंग इकाई की स्थापना के लिए व्यावसायिक व्यवहार्यता को **केवल ELV की बड़ी मात्रा के साथ उचित ठहराया जा सकता** है।
  - ELV के प्रबंधन के संबंध में OEM हेतु **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)**[70] को लागू नहीं किया गया है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:**
  - पुनर्नवीनीकृत सामग्री और द्वितीयक घटकों के उपयोग को एकीकृत करने के लिए **सर्कुलर इकॉनमी फ्रेमवर्क उपबंधों का अभाव** है।

आगे की राह

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** पहले चरण के रूप में **वाणिज्यिक वाहनों** के खंड के लिए भारी ट्रकों और बसों को स्क्रैप करने के लिए एक अध्ययन किया जा सकता है जो **बीएस-II से पहले के हैं अर्थात् अत्यधिक पुराने** हैं।
  - इसमें कणिकीय पदार्थ (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने की क्षमता मौजूद है।
  - **उच्चतम वाहन आबादी वाले राज्य** कार्यान्वयन के पहले चरण में लक्षित किए जाने हेतु उपयुक्त हैं।
- **ग्राहकों को प्रोत्साहन:** जमा प्रमाण पत्र के बदले में पंजीकृत मालिक को OEM द्वारा **खरीद में छूट** प्रदान की जानी चाहिए।
  - इसके अलावा, **जमा प्रमाण-पत्र को भी व्यापार योग्य बनाया** जा सकता है।
- **हतोत्साहन**
  - **OEMs:** गैर-वसूली योग्य सामग्रियों के वजन के आधार पर एक **उन्नत पुनर्प्राप्ति शुल्क**[71] लगाया जाना चाहिए। साथ ही, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति दर सुनिश्चित करने के लिए शुल्क के माध्यम से अर्जित धन को RVSF[72] को वितरित किया जाना चाहिए।
  - **ग्राहक:** खरीद के समय ग्राहक से एक उन्नत रीसाइक्लिंग शुल्क लिया जा सकता है जो ग्राहक को रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।
- **ELV का विवाद समाधान:** स्थानीय पुलिस की मदद से त्वरित समाधान और डीरजिस्ट्रेशन, वाहनों की स्क्रैपिंग को तेजी से ट्रैक कर सकता है।
- **3Rs - पुनर्चक्रण, पुन:उपयोग, कम करना (Recycle, Reuse and Reduce: 3Rs):** OEM को ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे आसानी से **रिसाइकल और पुनर्प्राप्त** किया जा सके।

---

[69] Original Equipment Manufacturers

[70] Extended producers’ responsibility

[71] Advanced Recoverability Fee

[72] Registered Vehicles Scrapping Facility/ पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्र

- **फ्रीऑन गैस (कार के एसी में प्रयुक्त) के संग्रह और उपचार के लिए एक अनुमोदित एजेंसी होनी** चाहिए, और साथ ही सीएनजी सिलेंडर निपटान के लिए दिशानिर्देश को लागू किया जाना चाहिए।
- लैंडफिल पर भेजे गए कचरे की मात्रा के आधार पर RVSF पर **लैंडफिल टैक्स** लगाया जाना चाहिए।

- **डिस्मैंटलर्स का कौशल विकास:** इन इकाइयों के क्षमता निर्माण के लिए, स्थापित अनौपचारिक बाजारों में एक क्षेत्रीय विचार-विमर्श पहल को संचालित किया जाना चाहिए।

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.10.1. UPI लेन-देन पर ट्रांजैक्शन चार्ज (Interchange Fee on UPI Transactions)

- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)**[73] ने **1 अप्रैल, 2023 से प्रीपेड भुगतान साधनों** का उपयोग करके किए गए व्यापारिक UPI लेन-देन पर ट्रांजैक्शन चार्ज प्रस्तावित किया है।
- UPI भुगतान की स्वीकृति के लिए ग्राहक के वॉलेट जारीकर्ता को व्यापारी के बैंक (प्राप्तकर्ता और QR कोड प्रदाता) द्वारा **ट्रांजैक्शन चार्ज** का भुगतान किया जाता है।
- निर्धारित व्यापारी श्रेणियों के लिए **2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक भुगतान पर केवल 0.5-1.1% ट्रांजैक्शन चार्ज** आरोपित किया जाएगा।
  - **2,000 रुपये तक के लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं** लगेगा।

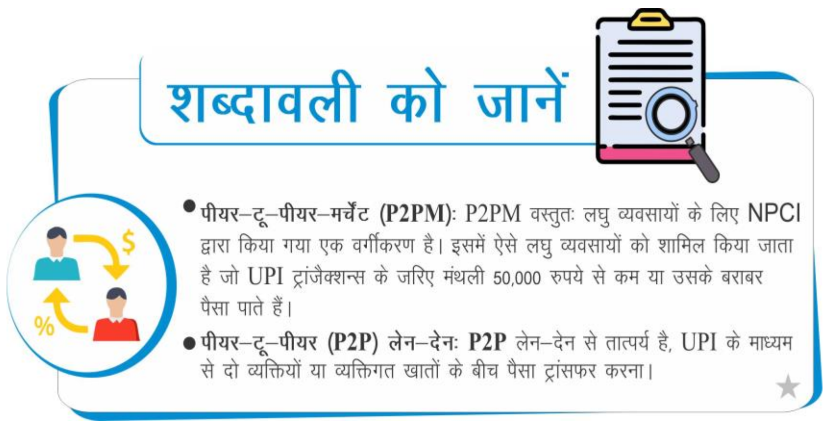

- **ट्रांजैक्शन चार्ज निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:**
  - **ग्राहकों पर;**
  - **एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाता आधारित UPI भुगतानों के लिए** (अर्थात्, सामान्य UPI भुगतान);
    - यह UPI लेन-देन हेतु सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका है।
  - **पीयर-टू-पीयर (P2P) लेन-देन पर;**
  - बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच **पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) लेन-देन पर।**
- NPCI ने **प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI)** जारीकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे **प्रेषक बैंक (जिस बैंक खाते से पैसा निकाला जाता है)** को **वॉलेट-लोडिंग सर्विस चार्ज (2,000 रुपये से अधिक राशि से वॉलेट को रिचार्ज करने पर)** के रूप में 15 आधार अंक का भुगतान करेंगे।
  - उदाहरण के लिए- यदि आप अपने पेटीएम या फोनपे या अमेज़ॅन पे वॉलेट को 2,000 रुपये से अधिक के साथ रिचार्ज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पेटीएम आदि द्वारा आपके बैंक को 0.15 प्रतिशत के वॉलेट-लोडिंग सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

3.10.2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली (Indian Banking System)

- **अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) और सिग्नेचर बैंक के डूबने से** पूरे विश्व में बैंकों में जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
  - **SVB के डूबने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:**
    - **रन ऑन द बैंक:** यह वह स्थिति है, जब बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक में जमा धनराशि निकालने लगते हैं।
    - **निवेश में विविधता की कमी:** SVB ने अपना अधिकतर निवेश बॉण्ड और ट्रेजरी में किया था।
    - **प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट** का भी प्रभाव पड़ा था।

---
[73] National Payments Corporation of India

- **सिग्नेचर बैंक** के डूबने के कारण बहुत हद तक **SVB के डूबने के कारकों के समान ही है।** इसके विफल होने के कुछ अन्य कारणों में **बड़ी मात्रा में जमा धन राशि की निकासी, क्रिप्टोकरेंसी केंद्रित व्यवसाय** आदि हैं।

- **भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उपर्युक्त कारणों से बैंकों के डूबने की संभावना कम है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने **SBI, ICICI और HDFC** जैसे प्रमुख बैंकों को **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)** के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण **प्रणालीगत महत्त्व स्कोर (Systemic Importance Scores: SIS)** पर आधारित है।
    - D-SIBs को अपने **परिचालनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था और प्रोविज़निंग** करनी होती है।
  - **बैलेंस शीट संरचनाओं में अंतर है:** भारतीय बैंकों में घरेलू बचत जमाओं का हिस्सा अधिक होता है। वहीं अमेरिकी बैंकों में अधिकतर जमा राशि बड़े कॉर्पोरेट घरानों की होती है।
  - भारत में अधिकांश राशि **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में या निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों** में जमा है।
  - बैंकों को बचाने के लिए **सरकार और RBI द्वारा उठाए गए क़दमों के पिछले अनुभवों** के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
    - 2020 में **यस बैंक को बचाया गया था,**
    - 2008 में **ICICI बैंक** में 'रन ऑन द बैंक' की स्थिति को लेकर वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए **सुरक्षा आश्वासन जारी किया गया था, आदि।**

3.10.3. मिशन 'हर भुगतान डिजिटल' (Mission 'Har Payment Digital')

- इसे डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (6 से 12 मार्च) 2023 के दौरान **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य **डिजिटल भुगतान अपनाने को प्रोत्साहित** करना है।
  - RBI ने **सभी हितधारकों {बैंकों, भुगतान प्रणाली परिचालकों (PSO), डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं आदि}** से डिजिटल भुगतान को अपनाने और डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लाभों को दूसरों के साथ साझा करने की अपील की है।
- RBI ने **75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए '75 डिजिटल गांव कार्यक्रम'** भी शुरू किया है।
  - **PSO** इन गांवों को गोद लेंगे और **जागरूकता शिविर** लगाएंगे। साथ ही, डिजिटल भुगतान के लिए व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ेंगे।

3.10.4. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (Infrastructure Finance Company: IFC)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) को IFC का दर्जा प्रदान** किया है।
- IFC एक ऋण प्रदान करने वाली कंपनी है जो जमा स्वीकार नहीं करती है। इस कंपनी की कुल परिसंपत्ति का कम-से-कम 75 प्रतिशत हिस्सा अवसंरचना-ऋण के रूप में वितरित होता है।
  - परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक तथा व्यावसायिक जैसे **उप-क्षेत्रकों को दिया गया ऋण अवसंरचना ऋण माना** जाता है।
- **IFC की न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपये** होनी चाहिए। साथ ही, **कंपनी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग** क्रिसिल, फिच, केयर आदि एजेंसियों द्वारा प्रदत्त **रेटिंग 'A' या उसके समकक्ष** होनी चाहिए।

3.10.5. ग्रीन शू विकल्प (Green Shoe Option)

- **वित्त मंत्रालय ने ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया** है। यह निर्णय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफर-फॉर-सेल की अच्छी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप लिया गया है।
- इसे एक **ओवर अलॉटमेंट विकल्प** भी कहा जाता है। ग्रीन शू विकल्प एक ऐसा विकल्प है, जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के दौरान अतिरिक्त शेयर बेचने के लिए **अंडरराइटर्स** के लिए उपलब्ध रहता है।
  - IPO का अर्थ **प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री** करना है।
- इसमें अंडरराइटर्स को मूल रूप से बेचने के लिए सहमत **शेयरों की संख्या से 15 प्रतिशत अधिक शेयर बेचने की अनुमति** होती है। हालांकि, इस विकल्प का प्रयोग **निर्गम के 30 दिनों के भीतर ही किया** जा सकता है।

3.10.6. एवरग्रीनिंग (Evergreening)

- **भारत ने** टीबी की जीवन रक्षक दवा पर एकाधिकार बढ़ाने के जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) के प्रयास को **अस्वीकार** कर दिया है।
- हाल ही में, जॉनसन एंड जॉनसन ने **'बेडाक्युलाइन' के पेटेंट की एवरग्रीनिंग** का प्रयास किया था। यह **मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के उपचार** के लिए प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है।
- **पेटेंट एवरग्रीनिंग** का उपयोग फार्मास्युटिकल कंपनियां करती हैं। इसके तहत किसी दवा में केवल मामूली रिफॉर्मूलेशन करके या उसमें अन्य पुनरावृत्तियों के माध्यम से उस **दवा की पेटेंट अवधि को बढ़ाने का प्रयास** किया जाता है। हालांकि, इन तरीकों से दवा की **चिकित्सीय प्रभावकारिता में कोई बढ़ोतरी नहीं** होती है।

- भारतीय पेटेंट अधिनियम (IPA), 1970 की **धारा 3(d) पेटेंट की एवरग्रीनिंग पर रोक** लगाती है। इसके अनुसार यदि किसी ज्ञात पदार्थ के किसी नए रूप की खोज की जाती है, लेकिन उससे उस पदार्थ की ज्ञात दक्षता में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उसे नया आविष्कार नहीं माना जाएगा। इस प्रकार वह नया रूप पेटेंट का पात्र नहीं होगा।
    - **2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्विस दवा निर्माता कंपनी नोवार्टिस द्वारा कैंसर-रोधी दवा ग्लिवेक** के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया था कि यह धारा 3(d) के तहत पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं है।
- **इस कदम का महत्त्व:** इससे जेनेरिक दवा निर्माण को सुगम बनाकर **दवा की लागत में कमी** की जा सकेगी। इस प्रकार, इससे जेनरिक दवाओं की **व्यापक पहुंच सुनिश्चित** हो सकेगी।
- **भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक होती है।**

3.10.7. सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022 (City Financing Ranking 2022)

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने **'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' पोर्टल को लाइव** कर दिया है।
- **सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में:**
    - यह नीति निर्माताओं को **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि** प्रदान करेगा।
    - ULBs का मूल्यांकन **नगरपालिका वित्त के तीन प्रमुख मूल्यांकन मापदंडों** के आधार पर किया जाएगा। ये मापदंड हैं: **संसाधन जुटाना, व्यय के अनुसार प्रदर्शन और राजकोषीय गवर्नेंस।**
    - शहरों को **चार अलग-अलग जनसंख्या श्रेणियों** के तहत रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
    - प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में **शीर्ष 3 शहरों** को राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही प्रत्येक राज्य/राज्य क्लस्टर के भीतर **चिन्हित और पुरस्कृत किया जाएगा।**

3.10.8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)

- 2014-15 से 2020-21 की अवधि में खर्च किए गए कुल CSR फंड का **लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों में व्यय** किया गया था।
    - **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** ने CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। यह इस श्रृंखला में पहला कदम है। यह आयोजन **ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी पहलों को प्रभावी बनाने** के लिए किया गया है।
- CSR, यह व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में **सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की प्रतिबद्धता** है।

- कंपनियों को खर्च नहीं की गई CSR राशि को **'व्यय नहीं किए गए CSR खाते'** में रखने की अनुमति है। हालांकि, **तीन वित्तीय वर्षों के भीतर इस राशि का उपयोग करना अनिवार्य है।**
  - CSR व्यय के लिए **कोई विशेष कर छूट नहीं** दी गई है।
  - CSR के लिए पात्र गतिविधियों में **स्वच्छ भारत कोश, स्वच्छ गंगा कोश, हर घर तिरंगा अभियान आदि में योगदान** करना शामिल है।
- **CSR से संबंधित चुनौतियां**
  - **क्षेत्रीय असमानता:** कुल CSR व्यय का 33 प्रतिशत **महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु** में खर्च किया जाता है।
  - **कार्यान्वयन करने वाले सही भागीदार को खोजना**, गतिविधियों के दोहराव को रोकना, सामुदायिक भागीदारी की कमी अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं।
  - कंपनियां **सांकेतिक दान** कर सकती हैं या **स्वयं ऐसी CSR गतिविधियां संचालित** कर सकती हैं, जिनमें **रणनीतिक योजना निर्माण और प्रभाव मूल्यांकन का अभाव** होता है।
- DAY-NRLM केंद्रीय **ग्रामीण विकास मंत्रालय** की एक पहल है। इसका उद्देश्य **गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार शुरू करने और कुशल श्रम वाले रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम** करना है।

3.10.9. ग्रीन शिपिंग (Green Shipping)

- **केंद्र सरकार ने 2030 तक भारत को ग्रीन शिपिंग का वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।**
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)** शुरू किया है। साथ ही, **भारत के पहले 'नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग (NCoEGPS)'** का भी उद्घाटन किया गया है।
- GTTP कार्यक्रम **'ग्रीन हाइब्रिड टग्स'** से शुरू होगा, जो **ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम** से संचालित होगा। इसके बाद **मेथनॉल, अमोनिया व हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन समाधानों** को अपनाया जाएगा।
  - **2025 तक** सभी बड़े पत्तनों पर कार्य शुरू करने के लिए **प्रारंभिक ग्रीन टग्स** (हरित कर्षण नौकाओं) के लिए **लक्ष्य** निर्धारित किया गया है।
  - **2030 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत टग्स को ग्रीन टग्स** में परिवर्तित किए जाने की संभावना है।
  - टग बोट्स या टग्स छोटे आकार के लेकिन शक्तिशाली पोत होते हैं। इनका उपयोग अन्य **बड़े पोतों को पत्तन से निकालने या पत्तनों की ओर ले जाने अथवा फंसे पोतों को खींचने या धकेलने** के लिए किया जाता है।

- **ग्रीन टग के लाभ**
  - यह उत्सर्जन को काफी कम कर देगा, जिससे देश को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

- यह **भारत के मिशन लाइफ (LiFE) आंदोलन और 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने** के प्रयासों के अनुकूल है।

- NCoEGPS **गुरुग्राम** में स्थित है। इस संस्थान को **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के बीच सहयोग** से स्थापित किया गया है।
  - इस संस्थान का उद्देश्य **पत्तन, तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन में 'मेक इन इंडिया' को सशक्त** बनाना है।

3.10.10. स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम (Smart Power Transmission System)

- हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पर गठित **टास्क फोर्स की सिफारिशों को स्वीकार** कर लिया है।
  - 2021 में इस टास्क फोर्स का गठन **ट्रांसमिशन क्षेत्रक के आधुनिकीकरण तथा इसे स्मार्ट बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के तरीकों पर सुझाव देने** हेतु किया गया था।
- यह **रियल टाइम निगरानी, स्वचालित ग्रिड संचालन और पावर-मिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी** को सुनिश्चित करेगा।
- यह साइबर हमलों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध अधिक लचीलापन है। यह सिस्टम अधिक केंद्रीकृत है एवं इससे डेटा संचालित निर्णय लिया जा सकेगा। साथ ही, यह सेल्फ-करेक्टिंग प्रणालियों के माध्यम से जबरन विद्युत कटौती में कमी लाने में भी सहयोग करेगा।
- **टास्क फोर्स की सिफारिशें:**
  - **मौजूदा ट्रांसमिशन सिस्टम का आधुनिकीकरण: साइबर सुरक्षा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली की तरह** ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण और निरीक्षण के लिए **ड्रोन और रोबोट्स** का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **कुशल और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसमिशन सिस्टम:** टास्क फोर्स ने वैश्विक ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के प्रदर्शन के आधार पर **ट्रांसमिशन नेटवर्क उपलब्धता और वोल्टेज नियंत्रण के लिए बेंचमार्क** निर्धारित करने की सिफारिश की है।
  - **निर्माण, पर्यवेक्षण, संचालन और प्रबंधन में उन्नत तकनीक का उपयोग:** इसके अंतर्गत केंद्रीकृत रिमोट मॉनिटरिंग फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइब्रिड सबस्टेशन शामिल हैं जो गैस और एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर तकनीकों का उपयोग करती है।
  - **कार्यबल का कौशल उन्नयन (Up-skilling)** किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां

इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन (SET) रिपोर्ट

- **इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) ने EMBER के साथ** मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 16 भारतीय राज्यों को **उनके एनर्जी ट्रांजिशन (जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर)** के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।
  - IEEFA एक अमेरिकी **गैर-लाभकारी निकाय** है और EMBER एक यू.के. आधारित, **गैर-लाभकारी थिंक टैंक** है जो **कोयले के उपयोग को कम करने की दिशा में प्रयासरत** है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - इस रिपोर्ट में स्वच्छ बिजली को अपनाने के विविध पहलुओं पर **भारतीय राज्यों की प्रगति और प्रदर्शन** को दर्शाया गया है।
  - **कर्नाटक** एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने सभी चार आयामों में अच्छा स्कोर अर्जित किया है। **गुजरात** दूसरे स्थान पर है।
  - **बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** को अपनी क्षमता एवं ट्रांजिशन प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने की जरुरत है।
- **रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें:**
  - प्रभावी और सतत विद्युत संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए **बहुआयामी प्रयास** करने की आवश्यकता है।
  - राज्यों को अधिक अनुकूल नीतियों **(जैसे- ओपन एक्सेस और विद्युत की बैंकिंग)** के माध्यम से **हरित बाजार तंत्र में भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।**
  - बाजार को खोलने के लिए **वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स** (VPPA) और **कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस** (CfD) जैसे नवोन्मेषी द्विपक्षीय वित्तीय बाजार तंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए।

3.10.11. आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 (Basic Animal Husbandry Statistics 2022)

- यह **चार प्रमुख पशुधन उत्पादों (MLPs) दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान** प्रदान करती है।
  - इसमें **नवीनतम 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की आबादी, पशुधन के आयात और निर्यात के डेटा** जैसी जानकारी भी शामिल है।
  - इसे **पशुपालन और डेयरी विभाग ने जारी** किया है।

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
    - **दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (2021-22) 444 ग्राम/दिन** है।
    - **शीर्ष दूध उत्पादक राज्य:** राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
    - **शीर्ष मांस उत्पादक राज्य:** महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
    - **शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** राजस्थान, जम्मू-कश्मीर व गुजरात।
    - **शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना।

3.10.12. व्यापक रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म (Comprehensive Rubber Information System Platform: CRISP)

- **रबड़ बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप CRISP** लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य **उत्पादकों को रबड़ की खेती के बारे में जानकारी देना और ऑनलाइन समाधान प्रदान** करना है।
    - CRISP को केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी के सहयोग से **भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (RRII)** ने विकसित किया है।
    - CRISP की मदद से **किसान निम्नलिखित के लिए RRII द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त कर सकेंगे:**
        - उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने,
        - कृषि लागत में कमी लाने,
        - मृदा की उर्वरता बनाए रखने,
        - रोग नियंत्रण उपाय करने आदि
- रबड़ बोर्ड **रबड़ अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय** है। यह रबड़ उद्योग के समग्र विकास पर केंद्रित है।
    - यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण** के अधीन कार्य करता है।

3.10.13. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 {Competition (Amendment) Bill 2022}

- इसे **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए प्रस्तुत** किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 निम्नलिखित पर केंद्रित है:
    - यह बाजार में **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उसे बनाए** रखता है;
    - यह **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है; तथा**
    - बाजार सहभागियों के लिए **व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित** करता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** की स्थापना की गई है।
- **विधेयक के प्रमुख प्रावधान:**
    - **विलय और अधिग्रहण को विनियमित** करने के लिए एक अन्य मानदंड के रूप में **'लेन-देन के मूल्य'** को शामिल किया जाएगा।

        ▪ यदि **लेन-देन का मूल्य 2,000 करोड़ रुपये** से अधिक है, तो **CCI की मंजूरी आवश्यक** होगी। इससे **डिजिटल बाजारों (बिग टेक फर्मों) में होने वाले अधिग्रहण को इस कानून के तहत लाने** में मदद मिलेगी।
        ▪ ऐसे लेन-देन पर CCI द्वारा निर्णय लेने की **समय सीमा को भी 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रावधान** किया गया है।
    ○ **संशोधन में उन उद्यमों को भी कानून के अधीन** लाया गया है, जिन्हें **प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों** का हिस्सा माना जा सकता है। इसमें ऐसे उद्यम या व्यक्ति भी शामिल हैं, जो समान व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। (पहले, यह समान डोमेन में काम कर रहे उद्यमों के बीच समझौतों तक सीमित था।)
    ○ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के दुरुपयोग की जांच के शीघ्र समाधान के लिए एक **समझौता एवं प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क का निर्माण** किया जाएगा।
        ▪ यह CCI को इस पर सूचना दाखिल करने की समय अवधि को तीन साल तक सीमित करता है।
    ○ मुकदमों को कम करने के लिए **निपटान और प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क** की शुरुआत करने का भी प्रावधान किया गया है।

संबंधित सुर्खियां

- हाल ही में, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT)[74] ने **अल्फाबेट** के स्वामित्व वाली **गूगल** पर **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** द्वारा 1,337.76 करोड़ रुपये के लगाए गए जुर्माने के **आदेश को बरकरार रखा है।**
- पिछले साल अक्टूबर में, **CCI ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था।**
- NCLAT ने CCI द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा है, जिसमें एंड्रॉयड फोन में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाने के लिए गूगल को दोषी पाया गया था। हांलांकि, NCLAT ने उन गैर-मौद्रिक निर्देशों को अस्वीकृत कर दिया, जो गूगल को एंड्रॉयड उपकरणों पर अपने प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल्ड करने की अनुमति देने के लिए बाध्य करते हैं।

    ○ विधेयक कुछ अपराधों के लिए **दंड की प्रकृति में परिवर्तन** करता है। यह कैद की सजा को जुर्माने में बदलता है।

प्रतिस्पर्धा ढांचे और प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया दिसंबर, 2022 की मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.5 (प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां) देखें।

---

[74] National Company Law Appellate Tribunal

4. सुरक्षा (Security)

4.1. सशस्त्र बलों का थिएटराइजेशन (Theaterisation of Armed Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोक सभा में **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक[75], 2023** पेश किया।

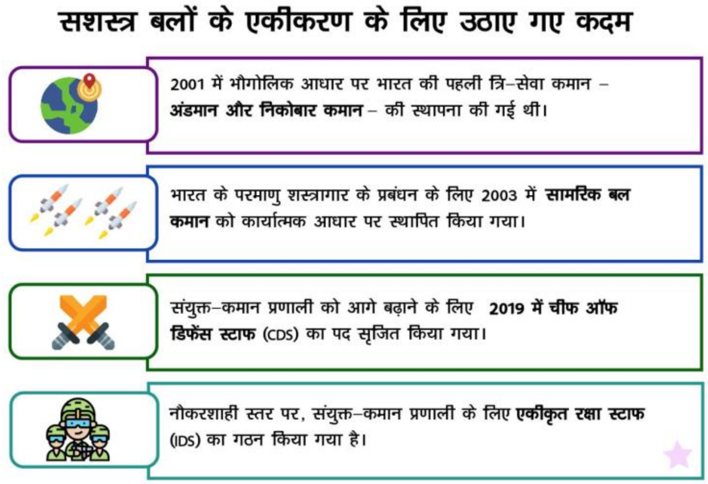

विधेयक में शामिल मुख्य बिंदु

- **अंतर-सेवा संगठन:** वर्तमान में, ऐसे सेवाकर्मी **वायु सेना अधिनियम, 1950; सेना अधिनियम, 1950;** और **नौसेना अधिनियम, 1957** जैसे सेवा अधिनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं। यह अंतर-सेवा संगठन **सैनिकों का एक निकाय** होगा, जिसमें सभी सेवा अधिनियमों या इनमें से किन्हीं दो अधिनियमों के अधीन एक **संयुक्त सेवा कमान[76]** शामिल है।
- **विधेयक का उद्देश्य:** यह विधेयक **अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड** को **उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा-कर्मियों** के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों।
- **यह विधेयक थिएटराइजेशन के लिए आधार तैयार करता है:**
  - यह विधेयक केंद्र सरकार को **अंतर-सेवा संगठनों की स्थापना को अधिसूचित करने का अधिकार** देता है। इसमें संयुक्त सेवा कमान भी शामिल है, तथा
  - **मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों और नियुक्त किए गए कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड** को इस विधेयक के अधीन ही गठित/ नियुक्त माना जाएगा।

थिएटराइजेशन और इसके उद्देश्य के बारे में

- **थिएटराइजेशन:** इसका अर्थ **एकीकृत या संयुक्त थिएटर कमान (JTCs)** से है। इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद थल सेना, नौसेना और वायुसेना का **संपूर्ण कार्यबल और परिसंपत्तियां एकल परिचालन नियंत्रण[77] के अधीन** होंगी।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य **'एकीकरण (Jointness)'** पर बल देना अर्थात् सेना की अलग-अलग शाखाओं के बीच सहयोग व एकीकरण को बढ़ाना है।
- **विश्व में अन्य उदाहरण:** विश्व स्तर पर, **यू.एस.ए. और चीन सहित 32 से अधिक देशों ने एकीकरण (Jointness)** को अपनाया है।
  - इसकी तुलना में, भारतीय सशस्त्र बल **17 एकल-सेवा कमान (थल सेना 7, वायु सेना 7,** और **नौसेना 3)** के साथ कार्य करते हैं। ज्ञातव्य है कि **1999 की कारगिल समीक्षा समिति** के गठन और उसकी सिफारिशों के बाद से ही JTC जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की जा रही है।
  - सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

---

[75] Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill

[76] Joint Services Command

[77] Single operational control

भारत के लिए थिएटराइजेशन का महत्त्व

2021 में, तत्कालीन चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने परिचालन (Operations), योजना, खरीद, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में **एकीकरण (Jointness)** के लिए 4 JTCs (इन्फोग्राफिक देखें) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

- **एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना:** यह पाकिस्तान और चीन से संभावित सुरक्षा खतरों के खिलाफ तालमेल बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
  - वर्तमान में, **थल सेना की 4, वायु सेना की 3** और **नौसेना की 2 अलग-अलग कमानें पाकिस्तान** से जुड़े सुरक्षा मामलों का प्रबंधन करती हैं। इन कमानों का **योजना और परिचालन तथा साथ ही कमान व नियंत्रण के मामले में आपसी समन्वय बहुत कम** है।
- **अंतर-सेवा संगठनों के काम-काज में सुधार:** ऐसा सेना के अलग-अलग अंगों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- सेवाओं के बीच होने वाले प्रशासनिक विचार-विमर्श को विनियमित करना, जिनमें अत्यधिक समय लगता है।
- **बजटीय बाधाओं को दूर करना:** यह पूंजीगत व्यय के लिए संसाधनों को जुटाकर और संसाधनों को बचाकर रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में बजटीय बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।
  - रक्षा बजट में **पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2011-12 के 42% से घटकर 2023-24 में लगभग 27%** हो गया है।
- **भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी करना:** यह बेहतर कमान और नियंत्रण संरचनाओं की सहायता से अलग-अलग और बहु-आयामी प्रकृति के युद्ध क्षेत्रों (आर्थिक, साइबर, अंतरिक्ष सहित) को सरल तरीके से एकीकृत करने में सहायक होगा।
  - 2018 में, सरकार ने **त्रि-सेवा संगठनों के रूप में रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी** और **सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग**[78] के गठन को मंजूरी दी थी।
- **सैन्य अभियानों की दक्षता में सुधार:** ऐसा **त्वरित और एकल बिंदु सैन्य सलाह के माध्यम से** हो सकता है। इससे अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे-
  - थिएटर विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर **रक्षा खरीद को प्राथमिकता मिलेगी;**
  - निर्दिष्ट **युद्ध क्षेत्र और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सैनिकों का बेहतर अनुकूलन और प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा; आदि।**

थिएटराइजेशन से जुड़ी चुनौतियां:

- **सैन्य खर्च में कमी आई है,** जबकि थिएटराइजेशन के लिए शुरुआत में पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि किए जाने की जरूरत है।
  - **2023-24 में, रक्षा बजट अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 1.97%** था, जबकि 2010-11 में यह GDP का 2.5% था।
- **युद्ध की बदलती प्रकृति,** जबकि परंपरागत रूप से युद्ध जल, थल और आकाश (अर्थात् समुद्र, भूमि और वायु) में लड़े जाते थे।
  - वर्तमान समय में, साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन पारंपरिक क्षेत्रों में भी अभियानों के संचालन को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं।
- **अंतर-सेवा मतभेद:** उदाहरण के लिए- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नौसेना को छोड़कर कोई भी समुद्र की कमान नहीं संभाल सकता है।
  - हालांकि, कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि JTC भारतीय वायुसेना को थिएटर कमांडर्स के अधीन करने और एक सेवा के रूप में उसकी अलग पहचान को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है।
- **सुरक्षा खतरों की लगातार बदलती प्रकृति:** जैसे कि नेपाल और भूटान की अवस्थिति के कारण चीन की तरफ तीन अलग-अलग थिएटरों की उपस्थिति।
  - यह प्रत्येक विरोधी से अलग से निपटने की बजाय **खतरे के आधार पर नए कमानों के गठन को महत्वपूर्ण बनाता है।**
- **तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका को लेकर जो चिंताएं** प्रकट की गई हैं उनसे मौजूदा ढांचे में समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
  - यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यह मौजूदा **प्रणाली में परिवर्तन की अवधि के दौरान परिचालन क्षमता और दक्षता में गिरावट** का कारण बन सकता है।
  - **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की कमी** है तथा प्रारंभिक चरण में सभी तीनों बलों के पास सीमित परिसंपत्ति ही शेष रह जाएगी।
- प्रभावी दिशा प्रदान करने और **सैन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग** को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव है।**

आगे की राह

- **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy: NSS):** आधुनिक लोकतंत्रों में, NSS सामरिक चुनौतियों पर स्पष्ट उद्देश्यों के साथ-साथ राजनीतिक दिशा भी प्रदान करेगी।

---

[78] Armed Forces Special Operations Division

- ○ NSS के अलावा, एक **संयुक्त सेवा सिद्धांत का निर्माण** भी किया जा सकता है। इससे सशस्त्र बलों को प्रेरणा मिलेगी और उनकी रणनीतियों का बेहतर एकीकरण हो सकेगा।
- **अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाना:** संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए **तकनीकी बलों, परिसंपत्तियों और क्षमताओं को शामिल करने और उन पर निर्भरता बढ़ाने** की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- अगली पीढ़ी के हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
  - ○ ये सभी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए **गहन अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण** की मांग करते हैं।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए तैयारी:** एक परंपरागत भूमि आधारित युद्ध की बजाय युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुसार तैयारी की जानी चाहिए, जिसमें साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे तेजी से उभरते महत्वपूर्ण डोमेन शामिल हों।

4.2. गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम {Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी **प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता** ग्रहण करता है तो इसे **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** के तहत अपराध माना जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- **2011 के फैसले के विपरीत निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि एक व्यक्ति जो **किसी प्रतिबंधित संगठन का "केवल सदस्य है या उसकी सदस्यता जारी रखता है"** तो वह **भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य कर रहा होता है** तथा वह **UAPA के तहत आपराधिक कृत्य में शामिल माना जाएगा।**
- इससे पहले, 2011 में तीन अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी प्रतिबंधित संगठन की केवल सदस्यता UAPA, 1967 या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा/TADA) के तहत अपराध नहीं हो सकती है, **जब तक कि इसके साथ कोई स्पष्ट हिंसक घटना न जुड़ी हो।** ये तीन मामले थे- **केरल राज्य बनाम रानीफ; अरूप भुइया बनाम भारत संघ** और **श्री इंद्र दास बनाम असम राज्य वाद।**
- इस निर्णय में मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र में **"संबद्धता के आधार पर दोषी" होने के सिद्धांत (Doctrine of "guilt by association")** को फिर से बहाल किया है।
  - ○ संबद्धता के आधार पर दोषी को **'एसोसिएशन फॉलसी'** के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को **"किसी साक्ष्य के कारण नहीं, बल्कि किसी अपराधी के साथ जुड़े होने के कारण दोषी"** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **शीर्ष न्यायालय ने UAPA, 1967 की धारा 10(a)(i) की संवैधानिक वैधता** और औचित्य को सही ठहराया है। यह धारा **किसी प्रतिबंधित संगठन की निरंतर सदस्यता को दंडनीय अपराध बनाती है** और इसके लिए **दो साल तक की जेल की सजा और जुर्माने** का प्रावधान करती है।
  - ○ न्यायालय ने कहा कि **धारा 10(a)(i) पूरी तरह से संविधान के 19(1)(a) और 19(2) के अनुरूप** है। इस प्रकार, यह UAPA के उद्देश्यों के भी अनुरूप है।
  - ○ न्यायालय ने यह भी कहा कि अमेरिका के विपरीत, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, यह युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।

- इसके अलावा, संविधान संसद को लोक व्यवस्था और/ या भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए **कानून बनाने की अनुमति** देता है।

- **किसी संघ को गैर-कानूनी घोषित करना: UAPA की धारा 3 के तहत,** यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो **वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।** हालांकि, इसके लिए कारण बताना आवश्यक है।

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के बारे में

- UAPA **आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ** भारत का मुख्य कानून है। इसे **व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए** पारित किया गया है। साथ ही, इसे **आतंकवादी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों से निपटने** के लिए भी अधिनियमित किया गया है।
- **गैर-कानूनी गतिविधि को परिभाषित करता है:** किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके तहत भारत के एक हिस्से पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है या भारत की संप्रभुता पर प्रश्न उठाया जाता है या भारत की अखंडता को बाधित किया जाता है तो उसे गैर-कानूनी गतिविधि माना जाएगा।
  - **सरकार के पास शक्तियां:**
    - अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी/ आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह-
      - ✓ आतंकवाद के कृत्यों को करता है या उनमें भाग लेता है,
      - ✓ आतंकवाद के लिए तैयारी करता है,
      - ✓ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
      - ✓ अन्यथा आतंकवाद में शामिल है।
    - सरकार उन संघों पर **अखिल भारतीय प्रतिबंध** लगा सकती है, जिन्हें अधिनियम के तहत 'गैर-कानूनी' घोषित किया गया है।
    - इस अधिनियम के तहत **भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर** आरोप लगाया जा सकता है। साथ ही, **भारत के बाहर विदेशी भूमि पर किए गए अपराध के लिए भी** यह अधिनियम अपराधियों को समान प्रकार से जवाबदेह ठहराता है।
  - **जांच की शक्तियां:** मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)**[79] दोनों द्वारा की जा सकती है।
  - **अपील तंत्र:** यह प्रतिबंध के खिलाफ अपील की समीक्षा करने या सुनवाई के लिए अधिकरण का प्रावधान करता है।

UAPA में किए गए संशोधन

- **2004 में संशोधन:** इसमें किसी आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाकर या आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने को अपराध घोषित किया गया था।
- **2008 में संशोधन:** आतंकवाद के वित्त-पोषण के अपराधों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए **'फंड्स' से संबंधित प्रावधान** का दायरा बढ़ाया गया था।
- **2012 में संशोधन: देश की आर्थिक सुरक्षा** को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए **'आतंकवादी कृत्य'** की परिभाषा का विस्तार किया गया था।
- **2019 में संशोधन:**
  - सरकार को **व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार** प्राप्त हुआ। इससे पहले, केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।
  - यदि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए **NIA के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता** होगी। पहले, पुलिस महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता थी।
  - **मामलों की जांच करने के लिए NIA** में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। पहले, DSP और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया था।
  - **परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (2005)** को अधिनियम के तहत अनुसूची में जोड़ा गया है।

UAPA से जुड़ी समस्याएं

- **आतंकवादी कृत्य की व्यापक परिभाषा:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
  - आतंकवादी की अस्पष्ट परिभाषा के कारण **गलत रूप से 'आतंकवादी' के रूप में नामित किए गए लोगों पर अनुचित कलंक** लग जाता है। किसी को गलत नामित करने से वास्तविक आतंकवाद से निपटने के प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं।
- **संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन:** केंद्र सरकार/ गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्य पुलिस से जांच को स्थानांतरित करने की NIA की "स्वत: संज्ञान की शक्ति" को संघवाद के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

---
[79] National Investigation Agency

- **UAPA के तहत कम दोषसिद्धि दर:** 2015-2020 के दौरान **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, UAPA के तहत प्रति मामला दोषसिद्धि दर 27.57% थी, जबकि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत यह दर 49.67% थी।
- **हालिया फैसले से जुड़े मुद्दे:** यह इस तरह के प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य का पता लगाने की प्रक्रिया पर मौन है।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा:** राज्य की अलग-अलग एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून के तहत अलग-अलग मामलों से निपटने के दौरान **कानून की उचित प्रक्रिया** लागू हो।
- **साक्ष्य संग्रह की देख-रेख के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता:** इससे जांच प्रक्रिया में सहायता मिल सकेगी, विशेषकर जब मामलों की जांच के दौरान सीमा-पार बिंदुओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है।
- **पुलिस सुधार:** इसमें **समुदाय व धर्म** के संदर्भ में संवेदीकरण शामिल होना चाहिए। साथ ही, पुलिस की **व्यापक विवेकाधीन शक्तियों को कम करने की दिशा में कार्य** करना चाहिए।
- **निर्दोष व्यक्तियों के लिए मुआवज़ा:** उन व्यक्तियों को मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए, जिन्हें UAPA के तहत काफी समय तक हिरासत में रखा गया था और जो बाद **निर्दोष साबित हुए थे।**
- **राजनीतिक असहमति का संरक्षण:** राजनीतिक असहमति एक मौलिक अधिकार है। इसके संरक्षण से संबंधित कानून पारित किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक असहमति क्या है और क्या नहीं इसे ठीक से परिभाषित किया जा सके।

4.3. कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी (Technology For Law Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने **'फिंगरप्रिंट एनालिसिस ट्रैकिंग सिस्टम'** का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम का उपयोग अपराधियों के **बायोमेट्रिक डेटाबेस** रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए किया जाएगा।

अपराध और कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

- **अपराधों की बदलती प्रकृति:** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उदय ने **अपराध की प्रकृति और कार्यप्रणाली को बदल** दिया है। उदाहरण के लिए-
  - **पारंपरिक अपराधों** (लूटपाट, चोरी आदि) में कमी आ रही है, जबकि **पहचान की चोरी, रैंसमवेयर सहित वित्तीय चोरी, फेक न्यूज, सेक्सटॉर्शन** जैसे अपराध बढ़ रहे हैं।
  - डार्क वेब की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि **अनामिता (Anonymity) तथा प्रौद्योगिकी एवं कानून** के बीच मौजूद अंतराल, इनके संचालन के मुख्य कारक हैं।
- **कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना:** अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीकों में बदलाव आया है। इसके साथ ही, **कानून प्रवर्तन एजेंसियों (: LEAs)** और प्रौद्योगिकी के बीच के संबंधों में भी परिवर्तन आया है। ये प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती हैं:
  - **अपराधों का पता लगाने में** अर्थात् किए जा रहे अपराध की पहचान करने और पर्याप्त सबूत एकत्र करने में सहयोग करती हैं; तथा
  - **अपराधों की रोकथाम में** अर्थात् इसे समाप्त करने या कम करने के उपायों के साथ-साथ अपराध से संबंधित जोखिम के पूर्वानुमान, पहचान और मूल्यांकन में सहयोग करती हैं।

शब्दावली को जानें

बॉयोमेट्रिक्स एक व्यक्ति की अनूठी विशेषताओं, जैसे- **फिंगरप्रिंट्स**, DNA **संरचना**, **आवाज के पैटर्न**, **आँख की पुतली** (iris) इत्यादि पर आधारित प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियां

हार्ड टेक्नोलॉजी (हार्डवेयर या सामग्री)
- इसमें अपराध को नियंत्रित करने के लिए **नई सामग्री, यंत्रों और उपकरणों** का प्रयोग किया जाता है। इनमें सीसीटीवी कैमरा, मेटल डिटेक्टर, बैग आदि सामान की जांच में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, नवीनतम तकनीक से लैस गश्ती कार आदि शामिल हैं।

सॉफ्ट टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रणालियां)
- इसमें नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, अपराध विश्लेषण तकनीक, डेटा शेयरिंग तकनीक आदि शामिल हैं।

भारतीय कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा शुरू की गई तकनीकी पहलें और इनके लाभ

- **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS):** इसका उद्देश्य एक व्यापक तथा एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है, ताकि पुलिसिंग दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।
  - CCTNS अपराध तथा अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए इसे **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)** में फ़ीड करता है। ICJS के अंतर्गत **ई-कोर्ट, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन (Prosecution)** शामिल हैं।
- **निगरानी और पहचान से संबंधित प्रौद्योगिकियां,** जैसे- बायोमेट्रिक्स, CCTV, चेहरे की पहचान, स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान (ALPR)[80] आदि।
  - **ALPR** का उपयोग चोरी की गई कारों की पहचान करने और गिरफ्तार किए जाने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत में विश्व की सबसे बड़ी चेहरा पहचान प्रणालियों में से एक को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है।

- **डिजिटल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर:** यह सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बाद या सुरक्षा संबंधी निवारक रख-रखाव के उद्देश्य से IT सिस्टम की जांच और निगरानी करता है।
- **क्राइम मैपिंग और फोरकास्टिंग:** इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके स्थान विशिष्ट अपराधों की प्रवृत्ति को ट्रैक किया जाता है। AI और बिग डेटा अपराध के हॉटस्पॉट/ स्थानों का पता लगाने में मदद करते हैं। यहां तक कि ये किसी **अपराध (समय और स्थान सहित) के घटित होने से पहले** ही इसकी पूर्व-सूचना प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए-
  - **दिल्ली स्थित क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम (CMAPS):** यह सिस्टम इसरो के उपग्रहों व हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और पिछले (ऐतिहासिक) अपराधों से जुड़े डेटा का उपयोग करके आपराधिक हॉटस्पॉट/ स्थानों का पता लगाता है।
  - **मेटा (फेसबुक) ने AI का उपयोग करके केवल तीन महीनों में ही अपने नेटवर्क से बाल नग्नता की लगभग 9 मिलियन छवियों को हटा** दिया है। इनमें से अधिकांश को पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था।

अपराध के खिलाफ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में आने वाली बाधाएं

- विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए **प्रौद्योगिकी खरीद की लागत बहुत अधिक है।**
  - **बजटीय आवंटन से मिले फंड को एडवांस प्रौद्योगिकी की खरीद में इस्तेमाल करने से** अंतर-राज्य अंतराल पैदा हो सकता है। साथ ही, इससे पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो सकता है।
  - **भारत में संसाधनों और सक्षम अवसंरचना या प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता** के मामले में राज्यवार अंतराल अधिक है।
- **प्रौद्योगिकी (विश्वसनीयता/ प्रभावकारिता) संबंधी जोखिम,** अर्थात् प्रौद्योगिकी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रही है या वांछित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रही है। उदाहरण के लिए-
  - **पक्षपाती परिणाम या भेदभाव का जोखिम** विद्यमान है, क्योंकि पूर्व-सूचना देने वाले एल्गोरिदम सिस्टम को पिछले अपराधों के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय पक्षपाती एल्गोरिदम के कारण ऐसे पक्षपाती परिणाम देखें गए हैं।
- डेटा उल्लंघनों और इन प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए **डेटा सुरक्षा से संबंधित उचित कानून का अभाव है।**
- नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने या उनके कुशल उपयोग की कमी से जुड़े जोखिम भी विद्यमान हैं, जो विशेषकर अधिकारियों के बीच अपर्याप्त प्रशिक्षण या इनमें अनिच्छा के कारण देखने को मिलता है।
- **नैतिक चिंताएं जैसे कि:**
  - प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने से **गोपनीयता का उल्लंघन** हो सकता है। यह व्यक्तिगत डेटा संग्रह, गैर-कानूनी निगरानी और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के कारण हो सकता है।
  - उन क्षेत्रों में **प्रौद्योगिकियों का अत्यधिक और अनुचित उपयोग,** जहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

---

80 Automatic License Plate Recognition

आगे की राह

अपराध के खिलाफ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह भारत की **राष्ट्रीय सुरक्षा** को मजबूत करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) को अपराधियों से एक कदम आगे रखने में सहायक होगा। हालांकि, "प्रौद्योगिकी केवल तब तक ही अच्छी है, जब तक कि व्यक्ति या संगठन द्वारा इसका औचित्यपूर्ण उपयोग किया जा रहा हो"। इसलिए, इन तकनीकों के विकास और समावेशन के अलावा हमारा ध्यान निम्नलिखित पर भी होना चाहिए:

- **वैधता:** स्पष्ट कानूनी मानकों का विकास करना चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग उन मानकों के अधीन होना चाहिए।
- **लागत-प्रभावी:** अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देकर निवेश से जुड़े उचित रिटर्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे लागत कम करने और क्षमताओं को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।
- **तकनीकी प्रमाणिकता:** उपयोग से पहले प्रत्येक प्रौद्योगिकी की प्रदर्शन मानकों के साथ यथोचित समीक्षा की जानी चाहिए। इससे उसका उपयोग सुरक्षित हो सकेगा तथा उसका रखरखाव किया जा सकेगा और यह उद्देश्य के अनुरूप होगा।
- **जवाबदेही:** लोक अविश्वास को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का पारदर्शी उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।
- **कार्मिक संवेदीकरण (Personnel sensitization):** प्रौद्योगिकी अपनाने के मानवीय कारकों को दूर करने के लिए उचित प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के साथ निष्पक्ष भर्ती को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मानवीय कारकों में कम तनाव और उपयोग में पर्याप्त विश्वास आदि शामिल हैं।
- पूरे देश में ऐसी प्रौद्योगिकियों में सुधार और उनके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र के साथ **लोगों के बीच जागरूकता पैदा** की जानी चाहिए।

4.4. सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस समझौता {Suspension of Operations (SoO) Agreement}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मणिपुर सरकार दो विद्रोही समूहों के साथ हुए **सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस** (SoO) समझौते से पीछे हट गई है। मणिपुर सरकार ने यह कदम **"वन अतिक्रमणकारियों के बीच आंदोलन को उकसाने में"** इन समूहों की भागीदारी को देखते हुए उठाया है। इन दो विद्रोही समूहों में **कुकी नेशनल आर्मी (KNA)** और **ज़ोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी (ZRA)** शामिल हैं।

सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के बारे में

- यह 2008 में हस्ताक्षरित एक संघर्ष-विराम समझौता था। **इसका प्राथमिक उद्देश्य कुकी विद्रोही समूहों** के साथ **राजनीतिक संवाद शुरू** करना था। साथ ही, सभी पक्षों के बीच से **हिंसा और शत्रुता को समाप्त** करना भी इसका उद्देश्य था।
- केंद्र सरकार एवं मणिपुर सरकार ने दो प्रमुख समूहों यानी **कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO)** और **यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF)** के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में कुल 25 समूह शामिल थे, जिनमें KNO के अधीन 17 और UPF के तहत 8 समूह सम्मिलित हुए थे।
    - **मणिपुर में लगभग 30 कुकी विद्रोही समूह** हैं, इनमें से 25 समूह SoO समझौते के अधीन हैं।

कुकी विद्रोह के बारे में

- **कुकी एक नृजातीय समूह है।** इसमें मूल रूप से भारत के **पूर्वोत्तर राज्यों, (जैसे- मणिपुर, मिजोरम व असम), बर्मा (अब म्यांमार) के कुछ हिस्सों में, सिलहट जिले और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कई जनजातियां** शामिल हैं।

SoO समझौते से संबंधित शर्तें

- **कार्यकाल: SoO समझौते की अवधि एक वर्ष** है। हालांकि, कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- **निर्दिष्ट शिविर:** लड़ाका कैडर्स को सरकार द्वारा **चिन्हित निर्दिष्ट शिविरों में रखा** जाना है।
- **कोई सैन्य कार्यवाही नहीं:** राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बलों द्वारा भूमिगत समूहों (UG) के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- **विद्रोहियों की जिम्मेदारियां:** UPF और KNO के हस्ताक्षरकर्ता **भारतीय संविधान व देश के कानूनों का पालन** करेंगे और **मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता** को बनाए रखने में मदद करेंगे।
- **पुनर्वास पैकेज:** पुनर्वास पैकेज के रूप में निर्दिष्ट शिविरों में रहने वाले UG कैडर्स को **5,000 रुपये का मासिक वजीफा** दिया जाता है।
- **कार्यान्वयन की निगरानी:** इसके लिए **संयुक्त निगरानी समूह (JMG)**[81] नामक एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- मणिपुर, अनेक कुकी जनजातियों का निवास स्थान है। ये जनजातियां मुख्य रूप से वहां के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। **वर्तमान में राज्य की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।**
  - कुकी के अलावा मणिपुर की जनसंख्या में शेष हिस्सेदारी **मुख्य रूप से दो अन्य नृजातीय समूहों की** है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **मेइती (गैर-आदिवासी):** इनमें से अधिकांश वैष्णव हिंदू धर्म को मानते हैं तथा मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहते हैं, और
    - **नागा जनजातियां,** जो ऐतिहासिक रूप से **कुकी जनजाति के लोगों के साथ संघर्षरत** रही हैं। ये जनजातियां राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं।
- **1990 के दशक की शुरुआत में, नागाओं और कुकी के बीच नृजातीय संघर्ष के कारण** कई कुकी विद्रोही समूहों का गठन हुआ। हालांकि, इन समूहों द्वारा शुरुआत में एक अलग कुकी राज्य के गठन की मांग की गई थी, परंतु अब वे एक **'प्रादेशिक परिषद (Territorial Council)'** स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।
  - **नागाओं और मेइती के बीच प्रतिस्पर्धी हित रहे हैं।** नागालिम या ग्रेटर नागालैंड की मांग में मणिपुर के नागा आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
  - दूसरी ओर, **मेइती सदियों से एक भौगोलिक इकाई रहे क्षेत्र को संरक्षित करना चाहते हैं।** साथ ही, इस क्षेत्र में शुरू से ही उनका राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्तियों पर नियंत्रण रहा है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से उग्रवाद/ विद्रोह (Insurgency) की समस्या को केवल किसी विशेष समूह या सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इन रणनीतियों को सरकार और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के मजबूत समर्थन द्वारा तथा **दृढ़ इच्छाशक्ति रखने वाले स्थानीय लोगों को शामिल करके सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।**

इसके अलावा, **बेहतर अंतर-राज्यीय पुलिस नेटवर्किंग, उग्रवाद से निपटने में पुलिस का नेतृत्व**, लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि ऐसे अतिरिक्त कदम हैं, जो उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा सकते हैं।

मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **AFSPA को धीरे-धीरे हटाना:** हाल ही में, मणिपुर के 7 जिलों के 19 पुलिस थानों को AFSPA के तहत **'अशांत क्षेत्र'** की सूची से बाहर कर दिया गया है।
- **पूर्वोत्तर को इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित करना:** स्वदेश दर्शन योजना, कृषि निर्यात ज़ोन, राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर को आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

---

81 Joint Monitoring Group

4.5. धन-शोधन (Money Laundering)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने **धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम**[82] **, 2005** में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इसे अब **धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2023** के नाम से जाना जाएगा।

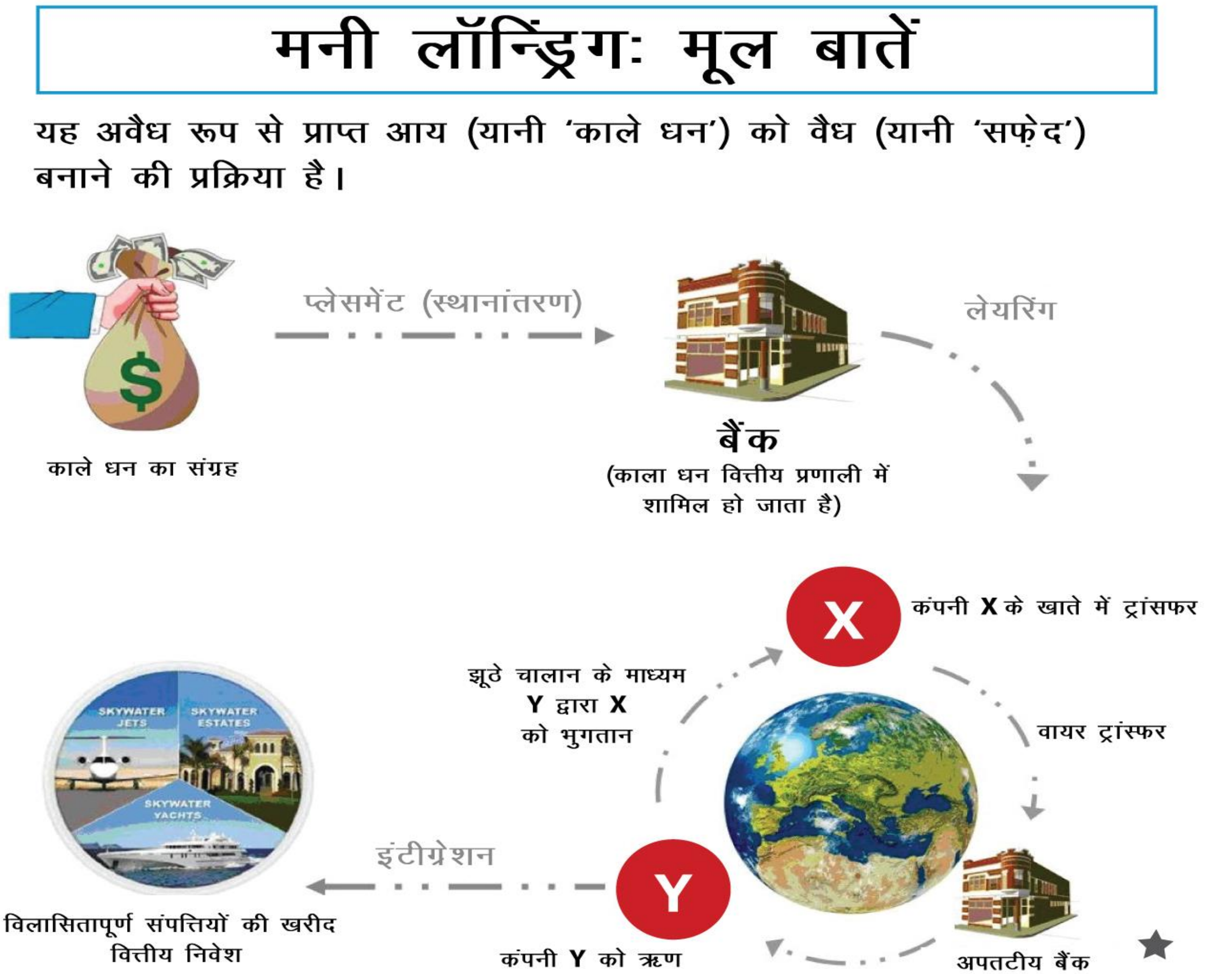

संशोधन के जरिए 2023 के नियमों में शामिल मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा को कठोर बनाया गया है:** "रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं" के क्लाइंट्स में 10% का स्वामित्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या समूह अब एक लाभार्थी स्वामी माना जाएगा। हालांकि, पहले 25% की स्वामित्व सीमा लागू थी।
    - धन-शोधन रोधी कानून के तहत, **बैंक एवं वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रकों में कार्यरत इकाइयां "रिपोर्ट करने वाली संस्थाएं"** हैं।
    - इन संस्थाओं में **कैसीनो और क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) में संलग्न मध्यस्थ** भी शामिल हैं।

---

[82] Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules

- **ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता का विस्तार:** संशोधन के तहत KYC (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों की वर्तमान आवश्यकता के इतर लाभ प्राप्त करने वाले स्वामियों की प्रकटीकरण आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। यह कार्य अलग-अलग दस्तावेजों, जैसे- **पंजीकरण प्रमाण-पत्र और पैन** की सहायता से किया जाएगा।
    - रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को उन **क्लाइंट्स के विवरण को नीति आयोग के दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर** पंजीकृत कराना आवश्यक होगा, जो गैर-लाभकारी संगठन (NGO) हैं।
- **राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति (PEPs)[83] के लिए:** **PEPs** को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें किसी अन्य देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं। इनमें राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता आदि शामिल हैं।
- **गैर-लाभकारी संगठन की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसमें अब शामिल हैं:**
    - **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई भी संस्था या संगठन।**
    - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसी तरह के किसी भी राज्य कानून के तहत **पंजीकृत ट्रस्ट या सोसायटी।**
    - कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी।**

धन-शोधन को रोकने में आने वाली चुनौतियां

- **कमजोर प्रवर्तन तंत्र:** आंकड़ों के अनुसार, 2005 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के लागू होने के बाद से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,906 मामले दर्ज किए हैं। हालांकि, केवल 19 प्रतिशत मामलों में ही आपराधिक शिकायतें (एक आरोप-पत्र के बराबर) दायर की गई हैं।
    - इसके अलावा, **कुर्क की गई सभी परिसंपत्तियों में से केवल 62 प्रतिशत परिसंपत्तियों की ही अधिनिर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority) ने पुष्टि** की है। शेष परिसंपत्तियां अभी भी अधिनिर्णय के लिए लंबित हैं।
- **आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** धन-शोधन के संबंध में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। विशेषकर राजनेताओं, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों आदि की धन-शोधन संबंधी जांच के दौरान राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।

धन शोधन को रोकने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें

- **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन (वियना कन्वेंशन):** यह कन्वेंशन ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम था, जिसने धन शोधन से संबंधित मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित किया।
    - इसके हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों द्वारा धन शोधन को एक आपराधिक अपराध घोषित किया जाना अनिवार्य है।
- **धन शोधन व अपराध से होने वाली आय और आतंकवादी वित्त-पोषण के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम (GPML)[84]:** यह धन शोधन और आतंकवाद के वित्त-पोषण से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय समन्वय तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशें:** इसके तहत उपायों का एक **व्यापक और सुसंगत फ्रेमवर्क तैयार** किया गया है। इसे देशों द्वारा **धन शोधन और आतंकवादी वित्त-पोषण से निपटने** के लिए लागू किया जाना चाहिए।

---

[83] Politically Exposed Persons

[84] Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the financing of Terrorism

- **KYC मानदंडों की अप्रभाविता: कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा दिखाई गई उदासीनता/ उपेक्षा** के कारण KYC मानदंड कम प्रभावी हो जाते हैं।
- **जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय न होना:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अलग-अलग शाखाएं **डिजिटल अपराधों, धन-शोधन, आर्थिक अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों** की रोकथाम की दिशा में प्रयासरत हैं। हालांकि, ऐसी एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल मौजूद नहीं है।
- **प्रौद्योगिकी का विकास:** धन-शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के साथ साइबर अपराध जैसे- **पहचान की चोरी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी** आदि से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि **प्रवर्तन क्षमताओं की तुलना में प्रौद्योगिकी विकास की गति अधिक तीव्र है।**

धन-शोधन को रोकने के लिए भारत में शुरू की गई पहलें

- **वैधानिक ढांचा:** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[85], 2002 और इससे जुड़े नियम (PML नियम) भारत में **धन शोधन के अभियोजन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे** के रूप में कार्य करते हैं। PMLA अधिनियम प्राधिकारियों को अवैध आय से अर्जित **परिसंपत्तियों को जब्त** करने में सक्षम बनाता है।
- **संस्थागत ढांचा:** प्रमुख संस्थानों में **प्रवर्तन निदेशालय (ED)[86]** और **वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND)[87]** शामिल हैं।
  - प्रवर्तन निदेशालय, PMLA के तहत **धन-शोधन से संबंधित अपराधों** की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए **प्रमुख कानूनी संस्था** है।
  - **FIU-IND,** संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित डेटा के भंडारण, विश्लेषण व मूल्यांकन हेतु अधिकृत एक प्राथमिक राष्ट्रीय निकाय है। यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित डेटा को कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के साथ साझा करता है।
- **सशक्त विनियामक:** निम्नलिखित विनियामकों को धन-शोधन गतिविधियों से संबंधित मामलों के प्रबंधन और AML मानकों को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI),
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), तथा
  - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory & Development Authority of India: IRDAI)
- **अन्य संस्थान:**
  - **आर्थिक अपराध शाखा,**
  - **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI);**
  - **आयकर विभाग; तथा**
  - **कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC)।**

आगे की राह

- **एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सतत छानबीन प्रयासों के लिए AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग AML अधिकारियों के कार्यभार को कुछ कम कर सकता है और प्रवर्तन तंत्र की दक्षता को बढ़ा सकता है।
- **नियमित अंतर-संपर्क बनाए रखना:** नियमित बैठकों के आयोजन के माध्यम से बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक-दूसरे को अपडेटेड रख सकते हैं। साथ ही, इसकी सहायता से वे किसी भी संदेह की पुष्टि कर सकते हैं, संभावित नेटवर्क की पहचान कर सकते हैं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। इससे धन-शोधन करने वाले के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी।
- **उचित जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना:** वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट माध्यम स्थापित करने चाहिए कि किसी भी पहचाने गए जोखिम को आवश्यक विशेषज्ञता वाले कार्मिक द्वारा ही उचित तरीके से संभाला जाएगा। एक उचित रूप से परिभाषित, प्रलेखित और सुसंगत जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करना समय की मांग है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाना:** हालांकि, धन-शोधन को घरेलू स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कार्य/ गतिविधियां **कभी भी एक क्षेत्राधिकार के दायरे तक सीमित नहीं रह सकती हैं।** इसलिए, उन्हें रोकने हेतु **बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय** का होना जरूरी है।

---

[85] Prevention of Money Laundering Act

[86] Directorate of Enforcement

[87] Financial Intelligence Unit–India

4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम: अफस्पा {Armed Forces (Special Powers) Act: AFSPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)** के तहत घोषित **अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने** का फैसला लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** में AFSPA लागू है।
    - कुछ समय पहले **अरुणाचल प्रदेश** में एक और पुलिस थाने को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।
- सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के माध्यम से AFSPA को **जम्मू-कश्मीर में भी लागू** किया गया है।
- इससे पहले, **2018 में मेघालय से, 2015 में त्रिपुरा से तथा 1980 के दशक में मिजोरम से AFSPA को पूरी तरह से हटा दिया** गया था।

क्या आप जानते हैं?

- सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 केवल **राज्यों के राज्यपालों** और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को **अशांत क्षेत्र घोषित करने** का अधिकार देता है।
- चूंकि संविधान का **अनुच्छेद 355** आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने के लिए संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है, इसलिए **केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन क्षेत्रों को "अशांत" घोषित करने की शक्ति अपने पास रखे।**

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के बारे में

- **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए AFSPA को 1958 में पारित किया गया था।**
    - इसे शुरुआत में **असम और मणिपुर** में लागू किया गया था। हालांकि, 1972 में संशोधन के बाद इसे **मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश** में भी लागू कर दिया गया था।
- यह अधिनियम **अशांत क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को शक्ति/ अधिकार** प्रदान करता है।
    - अशांत क्षेत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र में स्थिति के अत्यधिक **अशांत या खतरनाक** होने से है, जिसमें **नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग** आवश्यक हो जाता है।
    - **केंद्र सरकार या संबंधित राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, राज्य या संघ शासित प्रदेश के पूरे या उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित** कर सकते हैं।
    - **गृह मंत्रालय** जहां भी आवश्यक हो, **इस अधिनियम को लागू कर सकता है।** हालांकि, कुछ अपवाद भी रहे हैं, जहां केंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग न करने का फैसला किया है और संबंधित **निर्णय को राज्य सरकारों के विवेक पर** छोड़ दिया है।

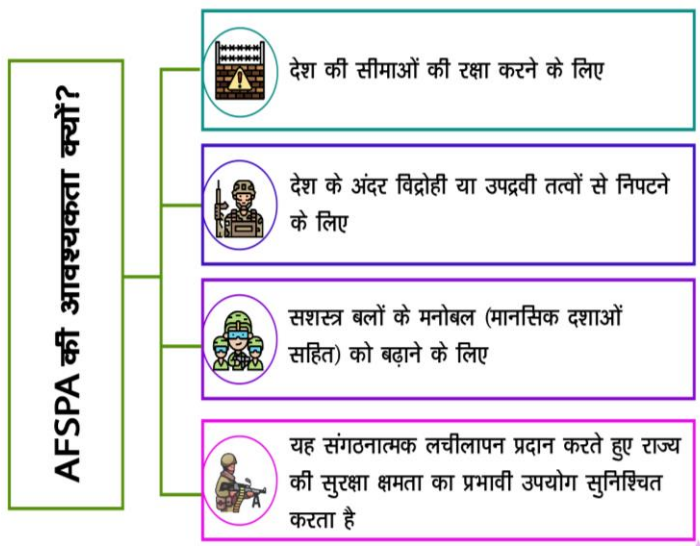

- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को **अलग-अलग प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जैसे:**
    - इसके तहत सशस्त्र बल किसी क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के **इकट्ठा होने पर प्रतिबंध** लगा सकते हैं।
    - यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति **कानून का उल्लंघन** कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके विरुद्ध **बल का उपयोग कर सकते हैं या गोली भी मार सकते हैं।**
    - सुरक्षा बल का अधिकारी केवल शक के आधार पर **बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है; बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है; और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा सकता है।**
- अधिनियम द्वारा **प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अभियोजन (Prosecution), वाद (Suit) या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता** होती है।
- पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में निरंतर सुधार को देखते हुए **गृह मंत्रालय द्वारा AFSPA के अंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्रों की समय-समय पर समीक्षा** की जाती है।

AFSPA से संबंधित समस्याएं

- **अधिकारों का उल्लंघन:** यह अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिन्हें न तो निलंबित तथा न ही समाप्त किया जा सकता है या जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता है। इनमें जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और स्वतंत्रता पर मनमाने तरीके से रोक लगाने से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:** AFSPA का स्वरूप और इसका क्रियान्वयन निम्नलिखित का उल्लंघन करता है:
  - मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights: UDHR),
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR),
  - अत्याचार/ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और
  - कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता।
- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** कानून और व्यवस्था **राज्य सूची का विषय** है। संबंधित राज्य हमेशा जमीनी/ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन/ आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। हालांकि, AFSPA जैसे अधिनियम शांति के समय में भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।
- **शक्तियों का दुरुपयोग:** ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां पर सशस्त्र बलों ने कथित रूप से अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

AFSPA पर न्यायिक निर्णय

- **नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ वाद (1997):** सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA की **संवैधानिकता को बरकरार रखा और इसकी प्रक्रिया निर्धारित की:**
  - किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते समय **राज्य सरकार की राय** जरूर ली जानी चाहिए।
  - यह घोषणा **सीमित अवधि** के लिए होनी चाहिए और राज्य द्वारा **प्रत्येक छह महीने** में अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए।
  - शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ने पर **न्यूनतम बल का उपयोग** करना चाहिए।
  - प्राधिकृत अधिकारी को सेना द्वारा जारी "क्या करें और क्या न करें" का **सख्ती से पालन** करना चाहिए।
- **अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ बनाम भारत संघ और अन्य वाद[88]:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **AFSPA अडिग नहीं है।** न्यायालय ने AFSPA के तहत अभियोजन (Prosecution) या मुकदमा चलाए जाने से सशस्त्र बलों को दी गई **उन्मुक्ति/ छूट को समाप्त कर दिया और निम्नलिखित व्यवस्था की:**
  - सेना तथा अर्धसैनिक बल उग्रवाद/ उपद्रव-रोधी अभियानों के दौरान **अत्यधिक और जवाबी बल का उपयोग नहीं कर सकते।**
  - सुरक्षा बलों द्वारा कथित **ज्यादतियों के मामलों** को आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दिया गया।

AFSPA से संबंधित समितियां

- **बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** इसने AFSPA को घृणा और दमन/ उत्पीड़न का प्रतीक बताकर इसे निरस्त करने की मांग की थी। अन्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - AFSPA को **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में शामिल करना।
  - सशस्त्र बलों की तैनाती **बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ** करना।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा लोक व्यवस्था पर जारी पांचवीं रिपोर्ट में भी AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी।
  - इसमें कहा गया था कि AFSPA को निरस्त करने से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच **भेदभाव और अलगाव की भावना दूर** हो जाएगी।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1979 से मणिपुर में मुठभेड़ में हुई **1,528 लोगों की हत्या** की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।
  - इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि AFSPA ने **नागरिकों को इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किए बिना सुरक्षा बलों को 'व्यापक शक्तियां' प्रदान** की हैं।

आगे की राह

- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** सरकार और सशस्त्र बलों की जवाबदेही है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें।
  - सरकार और सुरक्षा बलों को सुप्रीम कोर्ट तथा अलग-अलग समितियों द्वारा **निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।**
- **संवाद और सहभागिता:** सरकार प्रभावित समुदायों के साथ वार्ता कर सकती है और उनकी शिकायतों को दूर करने की दिशा में कार्य कर सकती है।
  - इससे राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

[88] Extra Judicial Execution Victim Families vs Union of India & Anr) (2016

* **लागू करने की सीमा:** सरकार को अलग-अलग मामलों के अनुसार AFSPA को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिए। इसे पूरे राज्य में लागू करने की बजाय केवल कुछ अशांत जिलों में ही लागू करना चाहिए।
* **वैकल्पिक दृष्टिकोण:** सरकार संघर्ष समाधान के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण को अपना सकती है, जैसे- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना।

4.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.7.1. रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence)

* **रक्षा मंत्रालय** ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए **32 हजार करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर** किए हैं।
* **ये रक्षा समझौते निम्नलिखित प्रणालियों के लिए किए गए हैं:**
    * **एडवांस आकाश हथियार प्रणाली (AWS):** AWS **कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली** है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है।
        * एडवांस AWS **सीकर प्रौद्योगिकी, 360° संलग्नता क्षमता और बेहतर पर्यावरणीय मानकों** से युक्त है।
    * **वेपन लोकेटिंग रडार (WLR) स्वाति (मैदानी):** यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया WLR है। यह हमारी सेनाओं पर गोलाबारी कर रही **तोपों, मोर्टार और रॉकेट्स की सटीक स्थिति का पता लगाने में सक्षम है।**
    * **अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक पोत:** ये नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे।
        * ये **एंटी-पायरेसी, एंटी-ट्रैफिकिंग** आदि सहित अलग-अलग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे।
    * **फायर कंट्रोल सिस्टम 'लिंक्स-U2 सिस्टम':** यह **हवा व सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उन्हें भेदने में सक्षम** है। साथ ही, यह अवांछित समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकती है।
        * इसे समुद्रगामी गश्ती पोतों पर स्थापित किया जाएगा।

    * **अगली पीढ़ी की समुद्री सचल तटीय बैटरी** (लंबी दूरी की) और **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें।**
        * ब्रह्मोस **दो चरणों** वाली मिसाइल प्रणाली है। ये दो चरण हैं: **ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट।**
        * **मूल रूप में, ब्रह्मोस की मारक दूरी को 290 किलोमीटर** तक सीमित किया गया था, लेकिन **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश** के बाद इस सीमा को **बढ़ाकर 600 किलोमीटर** कर दिया गया है।

संबंधित सुर्ख़ियां

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)

* **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण पर नया डेटा जारी किया।**
* SIPRI **स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान** है। यह संस्थान संघर्ष, युद्धास्त्र , हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है।
* **जारी किए गए डेटा के मुख्य निष्कर्ष**
    * **अमेरिका,** पिछले पांच वर्षों से **दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य साजो-सामान निर्यातक** देश है। इसके बाद **रूस और फ्रांस का स्थान** है।
    * पिछले पांच वर्षों में **वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।** भारत के बाद **सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया** का स्थान है।
    * **भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस था।** हालांकि, भारत में कुल हथियार आयात में इसकी हिस्सेदारी में कमी आई है।
        * भारत के **अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्ता- फ्रांस, अमेरिका और इजरायल** हैं।
    * **2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11 प्रतिशत की कमी** आई थी। इसके प्रमुख कारण जटिल खरीद प्रक्रिया, हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के प्रयास और आयात की जगह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास हैं।

4.7.2. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023 {Global Terrorism Index (GTI) 2023}

- GTI का 10वां संस्करण सिडनी स्थित **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)** ने जारी किया है। GTI **आतंकवाद में वैश्विक रुझानों और पैटर्न को कवर** करता है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित** रहा है। उसके बाद **बुर्किना फासो और सोमालिया** का स्थान है।
    - भारत **13वें** स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान **छठे** स्थान पर है।
    - दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह **इस्लामिक स्टेट (IS) और उसके सहयोगी** हैं। इसके बाद **अल-शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन (JNIM)** का स्थान है।
    - **जलवायु परिवर्तन** आतंकवादी समूहों को **धन जुटाने, प्रचार-प्रसार करने और लोगों की भर्ती करने में मदद** कर रहा है।

4.7.3. वायुलिंक (Vayulink)

- भारतीय **वायु सेना ने युद्ध में मित्रवत बलों की पहचान** करने के लिए "वायुलिंक" नाम से एक इन-हाउस सिस्टम को शामिल किया है।
- वायुलिंक वास्तव में **एक डेटा लिंक प्रणाली** है। यह प्रणाली **सभी इकाइयों (जिनमें लड़ाकू और गैर-लड़ाकू दोनों शामिल हैं)** को सिंगल लिंक के माध्यम से जोड़ती है।
    - वायुलिंक सुरक्षित व जैमर-प्रूफ संचार के माध्यम से हवाई या जमीन पर युद्ध की स्थिति में मित्रवत बलों की पहचान के जरिये युद्धक्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
    - यह **उड़ान भरने से पहले पायलटों को सटीक मौसम की जानकारी** प्रदान करेगा।
    - यह सिस्टम **कई स्रोतों से उपलब्ध इनपुट्स को संयुक्त युद्धक्षेत्र में एकीकृत** करेगा। साथ ही, ऑपरेटर्स को लगभग रीयल-टाइम डेटा प्रदान करेगा।
    - यह प्रणाली **स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने और परिणामस्वरूप प्रभावी निर्णय लेने** में मदद करेगी।

4.7.4. प्रिसिजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिशन {Precision Attack Loitering Munition (PALM 400)}

- थल सेना **पोखरण में PALM 400 ड्रोन का परीक्षण** करने जा रही है।
- PALM 400 एक **सशस्त्र रिमोटली पायलटेड व्हीकल (RPV)** है। इसे एविज़न सिस्टम्स ने निर्मित किया है।
    - यह एक **इजरायली कंपनी यूविज़न एयर लिमिटेड और हैदराबाद स्थित आदित्य प्रीसिटेक प्राइवेट लिमिटेड** के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।
- यह एक कनस्तर से प्रक्षेपित होने वाला एक **हाई प्रिसिजन लोइटरिंग सिस्टम** है। यह 120 मिनट तक घूमता रह सकता है।
    - **गति:** 50-140 समुद्री मील (90-260 किमी प्रति घंटा),
    - **ऊंचाई:** जमीन से 3,000-4,000 फीट ऊपर।
    - यह **अपने लक्ष्य को निर्धारित** करता है और ऊपर से (जहां लक्ष्य की कवच सुरक्षा सबसे कम होती है) एक **कवच-भेदक प्रक्षेप्य को दागता** है।

4.7.5. MQ-9 रीपर (MQ-9 Reaper)

- अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी जेट विमानों ने उसके **MQ-9 रीपर ड्रोन को काला सागर क्षेत्र** में नष्ट कर दिया है।
- इसे अमेरिका के **जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स, इंक. (GA-ASI)** ने निर्मित किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन **टर्बोप्रॉप-संचालित तथा बहु-मिशन वाला रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) है।**
    - इसे **प्रिडेटर B** के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग **खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी करने और हमले करने** के लिए किया जा सकता है।
- **तकनीकी विशेषता:** यह **240 नॉट्स की गति से और 1,746 किलोग्राम पेलोड के साथ 27 घंटे से अधिक समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई** तक रह सकता है।

MQ-9 Reaper

4.7.6. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **शिन्यू मैत्री (Shinyuu Maitri):** यह **भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF)** के बीच आयोजित अभ्यास है।

- **दस्तलिक (DUSTLIK)-2023:** यह संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत **थल सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच** आयोजित अभ्यास है।
- **फ्रिंजेक्स-2023:** यह **थल सेना और फ्रांसीसी सेना** के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **बोल्ड कुरुक्षेत्र:** यह **भारत और सिंगापुर के बीच** संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **सी ड्रैगन 2023:** यह एक **समन्वित बहु-पक्षीय पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW)** अभ्यास है। इसमें **भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया की नौसेनाओं** ने हिस्सा लिया है।
- **कोबरा वॉरियर:** यह एक **बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास** है। इसका आयोजन **यूनाइटेड किंगडम में वर्ष में दो बार** किया जाता है। इसमें **भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की वायु सेनाओं** ने भाग लिया है।
- **कोंकण 2023:** यह **भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (UK) के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास** है।
- **ला पेरोउसे (La Perouse):** यह **फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास** है। इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है।
- इसमें भाग लेने वाले देशों में **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम** आदि शामिल हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि (खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि) {Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction Treaty (United Nation High Seas Treaty)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि** या **खुले समुद्र पर संधि**[89] को अपनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस संधि को **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर पांचवें संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी सम्मेलन** में अपनाया गया।
- इस संधि को **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)**[90] के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है।
    - क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण का मुद्दा 2012 में आयोजित **रियो+ 20 शिखर सम्मेलन** में उठाया गया था।
    - गौरतलब है कि 2017 में, **संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प** अपनाया था। इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को तैयार करने के लिए **अंतर-सरकारी सम्मेलन का प्रावधान** किया गया था।
    - इस सम्मेलन की बैठक **पहली बार 2018** में संपन्न हुई थी।

- यह **संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी** है। यह केवल तब ही लागू होगी जब **60 देश इसकी पुष्टि कर देंगे।**
- इसे **'महासागर के लिए पेरिस समझौते'** के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है।
- **हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल (HAC)**[91] ने इस संधि को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - यह एक **अंतर-सरकारी समूह** है। इसमें 100 से अधिक देश शामिल हैं।
    - इसका लक्ष्य **2030 तक विश्व की कम-से-कम 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों** का संरक्षण करना है। **भारत** भी इस समूह का सदस्य है।
    - वर्तमान में, इसकी सह-अध्यक्षता कोस्टा रिका और फ्रांस द्वारा की जा रही है जबकि यूनाइटेड किंगडम महासागरीय सह-अध्यक्षता (Ocean co-chair) कर रहा है।
- देशों के आंतरिक जल क्षेत्र या प्रादेशिक जल क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर के संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र को **खुला समुद्र** (High Seas) कहते हैं।

---

89 High Seas Treaty

90 United Nations Convention on Laws of the Sea

91 High Ambition Coalition for Nature and People

समुद्री क्षेत्र

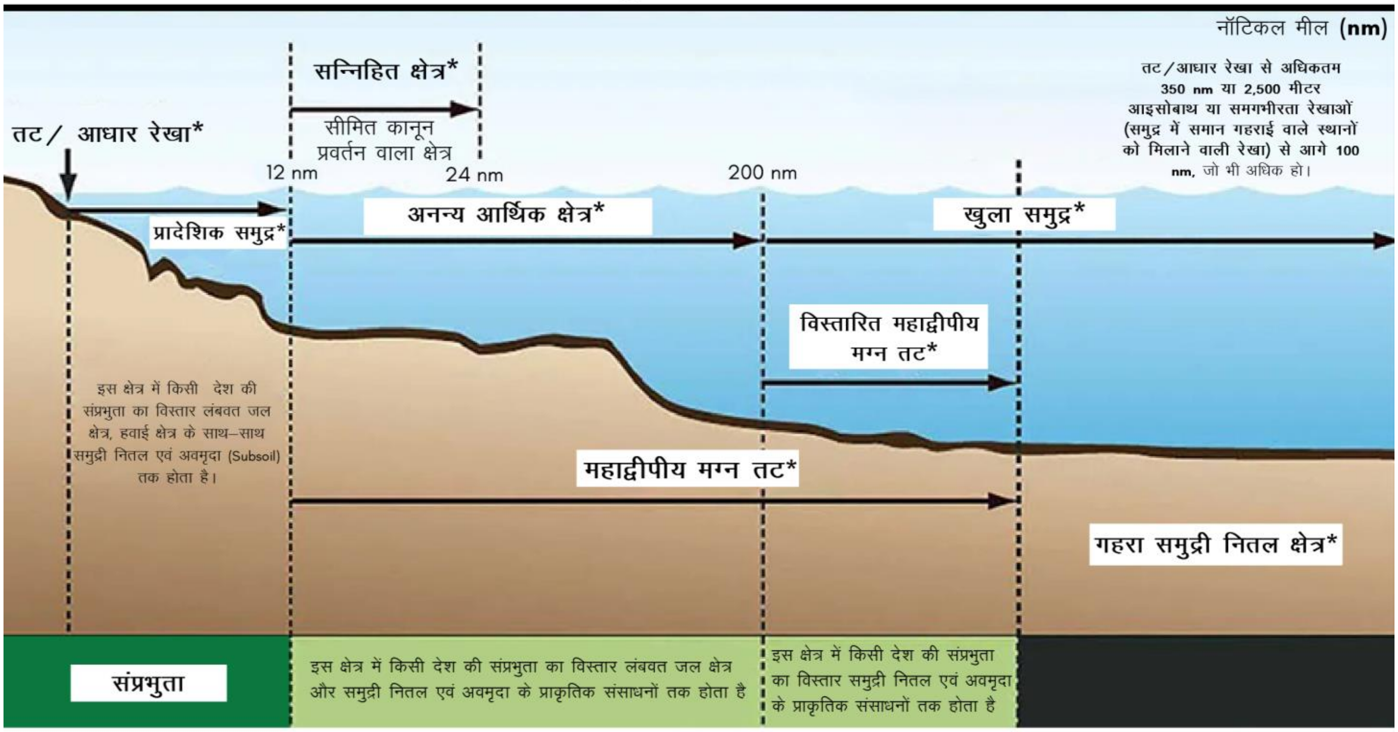

*तट/आधार रेखा: Coast/Baseline; सन्निहित क्षेत्र: Contiguous Zone; खुला समुद्र: High Seas; प्रादेशिक समुद्र: Territorial sea; अनन्य आर्थिक क्षेत्र: Exclusive Economic Zone; विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट: Extended Continental Shelf; महाद्वीपीय मग्न तट: Continental Shelf; गहरा समुद्री नितल क्षेत्र: Deep Seabed Area

खुले समुद्र (High Seas) के संदर्भ में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं?

खुला समुद्र

महासागर हमारे ग्रह के **70 प्रतिशत** से अधिक हिस्से पर फैले हुए हैं।

महासागर अतिरिक्त वैश्विक ऊष्मा का **90 प्रतिशत** अवशोषित करते हैं।

प्रत्येक वर्ष करीब **8 मिलियन** टन प्लास्टिक अपशिष्ट विश्व के महासागरों में पहुंचता है।

- **समुद्री जैव विविधता का संरक्षण:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)[92] के अनुसार, लगभग 9% समुद्री प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता को लागू करना:** कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क (GBF) और महासागरों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 14 जैसी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन:** इससे समुद्री हीट वेव (लू) की घटनाओं में लगभग 20 गुना वृद्धि हुई है। इससे प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग), शैवाल प्रस्फुटन जैसी हानिकारक परिघटनाएं घटित हो रही हैं।
- **गैर-संरक्षित वैश्विक साझा संसाधन:** खुले समुद्र का केवल 1% जल क्षेत्र ही समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs)[93] के अंतर्गत आता है।
- **समुद्री प्रदूषण:** कुल समुद्री प्रदूषण में प्लास्टिक अपशिष्ट की हिस्सेदारी लगभग 80% है। उत्तरी प्रशांत महासागर में **ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच** इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

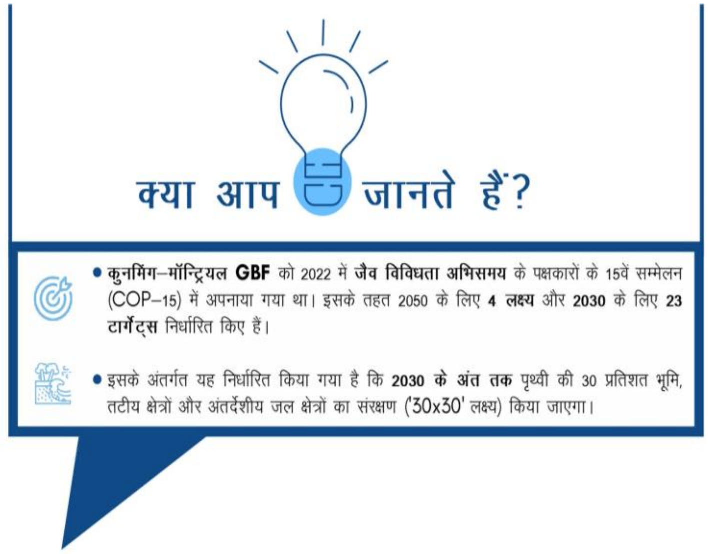

- **आर्थिक गतिविधियां:** खनन, मत्स्यन जैसी गतिविधियों के कारण समुद्र की तली पर मौजूद अवसाद बिखर जाता है और समुद्री जीवों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचता है।

खुले समुद्र पर संधि (High Seas Treaty) का मसौदा

उद्देश्य: यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में **समुद्री जैव-विविधता** का **संरक्षण** और उनका **संधारणीय** उपयोग सुनिश्चित करेगा।

मसौदा के मुख्य बिंदु

पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (Environmental Impact Assessments: EIA)	लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण (Fair and Equitable Sharing of Benefits)
• परियोजना को लागू करने से पहले EIA के तहत स्क्रीनिंग, स्कोपिंग आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को अपनाना पक्षकारों का कर्तव्य होगा। • EIA के पश्चात् **पर्यावरण प्रबंधन योजना** तैयार की जाएगी।	• पहुंच एवं लाभ-साझाकरण समिति[94] राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGR)[95] और MGR से संबंधित डिजिटल अनुक्रम जानकारी से प्राप्त लाभों को साझा करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। • कोई भी देश अपने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री आनुवंशिक संसाधनों पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

---

92 International Union for Conservation of Nature

93 Marine Protected Areas

94 Access- and the benefit-sharing committee

95 Marine Genetic Resources

देशज समुदाय की सहमति	संस्थागत तंत्र
• देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधीन आने वाले खुले समुद्री क्षेत्रों में **समुद्री संसाधनों का उपयोग करने** के लिए स्वैच्छिक, पूर्व और सूचित सहमति लेना आवश्यक है।	• **पक्षकारों का सम्मेलन (CoP):** इसकी स्थापना संधि के प्रावधानों से संबंधित गवर्नेंस के लिए की जाएगी। • **क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म:** यह इस संधि के प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में पक्षकारों को जानकारी उपलब्ध, प्रदान करने और पक्षकारों तक जानकारी के प्रसार को संभव बनाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।

अन्य मुख्य बिंदु

- **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन साधन:** यह पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधित्व वाली और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के अच्छी तरह से कनेक्टेड नेटवर्क की एक व्यापक प्रणाली है।
- **क्षमता-निर्माण और प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण:** यह कार्य समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण में किया जाएगा।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas: MPAs):** यह संधि खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगी। इन्हें महासागर के राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य कहा जा सकता है।
- **समता:** इसके तहत लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों और अल्प विकसित देशों की विशेष परिस्थितियों एवं स्थलरुद्ध विकासशील देशों के विशेष हितों तथा जरूरतों को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाएगी।
- **ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड:** यह संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा।
- **विवादों का निपटारा:** पक्षकार का यह दायित्व होगा कि वे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें।
- **अपवाद:** भाग II को छोड़कर, जिसका संबंध समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से है, यह संधि किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायक पोतों पर लागू नहीं होती है।

संधि को लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **वित्त-पोषण और प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण:** इसे विकसित देशों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है।
- **अनसुलझे मुद्दे:** ऐसे मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी के लिए** संस्थागत व्यवस्था,
  - **अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली** परियोजनाएं और
  - **विवादों का समाधान (हितों के टकराव की स्थिति में)।**
- **समझौता वार्ता और समय-सीमा:** नियमों और विनियमों को तैयार करने के साथ-साथ क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।
- **कानूनी रूप से बाध्यकारी:** कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान को देश अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए इस संधि का विरोध कर सकते हैं।
- **अपवाद:** मत्स्य पालन, पोत-परिवहन और गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार संगठन EIA को पूरा किए बिना भी ऐसी गतिविधियां जारी रख सकते हैं।

THE LAW OF THE SEA

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)

मुख्यालय: हैम्बर्ग, जर्मनी

सचिवालय: संयुक्त राष्ट्र का महासागर मामलों और समुद्री कानून के लिए प्रभाग (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea: DOALOS)

UNCLOS के बारे में: यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून एवं व्यवस्था की एक व्यापक शासी संरचना स्थापित करता है। साथ ही, यह महासागरों और उनके संसाधनों के सभी प्रकार के उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम भी स्थापित करता है।

उत्पत्ति: यह तीसरे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस (UNCLOS III) के बाद अस्तित्व में आया। इसका आयोजन 1973 और 1982 के बीच किया गया था। यह अभिसमय (UNCLOS) 1994 में लागू हुआ।

सदस्यों की संख्या: 168 पक्षकारों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

सदस्य है

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून ट्रिब्यूनल (International Tribunal for the Law of the Sea) की स्थापना की है। इसके पास इस अभिसमय की व्याख्या और क्रियान्वयन से संबंधित विवादों की सुनवाई करने का अधिकार है।

आगे की राह

- **कार्यान्वयन:** इस संधि की पुष्टि और कार्यान्वयन पहले की अन्य **वैश्विक संधियों की तुलना में तेजी से किया जाना चाहिए।**
- **सहयोग:** संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन में देशों को **एक-दूसरे का सहयोग करना** चाहिए।
- **अन्य पहलें:** इसके अलावा, **जागरूकता अभियान** जैसे अन्य कदम भी उठाने की आवश्यकता है।
- **वित्त-पोषण तंत्र:** केवल विकसित देशों पर निर्भरता के बजाय संधारणीय दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए।

5.2. संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन (UN 2023 Water Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, **न्यूयॉर्क** में 22-24 मार्च तक आयोजित किया गया था। इसकी **सह-मेजबानी नीदरलैंड और ताजिकिस्तान** द्वारा की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान मौजूदा जल संकट और निम्नलिखित के संबंध में इसकी भूमिका पर भी चर्चा की गई:
  - जबरन प्रवास में
  - जलवायु परिवर्तन में
  - संघर्षों में
  - अच्छे स्वास्थ्य में
  - गरीबी को कम करने में
  - खाद्य सुरक्षा में
- इस सम्मेलन के दौरान **"जल के लिए भागीदारी और सहयोग[96]"** शीर्षक के साथ **संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (UNWWDR)[97] 2023** जारी की गई।

संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलापूर्ति, स्वच्छता और साफ-सफाई पर विगत लगभग 50 वर्षों में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है।
  - जल के विषय पर समर्पित संयुक्त राष्ट्र का यह केवल **दूसरा सम्मेलन था।** इससे पहले एक ऐसा ही **सम्मेलन 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा** में आयोजित किया गया था।
- इस सम्मेलन के निम्नलिखित **उद्देश्य** हैं:
  - **जल, स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व** को लेकर एक व्यापक समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना।
  - इसके अलावा, महत्वपूर्ण **संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने में मदद करना।**
- यह संधारणीय विकास एजेंडा 2030 में निर्धारित लक्ष्यों सहित **SDG-6 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जल संबंधी अन्य लक्ष्यों (Goals) एवं उनसे संबंधित टारगेट्स को लेकर प्रतिबद्धताओं और कार्रवाई में तेजी लाने** का एक बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कांफ्रेस के पांच थीम/विषय

स्वास्थ्य के लिए जल (Water for Health)
स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों सहित **'वॉश/WASH'** (ग्लोबल वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन) तक पहुंच।

संधारणीय विकास के लिए जल (Water for Sustainable Development)
जल, **जल–ऊर्जा–खाद्य संबंधों** और संधारणीय आर्थिक तथा शहरी विकास को महत्त्व देना।

जलवायु, लचीलापन और पर्यावरण के लिए जल (Water for Climate, Resilience and Environment)
समुद्र, जैव विविधता, जलवायु, लचीलापन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के स्रोत।

सहयोग के लिए जल (Water for Cooperation)
सीमा–पारीय और अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग, क्षेत्र–पारीय सहयोग और 2030 एजेंडे के लिए जल।

जल कार्रवाई दशक (Water Action Decade)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कार्य योजना सहित **डिकेड फॉर एक्शन** के निर्धारित उद्देश्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

- इस सम्मेलन में **समावेशन, सभी क्षेत्रकों की जिम्मेदारी** और **कार्रवाई उन्मुखता** जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है।

सम्मेलन के मुख्य परिणाम (आउटकम्स)

- **एक नया जल कार्रवाई एजेंडा (Water Action Agenda):** इस एजेंडे में जल कार्रवाई दशक 2018-2028 और संधारणीय विकास एजेंडा 2030 की **प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया** है।

---

96 Partnerships and cooperation for water

97 The United Nations World Water Development Report

©Vision IAS

- इसमें भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए 50 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता को भी शामिल किया गया है।
- **क्षमता-निर्माण:** सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि **कई लोगों की पहुंच मूलभूत सेवाओं तक नहीं है क्योंकि वे अपने लिए आवाज उठाने में असमर्थ हैं** और अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भी समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए/ द्वारा डिजाइन की जाती हैं।
    - **मेकिंग राइट्स रियल पहल** जैसे प्रयासों ने वंचित समुदायों और महिलाओं को यह समझने में मदद की है कि उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करना चाहिए।
    - इसके अलावा, **वाटर फॉर वीमेन फंड** महिलाओं के लिए जल, स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी अधिक प्रभावी एवं संधारणीय परिणामों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है।
- **ज्ञान साझा करना:** इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों (क्रॉस-लर्निंग) द्वारा आपस में ज्ञान को साझा करने की जरूरत को स्वीकार किया गया है।
    - एक उपयोगी क्रॉस-लर्निंग टूल **W12+ ब्लूप्रिंट Blueprint (W12+ Blueprint)** है। यह यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है। यह शहरों की प्रोफाइल्स के साथ-साथ जल सुरक्षा संबंधी साझा चुनौतियों से निपटने वाले कार्यक्रमों, तकनीकों और नीतियों की केस स्टडी उपलब्ध करवाता है।
- **औपचारिक समझौते की मांग:** सम्मेलन में शामिल कई प्रतिभागियों द्वारा निम्नलिखित की मांग की गई:
    - **पेरिस जलवायु समझौता, 2015** और **मॉन्ट्रियल जैव विविधता संधि, 2022** के समान ही जल पर भी औपचारिक वैश्विक समझौते की, और
    - बेहतर डेटा एवं जल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की स्थापना की।
- **पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि किसानों और उद्योगों, दोनों को जल से संबंधित अधिक कुशल तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- किसानों को जल का अधिक कुशल उपयोग करने या कीटनाशक रहित फसल उत्पादन के लिए तब तक प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उपभोक्ता अधिक संधारणीय तरीके से उत्पादित उत्पादों के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार न हो जाएं।

जल कार्रवाई दशक (Water Action Decade) 2018-2028

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 से 2028 के बीच की अवधि को "संधारणीय विकास के लिए जल" पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य **जल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने वाली पहलों की कार्रवाई में तेजी लाना है।**
- **इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं:**
    - संधारणीय विकास एजेंडा 2030 में उल्लिखित जल संबंधी सतत लक्ष्यों पर जानकारी सहित **जल और जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित ज्ञान को साझा करने में सुधार करना।**
    - **जल संबंधी SDGs हासिल करने के लिए संचार में सुधार करना।**

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023: जल के लिए भागीदारी और सहयोग

- इस रिपोर्ट को **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने यू.एन. वाटर की ओर से जारी** किया है। इस रिपोर्ट का निर्माण यूनेस्को विश्व जल आकलन कार्यक्रम[98] के समन्वय के साथ किया जाता है।
    - यह रिपोर्ट **प्रत्येक वर्ष एक अलग विषय (थीम) पर** केंद्रित होती है। यह रिपोर्ट सर्वोत्तम पद्धतियों और गहन विश्लेषण को प्रस्तुत करते हुए नीतियां बनाने के संदर्भ में निर्णय लेने वालों को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर:**
    - **विश्व में जल की मांग, उपलब्धता और गुणवत्ता:** विश्व स्तर पर जल की खपत पिछले 40 वर्षों से **लगभग 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है**। इसके 2050 तक इसी दर से बढ़ने की संभावना है। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक विकास और बदलते उपभोग पैटर्न जैसे कारकों का सम्मिलित प्रभाव उत्तरदायी है।
        - इस वृद्धि का बड़ा भाग विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित **मध्यम और निम्न आय वाले देशों** में केंद्रित है।
    - **SDG-6 लक्ष्यों की दिशा में प्रगति:** SDG-6 के सभी टारगेट्स की दिशा में प्रगति की मौजूदा गति काफी धीमी है। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में तो कार्यान्वयन की गति को चार गुना या उससे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
    - **कृषि की अनदेखी करते हुए शहरी क्षेत्रों को जल आपूर्ति:** इसके परिणामस्वरूप सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता कम हो जाती है। इससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
        - 2050 तक शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी मांग में 80% तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

---

[98] UNESCO World Water Assessment Programme

- **जलसंभर (Watershed) संरक्षण:** कई जलसंभर सेवा योजनाएं लचीलेपन का निर्माण कर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को संबोधित करती हैं, और शमन में उनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है।
- **साझेदारी और सहयोग:** परस्पर सहयोग से जल संबंधी प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में सुधार होता है। साथ ही, इससे नवीन समाधानों को बढ़ावा और आपसी दक्षता का लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है।
  - दो या दो से अधिक देशों में फैले नदी बेसिनों और जलभृतों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परस्पर सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- **डेटा और जानकारी:** अधिकतर मामलों में जल संसाधन की निगरानी और प्रबंधन का दायित्व सरकारी एजेंसियों पर होता है। प्रायः यह देखा गया है कि इन एजेंसियों के पास जल से संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने की क्षमता का अभाव होता है।
- **शिक्षा और क्षमता का विकास:** इससे संधारणीय और न्यायसंगत जल प्रबंधन संबंधी बेहतर प्रणालियों का विकास करने, उन्हें अपनाने और संस्थागत रूप देने में तेजी लाने में मदद मिलती है।
  - दुनिया के कई हिस्सों में, जल संबंधी प्रबंधन में स्थानीय ज्ञान और प्रणालियों को शामिल किया जाता है।
- **वित्त-पोषण:** सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से जल से संबंधित निवेश के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं।

5.3. AR6 संकलन रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)[99] ने **छठे आकलन चक्र (AR6)**[100] **के लिए संकलन रिपोर्ट (Synthesis Report)** जारी की है।

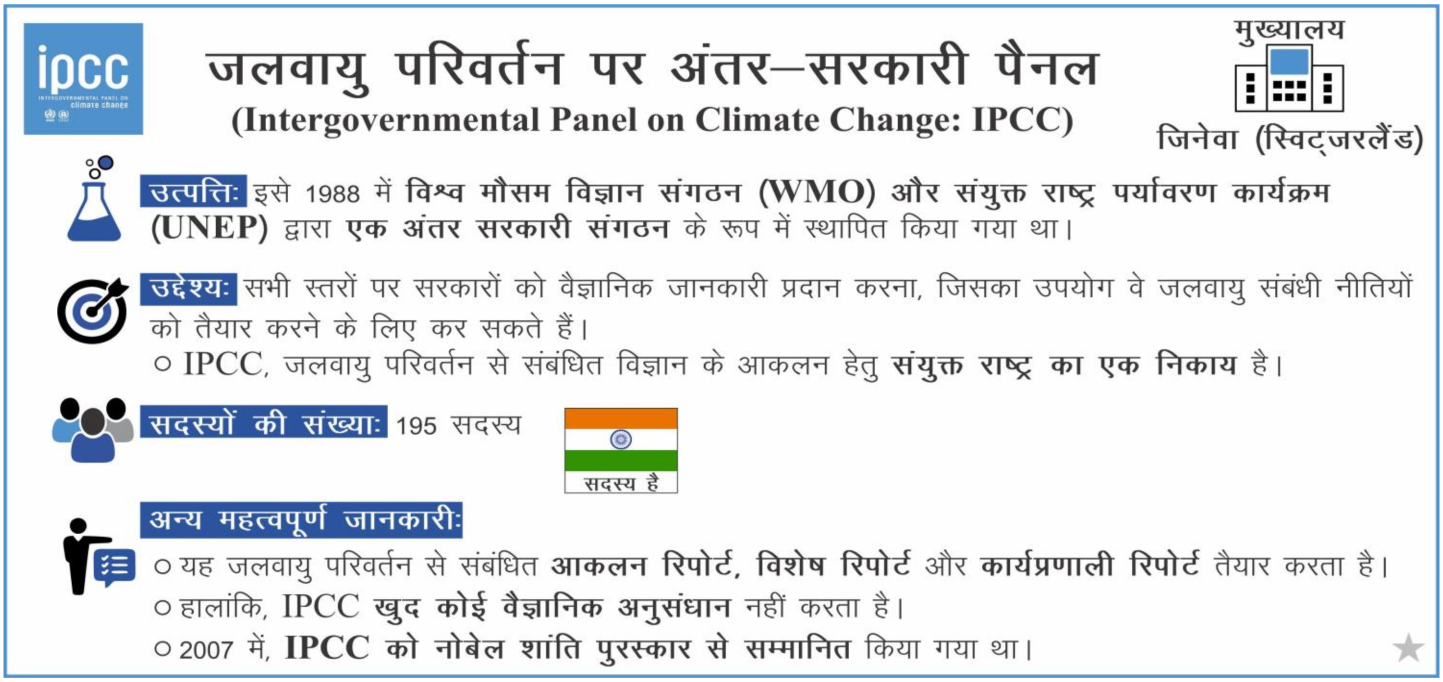

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट 2018 और 2022 के बीच जारी की गई पिछली रिपोर्ट्स का **सारांश** है।
- इसमें छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के मुख्य निष्कर्षों को एकीकृत किया गया है। AR6 तीन कार्यकारी समूहों और निम्नलिखित तीन विशेष रिपोर्ट्स के योगदान पर आधारित है:
  - ग्लोबल वार्मिंग ऑफ़ 1.5 डिग्री सेल्सियस,
  - क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, तथा
  - द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट।

---

[99] Intergovernmental Panel on Climate Change

[100] Sixth Assessment Cycle

- इसका उद्देश्य **नीति निर्माताओं** को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभावों और भावी जोखिमों के प्रति बेहतर समझ प्रदान करना तथा इन जोखिमों को दूर करने के लिए समाधानों प्रस्तुत करना है।

प्राकृतिक पारितंत्र वस्तुतः कृत्रिम रूप से निर्मित वनीकरण पारितंत्रों से बेहतर क्यों हैं?

- **जैव विविधता:** प्राकृतिक पारितंत्र में वनस्पतियों की **विविध प्रजातियां** होती हैं, जबकि वनीकरण के तहत **मोनोकल्चर** (एकल-प्रजाति के वृक्षारोपण) पर बल दिया जाता है।
    - संबंधित जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त देशी प्रजातियों के स्थान पर **गैर-देशी प्रजातियों** को उगाया जाता है। साथ ही, इसके तहत कभी-कभी आक्रामक प्रजातियों को भी उगाया जाता है जो देशी प्रजातियों के लिए खतरा है।
- **प्रभावशीलता: प्राकृतिक पारितंत्र की तुलना में** वनीकरण वाले पारितंत्रों की **कार्बन को अवशोषित करने और उसे भंडारित करने की क्षमता बहुत कम** होती है। साथ ही, ऐसे पारितंत्र को परिपक्व चरण तक पहुंचने में काफी समय भी लगता है।
- **वनों की कटाई वाले स्थल के बजाए कहीं और वनीकरण करना:** 2022 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि वह ग्रेट निकोबार में वनों की कटाई की क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)[101] फंड के तहत प्राप्त राशि का उपयोग अपने यहां **"दुनिया की सबसे बड़ी सफारी"** विकसित करने के लिए करेगा। स्पष्ट है कि वनों की कटाई निकोबार में हुई जबकि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त फंड का इस्तेमाल 2,400 कि.मी. दूर (हरियाणा में) और बहुत अलग स्थलाकृति वाली जगह की विकास परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।
- यह **विस्थापित प्राणियों की प्रजातियों** आदि के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं है। इससे **एंडेंजर्ड प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा** पैदा हो गया है।
- **प्राकृतिक पारितंत्र के विनाश की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती:** नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2013 में यह पाया कि CAMPA के माध्यम से एकत्र की गई अधिकांश निधि का उपयोग नहीं किया गया है।
- **रख-रखाव:** आत्मनिर्भर प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में **वनीकृत पारितंत्रों** के रख-रखाव पर अत्यधिक धन खर्च किया जाता है।

इस संकलित रिपोर्ट के बिंदुओं पर एक नज़र (ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति)

- **ग्लोबल वार्मिंग के लिए स्पष्ट रूप से मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं।** 2011-2020 की अवधि में वैश्विक सतह का तापमान 1850-1900 के स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव:**
    - **जल और खाद्य उत्पादन:** भौतिक रूप से जल की उपलब्धता और इसके परिणामस्वरूप भोजन, पशुधन उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
        - इसके लिए **कृषि संबंधी और पारिस्थितिकी संबंधी सूखे में वृद्धि एवं कुछ मामलों में भारी वर्षा** भी जिम्मेदार है।
    - **स्वास्थ्य और देखभाल:** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप संक्रामक रोगों, गर्मी, कुपोषण और विस्थापन में बढ़ोतरी हुई है।
    - **अधिवास और अवसंरचना: अंतर्देशीय बाढ़ या शहरी बाढ़** तथा तटीय क्षेत्रों में तूफान से होने वाली क्षति में वृद्धि हुई है। इसके लिए महासागर की ऊपरी परत के अम्लीकरण, गर्मी में चरम तापमान वाली स्थितियों में वृद्धि आदि जिम्मेदार हैं।
    - **जैव विविधता:** जलवायु परिवर्तन से स्थलीय, ताजा जल और महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- **प्राकृतिक बनाम रोपण पारितंत्र:** रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि बर्बाद हो चुके पारितंत्रों का पुनरुद्धार करने की तुलना में मौजूदा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के क्षरण को रोकना जलवायु संकट के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक प्रभावी साबित होगा। इससे शमन संबंधी तीव्रतर परिणाम प्राप्त होंगे। यह भारत की वनीकरण रणनीति संबंधी प्रयास पर सवाल खड़ा करता है।
    - **जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल** जैसी जलवायु कार्रवाइयों का इस्तेमाल **प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का विनाश करके** नहीं किया जाना चाहिए।

भारत की वनीकरण रणनीति

- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** इसके तहत यह प्रावधान है कि जब भी **वन भूमि को गैर-वन भूमि में परिवर्तित किया जाता है तो** उतने ही **गैर-वन भूमि** क्षेत्र पर **क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण** किया जाना चाहिए।
- **प्रतिपूरक वनीकरण: CAMPA** की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य **प्रतिपूरक वनीकरण (CA), निवल वर्तमान मूल्य (NPV)**[102] के लिए एकत्रित धन **और उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूल करने योग्य किसी भी अन्य धन** का प्रबंधन करना है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता:** भारत सरकार "2030 तक **अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम** से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त **कार्बन सिंक"** का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

---

[101] Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

[102] Net Present Value

- **उत्सर्जन अंतराल:** रिपोर्ट के अनुसार, **वैश्विक महत्वाकांक्षाओं** और **घोषित की गई कुल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं** के मध्य काफी अंतराल है।
    - **प्रगति के बावजूद,** जलवायु **अनुकूलन संबंधी अंतराल बना हुआ** है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदम जोखिम के अल्पावधि समाधान पर केंद्रित हैं, इससे **रूपांतरणकारी अनुकूलन** बाधित होता है।
    - यदि ग्लोबल वार्मिंग को 2°C तक सीमित रखना है तो लगभग **80% कोयला, 50% गैस, और 30% तेल भंडार के दहन और उससे होने वाले उत्सर्जन को रोकना** होगा। यदि इस लक्ष्य को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना हो तो और अधिक संसाधनों के दहन और उससे होने वाले उत्सर्जन को रोकना होगा।

जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में प्रभावी कदम

- **वैश्विक नीतिगत परिदृश्य: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)[103], क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता** राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बढ़ते स्तरों का समर्थन कर रहे हैं तथा कई स्तरों पर जलवायु संबंधी नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को भी प्रोत्साहित करते हैं।
    - **बढ़ती जन जागरूकता** ने समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने में मदद की है।
- **शमन संबंधी कार्रवाइयां:** 2020 तक**, 56 देशों** में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कटौती करने को प्राथमिकता देने वाले कानून मौजूद थे। ये देश **वैश्विक उत्सर्जन में 53% के लिए उत्तरदायी** थे।
    - 2010 से 2019 तक, **सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि की प्रति यूनिट लागत में निरंतर कमी आई है। यह कमी सौर ऊर्जा में 85% और और पवन ऊर्जा में 55% तक हुई है।**
    - 2013-14 और 2019-20 के बीच जलवायु शमन और अनुकूलन हेतु कुल वित्तीय प्रवाह में 60% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि, 2018 के बाद से इसकी औसत वृद्धि धीमी हो गई है।
    - **शमन संबंधी कार्रवाइयों** ने 2010 और 2019 के बीच वैश्विक ऊर्जा और कार्बन तीव्रता (Carbon intensity) को कम करने में योगदान दिया है।
- **अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयां:** जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों और जोखिमों के बारे में सार्वजनिक एवं राजनीतिक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप कम-से-कम 170 देशों तथा कई शहरों ने अपनी जलवायु नीतियों और योजनाओं में अनुकूलन के पक्ष को शामिल किया है।
    - **उदाहरण के लिए-** कृषि क्षेत्रक में, फसल सुधार, खेत में जल प्रबंधन और भंडारण, मृदा की नमी का संरक्षण, सिंचाई आदि कई लाभ प्रदान करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम को कम करते हैं।
    - 2014 से दर्ज की गई अनुकूलन संबंधी सभी कार्रवाइयों का एक बड़ा भाग (लगभग 60%) जल से संबंधित जोखिमों और प्रभावों के प्रति अनुकूलन पर केंद्रित था।
- **दोषपूर्ण अनुकूलन (Maladaptation) के बढ़ते मामले:** इसके तहत ऐसी कार्रवाइयां शामिल हैं जो वर्तमान में या भविष्य में जलवायु से संबंधित प्रतिकूल परिणामों के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि:
    - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि,
    - जलवायु परिवर्तन संबंधी परिवर्तनशीलता में वृद्धि या बदलाव,
    - अधिक असंतुलित परिणाम,
    - कल्याणकारी उपाय पर प्रभाव।
        - **दोषपूर्ण अनुकूलन के उदाहरण:** अधिक गहन सूखे वाले कृषि क्षेत्रों में उच्च लागत वाली सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना।

क्या आप जानते हैं?

- **जीवाश्म ईंधन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह** अभी भी जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन एवं शमन की तुलना में **अधिक** हैं।

---

103 United Nations Framework Convention on Climate Change

आगे की राह

जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गहन, तीव्र और निरंतर कमी लाना; **राजनीतिक प्रतिबद्धता, समावेशी शासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझा करना और एक मजबूत वित्त-पोषण तंत्र का होना** महत्वपूर्ण है। इनके अलावा, कुछ क्षेत्रक विशिष्ट निम्नलिखित पहलें भी शुरू की जा सकती हैं:

- **ऊर्जा आपूर्ति:** ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण (पवन, सौर, भूतापीय आदि) और कार्बन प्रच्छादन (Sequestration) को बढ़ावा देने जैसे कदमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **जल और भोजन:** फसल भूमि प्रबंधन में सुधार करना, जल के उपयोग संबंधी दक्षता को और बढ़ाना, कृषि वानिकी जैसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।
- **अधिवास और अवसंरचना:** संधारणीय शहरी जल प्रबंधन, हरित अवसंरचना, इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- **जैव विविधता:** इसमें जैव विविधता का संरक्षण, औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- **व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन:** अंतिम उपयोगकर्ताओं को कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले विकल्प/ उत्पाद को अपनाने में मदद करने के लिए नीतियों, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहायता दी जा सकती है।

5.4. जलवायु न्याय (Climate Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जलवायु संबंधी न्याय (Climate justice) को एक अवधारणा के रूप में दो शीर्ष वैश्विक संस्थानों यथा **संयुक्त राष्ट्र महासभा** और **यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR)**[104] के सत्रों में शामिल किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प अपनाया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कहा गया है वह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु प्रणाली की रक्षा करने संबंधी **राष्ट्र की कानूनी जिम्मेदारियों** और ऐसा करने में विफल रहने के परिणामों पर **राय या स्पष्टता प्रदान करे।**
  - इस संकल्प का नेतृत्व प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र **वानुअतु द्वारा एक पहल के माध्यम से किया गया था। वानुअतु एक लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्र** है।
  - संयुक्त राष्ट्र के इस संकल्प के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को **पेरिस समझौते के दायरे से आगे बढ़ते हुए राय देने** के लिए कहा गया है।
  - यह संकल्प सुभेद्य **लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों** और **भावी पीढ़ियों** दोनों को व्यापक क्षति पहुंचाने के मामले में **कानूनी कार्रवाई** को भी रेखांकित करता है। इस प्रकार यह संकल्प इन समूहों के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
- **ECHR में** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए राष्ट्रों के कर्तव्य के मामले की **पहली सार्वजनिक सुनवाई की गयी।**
  - ECHR वस्तुतः **यूरोपीय परिषद** का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है। यह **यूरोपीय संघ के न्यायालय** से अलग है जो लक्ज़मबर्ग में स्थित है।

जलवायु संबंधी न्याय का महत्व

- **जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामाजिक आयामों को स्वीकार करने में:** जलवायु परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ क्रिया करते हुए समाज के वंचित वर्ग को अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा भी है।
  - यह **अलग-अलग वर्गों, नस्लों, लिंग, भौगोलिक क्षेत्रों और पीढ़ियों के लोगों को अलग-अलग** रूप से प्रभावित करता है।
- **सुभेद्य देशों और समुदायों की चिंताओं को उजागर करने में:** सर्वाधिक प्रभावित लोग और क्षेत्र (MAPA)[105] जिनका जलवायु परिवर्तन में कोई योगदान नहीं है, उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। उदाहरण के लिए- समुदाय जैसे महिलाएं और LGBTQIA+ एवं ग्लोबल साउथ के देश।

---

[104] European Court of Human Rights

[105] Most Affected People and Areas

- **जलवायु परिवर्तन जनित बोझ को साझा करने में:** जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के देश और समुदाय प्रायः इस समस्या से निपटने में असमर्थ होते हैं और उनके पास संसाधन भी कम होते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन जनित बोझ को सभी देशों द्वारा साझा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे देशों द्वारा जो इससे निपटने में सक्षम हैं।
- **स्थानीय समाधानों को मान्यता देने में:** इसके तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी संकट का सामना करने के लिए **ग्लोबल साउथ** के प्रसिद्ध **क्लाइमेट लीडर्स को मान्यता दी जाती है और देशज पद्धतियों** का सम्मान किया जाता है।
- **प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत की संस्कृति को बढ़ावा देने में:** इसमें इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों को ही प्रदूषण का समाधान करने संबंधी लागत को वहन करना चाहिए।
- **लैंगिक समानता में: जलवायु न्याय के तहत लैंगिक समानता** को मान्यता दी जाती है।

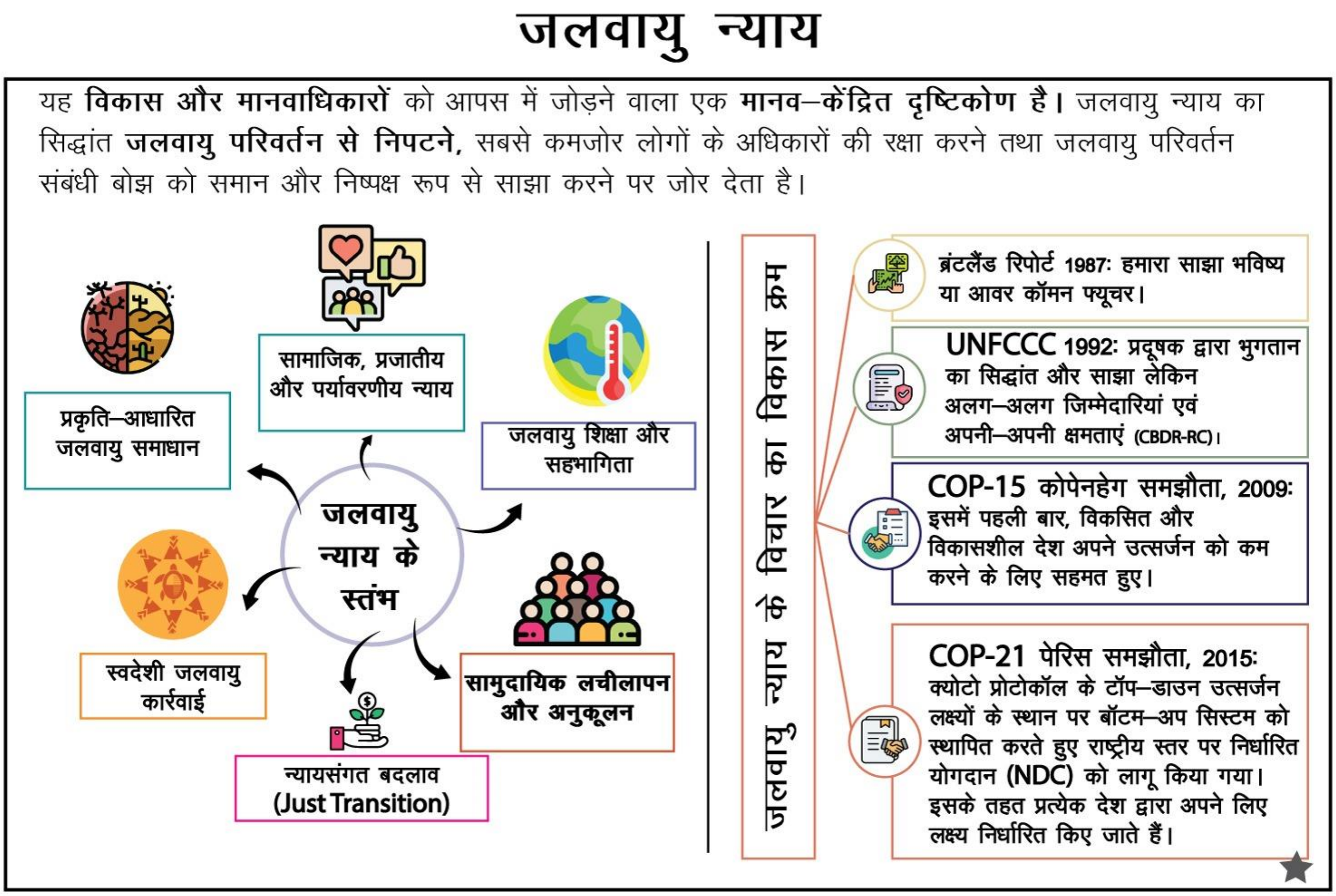

जलवायु संबंधी न्याय को सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियां

- **साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (CBDR)[106] का धीरे-धीरे कमजोर होना:** एक तरफ जहां विकसित देशों ने अपने विलासपूर्ण उपभोग के लिए कार्बन बजट या कार्बन स्पेस के बड़े हिस्से का उपयोग करना जारी रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर विकसित देश, विकासशील देशों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के दौरान होने वाले उत्सर्जन में भी कटौती करने का दबाव बना रहे हैं।
- **सीमित क्षमता:** कई सुभेद्य समुदायों के पास जलवायु संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उसे लागू करने के लिए तकनीकी तथा संस्थागत क्षमता का अभाव है। इसलिए ऐसे समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन का निर्माण करना और सुभेद्यता को कम करना कठिन हो जाता है।
- **सूचना की उपलब्धता का अभाव:** विशेष रूप से ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में स्थित समुदायों सहित कई समुदायों के पास जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में सटीक सूचना का अभाव होता है। इसलिए ऐसी सूचना के अभाव के कारण समुदाय अपनी रक्षा और संबंधित कार्रवाई करने में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं।

---

[106] Common but Differentiated Responsibilities

- **बाध्यकारी लक्ष्यों की उपेक्षा करना:** क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख विकसित देशों की जलवायु कार्रवाई पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।
- **वैश्वीकरण और नवउदारवाद:** वैश्वीकरण और नवउदारवाद ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों में बढ़ोतरी करती हों। इसके अलावा, यह असमानता और वंचित व्यवस्था को बनाए भी रख सकती है। इससे जलवायु संबंधी न्याय को प्राप्त करने वाले प्रयास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

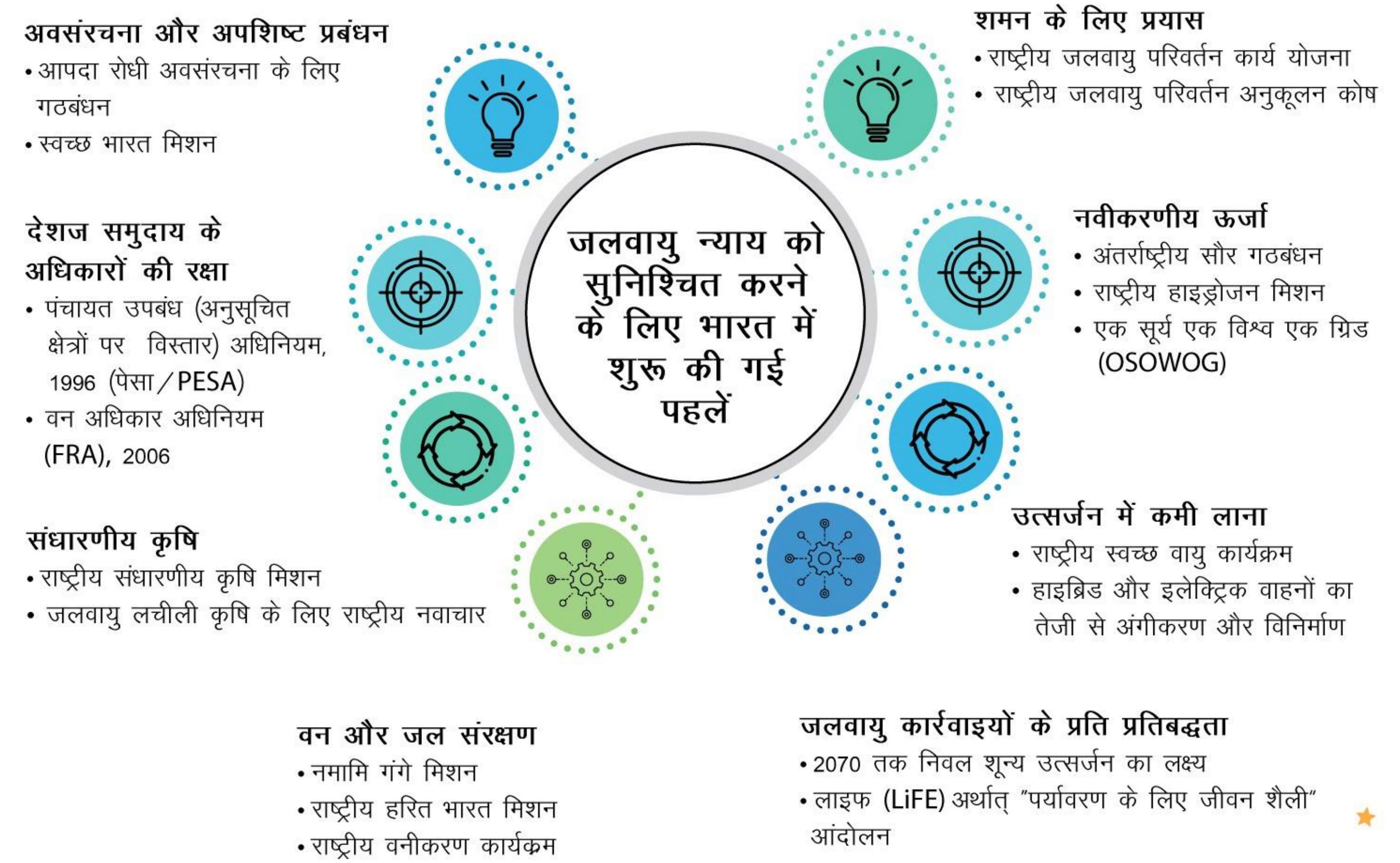

जलवायु संबंधी न्याय को प्राप्त करने के तरीके

- **वैश्विक स्तर पर कानून आधारित पर्यावरणीय व्यवस्था को बढ़ावा देना:** स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण संधारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके तहत सरकारें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण संबंधी अधिकार की पूर्ति, रक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित कर सकती हैं।
- **मजबूत राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क:** यह प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत और संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- **सुलभ न्याय और मानवाधिकार संस्थाएं:** कमजोर, सुभेद्य और वंचित लोगों तथा समुदायों को न्याय एवं सूचना उपलब्ध कराके और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें सक्षम बनाया जा सकता है।
- **लैंगिक समानता और सामुदायिक कार्रवाइयां:** महिलाएं और देशज लोग बदलाव लाने की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इसलिए जलवायु संबंधी न्याय के पक्षधर मानते हैं कि यदि इन्हें अपनी बात कहने के लिए उचित स्थान या प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए तो ये सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- **धन का समान वितरण सुनिश्चित करना:** आर्थिक और मानव संसाधनों का वितरण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि **ग्लोबल साउथ** के पास जलवायु संबंधी वास्तविक न्याय के लिए समान स्तर पर भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध हों।

निष्कर्ष

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी राय से देशों को उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने और अपनी **जलवायु संबंधी योजनाओं तथा कार्यों** को मजबूत करने के लिए एक **नई एवं महत्वपूर्ण गति प्राप्त होने** की संभावना है।

5.5. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का मसौदा (Draft of Carbon Credits Trading Scheme: CCTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के परामर्श से एक मसौदा योजना जारी की है। यह मसौदा भारतीय कार्बन बाजार की रूपरेखा निर्धारित करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में जारी किया गया है।

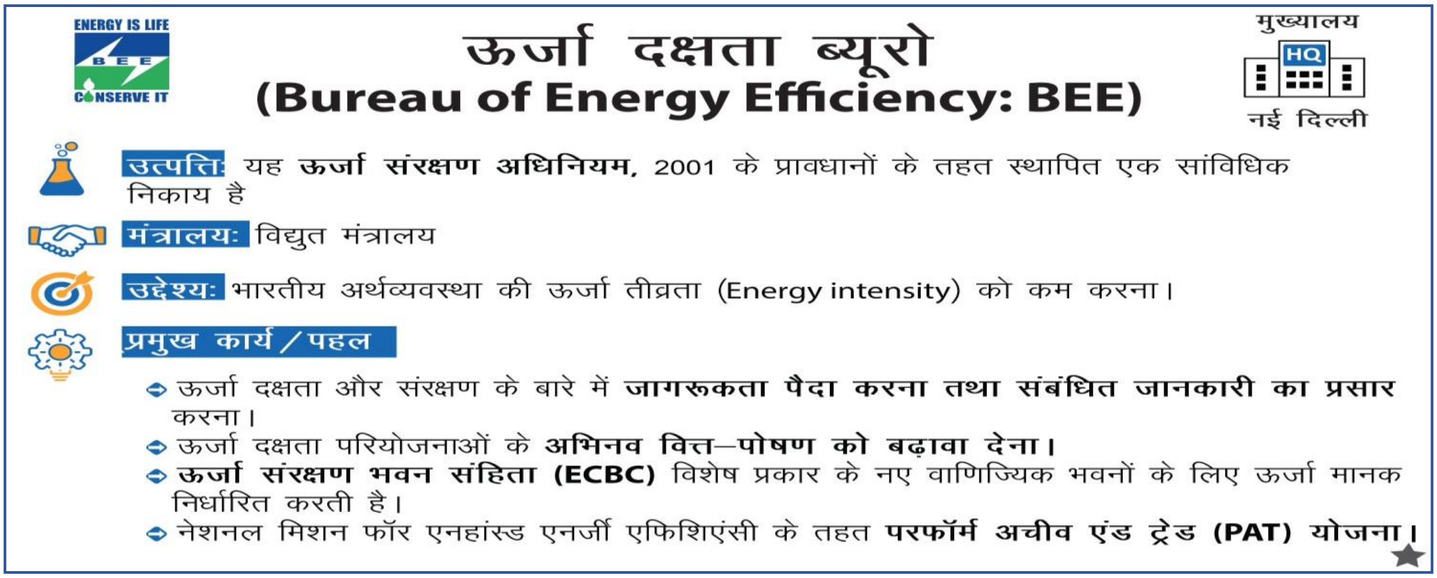

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के मसौदे के बारे में

- यह मसौदा संसद द्वारा **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022** को लागू करने के बाद लाया गया है।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के परामर्श से "CCTS को निर्धारित करने"** का अधिकार देता है।
- CCTS का उद्देश्य **ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना या हटाना है।**

* इस मसौदे में स्वैच्छिक व्यापार और अनुपालन आधारित बाजार, दोनों को शामिल करते हुए प्रस्तावित भारतीय कार्बन बाजार की संरचना को शामिल किया गया है।
    * इसमें **"मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापनकर्ता (ACV)[107]"** का प्रावधान किया गया है। ACV वस्तुतः CCTS के संबंध में सत्यापन या प्रमाणन गतिविधियों को संचालित करने वाली BEE द्वारा मान्यता प्राप्त एक एजेंसी है।

शब्दावली को जानें

* **कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट' (CCC):** यह केंद्र सरकार (या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी) द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत पंजीकृत इकाई को जारी किया गया एक प्रमाण–पत्र है। प्रत्येक प्रमाण–पत्र एक टन CO_2 (tCO_2e) के बराबर की गई कटौती को दर्शाता है।

कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार

कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का **परमिट** होता है जिसका **व्यापार किया जा सकता** है। एक कार्बन क्रेडिट वस्तुतः वायुमंडल से हटाए, कम किए गए या अवशोषित एवं भंडारित किए गए एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य GHG के बराबर होता है।

कार्बन बाजार, कार्बन उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करने वाली एक व्यस्था है। ऐसे बाजार में कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है।

कार्बन बाजारों के प्रकार

अनुपालन आधारित बाजार	स्वैच्छिक बाजार
▸ यह किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय नीति और विनियमन से संबंधित अनिवार्यताओं या प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। इस तरह के बाजार ज्यादातर **कैप–एंड–ट्रेड** नामक सिद्धांत के तहत काम करते हैं। ▸ उदाहरण के लिए– EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)।	▸ इसके तहत **उत्सर्जक जैसे कि कंपनियां, निजी व्यक्ति और अन्य** स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। ▸ उदाहरण के लिए – विमानन क्षेत्रक के तहत कोई एयरलाइन कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को प्रतिसंतुलित या ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है।

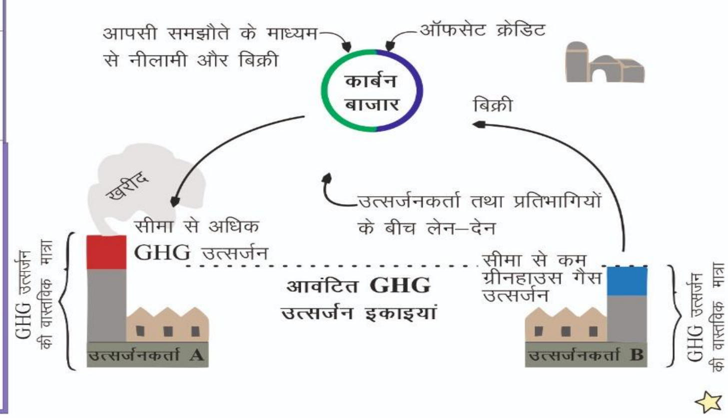

कार्बन बाजार से संबंधित भारत के अनुभव		
यद्यपि भारत के पास एक स्पष्ट कार्बन बाजार नहीं है, फिर भी इसके पास ऐसे साधन हैं जो कार्बन बाजारों के समान ही हैं।		
स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM)	**नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC) योजना**	**परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (Energy Saving Certificates: ESCerts)।**
• इसका **सृजन क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा** किया गया था। • प्रमाणित उत्सर्जन कटौती	• यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और **नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPO)[108]** संबंधी अनुपालन की सुविधा प्रदान करने वाला एक बाजार आधारित साधन है।	• इसका लक्ष्य **विशिष्ट ऊर्जा खपत (SEC)[109]** को कम करना है। अर्थात् ऊर्जा गहन क्षेत्रकों में **नामित उपभोक्ताओं (DCs)[110]** के लिए प्रति इकाई उत्पादन में उपयोग की गई ऊर्जा।

[107] Accredited Carbon Verifier

[108] Renewable purchase obligations

[109] Specific Energy Consumption

[110] Designated Consumers

($CERs$) **एक टन CO_2 के शमन के बराबर होती है।** • राष्ट्रीय CDM प्राधिकरण (MoEFCC के तहत) द्वारा कार्यान्वित।	• **एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र 1 मेगावाट घंटे (MWh) बिजली के बराबर होता है।** • REC का लेन-देन CERC द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों और बिजली व्यापारियों के माध्यम से किया जाएगा। • इसका विनियमन CERC द्वारा किया जाता है।	• अतिरिक्त ऊर्जा बचत को व्यापार योग्य ESCerts में रूपांतरित किया जाता है, जिनका इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL) में कारोबार किया जा सकता है। • 1 ESCert = 1 MTOE **(मीट्रिक टन तेल के बराबर)** • विद्युत मंत्रालय के तहत BEE द्वारा कार्यान्वित।

भारत में कार्बन बाजार के समक्ष चुनौतियां

- **मापन संबंधी समस्या:** PAT और REC योजनाओं में प्रमाण-पत्रों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में जारी नहीं किया जाता है। यह कार्बन हेतु मूल्य निर्धारण व्यवस्था के तहत PAT और REC योजनाओं के प्रमाण-पत्रों के विकास और उनकी प्रभावकारिता को गंभीर रूप से सीमित करता है।
- **बहु क्षेत्रक आधारित बाजार साधन:** यह घरेलू ऊर्जा बाजार के पैमाने को विखंडित करता है तथा PAT और REC योजनाओं के बीच क्रॉस-लिंकेज को रोकता है।
- **DISCOMs की कमजोर स्थिति:** यह REC बाजार के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि वित्तीय रूप से तनावग्रस्त DISCOMs के पास लागत को कम करने के लिए सीमित प्रोत्साहन मौजूद हैं।
- **खराब बाजार पारदर्शिता:** इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस कटौती संबंधी दोषपूर्ण गणना की संभावना बनी रहती है। साथ ही, पारदर्शिता में कमी के कारण इस बात का आकलन करना और मुश्किल हो जाता है कि जलवायु-शमन संबंधी प्रयासों के लिए कितना धन उपयोग किया जा रहा है।
- **ग्रीनवाशिंग के बारे में चिंता:** कंपनियां अपने समग्र उत्सर्जन को कम करने या स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के बजाय अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को ऑफसेट करने के लिए कार्बन-क्रेडिट खरीद सकती हैं।

इस मसौदे का महत्व

- **एकल कार्बन बाजार तंत्र की स्थापना:** यह राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल बाजार होगा। इससे लेन-देन की लागत में कमी, चलनिधि में सुधार, साझा समझ में सुधार और लेखांकन एवं सत्यापन संबंधी प्रक्रियाएं व्यवस्थित होंगी।
- **पेरिस समझौते का अनुपालन (NDC, अनुच्छेद 6):** पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं।
- **सतत विकास में योगदान:** कार्बन बाजार वस्तुतः कई सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अलावा SDG के लक्ष्य 13 के तहत जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे कार्बन मुक्त (Decarbonisation) बनाना:** एक मजबूत कार्बन बाजार व्यवस्था सभी संभावित क्षेत्रकों को कार्बन मुक्त बनाने संबंधी प्रयासों में निजी क्षेत्रक की सक्रिय भागीदारी को संभव करेगी।
- इससे कार्बन बाजार संबंधी लेन-देन के लिए संस्थागत और वित्तीय अवसंरचना में **पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।**

आगे की राह

- कार्बन व्यापार संबंधी रुझानों को समझने के लिए **पर्यावरण से संबंधित अलग-अलग साधनों के वर्तमान व्यापार का अवलोकन करना चाहिए।**
- साधनों की मांग और आपूर्ति की **जांच करना एवं उनका प्रभावी प्रबंधन** करना चाहिए।
- उत्सर्जन में कमी हेतु **यूनिट ट्रेडिंग संबंधी सुगमता के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।** इससे स्वैच्छिक खरीदार आकर्षित हो सकते हैं और कार्बन बाजार में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।

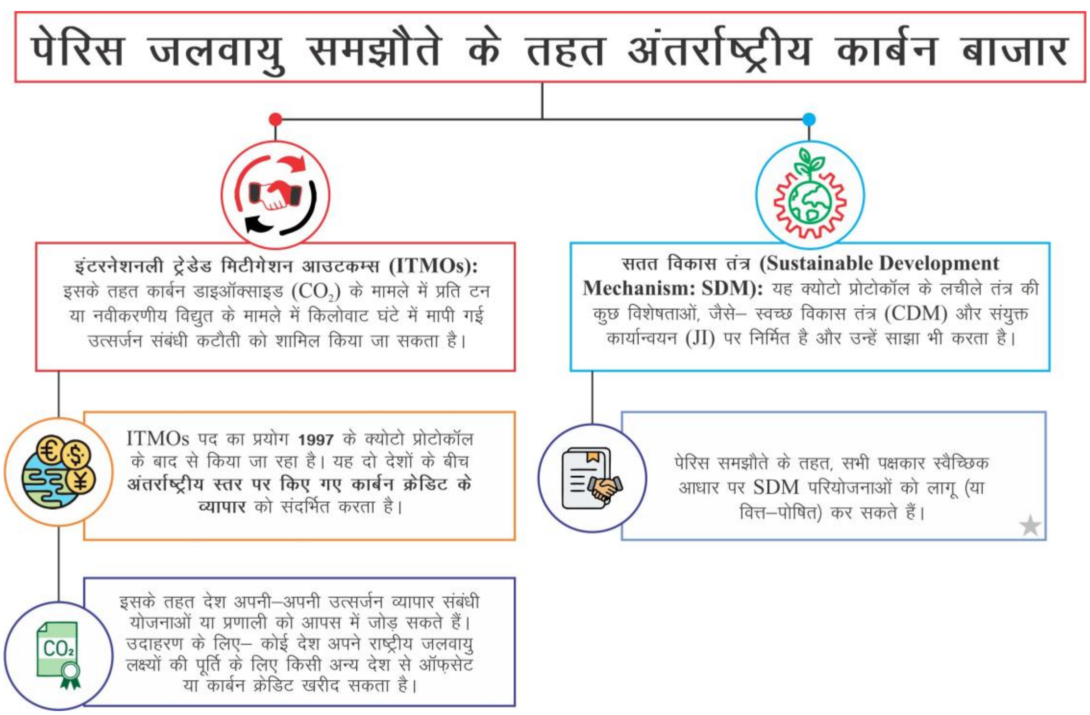

 ©Vision IAS

निष्कर्ष

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का मसौदा **भारतीय कार्बन बाजार (ICM) को संरचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कदम** है। यह **भारत के 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधी लक्ष्य और 2070 के निवल शून्य के लक्ष्य** को प्राप्त करने में मदद करेगा।

5.6. वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी अवसंरचना (Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure: GGMI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी अवसंरचना** (GGMI) को लॉन्च किया गया है।

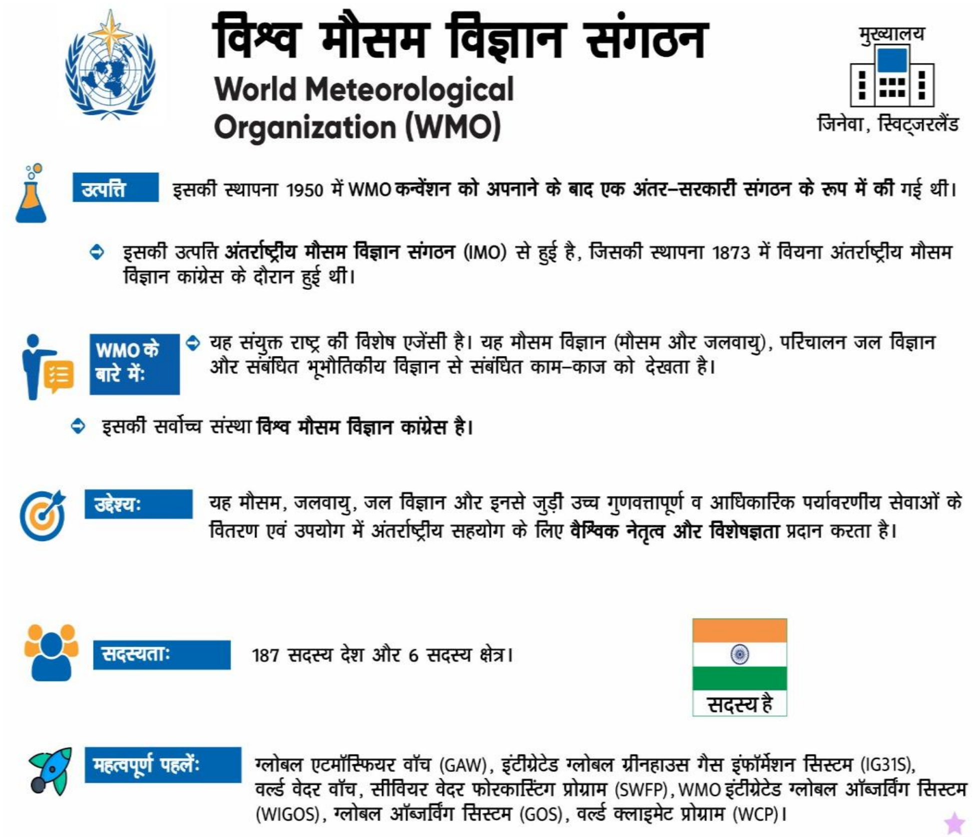

GGMI के बारे में

- इस पहल का उद्देश्य पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाले प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके उपलब्ध कराना और तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नीति-निर्माण में मदद करना है।
- यह प्लेटफॉर्म **अंतरिक्ष में स्थित और पृथ्वी पर स्थित,** दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करेगा और इस बारे में अनिश्चितताओं को दूर करेगा कि उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस अंततः जाती कहां है?
- यह **वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के लिए मानकीकृत, रियल-टाइम ट्रैकिंग** सुनिश्चित करता है। इसलिए यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में व्याप्त मौजूदा अंतराल को भरने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- उपर्युक्त अवसंरचना के विकास के लिए समन्वय आधारित वैश्विक प्रयास आवश्यक हैं। इस तरह के वैश्विक प्रयास **मौसम की भविष्यवाणी करने और जलवायु की निगरानी में पहले भी सफल** साबित हुए हैं।
    - इस प्लेटफॉर्म में WMO के 60 वर्ष पुराने **वर्ल्ड वेदर वॉच** और इसकी प्रसिद्ध **"ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच"** प्रणालियों को शामिल किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य **मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु विश्लेषण और ग्रीनहाउस गैस निगरानी के मामले में वैश्विक सहयोग संबंधी समन्वय में WMO के अनुभवों का लाभ उठाना** है।

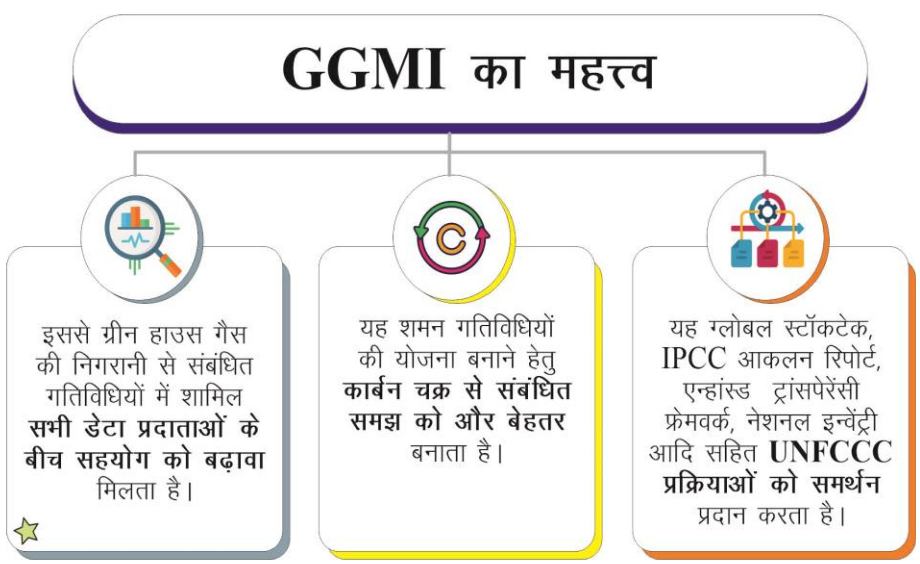

 ©Vision IAS

- GGMI वस्तुतः ग्रीन हाउस गैस निगरानी में WMO की लंबे समय से जारी गतिविधियों को आधार रूप में इस्तेमाल करेगा और उनका विस्तार करेगा। WMO ग्रीन हाउस गैस निगरानी संबंधी कार्य **ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच (GAW)** और **इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम (IG3IS)** द्वारा करता है।
    - **GAW** वस्तुतः वायुमंडलीय संरचना और इसमें बदलाव के संदर्भ में एकल समन्वित वैश्विक समझ के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, यह वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल के बीच परस्पर संबंधों की समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
    - **IG3IS** वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की प्रवृत्ति और वितरण को निर्धारित करने के लिए एक अवलोकन-आधारित सूचना प्रणाली है। इससे यह भी पता चलता है कि GHG का उत्सर्जन, इसमें कमी करने के प्रयासों के अनुरूप है या नहीं।

5.7. राइट-टू-रिपेयर (Right To Repair: RTR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रस्तावित राइट-टू-रिपेयर फ्रेमवर्क को भारत में चार क्षेत्रकों में लागू किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस फ्रेमवर्क को **चार क्षेत्रकों** में लागू किया गया है। **ये चार क्षेत्रक हैं: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण।**
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत **विनिर्माताओं को अपने उत्पाद के विवरण को ग्राहकों के साथ साझा** करना होगा, ताकि **ग्राहक उत्पाद की मरम्मत स्वयं** कर सकें **या तृतीय-पक्ष से करवा सकें।**
- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य **न केवल मूल विनिर्माताओं द्वारा मरम्मत सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना** है, बल्कि विश्वसनीय तृतीय-पक्ष के टेकनीशियन द्वारा लागत को कम करना और उपकरणों, घटकों तथा घरेलू उपकरणों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है।
- यह **मूल उपकरण विनिर्माताओं और तृतीय-पक्ष के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच व्यापार को व्यवस्थित बनाने** का भी प्रयास करता है।

राइट-टू-रिपेयर

- यह **उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार अपने उपकरणों की मरम्मत करने या करवाने में सक्षम बनाता** है। हालांकि, विनिर्माता अपने उपकरणों की अन्य संस्थाओं द्वारा मरम्मत को बढ़ावा नहीं देते हैं।
    - विनिर्माता आमतौर निम्नलिखित के माध्यम से अपने उपकरणों की स्वतंत्र मरम्मत या उसमे संशोधन को बढ़ावा नहीं देते हैं:
        - अपने उपकरणों से संबंधित **टूल्स और घटकों तक पहुंच को सीमित करके** या
        - अपने उपकरणों से संबंधित सॉफ्टवेयर संबंधी बाधाओं द्वारा।
    - इससे ग्राहक केवल विनिर्माताओं द्वारा प्रदान की जाने मरम्मत संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाता है।

अलग-अलग देशों में राइट-टू-रिपेयर की स्थिति

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** यह **"राइट-टू-रिपेयर"** लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसका उद्देश्य **उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादों को रिपेयर करवाने के समक्ष आने वाली बाधाओं को समाप्त करना** है। यह कानून कम-से-कम न्यूयॉर्क राज्य में कंपनियों को अपने उत्पाद से संबंधित टूल्स प्रदान करना और उन उत्पादों की मरम्मत में आने वाली सॉफ्टवेयर संबंधी बाधाओं को समाप्त करना अनिवार्य बनाता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यहां के कानून के अनुसार, **विनिर्माताओं को उत्पाद के बाजार में उपलब्ध होने के दस साल तक** अपने ग्राहकों और तृतीय-पक्ष को उत्पाद से संबंधित स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- **फ्रांस:** यहां **एंटी-वेस्ट कानून, 2020** के माध्यम से एक अनिवार्य रिपेयरेबिलिटी स्कोर लागू किया गया है। यह उत्पादों को उनकी मरम्मत संबंधी सुगमता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है और **उपयोगकर्ताओं को उत्पाद खरीदने से पहले उत्पाद की मरम्मत करने के तरीके के बारे में बताता** है।

- इससे पहले **केंद्र सरकार ने देश में राइट-टू-रिपेयर के लिए फ्रेमवर्क तैयार** करने के उद्देश्य से **निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया था।

राइट-टू-रिपेयर को लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **राजकोष के लिए हानिकारक:** अधिकांश मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें असंगठित हैं और मरम्मत करने वाली छोटी दुकानों को बढ़ावा देने से सरकार के कर अंतर्वाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- **जागरूकता का अभाव:** अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इस वजह से वे विनिर्माताओं के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
- **तृतीय-पक्ष के स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता:** वर्तमान में तृतीय-पक्ष के स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है। इसके कारण उपभोक्ताओं में भय रहता है कि स्पेयर पार्ट्स जल्द ही खराब हो जाएंगे। इसलिए उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा मरम्मत संबंधी सेवाओं का विकल्प चुन रहे हैं।

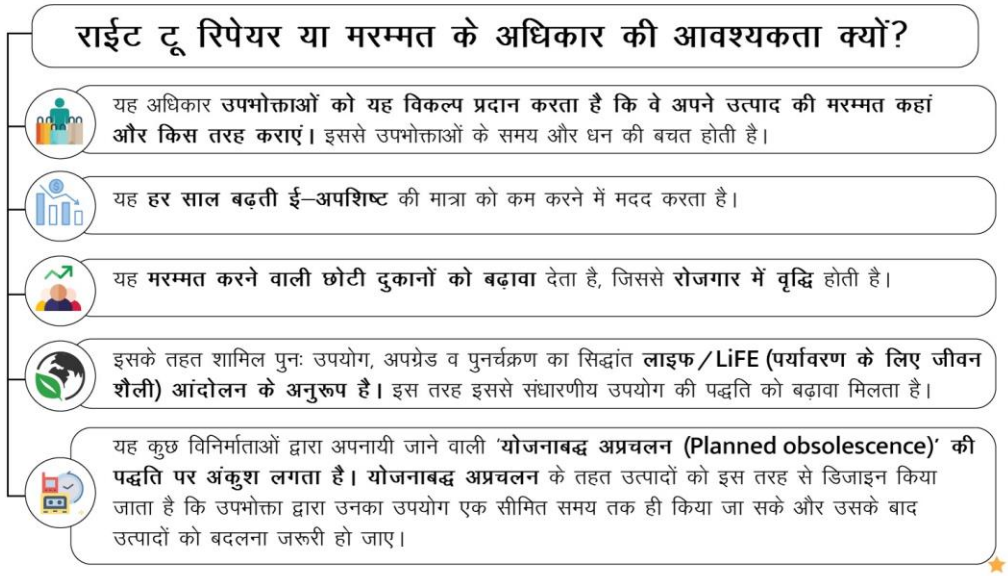

- **नवाचार पर प्रभाव:** यह कई क्षेत्रों में नवाचारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और विनिर्माण कंपनियां अपने शोध और विकास से जुड़े खर्चों को भी कम कर सकती हैं।
- **नुकसान की संभावना:** गुणवत्ता संबंधी न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किए बिना तृतीय-पक्ष और मरम्मत करने वाली छोटी दुकानों पर अधिक निर्भरता से उत्पाद एवं उपयोगकर्ता, दोनों को नुकसान पहुंच सकता है।

आगे की राह

- **विनिर्माता और तृतीय-पक्ष जैसे सेवा प्रदाता के बीच गुणवत्ता संबंधी अंतराल को पाटने** का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विनिर्माण कंपनियां अपने उत्पादों की मरम्मत के लिए आवश्यक निर्धारित मानकों को साझा कर सकती हैं।
- **उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।** उपभोक्ताओं को यह बताया जाना चाहिए कि कंपनी के उत्पादों का उपयोग करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और खरीदे गए उत्पादों के लिए कंपनी से स्पेयर-पार्ट्स और सेवाओं की मांग करना उपभोक्ता का अधिकार है।
- कंपनी के अधिकृत सेवा केंद्रों के अलावा उत्पादों की मरम्मत की मांग को पूरा करने के लक्ष्य हेतु **मानव संसाधन को कुशल बनाए** जाने की भी आवश्यकता है।

5.8. इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicles Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद की **प्राक्कलन समिति** ने "इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मूल्यांकन[111]" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने संबंधी सुझाव दिए गए है।

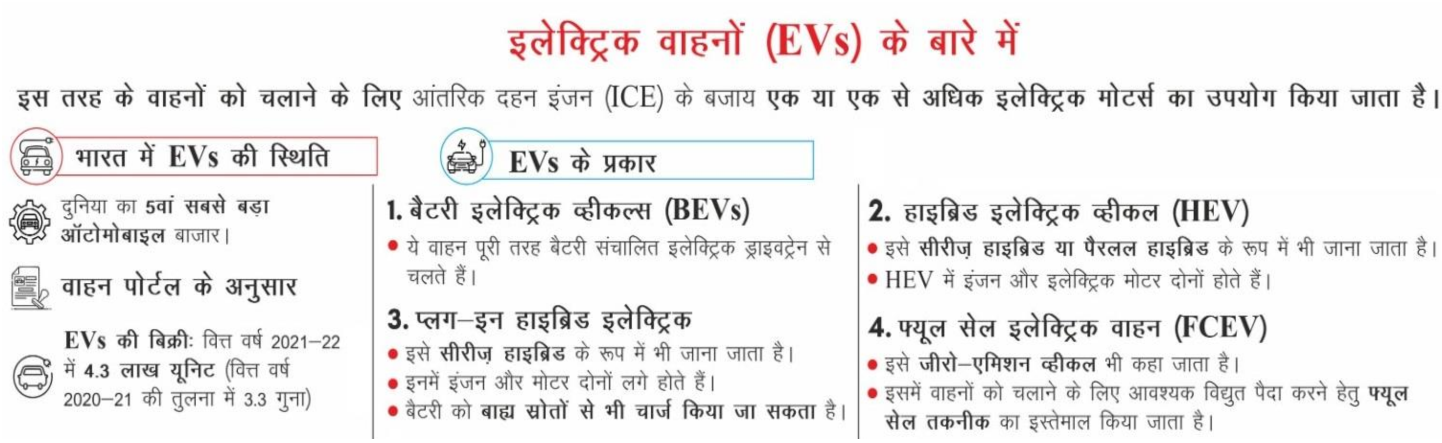

[111] Evaluation of Electric Vehicle Policy

भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **तेल का अधिक आयात:** भारत मुख्य रूप से **आयातित तेल** पर निर्भर है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ **(PPAC)**[112] के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने तेल आयात पर 119.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की नीति इसे काफी सीमा तक कम करने में मदद कर सकती है।
- **शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार:** विशेष रूप से आंतरिक दहन इंजनों **(ICE)**[113] पर आधारित निजी वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे पैदा होने वाला प्रदूषण भारतीय शहरों में वायु की गुणवत्ता को खराब करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
  - IQAir द्वारा जारी **'विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट**[114]**,** 2022' के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से **39** भारत में हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:** यह 'पंचामृत' के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि भारत ने 'पंचामृत' के तहत **2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन** लक्ष्य प्राप्त करने और **2030** तक कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **भारत में EV वाहन की उच्च मांग:** भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। इसी संदर्भ में भारतीय बाज़ार में EVs की मांग में वृद्धि का रुझान दिख रहा है।
- **संबंधित अवसंरचना उपलब्धता में सुधार:** भारत में अभी भी **बैटरी को रिचार्ज करने वाले चार्जिंग पॉइंट्स या स्टेशन** संबंधी अवसंरचना में सुधार करने की जरूरत है, जो अभी भी बड़े शहरों में ही केंद्रित है। नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में भारत में केवल 934 कार्यशील सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का ही कार्यशील नेटवर्क मौजूद है।
- **संपूर्ण भारत में एक समान EVs नीति की आवश्यकता:** परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए कुछ राज्यों ने अपने लिए एक EV नीति तैयार की है। EV क्षेत्रक की व्यापक और संपूर्ण भारत में एक समान वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) **2020 के अनुभव और फीडबैक** के आधार पर **EV के लिए** एक मजबूत **राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क तैयार** करने की आवश्यकता है।

EVs और EV उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- **चार्जिंग संबंधी अपर्याप्त अवसंरचना:** निम्नलिखित कारक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने वाले ऑपरेटर्स में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नकारात्मक माहौल का निर्माण करते हैं:
  - चार्जिंग स्टेशनों की उपयोगिता के मामले में अनिश्चितता,
  - परिचालन संबंधी अत्यधिक लागत,
  - अत्यधिक दबावग्रस्त डिस्कॉम्स आदि।
- **उपभोक्ताओं के लिए बाधाएं:** उपभोक्ता निम्नलिखित के कारण EVs को अपनाने से हिचकते हैं:
  - EVs की रेंज और सुरक्षा के बारे में चिंता,
  - EVs के संतोषजनक पुनर्विक्रय मूल्य के बारे में आश्वासन की कमी,
  - चार्जिंग संबंधी अवसंरचना का अभाव,
  - विद्युत की अनिश्चित और अस्थिर आपूर्ति, एवं
  - **EV एवं पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की कीमतों के बीच अधिक अंतर।**
- **दक्ष बैटरी तकनीक का अभाव:** EVs में उपयोग की जाने वाली बैटरी संबंधी तकनीक अभी भी विकास के चरण में है। इसके अलावा, EV की कुल लागत में बैटरी की लागत एक महत्वपूर्ण घटक है।
  - इसके अलावा, बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक दुर्लभ भू-धातुओं और अन्य कच्चे माल की उपलब्धता भी सीमित है।
- **सीमित विनिर्माण क्षमताएं:** भारत EV क्षेत्रक में आयात पर अत्यधिक निर्भर है जैसे- रिचार्जेबल बैटरी, उपकरण आदि।

---

112 Petroleum Planning & Analysis Cell

113 Internal Combustion Engines

114 World Air Quality Report

- **स्क्रैपिंग पॉलिसी की आवश्यकता:** इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च-वोल्टेज वाले घटक उपयोग किए जाते हैं। यदि इनका उचित तरीके से निवारण या प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- **EVs की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कुशल कार्यबल की कमी:** पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के विपरीत, EVs में में विशिष्ट घटक और प्रणालियां जैसे- बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर आदि लगे होते हैं। इसलिए EVs की मरम्मत और सर्विस के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- **डेटा सुरक्षा:** EVs में संवेदनशील डेटा भी हो सकता है जिसे स्क्रैपिंग के दौरान संरक्षित करना होगा।

EVs को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदम

- **भारी उद्योग मंत्रालय:**
  - **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020:** इसका लक्ष्य देश में ऑटोमोटिव और परिवहन उद्योग में रूपांतरणकारी बदलाव लाना है।
  - **फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम/FAME इंडिया) स्कीम:** इसे देश में तेजी से इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड वाहनों (XEV) को अपनाने व उन्हें बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था।
- **वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत प्रयास:** इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। GST परिषद द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना**
  - देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में ही **एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC)** के विनिर्माण हेतु।
  - **ऑटो और ऑटो घटक PLI योजना। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहन शामिल किए गए हैं, जो शून्य उत्सर्जन करने वाले वाहन (ZEV) हैं।**
- **मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज़ 2016: आवास और शहरी विकास मंत्रालय** ने निजी तथा वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन एवं संबंधित अवसंरचना स्थापित करने के लिए कानून में संशोधन किया है।
- **हरे रंग की लाइसेंस प्लेट्स:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि बैटरी से संचालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट्स दी जाएंगी। साथ ही, उन्हें **परमिट संबंधी अनिवार्यताओं से छूट** प्रदान की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार EVs और EV उद्योग के लिए सुझाव

- **अग्रिम लागत को कम करना:** चार पहिए वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की मात्रा बढ़ाकर, राज्यों को सड़क शुल्क माफ करने के लिए प्रोत्साहित करके अथवा मुआवजा प्रदान करके लागत को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त EVs पर GST की दर को और कम करके भी यह काम किया जा सकता है।
- **FAME-II का विस्तार:** वर्तमान में संचालित FAME-II योजना की अवधि 31 मार्च, 2024 तक है। सरकार को इस योजना की समय-सीमा को दो वर्ष और आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को अपने अनुभवों के आधार पर एक व्यापक FAME-III योजना भी लॉन्च करनी चाहिए।
- **बोली लगाने की प्रक्रिया में सुधार:** बोली लगाने संबंधी सभी प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जैसा **एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज** के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन **(PLI)**[115] योजना के तहत किया गया है। इससे भविष्य में अपूर्ण/अप्रासंगिक आवेदनों को बोली के पूर्व/ तकनीकी बोली के चरण से पहले ही आसानी से ख़ारिज किया जा सकेगा।
- **EVs के साथ-साथ अन्य तकनीकों को बढ़ावा देना:** इन तकनीकों में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, हाइड्रोजन ICE, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स आदि शामिल हैं।
- **लिथियम के खनन में तेजी लाना:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **(GSI)**[116] ने पहली बार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम इन्फेड रिसोर्स (G3) अर्थात् लिथियम भंडार का पता लगाया है।
- **उपभोक्ताओं के बीच विश्वास पैदा करना:** यह कार्य सुरक्षा मानकों का निर्माण करके और बैटरी के जीवनकाल के मामले में गारंटी प्रदान करके किया जाना चाहिए।
- **EV की बैटरियों का पुन: उपयोग या निपटान के लिए रणनीति:** इसके तहत बेहतर निपटान योजना बनाई और समर्पित पुनर्चक्रण इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। इससे EVs के लिए संधारणीय संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

---

115 Production Linked Incentive

116 Geological Survey of India

- **शिक्षुता और प्रशिक्षुता (Apprenticeships and traineeships):** सरकार को आई.टी.आई., अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों और कौशल विकास केंद्रों में EVs संबंधी विशेषज्ञता के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही, स्थानीय EV और संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रक में शिक्षुता एवं प्रशिक्षुता के लिए वित्त उपलब्ध करने की भी आवश्यकता है।
- **सोलर चार्जिंग स्टेशन:** सरकार के ग्रीन मोबिलिटी उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता को कम करने तथा सोलर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए **समयबद्ध तरीके** से एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए।

EVs से संबंधित सर्वोत्तम पहलें

अंतर्राष्ट्रीय: यूनाइटेड किंगडम

- **सुपरिभाषित ई-मोबिलिटी रोडमैप:** इसमें यूनाइटेड किंगडम के परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन प्लान संबंधी सरकार की प्रतिबद्धताएं और कार्रवाइयां शामिल हैं।
- **स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना:** 2035 तक सभी नई कारें और वैन 100% शून्य उत्सर्जन करने वाली होंगी।
- **विशिष्ट और आसानी से सुलभ प्रोत्साहन की पेशकश:** इसके तहत अनुकूल कार कंपनियों को करों की दरें और कर संबंधी लाभ, वाहन उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
- चयनित शहरों के लिए गो अल्ट्रा लो सिटी योजना के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरणों को **वित्त-पोषण** संबंधी सहायता दी जा रही है।

घरेलू: उत्तर प्रदेश

- राज्य ने अपनी स्वयं की **मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी, 2022** जारी की है।
- यहां की इलेक्ट्रिक वाहन नीति बहुत व्यापक है, जिनमें बजट आवंटन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सहित पैरामीटर की विस्तृत श्रृंखला शामिल हैं।
- **सभी इलेक्ट्रिक वाहनों** जैसे बाइक, स्कूटर, तिपहिया और कार के लिए **सब्सिडी** का प्रावधान।

5.9. भारत में वन अधिकार (Forest Rights in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) के अनुसार, **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम**[117], **2006** के तहत नवंबर 2022 तक **भूमि पर किए गए सभी दावों में से लगभग 38%** को अस्वीकार कर दिया गया है। इस अधिनियम को **वन अधिकार अधिनियम (FRA)**[118] के रूप में भी जाना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नवंबर 2022 तक 24.42% **सामुदायिक वन अधिकार (CFR)**[119] दावों और 39.29% **व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)**[120] दावों को अस्वीकार किया गया था।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

- **उद्देश्य:** यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों **(FDST)**[121] और अन्य पारंपरिक वनवासियों **(OTFD)**[122] के वन संसाधनों संबंधी उनके अधिकारों को मान्यता देता है। ये समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों सहित अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं।

---

117 Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act

118 Forest Rights Act

119 Community Forest Rights

120 Individual Forest Rights

121 Forest Dwelling Scheduled Tribes

122 Other Traditional Forest Dwellers

- **वन अधिकार के लिए पात्रता: 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक प्राथमिक रूप** से वन में या वन भूमि पर निवास करने वाले लोग या समुदाय वन भूमि पर अधिकारों का दावा कर सकते हैं।
    - इसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए वन, उसकी भूमि और संसाधनों पर वास्तविक रूप से निर्भर होना चाहिए।
- **अधिनियम के तहत अधिकार**
    - **व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)[123]: इसमें स्वयं द्वारा खेती करना** और **निवास** का अधिकार शामिल हैं। इसके तहत केवल उस भूमि के लिए ही **भूमि का स्वामित्व (अधिकतम 4 हेक्टेयर)** प्रदान किया जाता है जिस पर **लाभार्थी द्वारा खेती की जा रही** है न किसी नई **भूमि के लिए**।
    - **सामुदायिक वन अधिकार (CFR)[124]:** यह समुदाय को सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें **चराई** और **मछली पकड़ने** का अधिकार; परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर से एकत्रित किए गए **लघु वनोपज (MFP)[125]** का **स्वामित्व, उस तक पहुंच, उनका उपयोग और निपटान** करने का अधिकार शामिल है।
        - इसमें किसी सामुदायिक वन संसाधन आदि का संरक्षण, **पुनरुद्धार** या उनकी रक्षा अथवा प्रबंधन करने का अधिकार भी शामिल है।
- **वन अधिकारों की मान्यता, उनको पुनः बहाल करना और निहित करने की प्रक्रिया:** वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए **ग्राम सभा, अनुमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति** इत्यादि गठित की गई हैं।
    - ग्राम सभा के पास व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।
    - वन अधिकार समितियों (FRC)[126] का गठन ग्राम सभा द्वारा अपने कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।
    - **वन अधिकार** राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास सहित संरक्षित वनों, आरक्षित वनों, अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में भी लागू हैं।

वन अधिकार प्रदान करने से संबंधित चुनौतियां/ मुद्दे

- **क्षेत्राधिकार का दोहराव:** एक तरफ **जनजातीय मंत्रालय** FRA, 2006 की कार्यान्वयन एजेंसी है। वहीं दूसरी तरफ **वन विभाग** इस अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए अधिकारों को प्रदान करने वाली संस्था है क्योंकि जिन भूमियों पर दावे किए जाते हैं वो वन विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन आती हैं।
- **नौकरशाही नियंत्रण:** यह देखा गया है कि ग्राम सभा और वन अधिकार समितियों का गठन अधिकतर मामलों में **पंचायत सचिवों द्वारा जिलाधिकारियों के निर्देशों पर किया जाता है।**
    - इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया भी काफी जटिल है क्योंकि इसमें कई एजेंसियां शामिल हैं।
- **दावों को अस्वीकार करने के निरर्थक आधार:** गुजरात में साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध **उपग्रह आधारित इमेजेस पर बल दिया गया है** जबकि अन्य स्वीकार्य योग्य साक्ष्यों को अनदेखा किया गया है।
    - जनजातीय समुदायों के व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारी होने के नाते व्यक्तिगत वन अधिकारों से वंचित किया गया है।
- **जागरूकता:** विशेषकर सुदूर स्थित अनुसूचित क्षेत्रों सहित जनजातीय लोगों में जागरूकता के सीमित स्तर के कारण वे वन अधिकारों के लिए अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं।

---

[123] Individual Forest Rights

[124] Community Forest Rights

[125] Minor Forest produce

[126] Forest Rights Committees

- **कार्यान्वयन में असमानता:** अधिक वन आच्छादन वाले राज्यों में दावों को स्वीकार करने की दर अधिक है। वहीं वामपंथी उग्रवाद की उपस्थिति वाले राज्यों में दावों की अस्वीकृति की दर अधिक है।
- **संरक्षण प्रक्रिया में कम भागीदारी:** आम तौर पर यह माना जाता है कि **वन में रहने वाले समुदाय** अपनी जीवन शैली जैसे झूम कृषि के कारण वनों के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं।
- **वन भूमि का अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग:** वन अधिकार के तहत प्रदान की गई भूमि का उपयोग गैर-वन उद्देश्यों के लिए किया गया है।

आगे की राह

- **नागरिक समाज की भूमिका:** गुजरात के डांग जिले में गैर-सरकारी संगठनों ने लाभार्थियों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करके एक बदलाव लाने का प्रयास किया है।
- **लंबित मामलों को निपटाना:** विशेष रूप से **उपखंड एवं जिला स्तर पर लंबित मामलों सहित** वन भूमि के दावों का प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।
- **सत्यापन के आधार: वन साइज़ फिट एप्रोच** से बचने की जरूरत है, उदाहरण के लिए उपग्रह आधारित इमेजेस आदि का उपयोग करना।

वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **वन अधिकार संबंधी दावों की रिकॉर्डिंग (या अभिलेखन):** FRA के तहत प्रक्रिया केवल तभी पूरी होगी जब रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स को तैयार कर लिया जाएगा।
- **सरकारी योजनाओं को एकीकृत करना: FRA संशोधन नियम, 2012** के अनुसार, अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त और प्रदान किए गए अधिकारों के दावेदारों एवं समुदायों के लिए सभी सरकारी योजनाएं उपलब्ध होंगी।
- **गौण वन उपज को विनियमन से मुक्त करना:** FRA के तहत गैर-काष्ठ वन उत्पादों **(NTFP)**[127] के उपयोग और गवर्नेंस से संबंधित सभी शक्तियां वन विभाग से ग्राम सभाओं को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
- **प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता-निर्माण:** विशेष रूप से राजस्व, वन और जनजातीय अधिकारियों सहित उपखंड एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- **MoEF&CC और MoTA के बीच समन्वय:** 2021 में इन दोनों मंत्रालयों के बीच **'संयुक्त पत्र (Joint Communication)'** पर हस्ताक्षर किए गए है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) सुनिश्चित करना: MSP के माध्यम से गौण वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और गौण वन उपज के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास**[128] योजना शुरू की गई है।

- **ग्राम सभा:** ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और दावा करने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को व्यापक बनाया जाना चाहिए।

5.10. भारत का भूस्खलन एटलस (Landslide Atlas of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है।** यह मानचित्र देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने वाले एक विस्तृत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

भूस्खलन के बारे में

- भूस्खलन वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण **चट्टान, मलबे, या भू-सतह के एक बड़े भाग का ढलान की ओर खिसकना** है।
- मोटे तौर पर भूस्खलन को निम्नलिखित प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
    - इसमें शामिल मलबे के प्रकार (चट्टान, मलबे, मिट्टी, पंक) के आधार पर;
    - इसमें शामिल मलबे की गति के प्रकार (फॉल, स्लाइड, रोटेशनल स्लाइड या ट्रांसलेशनल स्लाइड) के आधार पर, और
    - मलबे के प्रवाह के प्रकार के आधार पर।
- **इसे मुख्य प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। इससे पहाड़ी इलाकों में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं:**
    - **इससे प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है।**
    - इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और परिवहन में बाधा पैदा होती है।
    - इससे संचार एवं संपर्क व्यवस्था बाधित हो जाती है।
- **भूस्खलन के कारण:**
    - **प्राकृतिक कारण:** भारी बारिश, भूकंप, बर्फ के पिघलने और बाढ़ के कारण ढलानों में अध:कर्तन (Undercutting)।
    - **मानवजनित गतिविधियां:** खनन; सुरंग या सड़क बनाने के लिए पहाड़ियों को काटना और वृक्षों की कटाई करना; अनावश्यक रूप से अत्यधिक अवसंरचना का निर्माण करना; और मवेशियों द्वारा अति चराई।

---

[127] Non-Timber Forest Products

[128] Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce through MSP and the Development of Value Chain for Minor Forest Produce

भारत के भूस्खलन मानचित्र के बारे में

- यह एटलस **भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में मौजूद** भूस्खलन वाले स्थानों के विवरण सहित वहां भूस्खलन से होने वाले नुकसान/क्षति का आकलन भी **प्रदान करता है।**
- इसरो के **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC)[129],** हैदराबाद ने 1998-2022 के दौरान हुई घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का यह डेटाबेस तैयार किया है।
- इस डेटाबेस में हिमालय और पश्चिमी घाट के **17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों** में **भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों** को शामिल किया गया है।

एटलस के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत शीर्ष भूस्खलन प्रवण देशों में से एक:** एटलस के अनुसार, भारत सर्वाधिक **भूस्खलन जोखिम वाले शीर्ष चार देशों** में से एक है। यहां पर प्रतिवर्ष प्रति 100 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में जीवन की अनुमानित हानि/ क्षति एक से अधिक होती है।
- **वर्षा की परिवर्तनशीलता:** भारत में भूस्खलन के लिए उत्तरदायी सबसे बड़े कारणों में से एक वर्षा का परिवर्तनशील प्रतिरूप है। इससे भारत का हिमालयी और पश्चिमी घाट क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित है।
- **भारत में भूस्खलन प्रवणता वाले भौगोलिक क्षेत्र:** हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर, देश के भौगोलिक भू-क्षेत्र का लगभग 12.6 प्रतिशत (0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर) भूस्खलन प्रवण है।
- **भारत में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले:** सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश (16) में है। इसके बाद केरल (14 जिले), उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर (प्रत्येक में 13 जिले) का स्थान है।

भूस्खलन के शमन और रोकथाम संबंधी मुद्दे

- **महत्वपूर्ण अवसंरचना का विकास:** राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे चार धाम परियोजना का निर्माण भारत-चीन सीमा के निकट भूस्खलन प्रवण वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया है।
- **भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में मानव बस्ती:** भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में मौजूद मानव बस्ती के लिए त्वरित और अग्र-सक्रिय कार्रवाई करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए - जोशीमठ रेत और पत्थर के ढेर पर स्थित है, जो भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाता है।
- **भूस्खलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** देश में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं का कारण जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम, जलवायु संकट और भारी और तीव्र वर्षा को माना जाता है।
- **आपदा को सहने संबंधी अवसंरचना की खराब क्षमता:** भारत में आपदा को सहने संबंधी अवसंरचना की क्षमता काफी निम्नस्तरीय है। देश में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश भवनों का निर्माण दिल्ली मास्टर प्लान से प्रेरित होकर किया जा रहा है। यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है।

भारत में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र

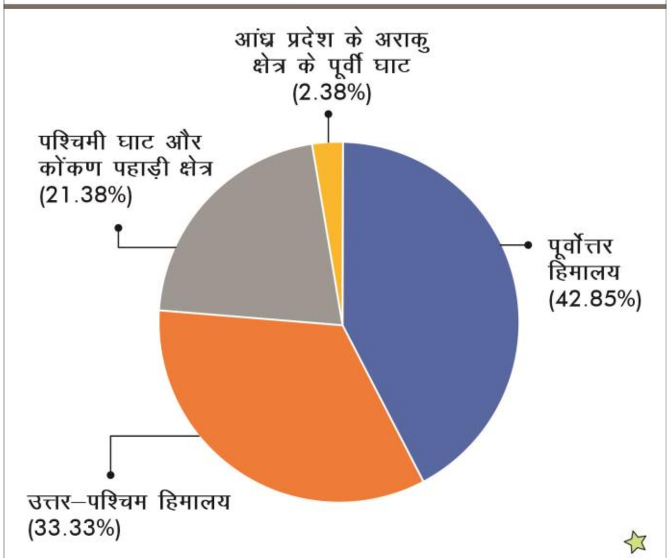

- **मानव जनित घातक भूस्खलन:** भारत में पहाड़ों से पत्थर गिरने की 28% घटनाएं निर्माण कार्य के कारण होती हैं, इससे मानव जनित घातक भूस्खलन की संख्या में वृद्धि होती है।

भूस्खलन के शमन और रोकथाम के लिए सुझाव

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)[130] ने **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति जारी की है।** इसके प्रमुख दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **भूस्खलन जोखिम क्षेत्र (LHZ)[131]** मानचित्र मैक्रो स्केल और मेसो स्केल पर तैयार किए जाने चाहिए।

---

129 National Remote Sensing Centre

130 National Disaster Management Authority

131 Landslide Hazard Zonation

        - इसमे **मानव रहित हवाई यान (UAV)[132], टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर और अति हाई-रिज़ॉल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन (EO) डेटा** जैसे उन्नत अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
    - **जागरूकता कार्यक्रम:** किसी भी प्रकार की सहायता आने से पहले समुदाय आपदा का सामना कर चुका या कर रहा होता है। इसलिए समुदाय को शामिल करते हुए और उनको इससे अवगत कराने के लिए जागरूकता का निर्माण करने वाली प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।
    - **हितधारकों का क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण:** देश में विशेषज्ञों का तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यबल बनाने के लिए भूस्खलन अनुसंधान अध्ययन और प्रबंधन केंद्र (CLRSM)[133] का निर्माण करना चाहिए।
    - **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विनियम और नीतियां तैयार करना:** इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:
        - भू-उपयोग संबंधी नीतियों और तकनीकी कानूनी व्यवस्था का निर्माण,
        - भवन निर्माण संबंधी विनियमों को अपडेट करना और उनको लागू करना,
        - भूस्खलन प्रबंधन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता/ दिशा-निर्देशों की समीक्षा और संशोधन करना,
        - शहरी और देश के योजना संबंधी कानूनों में आवश्यक संशोधन करना,
        - प्राकृतिक आपदा संबंधी जोखिम वाले क्षेत्रों में भूमि का उपयोग करने संबंधी विनियम बनाना आदि।
- **अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मॉडल**
    - **मलबे के प्रवाह वाले भूस्खलन का डायनेमिक मॉडल:** यह मॉडल मलबे के द्रव्यमान, संवेग और ऊर्जा के संबंध में भौतिक नियमों पर आधारित है। इसलिए यह मलबे के प्रवाह की विशेषताओं और व्यवहार का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका बनता जा रहा है।
    - **टाइम सीरीज मेजरमेंट:** इसके तहत माइक्रोवेव सेटेलाईट डेटा और InSAR (इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार) तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे मिलिमीटर स्तर पर भी विस्थापन/ स्थानांतरण का पता लगाया जा सकता है।
    - **रेनफॉल थ्रेशोल्ड पर आधारित भूस्खलन अग्रिम चेतावनी:** इसमें संबंधित ढलान को अस्थिर करके भूस्खलन पैदा करने में सक्षम वर्षा के जल की सीमा का पता लगाया जाता है। इसके लिए अनुभवजन्य या सांख्यिकीय दृष्टिकोण आधारित प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।
- **पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र में विकास परियोजनाएं:** इसके लिए तृतीय पक्ष द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)[134] के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)[135] की आवश्यकता है।
- **सतह और उपसतह जल निकासी में सुधार:** चूंकि जल भूस्खलन के लिए उत्तरदायी एक मुख्य कारक है, इसलिए संबंधित क्षेत्र में सतह और उपसतह जल निकासी प्रणाली में सुधार करने से भूस्खलन-प्रवण ढलान की स्थिरता बढ़ सकती है।
- **पिरामिडनुमा और रिटेनिंग वॉल का निर्माण करना:** पिरामिडनुमा वाल धातु के बीम या ठोस खंभे या स्तंभों पर आधारित होते हैं। इन्हें या तो मिट्टी में धंसा के या ड्रिल किए गए छिद्रों में स्थापित किया जाता है। इन्हें भूस्खलन वाली सतह के नीचे मौजूद मजबूत चट्टानी परत तक व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।
    - लकड़ी के खंभे और टेलीफोन के खंभे को पिरामिडनुमा रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कम मजबूत होते हैं और समय के साथ खंडित भी हो सकते हैं।

5.11. हिमनद प्रबंधन (Glacier Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने हिमनद प्रबंधन और निगरानी पर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है।

---

[132] Unmanned Aerial Vehicle

[133] Centre for Landslide Research Studies and Management

[134] Environmental Impact Assessment

[135] Social Impact Assessment

हिमनद के बारे में

- **भूमि पर किसी क्षेत्र में हिम के पिघलने की मात्रा की तुलना में अधिक हिमपात के कारण कई वर्षों से परत-दर-परत इकट्ठा हुई हिम की संरचना को** हिमनद कहते हैं। इसका आकार कम से कम 0.1 वर्ग कि.मी. होना चाहिए। साथ ही, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान की दिशा में गति भी होती है।
    - **पृथ्वी की सतह ठोस अवस्था में मौजूद जल के क्षेत्रों के लिए सामूहिक रूप से हिममंडल (Cryosphere) शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठोस अवस्था में मौजूद जल के तहत** समुद्री हिम, लेक आइस, रिवर आइस, हिमावरण, हिमनद, हिमटोपी (Ice caps), हिम-चादर और जमी हुई सतह शामिल हैं।
- **बड़े हिमनदों और छोटे हिमनदों के बीच अंतर करने के लिए कोई विशिष्ट आकार** का निर्धारण नहीं किया गया है।
- हिमनद मुख्यतः भारतीय हिमालय क्षेत्र के **जलीय चक्र** के महत्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि हिमालय क्षेत्र **तीन बड़ी नदी प्रणालियों का उद्गम स्रोत** हैं। इन नदी प्रणालियों में शामिल हैं: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
    - **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में 9,775 हिमनद** हैं।
    - **1306.1 क्यूबिक किलोमीटर आयतन के बराबर हिम** सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के हिमनद बेसिन में मौजूद है।
- **हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र** को **'वाटर टावर ऑफ एशिया'** के नाम से भी जाना जाता है।

भारत में हिमनद प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को उजागर किया गया है:

- **हिमालय के अधिकतर हिमनद का पिघलना:** इस क्षेत्र के अधिकतर हिमनद पिघलते जा रहे हैं। इससे **हिमालयी नदी प्रणालियों में जल का प्रवाह** गंभीर रूप से **प्रभावित** होगा। इससे **आपदाओं में भी बढ़ोतरी होगी।**
    - **हिमालय का काराकोरम क्षेत्र** वैश्विक औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तेजी से गर्म हो रहा है।
    - हिमालय क्षेत्र के **छोटे आकार के हिमनद** जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
    - 40 वर्षों (1960-2000) की अवधि में प्रतिवर्ष लगभग 0.3% की दर से **हिमालय के 13% हिमनद क्षेत्र पिघल चुके हैं।**

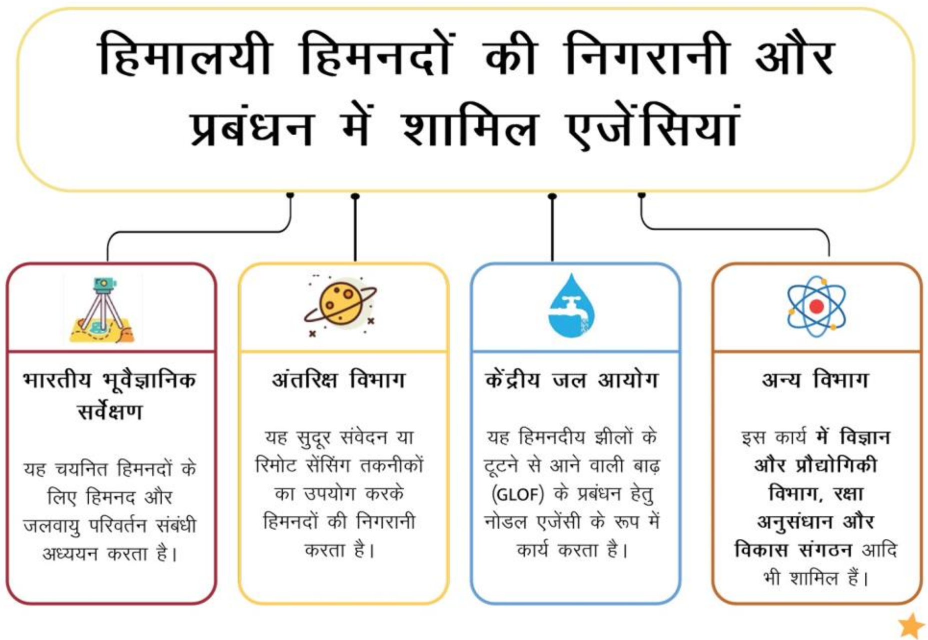

- **हिमालय की पारिस्थितिकी पर प्रभाव:** हिमनदों के पिघलने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है:
    - हिमालय में वृक्ष रेखा ऊपर की ओर स्थानांतरित हो सकती है।
    - हिमनदीय झील के टूटने से आने वाली बाढ़ (GLOFs) की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।
    - पादपों के **फोनोलॉजिकल** (जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित फूल खिलने का समय) **व्यवहार में भी परिवर्तन** आ सकता है।
        - **भारत के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 60% जल स्रोत** सूखने के कगार पर हैं।
- **हिमालय के हिमनदों पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव:** ब्लैक कार्बन प्रकाश का अधिक अवशोषण करता है और अवरक्त (infrared) विकिरणों का उत्सर्जन करता है जिससे **तापमान में वृद्धि** होती है।
    - इसलिए, उच्च हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की वृद्धि **हिमनदों के पिघलने में तेजी ला सकती** है।
    - इसके अलावा, ब्लैक कार्बन में वृद्धि के परिणामस्वरूप **"एलिवेटेड हीट पंप इफेक्ट (EHPE)"** की घटना में वृद्धि होती है। EHPE वस्तुतः हिमालय की तलहटी में और तिब्बती पठार के ऊपर एरोसोल-प्रेरित मध्य और ऊपरी-क्षोभमंडल की वार्मिंग है, जो एशियाई मानसून वर्षा की शुरुआत को और तेज करती है।

- **हिमालयी क्षेत्र का कम ठंडा होना:** इस क्षेत्र में गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है और ठंड के दिनों की संख्या कम हो रही है। पिछले 30 वर्षों की अवधि के दौरान ठंड के दिनों की संख्या में लगभग 2 से 6% की कमी देखी गई है।
- **डेटा साझा करने का अभाव:** वृहद स्तर पर मॉडलिंग और रनऑफ इवैल्यूएशन के लिए हिमनद से संबंधित डेटा साझा करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ कोई विशेष समझौता/ संधि नहीं की गई है।
- **अलग-अलग विभागों द्वारा समन्वय रहित अनुसंधान और अध्ययन:** हिमालयी हिमनदों के जल-मौसम विज्ञान और जल-भूवैज्ञानिक खतरों से निपटने का अलग-अलग कार्य कई मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थानों को सौंपा गया है।
- **नीति संबंधी समस्याएं:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए **कोई विशिष्ट आपदा प्रबंधन (DM)[136] योजना तैयार नहीं की गई है।**
    - इसके अलावा, NDMA द्वारा **आकस्मिक बाढ़, बादल फटने और हिमस्खलन** जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए भी कोई **मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)[137]** विकसित नहीं की गई है।

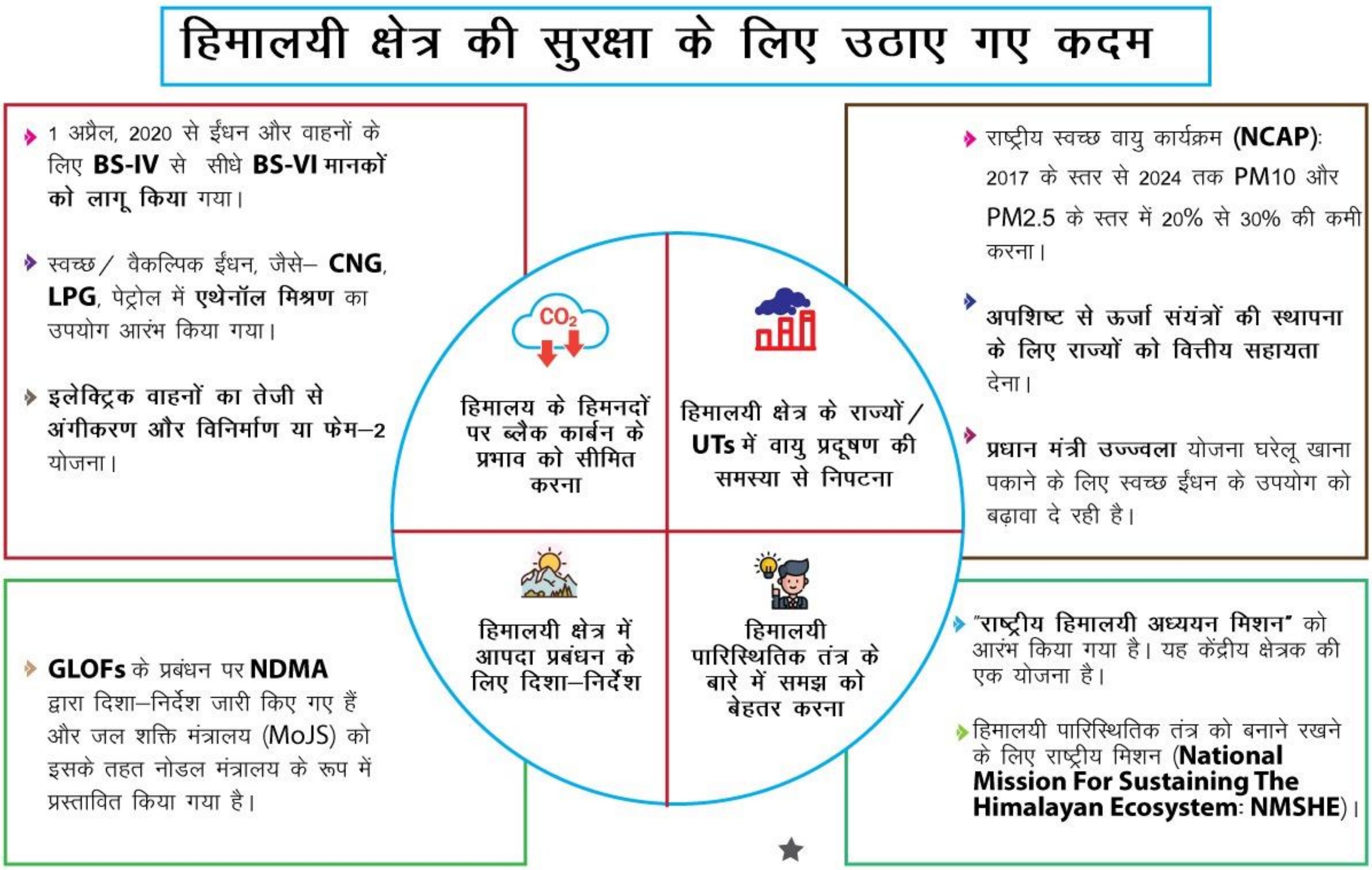

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- **हिमनद प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय की स्थापना करना:** इस निकाय को **हिमालय क्षेत्र के हिमनदों की निगरानी** करने के साथ-साथ अनुसंधान संबंधी कार्य में शामिल सभी विभागों/ एजेंसियों की गतिविधियों के बीच **समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी** सौंपी जानी चाहिए।
- **डेटा को साझा करने से संबंधित समझौतों की आवश्यकता:** हिमनदीय गतिविधि/ व्यवहार से जुड़ी जल-विज्ञान संबंधी जानकारी/ डेटा को सुगम रूप से साझा करने के लिए **क्षेत्रीय सहयोग** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **एक बहु-विपदा अलर्ट और चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना:** एक एकीकृत नोडल एजेंसी के तत्वावधान में **रियल टाइम समन्वय आधारित संस्थागत व्यवस्था** बनाने की आवश्यकता है, जो खतरों/ आपदाओं की नियमित निगरानी करता हो और उनके बारे में चेतावनी जारी करता रहे।

---

[136] Disaster Management

[137] Standard Operating Procedure

- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)[138] की कार्यप्रणाली को मजबूत करना:** राज्य सरकारों पर निर्भर रहने के बजाय, NDRF के लिए **यह अधिक उचित होगा कि उसके पास खोज और बचाव अभियान संबंधी अपने आधुनिक उपकरण हों।**
- **हिमालयी राज्यों और उनकी एजेंसियों की बेहतर भागीदारी:** हिमनदों की निगरानी और अनुसंधान में विशेष रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्र (IHR)[139] की राज्य सरकारों की भूमिका को पर्याप्त रूप से मान्यता देने की आवश्यकता है। साथ ही, इन राज्यों को हिमनदों की निगरानी और अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल और भागीदार बनाया जाना चाहिए।
- **जन जागरूकता कार्यक्रम:** ग्लोबल वार्मिंग वस्तुतः पारिस्थितिक तंत्र, समुदायों और अवसंरचना के लिए एक खतरा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। इस कार्य को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया एवं शिक्षाविदों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **अन्य सिफारिशें:** निगरानी स्टेशन के नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए; भूमि उपयोग संबंधी विनियमों को बेहतर बनाना चाहिए तथा छोटे आकार के हिमनदों को निगरानी के दायरे में लाना चाहिए।

5.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.12.1. 'वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन' रिपोर्ट (CO2 Emissions in 2022 Report)

- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** ने 'वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन' रिपोर्ट जारी की।
- यह IEA की **'ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक- पेरिस समझौते की प्रगति पर नजर'** नामक नई श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2022 में ऊर्जा से संबंधित **ग्रीन हाउस गैसों (GHG)** के उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - 2022 में **वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। यह **उत्सर्जन 36.8 गीगाटन (Gt) से अधिक के एक नए स्तर पर पहुंच** गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)
    - CO_2 उत्सर्जन **तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन** के कारण होता है।
  - CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि के बावजूद, यह **3.2 फीसदी की वैश्विक आर्थिक संवृद्धि दर से काफी कम है।** इस प्रकार यह रुझान **उत्सर्जन और आर्थिक संवृद्धि की डीकपलिंग** की एक दशक पुरानी प्रवृत्ति की ओर वापस लौट आया है।
    - उत्सर्जन के संबंध में **डीकपलिंग** का अर्थ है कि **आर्थिक संवृद्धि अब जीवाश्म ईंधन की खपत से गहन रूप से नहीं जुड़ी हुई है।**
  - तेल से होने वाला उत्सर्जन कोयले से होने वाले उत्सर्जन से भी ज्यादा हो गया है।
  - बिजली उत्पादन में पिछले साल की वैश्विक वृद्धि में अक्षय ऊर्जा का योगदान 90% था।
    - **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (पवन और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन आदि)** ने **अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन को रोकने** में मदद की है।
- **ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस स्टॉकटेक:**
  - यह **पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रौद्योगिकी, निवेश और जन-केंद्रित प्रगति को ट्रैक** करता है। साथ ही, यह **प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) का भी समर्थन** करता है, जो 2023 में COP (पक्षकारों का सम्मेलन)-28 में समाप्त होगा।
  - प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक, COP-26 में शुरू हुआ था। यह **पेरिस समझौते और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन** करता है।
  - पेरिस समझौता **जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। इसे 2015 में **पेरिस में आयोजित COP-21 सम्मेलन के दौरान 196 पक्षकारों** ने अपनाया था।

---

[138] National Disaster Response Force

[139] Indian Himalayan Region

5.12.2. जैव ईंधन (Biofuels)

- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने जैव ईंधन की निर्यात नीति में संशोधन किया है।**
- DGFT ने 2018 की अधिसूचना में संशोधन किया है। इसके तहत **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और निर्यात-उन्मुख इकाइयों (EOUs) से जैव ईंधन के निर्यात को अनुमति** दी गई है। यह अनुमति ईंधन और गैर-ईंधन दोनों उद्देश्यों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के दी गई है। हालांकि, इसके लिए **जैव ईंधन का उत्पादन, आयातित फीडस्टॉक का उपयोग करके** ही किया जाना आवश्यक है।
    - **जैव ईंधन के आयात और निर्यात** दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

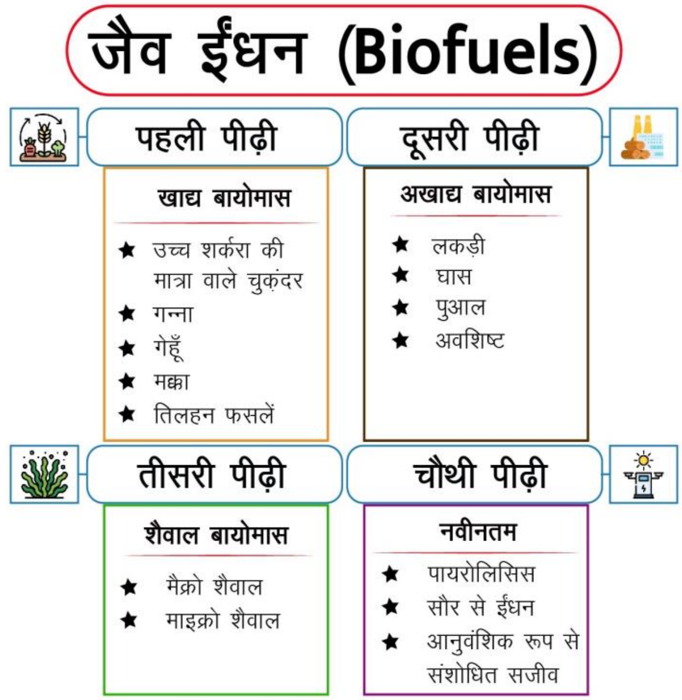

- जैव ईंधन **ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत** है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत, यह एक **ऐसा हाइड्रोकार्बन ईंधन है, जो कार्बनिक पदार्थों से कम समय में ही उत्पन्न** किया जा सकता है।
    - **जैव ईंधन के प्रकार:** बायो इथेनॉल, बायोडीजल, संपीडित बायोगैस (CBG), बायो-हाइड्रोजन आदि।
- **जैव ईंधन का महत्त्व:**
    - यह **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है** और ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है।
    - इससे **किसानों को अतिरिक्त आय के रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है।**
    - यह बायोमास के प्रसंस्करण, भंडारण समाधान और रोजगार सृजन में नए **व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान** करता है।
- **जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां:**
    - जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 के तहत **2030 तक 20% इथेनॉल-मिश्रण और 5% बायोडीजल-सम्मिश्रण का लक्ष्य** रखा गया है।
    - **प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना, 2019** की शुरुआत की गई है।
    - **गोबर/GOBAR (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) धन योजना, 2018** शुरू की गई है।
    - CBG उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश बनाने हेतु **सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT/ सतत) पहल** आरंभ की गई है।

5.12.3. व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैव-संसाधन का उपयोग (Bio Resources for Commercial Purposes)

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने कहा है कि **डाबर ने बिना मंजूरी के जैव संसाधनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है।**

- जैव विविधता अधिनियम (BDA) 2002 के अनुसार, किसी **भारतीय संस्था को जैव-संसाधन का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) को पूर्व सूचना** देनी होती है।
    - **जैव संसाधनों** में पादप, पशु, सूक्ष्म जीव, उनके अंग, आनुवंशिक सामग्री और उप-उत्पाद शामिल हैं।
    - **जैव-संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग:** दवा के निर्माण में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, सुगंध में आदि।
- **BDA को तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:** स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC), राज्य स्तर पर SBB तथा राष्ट्रीय स्तर पर

NBA होता है।

- इनमें से **प्रत्येक स्तर अलग-अलग मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा** हुआ है। इन मुद्दों में **"पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS)"** जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
    - ABS वह प्रणाली है, जो यह निर्धारित करती है कि **आनुवंशिक संसाधनों को कैसे प्राप्त** किया जाए। साथ ही, इसके उपयोग के लाभों को **संसाधन उपयोगकर्ता लोगों/देशों (यूजर्स) और संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों/देशों (प्रोवाइडर्स) के बीच कैसे साझा** किया जाए।
    - **ABS को अपनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलों** में जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) का ABS पर नागोया प्रोटोकॉल आदि शामिल हैं।

5.12.4. एशियाई शेर (Asiatic Lions)

- प्रोजेक्ट लॉयन में **गुजरात के बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित** किया गया है।
- गुजरात सरकार ने **बरदा वन्यजीव अभयारण्य (BWS) को एशियाई शेरों के लिए दूसरे अधिवास** के रूप में प्रस्तावित किया है।
    - यह **गिर राष्ट्रीय उद्यान** से लगभग 100 किमी दूर है। जहां इस **बड़ी बिल्ली की संख्या अधिक** हो गई है।
    - केंद्र सरकार ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- शेरों को बरदा में स्थानांतरित करने की सिफारिश **"लॉयन @ 2047: अमृतकाल के लिए विज़न"** शीर्षक वाली रिपोर्ट में की गई थी। यह रिपोर्ट **भारतीय वन्यजीव संस्थान** ने जारी की थी। बरदा में **मालधारी समुदाय** भी निवास करता है।
    - **BWS निम्नलिखित स्थितियों में शेरों की आबादी को विलुप्त होने से बचाएगा-**
        - कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जैसी बीमारियों की स्थिति में;
        - शिकार की संख्या में अप्रत्याशित कमी से;
        - प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में,
        - प्रतिशोधात्मक वध से आदि।

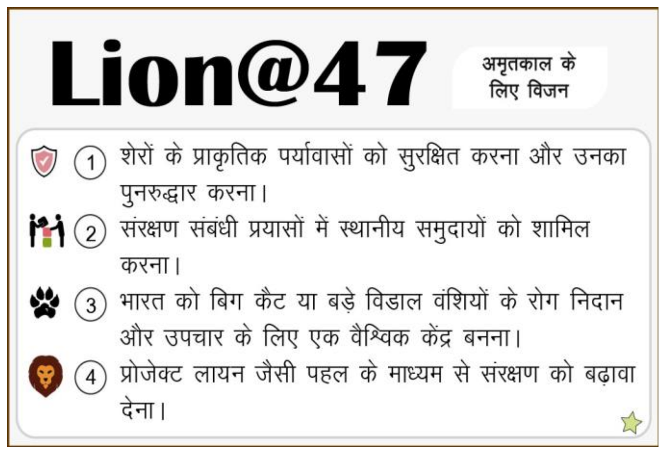

- प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात में एशियाई शेरों के **भू-परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण** की परिकल्पना की गई है। इसके लिए संरक्षण और पर्यावरण-विकास को एकीकृत किया जाएगा।
    - इसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर 2020 में शुरू किया गया था।
- **एशियाई शेर केवल भारत में पाए जाते हैं। गुजरात में इनके 5 संरक्षित क्षेत्र हैं-** गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य।
    - **संरक्षण की स्थिति:** यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची 1 में और CITES के परिशिष्ट 1** में सूचीबद्ध है। यह **IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत है।
    - एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। अफ्रीकी शेर **IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल** के रूप में सूचीबद्ध हैं।

5.12.5. कैप्टिविटी में रखे गए वन्यजीव (Captive Wild Animals)

- सुप्रीम कोर्ट ने **अपने पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि** की है। यह कदम **कैप्टिविटी में रखे गए वन्यजीवों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी के** उद्देश्य से उठाया गया है।
- यह समिति अब संपूर्ण भारत में कैप्टिविटी में रखे गए वन्यजीवों सहित अन्य वन्यजीवों के **आयात, स्थानांतरण, खरीद, बचाव और पुनर्वास** से संबंधित **तथ्य-खोज कार्य तथा आवश्यक जांच का कार्य करेगी।**
    - इस समिति का कार्यक्षेत्र **पहले त्रिपुरा और गुजरात तक ही सीमित था।**
    - राज्यों के **मुख्य वन्यजीव वार्डन** इस समिति का हिस्सा होंगे।
    - अन्य पदनामित सदस्य हैं: **वन महानिदेशक, हाथी परियोजना प्रभाग (MoEF) के प्रमुख और सदस्य सचिव (भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण)।**

- अब से, **राज्य और केंद्र के अधिकारियों को वन्य जीवों की जब्ती या कैप्टिविटी में रखे गए वन्य जीवों को छोड़े जाने की रिपोर्ट** इस समिति को देनी होगी।

5.12.6. बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य परिषद (Greater Panna Landscape Council: GPLC)

- GPLC का गठन **केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP)** के एक भाग के रूप में किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य **बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य प्रबंधन योजना** का व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
    - KBLP एक **नदी जोड़ो परियोजना है।** यह परियोजना पन्ना टाइगर रिज़र्व से होकर गुजरती है। इसके तहत **केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने** की योजना बनाई गई है।

- **GPLC के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं;**
    - एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर विकास प्रक्रिया के साथ एकीकरण सुनिश्चित कर संरक्षण के लिए "विन-विन" स्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
    - इस भू-दृश्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों जैसे **बाघ, गिद्ध और घड़ियाल** के लिए पर्यावास, संरक्षण एवं प्रबंधन की बेहतरी को सक्षम करना;
    - **स्थानिक प्राथमिकता के आधार पर** जैव विविधता संरक्षण के लिए भू-दृश्य को समेकित करना;
    - **प्रजाति-विशेष और स्थान-विशिष्ट निगरानी रणनीतियां** तैयार करना आदि।
- **एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन के बारे में:**
    - किसी भू-दृश्य से वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए **दीर्घकालिक सहयोग** को एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन कहते हैं। वांछित उद्देश्यों में शामिल हैं; **कृषि उत्पादन, पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं का वितरण, सांस्कृतिक विरासत और मूल्य संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना।**
- **पन्ना टाइगर रिज़र्व के बारे में:**
    - **अवस्थिति:** यह **विंध्य पहाड़ियों में दक्कन प्रायद्वीप, ऊपरी गंगा के मैदान और अर्ध-शुष्क गुजरात राजपुताना क्षेत्र के संगम** के निकट स्थित है। यही कारण है कि इसमें **तीन जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभाव दिखाई** देते हैं।
    - **प्रमुख नदी: केन नदी** इस रिज़र्व से होकर से गुजरती है।
    - **स्थापना:** इसकी स्थापना **1981** में की गई थी। सरकार ने **2011** में इसे बायोस्फीयर रिज़र्व का दर्जा दिया था।
        - यह **मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा बायोस्फीयर रिज़र्व है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (WNBR)** में शामिल किया गया है। अन्य दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं: **पंचमढ़ी और अमरकंटक।**

5.12.7. वन प्रमाणन (Forest Certification)

- यह प्रमाणन लकड़ी, फर्नीचर, हस्तशिल्प, कागज एवं लुगदी, रबड़ जैसे **वन-आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता व संधारणीयता को प्रमाणित करने के लिए एक बहु-स्तरीय लेखापरीक्षा प्रणाली** प्रदान करता है।
- **प्रमाणन के दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं:**
    - पहला मानक, **फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल** (FSC) ने विकसित किया है;
    - दूसरा मानक का विकास **प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन (PEFC)** ने किया है।
- **प्रमाणन के दो मुख्य प्रकार हैं:** वन प्रबंधन और अभिरक्षा (custody) श्रृंखला है।
- वर्तमान में, **भारत में केवल एक राज्य (उत्तर प्रदेश) में वन प्रमाणित** हैं।

5.12.8. हीट इंडेक्स रीडिंग {Heat Index (HI) Reading}

- IMD ने जल्द ही **हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की घोषणा** की है। इससे वास्तव में महसूस किए जाने वाले तापमान का अनुमान लगाया जा सकेगा। अब तक IMD दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान जारी करता रहा है।
    - यह सूचकांक **दिन की सापेक्ष आर्द्रता, पवन की गति, अधिकतम तापमान और बादलों के आच्छादन के आधार** पर रीडिंग देगा।
    - अपेक्षित हीट इंडेक्स के आधार पर **अलग-अलग रंगों वाली चेतावनियां भी जारी की जाएगी।** इनमें चेतावनी के रंग के आधार पर लोगों द्वारा बरती जा सकने वाली सावधानियों की सूची भी होगी।
- हीट इंडेक्स की गणना से **राज्यों को हीटवेव आकलन, पूर्वानुमान, तैयारी और उपशमन के लिए बेहतर हीट एक्शन प्लान (HAPs) तैयार करने में मदद** मिलेगी।
    - **किसी स्थल का अधिकतम तापमान यदि मैदानी क्षेत्र में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है,** तो इसे हीट वेव कहा जाता है।
- हाल ही में, **सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) ने सभी राज्यों के HAPs के आकलन में निम्नलिखित सीमाओं को रेखांकित किया है:**
    - HAPs के निर्माण में उमस (Humid) युक्त गर्मी की अवधि पर विचार नहीं किया जा रहा है।
    - अधिकतर HAPs स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाए गए हैं।
    - खतरे को लेकर एक अति-सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।
    - HAPs सुभेद्य समूहों की पहचान करने में विफल रहे हैं।
- **HAPs पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा की गई अनुशंसाएं**
    - जलवायु संबंधी अनुमानों को शामिल किया जाना चाहिए और गर्मी के खतरे की परिभाषा का स्थानीयकरण करना चाहिए।
    - सुभेद्यता आकलन और समग्र जोखिम आकलन को शामिल करना चाहिए।
    - राज्य के भीतर और राज्यों के बीच ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए।

5.12.9. स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत: दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य रिपोर्ट (Striving for Clean Air: Air Pollution and Public Health in South Asia report)

- **विश्व बैंक** ने 'स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत: दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- रिपोर्ट में **ग्रीन हाउस गैस तथा वायु प्रदूषण की अंतर्क्रिया और सहक्रिया (GAINS)**[140] मॉडल का उपयोग किया गया है। इस मॉडल का प्रयोग **पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन को मापने और उनके वातावरण में फैलने के तरीके को जानने** के लिए किया जाता है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - कुछ क्षेत्रों में **महीन PM सांद्रता, 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के WHO के मानक से 20 गुना अधिक है।** महीन PM सांद्रता में **कालिख (Soot) और छोटे धूल कण (PM 2.5)** शामिल हैं।
    - **दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं-** ठोस ईंधन का दहन, लघु उद्योग, नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं (जैसे प्लास्टिक को जलाना) आदि।
    - दक्षिण एशिया में **छह प्रमुख एयर शेड्स** की पहचान की गई है, जहां **वायु गुणवत्ता में स्थानिक परस्पर निर्भरता (Interdependence) अधिक है।**
        - एक एयर शेड को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पवन के एक सामान्य प्रवाह को साझा करता है। यहां पवन समान रूप से प्रदूषित और स्थिर हो सकती है।
    - **बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान** एक कॉमन एयर शेड साझा करते हैं। यह एयर शेड भारत के गंगा के मैदान तक फैला हुआ है।

---
[140] Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies

- **रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें:**
    - दक्षिण एशिया में PM 2.5 के संकेंद्रण को कम करने के लिए **अतिरिक्त और संयुक्त लक्ष्यों के माध्यम से सीमा-पार कार्रवाई का समन्वय** किया जाना चाहिए। इसके लिए विद्युत संयंत्रों, बड़े कारखानों और परिवहन से परे ध्यान केंद्रित करना होगा अर्थात कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को भी शामिल करना होगा।
    - वायु प्रदूषण पर कराधान, उत्सर्जन परमिट वित्त-पोषण के लिए बाजारों के निर्माण आदि के माध्यम से **अर्थव्यवस्था में वायु गुणवत्ता को मुख्यधारा** में लाने की आवश्यकता है।

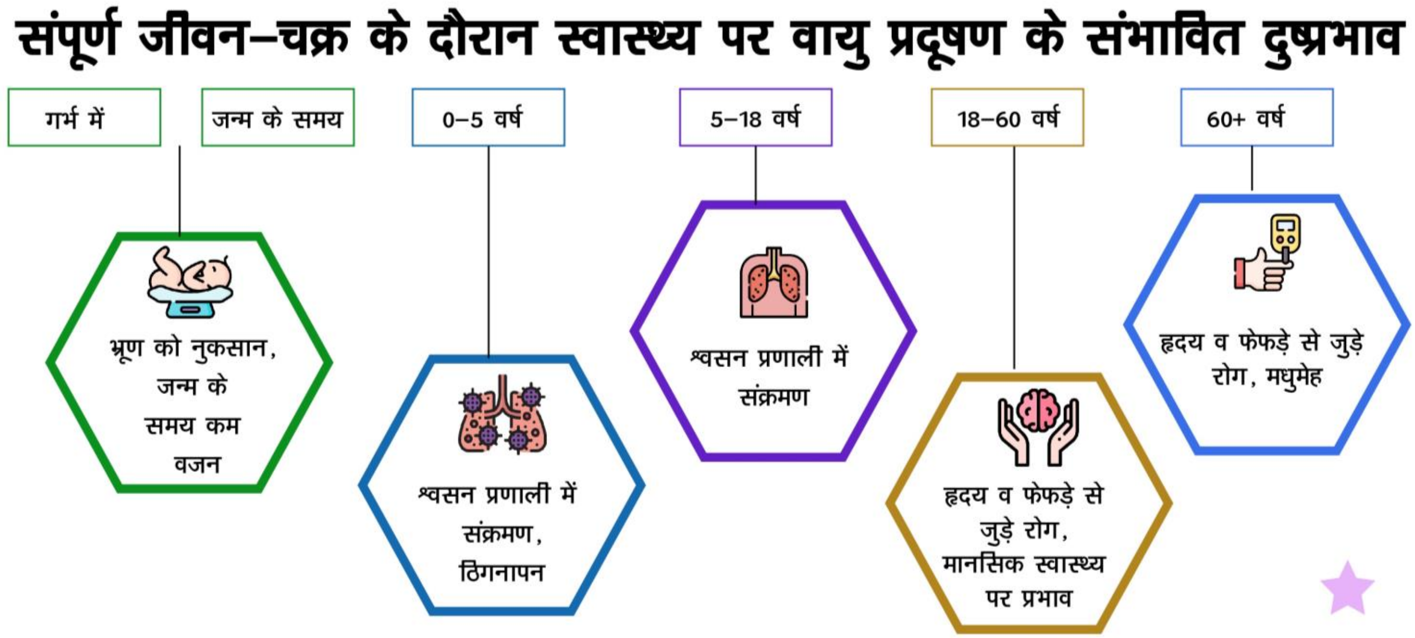

5.12.10. लिक्विड ट्री/ लिक्विड 3 (Liquid Tree/LIQUID 3)

- **बेलग्रेड (सर्बिया) ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक शहरी फोटो-बायोरिएक्टर प्रस्तुत** किया है। इसे **लिक्विड ट्री** नाम दिया गया है।
- लिक्विड ट्री में **जल होता** है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आबद्ध करने हेतु **सूक्ष्म शैवाल का उपयोग** करता है। यह **प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायु की गुणवत्ता** में सुधार करता है।
- लिक्विड ट्री **दो 10 साल पुराने वृक्षों या 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बगीचे की तुलना** में अधिक कुशल है।

5.12.11. प्लास्टिक चट्टानें (Plastic Rocks)

- शोधकर्ताओं ने ब्राजील के **एस्पिरिटो सैंटो राज्य में स्थित ट्रिनेडेड द्वीप पर प्लास्टिक की चट्टानें पाई हैं।**
    - **ट्रिनेडेड द्वीप** सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक- **ग्रीन टर्टल (चेलोनिया मायदास)** के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल है। यह जीव **IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत है।
- **जिन चट्टानों में प्लास्टिक पाया गया है, उन्हें प्लास्टिग्लोमेरेट्स कहा** जाता है। प्लास्टिग्लोमेरेट्स तलछट कणों और अन्य मलबे का मिश्रण है। इन्हें प्लास्टिक द्वारा आबद्ध रखा जाता है।
- चट्टानों के साथ प्लास्टिक का यह मिश्रण इस बात का प्रमाण है कि **मानवजनित प्रदूषण पृथ्वी के भूवैज्ञानिक चक्रों तक पहुंच रहा है।**

5.12.12. विलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plants)

- **राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) लक्षद्वीप में हरित व स्व-ऊर्जा संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा।**
- इसके एक बार परिचालित हो जाने के बाद यह संभवतः **विश्व का पहला विलवणीकरण संयंत्र होगा, जो समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने के साथ-साथ संयंत्र को बिजली की आपूर्ति भी करेगा।**

- वर्तमान **विलवणीकरण संयंत्र डीजल जनरेटर सेट** द्वारा संचालित होते हैं। इससे **वायु प्रदूषण** होता है। साथ ही, द्वीप में डीजल पहुंचाने से **संयंत्र संचालन की लागत भी बढ़ जाती है।**

- NIOT ने **लक्षद्वीप के छः द्वीपों में निम्न-तापीय थर्मल विलवणीकरण (LTTD) संयंत्र** स्थापित किए हैं। एक LTTD **उत्तरी चेन्नई** में भी स्थापित किया गया है।
  - विलवणीकरण **समुद्री जल या मुहाने के खारे पानी से ताजा जल प्राप्त** करने की प्रक्रिया है।

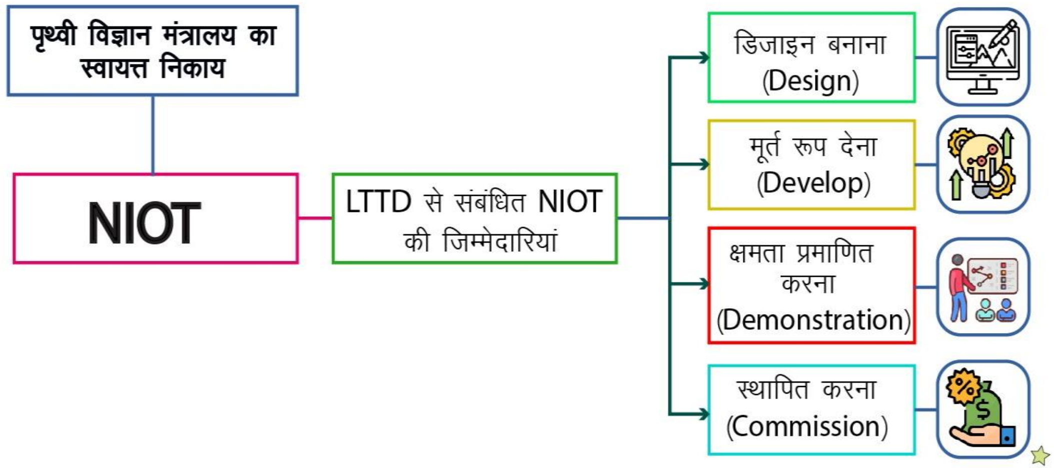

- LTTD प्रक्रिया के तहत **गर्म सतही समुद्री जल को निम्न दाब पर आंशिक रूप से वाष्पीकृत** किया जाता है। इसके बाद **वाष्प को ठंडे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित** किया जाता है।
  - ठंडा जल गर्म जल (सतह के स्तर पर) को संघनित करता है। वैक्यूम पंपों का उपयोग करके गर्म जल के दाब को कम किया गया होता है। **संघनित जल लवण और संदूषकों से मुक्त होता है** तथा यह पेयजल के लिए उपयुक्त होता है।
    - अब, गर्म जल के दाब को कम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा डीजल से प्राप्त करने की बजाय, **ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (OTEC) तकनीक** से उत्पन्न की जाएगी। पहले ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डीजल संचालित वैक्यूम पंपों का उपयोग किया जाता था।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology: NIOT)

मुख्यालय: चेन्नई

उत्पत्ति: इसे 1993 में एक स्वायत्त सोसाइटी/ निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

लक्ष्य: भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में जैविक और अजैविक संसाधनों का दोहन करने से संबंधित अलग–अलग इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

मुख्य उद्देश्य:
- समुद्र संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोगों को विकसित करना।
- समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को प्रतिस्पर्धी, मूल्यवर्धित तकनीकी सेवाएं और समाधान प्रदान करना।
- समुद्री संसाधनों और पर्यावरण के प्रबंधन के लिए भारत में ज्ञान–आधार और संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: यह भारत के **डीप ओशन मिशन** के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है।

- **LTTD के लाभ:**
  - **समुद्री जल के उपचार से पहले और बाद की प्रक्रियाओं में किसी भी रसायन की आवश्यकता नहीं** होती है। इससे **प्रदूषण की समस्या बहुत हद तक कम** हो जाती है।
  - यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वदेशी, मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल है।

5.12.13. दक्षिण अटलांटिक विसंगति (South Atlantic Anomaly: SAA)

- SAA **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र** में एक रहस्यमयी विसंगति है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसकी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है।
    - SAA पृथ्वी के ऊपर आकाश में **कम चुंबकीय तीव्रता** का विशाल क्षेत्र है। यह क्षेत्र **दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका** के बीच विस्तारित है।
- दक्षिण अटलांटिक विसंगति के लिए पृथ्वी के कोर की दो विशेषताएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की चुंबकीय धुरी का झुकाव और पृथ्वी के बाह्य कोर में पिघली हुई धातुओं का प्रवाह शामिल हैं।
- यह **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र** में एक डेंट या अंतरिक्ष में एक तरह के गड्ढे के समान है। यह SAA से सीधे गुजरने वाले **कक्षीय अंतरिक्ष यान** को प्रभावित कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए- सूर्य से उत्सर्जित **उच्च-ऊर्जावान प्रोटॉन** कणों से टकराने पर उपग्रहों की **तकनीकी प्रणालियों में शॉर्ट-सर्किट हो सकता है और खराबी** आ सकती है।
- यह महत्वपूर्ण **डेटा हानि और यहां तक कि स्थायी क्षति** के जोखिम में भी वृद्धि करती है।

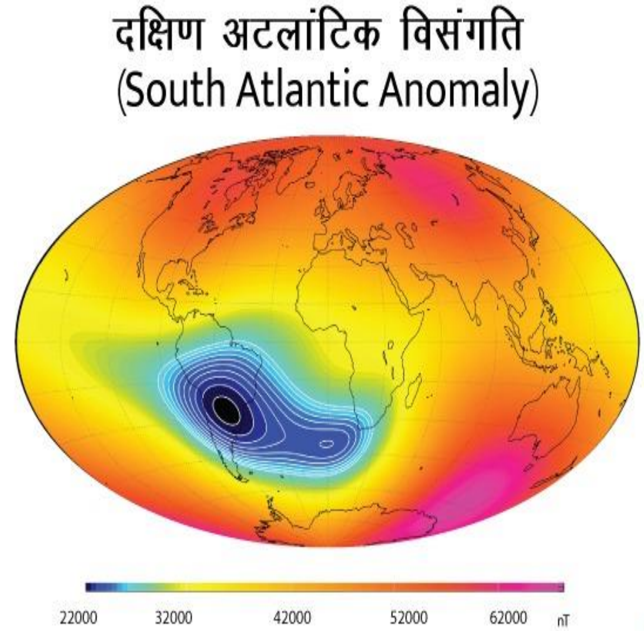

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
    - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
    - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Protection in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **यूनिसेफ** ने **"मोर दैन ए बिलियन रीज़न: द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन**[141] शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि यह **बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर दूसरी संयुक्त रिपोर्ट** है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का उजागर किया गया है:
    - वैश्विक स्तर पर, **प्रत्येक 4 बच्चों में से केवल 1 बच्चे को सामाजिक सुरक्षा** प्राप्त है।
    - सामाजिक सुरक्षा के बिना, बच्चों के **चरम गरीबी में रहने की** संभावना वयस्कों की तुलना में **दोगुनी** है।
    - इसका **बच्चों के जीवन, समुदायों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं** पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- इस रिपोर्ट में बच्चों की **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा**[142] सुनिश्चित करने हेतु **अधिक सहूलियत वाले दृष्टिकोण** की भी सिफारिश की गई है। इसमें **छह महत्त्वपूर्ण कदम** शामिल हैं (इंफोग्राफिक देखें)।

सामाजिक सुरक्षा और इसके महत्त्व के बारे में

- **सामाजिक सुरक्षा:** यह "नीतियों और कार्यक्रमों का ऐसा समूह है जिसे संपूर्ण जीवन काल में गरीबी तथा सुभेद्यता को कम करने एवं रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है"।
    - उदाहरण के लिए- संपूर्ण जीवन काल में **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और बुनियादी आय सुरक्षा** जैसी नीतियां सामाजिक सुरक्षा स्तर के आधार हैं (इंफोग्राफिक देखें)।
- **सामाजिक सुरक्षा का गुणक प्रभाव होता है:** इसका लोगों के जीवन तथा भविष्य पर तत्काल और गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा खाद्य, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ने के कारण होता है। उदाहरण के लिए-

---

[141] More than a billion reasons: The urgent need to build universal social protection for children"

[142] Universal social protection

- यह बाल श्रम, महिलाओं की परिवार पर निर्भरता जैसे मुद्दों से निपटने में मदद करता है।

- **सामाजिक सुरक्षा के चरण:** व्यापक सामाजिक सुरक्षा **मातृत्व, बेरोजगारी, कार्यस्थल पर लगी चोट** या **दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों** के लिए सहायक होती है। साथ ही, यह कुछ आपदाओं के दौरान भी सहायक होती है, जैसे- **प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट** और **कोविड-19** जैसी **महामारी**।

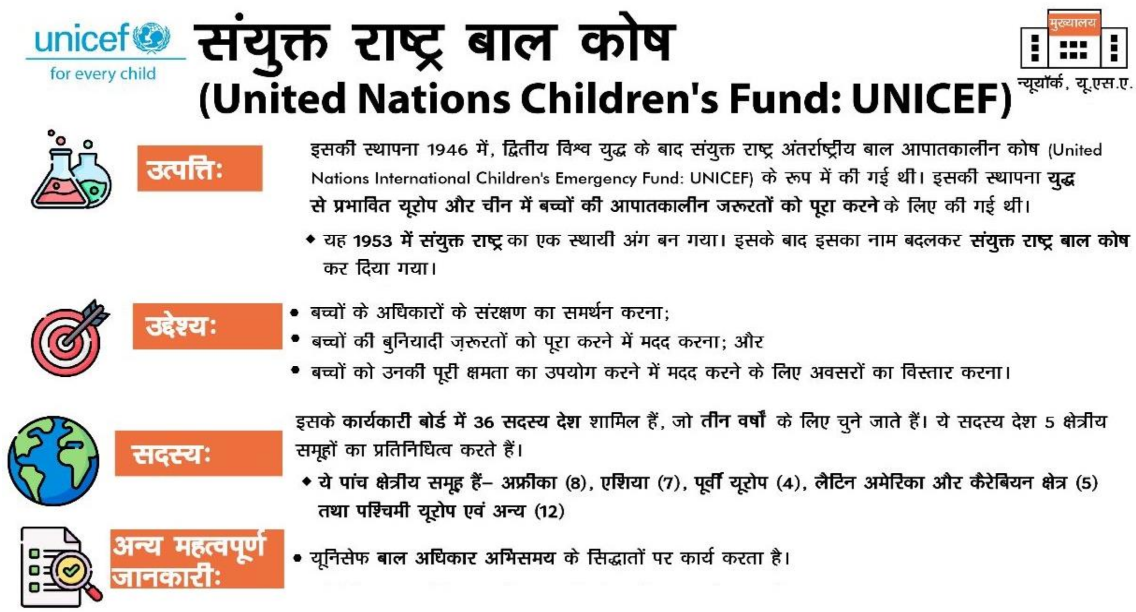

भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें और इनकी कवरेज

केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यापक **सामाजिक बीमा (रक्षात्मक), सामाजिक सहायता (उन्नति संबंधी)** और **सामाजिक कल्याण** संबंधी उपाय किए हैं:

सामाजिक बीमा	• **सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)[143] और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)[144] द्वारा औपचारिक श्रमिकों को कवर किया जाता है। • **असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं,** जैसे- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना और अटल पेंशन योजना। • **चिकित्सा बीमा योजनाएं,** जैसे- आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)। • **मातृत्व बीमा योजना,** जैसे- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जननी सुरक्षा योजना आदि। • **बेरोजगारी बीमा योजनाएं,** जैसे- राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY) और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)।
सामाजिक सहायता	• **खाद्य और पोषण कार्यक्रम,** जैसे- एकीकृत बाल विकास सेवा, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि। • प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत **सभी के लिए आवास।** • **स्व-रोजगार कार्यक्रम,** जैसे- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), पी.एम.-स्वनिधि योजना, पी.एम. मुद्रा योजना आदि। • **मजदूरी रोजगार कार्यक्रम,** जैसे- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 या मनरेगा।
सामाजिक कल्याण	• वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।** • किसानों को वित्तीय सहायता के लिए **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)** • **पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रन योजना:** इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता और देखभाल करने वालों को खोने वाले बच्चों की मदद करना है।

हालांकि, इन व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, सामाजिक सुरक्षा का **लाभ लेने वालों की आबादी का प्रतिशत बहुत कम है।**

विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहचर रिपोर्ट[145] के अनुसार, केवल 24.4% भारतीयों को ही किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी।

---

143 Employees' State Insurance

144 Employees' Provident Fund Organization

145 World Social Protection Report 2020-22: Regional companion report for Asia and the Pacific

भारत में सामाजिक सुरक्षा के कम कवरेज के क्या कारण हैं?

- केंद्र और राज्यों द्वारा **सामाजिक सुरक्षा उपायों में अपेक्षाकृत कम निवेश किया जाता है, जबकि एक बड़ी आबादी को कवर** किया जाना बाकि है।
    - **भारत** सामाजिक सुरक्षा उपायों पर **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 8.6% खर्च करता है,** जबकि **वैश्विक औसत 12.9%** है।
- **अनौपचारिक रोजगार का उच्च प्रतिशत:** भारत में लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रखता है।
    - इसमें निम्न मध्यम वर्ग भी शामिल है, इसे **'मिसिंग मिडिल' के नाम से भी जाना** जाता है। इस वर्ग को **न तो किसी सामाजिक सहायता से और न ही किसी सामाजिक बीमा के तहत कवर प्राप्त है।**
- **कुछ वर्गों का हाशिए पर होना जैसे कि:**
    - महिलाएं **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** में बहुत अधिक कार्यरत हैं, इससे उन्हें **लैंगिक असमानता** का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, इससे महिलाओं पर गरीबी का ज्यादा असमान प्रभाव पड़ता है।
    - **अनुसूचित जनजातियां (आदिवासियों)** मुख्यधारा से कटी रहती हैं और विकास गतिविधियों के कारण उन्हें अधिक विस्थापन का सामना करना पड़ता है।
    - **अनुसूचित जातियों को** जातिगत असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- **गवर्नेंस/ शासन संबंधी मुद्दे/ समस्याएं:**
    - योजनाओं का एक साथ काम न करना और उनमें आपसी समन्वय का अभाव।
    - नागरिक पंजीकरण प्रणाली में भी कई खामियां हैं जिनकी वजह से कुछ गैर-जरुरी डेटा जोड़ दिए जाते हैं तो वहीं कुछ लोगों का पंजीकरण ही नहीं हो पाता है।
    - भ्रष्टाचार जैसी **प्रशासनिक समस्याओं** के कारण लीकेज अधिक होता है।

आगे की राह

उपर्युक्त रिपोर्ट द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के अलावा, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:

- राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विस्तारित कवरेज के लिए **सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना** चाहिए।
- **पी.एम. किसान जैसी अंशदान आधारित और मनरेगा जैसी गैर-अंशदान आधारित लाभ योजनाओं का एक मिश्रण अपनाना चाहिए।** इससे शहरी और ग्रामीण जैसे स्थैतिक डिवीजनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विकेन्द्रीकृत भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
- बेहतर समन्वय के लिए **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को समेकित करना** चाहिए। साथ ही, **मिसिंग मिडिल**, बुजुर्गों, बच्चों, प्रवासियों आदि को कवर करके योजनाओं की पहुंच में सुधार करना चाहिए।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करके सामाजिक सुरक्षा की बेहतर **दक्षता और प्रभावकारिता** के लिए वर्तमान कवरेज अंतराल को भरना चाहिए। उदाहरण के लिए- समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को दूर करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करना।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और इसके महत्त्व के बारे में **जन जागरूकता बढ़ाना** चाहिए ताकि इसकी आवश्यकता के बारे में व्यक्तिगत धारणा में बदलाव लाया जा सके।

6.2. स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य** बन गया है जिसने **"स्वास्थ्य का अधिकार" अधिनियम** लागू किया है।

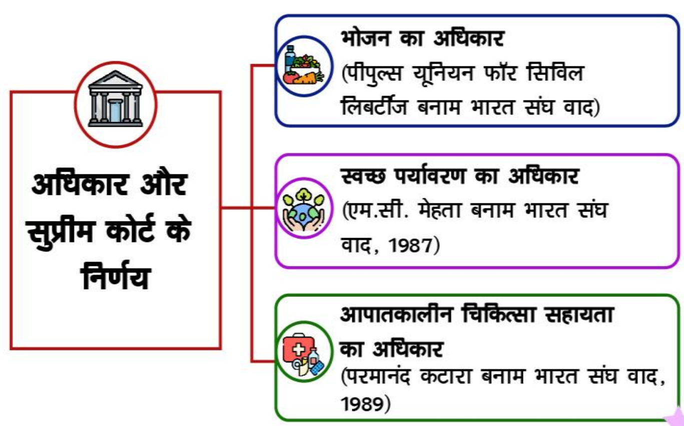

भारत में "स्वास्थ्य का अधिकार" और **"एक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य" के बारे में**

- **स्वास्थ्य के अधिकार का दायरा:** स्वास्थ्य का अधिकार केवल नागरिकों को **समय पर** और उचित गुणवत्ता युक्त **स्वास्थ्य देखभाल** उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह **स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों**[146] पर भी केंद्रित है, जैसे-

---

[146] Underlying determinants of health

- सुरक्षित और **पीने योग्य जल तथा पर्याप्त स्वच्छता तक पहुंच,**
    - **स्वस्थ व्यावसायिक** और **पर्यावरणीय स्थितियां,** और
    - यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहित **स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और जानकारी** तक पहुंच।
- **संवैधानिक स्थिति: भारतीय संविधान** में **स्वास्थ्य के अधिकार** को **मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित किया गया है।
    - सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से **स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक भाग माना जाता है** (कुछ उदाहरणों के लिए इंफोग्राफिक देखें)।

स्वास्थ्य के अधिकार का महत्व

- **राज्य के लिए:**
    - स्वास्थ्य के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों, जैसे- जल, स्वच्छता, पर्यावरण आदि में सुधार के लिए नीतिगत उपाय करना **राज्य का दायित्व** है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य **राज्य सूची** का एक विषय है।
    - यह **स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में सहायता** करता है। इसमें राज्य द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- **नागरिकों के लिए:**
    - यह स्वास्थ्य पर **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करता** है। इसके कारण **नागरिकों को गरीबी** का दंश नहीं झेलना पड़ता है।
    - यह कानूनी साधनों को अपनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण।**

कुल मिलाकर, स्वास्थ्य का अधिकार **व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र** के लिए कई अन्य लाभों के साथ-साथ **बीमारियों को कम करने तथा मृत्यु दर को रोकने** में मदद करता है (इंफोग्राफिक देखें)।

स्वास्थ्य के अधिकार के इस्तेमाल में आने वाली बाधाएं

- **खराब स्वास्थ्य सुविधाएं:** स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च कम है। यह वित्त वर्ष 2023 में **सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत** था। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो रही है।
    - **ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-2022** के अनुसार, आधे से भी कम **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs)**[147] **24×7 आधार** पर कार्य करते हैं।
    - **2022** में जारी **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19** के अनुसार, **78 प्रतिशत** से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए **लोगों** द्वारा स्वास्थ्य पर **खर्च की जाने वाली राशि** अभी भी अधिक है।

---

[147] Primary Health Centres

- **भौतिक पहुंच: स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच** और सुरक्षित पेयजल जैसे **अंतर्निहित निर्धारक** अभी भी कई लोगों की पहुंच से बाहर हैं।
    - उदाहरण के लिए- **2022-23** में केवल **60 प्रतिशत घरों में नल के जल का कनेक्शन** मौजूद है।
- **सूचना तक पहुंच: सूचना मांगने, प्राप्त करने और प्रकट करने** के नागरिकों के अधिकार पर जागरूकता का अभाव है। इससे लाभ प्राप्त करने से इनकार या शोषण जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए- कई अस्पताल द्वारा **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** के लाभार्थियों से भी रुपये लिए जाते हैं, जबकि इस योजना के तहत कैशलेस उपचार का प्रावधान है।
- **बढ़ती सुस्त जीवनशैली** और **गैर-संचारी रोगों** (जैसे- मधुमेह, हृदय रोग आदि) **के बोझ** के साथ-साथ डेंगू, टी.बी. जैसी **बिमारियों का बढ़ता बोझ।**
- **चिकित्सा नैतिकता के प्रति सम्मान की कमी:** दवाओं के सैंपल की बिक्री, अनावश्यक बिलिंग, लैंगिक पहचान का खुलासा, अंगों की तस्करी जैसी समस्याएं देखी गई हैं।
- **खराब गुणवत्ता:** कुशल चिकित्सा पेशेवरों, दवाओं और उपकरणों, पर्याप्त जल तथा स्वच्छता आदि की अनुपलब्धता भी देखने को मिलती हैं।
    - साथ ही, अभी भी **मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता** का अभाव है।

'स्वास्थ्य का अधिकार' की दिशा में प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** इसका उद्देश्य सभी आयु–वर्ग के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** इसमें दो उप–मिशन शामिल हैं – **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM)** और **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
- **आयुष्मान भारत योजना:** इसका उद्देश्य **व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना** है।
- **टेली–मानस:** इसके तहत समग्र मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान की जाती है।
- **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY):** इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा के प्रसार में वृद्धि करना है।
- **अन्य पहलें:** खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन और अनुकूलन, प्रदूषण कम करने आदि के लिए भी कई अन्य पहलें शुरू की गई हैं।

आगे की राह

स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है, जब राष्ट्र **वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने** के लिए एकजुट हों। साथ ही, **राज्य** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित **कार्य** करेंगे:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए **राज्यों के स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाना** चाहिए।
- महामारियों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण आदि से निपटने के लिए **वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य प्रणालियों में **पारदर्शिता** और **जवाबदेही** सुनिश्चित करने और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए **एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क स्थापित** करने की आवश्यकता है।
- राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं/ आवश्यकताओं के आधार पर अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।**
- चिकित्सा सेवाओं में **समानता और गैर-भेदभाव** जैसे सिद्धांतों को प्रोत्साहित करके रोगियों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अधिकारों की **रक्षा एवं सुरक्षा** सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **मिसिंग मिडिल** को कवर करने के लिए **स्वास्थ्य बीमा को सार्वभौम** बनाया जाना चाहिए। **मिसिंग मिडिल** में ऐसे लोग शामिल हैं जो इतने अमीर हैं कि वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन प्राइवेट हेल्थ कवर को खरीदने में सक्षम भी नहीं हैं।
- स्वस्थ जीवनशैली/ विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए **व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली पहलों** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए- FSSAI का 'ईट राइट मूवमेंट'।

- **उपलब्धता:** सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का चालू स्थिति में होना; दवाओं, सहायक उपकरणों, देखभाल सेवाओं, कार्यक्रमों आदि का पर्याप्त मात्रा में होना।
- **सुगम पहुंच:** गैर–भेदभाव, भौतिक पहुंच, आर्थिक पहुंच (वहनीय), सूचना तक पहुंच।
- **स्वीकार्यता:** मेडिकल एथिक्स को अपनाया जाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और उम्र व लैंगिक रूप से संवेदनशील हो।
- **गुणवत्ता:** वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त।

- **सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार** करते हुए **उन्हें प्रोत्साहित** करने की आवश्यकता है ताकि प्रणाली से बीमारी के समग्र बोझ को कम किया जा सके।

6.3. दुर्लभ रोग (Rare Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के इलाज हेतु व्यक्तिगत उपभोग के लिए आयातित सभी दवाओं और विशेष खाद्य सामग्रियों को **सीमा शुल्क से छूट** प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इसका लाभ प्राप्त करने के लिए,** आयातक व्यक्ति को केंद्रीय महानिदेशक, उप-महानिदेशक, या स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक, राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

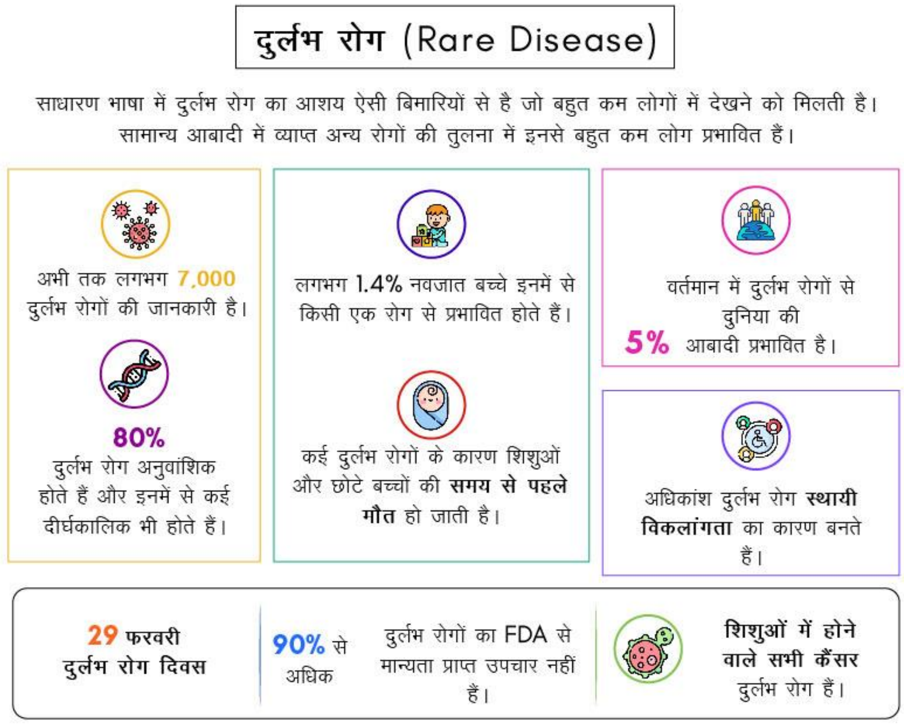

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में दुर्लभ रोग

- **दुर्लभ रोग की परिभाषा:** भारत में दुर्लभ रोग की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
  - अलग-अलग परिभाषाओं और शब्दावलियों के उपयोग से भ्रम तथा विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे उपचार तक पहुंच तथा अनुसंधान और विकास में उलझाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **महामारी विज्ञान के आंकड़ों की कमी:** दुर्लभ रोगों की घटनाओं और प्रसार पर महामारी विज्ञान के आंकड़ों की कमी के कारण दुर्लभ बीमारियों के बोझ और उनकी एक परिभाषा तैयार करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **दुर्लभ रोगों का निदान:** दुर्लभ रोगों का शीघ्र निदान कई कारकों के चलते एक चुनौती बना हुआ है। इसमें प्राथमिक देखभाल करने वाले चिकित्सकों के बीच जागरूकता की कमी, पर्याप्त जांच और नैदानिक सुविधाओं की कमी शामिल हैं।
  - लगभग सभी दुर्लभ रोगों का निदान केवल **तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों** में होता है, जो शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं।
- **अनुसंधान और विकास में चुनौतियां:** दुर्लभ रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए इन पर शोध करना मुश्किल होता है। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त नैदानिक अनुभव नहीं होता है।
- **उपचार की अनुपलब्धता:** हाल के वर्षों में प्रगति के बावजूद, अधिकांश दुर्लभ रोगों के लिए प्रभावी या सुरक्षित उपचार उपलब्ध नहीं है।
  - कुल दुर्लभ रोगों की संख्या 7,000 से 8,000 के बीच है। हालांकि, इनमें से 5% से भी कम रोगों के लिए ही उपचार उपलब्ध हैं।

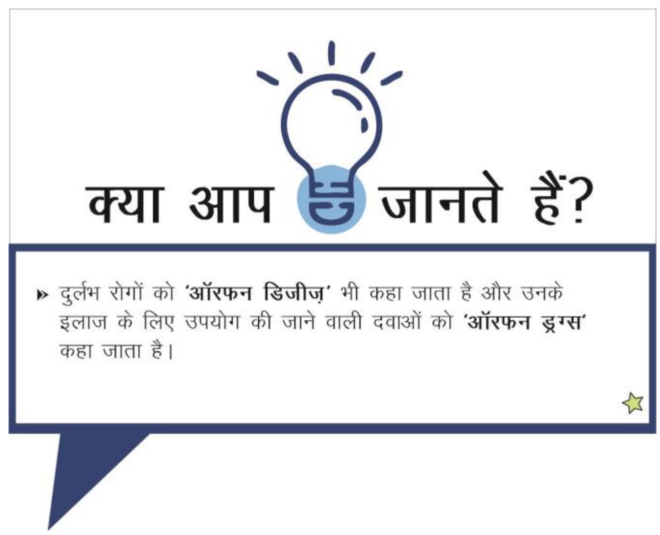

- **उपचार की बहुत अधिक लागत:** दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम है। इसलिए दवा विनिर्माताओं के लिए दवाएं विकसित कर पाना और उनके लिए बाजार खोज पाना कठिन हो जाता है।
- **जागरूकता की कमी:** आम जनता के साथ-साथ चिकित्सा जगत के लोगों में भी दुर्लभ बीमारियों को लेकर जागरूकता की कमी है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं:** ऐसे हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित करके बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। वहीं दूसरी ओर, दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जहां कम संख्या में व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक संसाधन आवंटित करने पड़ते हैं।
  - दुर्लभ बीमारियों के इलाज के संदर्भ में, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का विकास करते समय उपचार की अत्यधिक लागत को ध्यान में रख उचित फंडिंग पर विचार किया जाना महत्वपूर्ण है।

भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए शुरू की गई पहलें

- **दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD), 2021:** सरकार ने दुर्लभ रोगों के रोगियों के उपचार के लिए NPRD, 2021 की शुरुआत की है।
    - हाल ही में, **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD), 2021** के तहत **छह और दुर्लभ बीमारियों को विकारों के विभिन्न समूहों में शामिल किया है।** इससे इन रोगों के रोगियों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।
    - ये छह बीमारियां हैं- लारोन सिंड्रोम, विल्सन रोग, जन्मजात अधिवृक्क हाइपरप्लासिया (CAH)[149], नियोनेटल ऑनसेट मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी डिजीज (NOMID), हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स और एटिपिकल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम (AHUS)।

> **NPRD, 2021 की मुख्य विशेषताएं**
>
> - इसमें दुर्लभ रोगों की पहचान की गई है और उन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
>   - **समूह 1:** ऐसे रोग जो एक बार के उपचार से ठीक हो जाते हैं।
>   - **समूह 2:** ऐसे रोग जिनका लंबे समय तक या आजीवन उपचार चलता रहता है। हालांकि, उपचार की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है।
>   - **समूह 3:** बहुत अधिक लागत और आजीवन उपचार वाले रोग।
> - दुर्लभ रोगों की किसी भी श्रेणी से पीड़ित रोगियों और NPRD-2021 के तहत पहचाने गए किसी भी उत्कृष्टता केंद्र (CoE)[148] में उपचार कराने वाले रोगियों को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
> - **NPRD, 2021 में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किए गए हैं:**
>   - दुर्लभ रोगों के निदान तथा उपचार के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना;
>   - औषधियों के स्थानीय विकास तथा विनिर्माण को बढ़ावा देना और सस्ती कीमतों पर दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं के स्वदेशी निर्माण हेतु अनुकूल परिवेश का निर्माण करना।

- **फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादन के लिए चुने गए विनिर्माता वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसमें दुर्लभ रोगों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं।
- **शुल्क में छूट:** सरकार ने उन दवाओं और विशेष खाद्य सामग्रियों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है, जिनका उपयोग दुर्लभ रोगों के इलाज में किया जाता है। यह छूट तब दी जाएगी जब इन्हें NPRD, 2021 में सूचीबद्ध किसी भी उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की सिफारिश पर किसी व्यक्ति या संस्थान या दूसरे CoE द्वारा आयात किया जाएगा।
- **क्राउड फंडिंग के लिए डिजिटल पोर्टल:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने दुर्लभ रोगों के रोगियों हेतु क्राउडफंडिंग तथा स्वैच्छिक दान के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है।
- **राष्ट्रीय रजिस्ट्री:** ICMR ने एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की शुरुआत की है जिसमें दुर्लभ रोगों और अन्य वंशानुगत विकारों के लिए महामारी संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- **दुर्लभ बीमारियों को परिभाषित करना:** मानक परिभाषा अनुसंधान, स्थानीय दवा विकास गतिविधियों और दुर्लभ रोग समुदाय के लिए दीर्घकालिक योजना में मदद करेगी।
- **उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना:** दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र रोगियों तथा परिवारों हेतु विशेष देखभाल, अनुसंधान और सहायता प्रदान कर सकते हैं।
    - अब तक केवल 11 उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की गई है।
- **निदान में सुधार:** नवजात स्क्रीनिंग, अनुवांशिक परीक्षण और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ती जागरूकता जैसे उपाय निदान दरों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
    - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) दुर्लभ बीमारियों के निदान को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- **कर लाभ:** कर लाभ के लिए क्राउडफंडिंग राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट दी जानी चाहिए।

148 Centre of Excellence

149 Congenital Adrenal Hyperplasia

- **वैश्विक सहयोग:** नीतियों के जरिए वैज्ञानिक नवाचार और उन्नत नैदानिक अनुसंधान में तेजी लानी चाहिए। साथ ही, रोगियों, डॉक्टरों तथा देखभाल करने वालों और दवा उद्योग जैसे प्रमुख हितधारकों को एक-दूसरे के साथ आसानी से बातचीत करने में सक्षम बनाना चाहिए।
  - एक संघीय डेटा प्रणाली के माध्यम से एक समाधान की पेशकश करना संभव है जो वैश्विक नवाचार के साथ स्थानीय स्वायत्तता को संतुलित करता है।

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.4.1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report 2023)

- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) ने** वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR), 2023 जारी की है।
- यह रिपोर्ट निम्नलिखित **6 प्रमुख घटकों के आधार पर खुशहाली (हैप्पीनेस) के स्तर का मूल्यांकन करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- इस रिपोर्ट का लक्ष्य **कल्याण (Well-being) के प्रमुख निर्धारक तत्वों** की पहचान करना है।
  - यह **लोगों द्वारा स्वयं की खुशहाली के आकलन** के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों पर आधारित है।
- **खुशहाली की यह रैंकिंग** 3 वर्षों (2020-22) के औसत पर आधारित है।
- **प्रमुख देशों की रैंकिंग**
  - शीर्ष रैंकिंग वाले तीन देश हैं- **क्रमश: फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड।**
  - **अफगानिस्तान, लेबनान, सिएरा लियोन** तीन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं।
  - **भारत को कुल 146 देशों में 126वां स्थान मिला है।**
    - भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों **चीन, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश** से भी खराब है।
  - **भूटान** को WHR 2023 में **सूचीबद्ध नहीं** किया गया है।

- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN)**
  - इसे **2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अधीन लॉन्च** किया गया था। यह सतत विकास के लिए **व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों** को एकजुट करता है। साथ ही, यह **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में भी मदद** करता है।
  - यह **सतत विकास रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट** जैसी वार्षिक रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है।

6.4.2. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (Global Education Monitoring Report)

- इस रिपोर्ट को **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO)** ने जारी किया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **केवल 17 प्रतिशत देश लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान और लैंगिक अभिव्यक्ति** के मुद्दों को कवर करते हैं। ये CSE पाठ्यक्रम में सबसे कम कवर किए गए क्षेत्र हैं।
    - **व्यापक लैंगिक शिक्षा (CSE) सेक्सुअलिटी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में शिक्षण व अधिगम** की एक पाठ्यक्रम-आधारित प्रक्रिया है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, यौन शिक्षा पर **केवल 20 प्रतिशत देशों में कानून** हैं और **39 प्रतिशत देशों में एक राष्ट्रीय नीति** मौजूद है।
  - **68 प्रतिशत देशों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और 76 प्रतिशत देशों में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर यौन शिक्षा अनिवार्य है।**
  - **दो-तिहाई देशों में गर्भनिरोधक मुद्दों** को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

 ©Vision IAS

6.4.3. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme: NILP)

- इस वर्ष प्रथम 'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आकलन परीक्षा (FLNAT)'[150] आयोजित की गई।
- FLNAT का आयोजन **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP)** के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस परीक्षा का उद्देश्य **नव-साक्षरों के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल के बुनियादी ज्ञान का आकलन** करना है।
    - **15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षरों (non-literates)** ने इस आयोजन में भाग लिया था। उनके अनुसार इस परीक्षा में **अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें साक्षर घोषित** किया जा सकता था।
- **NILP के बारे में**
    - यह एक **केंद्र-प्रायोजित योजना** है। इसे **वित्त वर्ष 2022-27** के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।
    - यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।**
    - यह योजना देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करती है। इनमें **महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान** दिया जाता है।
    - **इसके पांच घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (FLN); महत्वपूर्ण जीवन कौशल; बुनियादी शिक्षा; व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा।**
    - यह योजना स्कूलों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों के **स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से क्रियान्वित** की जाएगी।
    - योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-27 के लिए **5 करोड़ शिक्षार्थियों (1.00 करोड़ प्रति वर्ष)** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान में **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NOIS)** का सहयोग लिया जाएगा।

शब्दावली को जानें

- **नव–साक्षर (Neo-literate):** जब कोई किशोर या वयस्क व्यक्ति समय पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का उपयोग नहीं कर पाता है तथा बाद में किन्हीं औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से साक्षरता के कौशल को हासिल करता है तो उसे नव–साक्षर कहा जाता है।

6.4.4. किशोरियों और महिलाओं में पोषण संबंधी संकट (Nutrition Crisis in Adolescent Girls and Women)

- **यूनिसेफ ने "अल्पपोषित और उपेक्षित: किशोरियों एवं महिलाओं में वैश्विक पोषण संकट"**[151] शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- उपर्युक्त रिपोर्ट **किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं की पोषण स्थिति का परीक्षण** करती है। साथ ही, यह पोषक आहार प्राप्त करने, आवश्यक पोषण सेवाओं का उपयोग करने आदि में इनके द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं का भी परीक्षण करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **विश्व की एक अरब से अधिक किशोरियां और महिलाएं** अल्पपोषण, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा एनीमिया से ग्रसित हैं।
    - **दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका** में 68 प्रतिशत किशोरियां और महिलाएं अल्पवजनी हैं। इसके अतिरिक्त, 60 प्रतिशत किशोरियां एवं महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं।

भारत में अल्पपोषण की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019–21 में **कुल आबादी में अल्पपोषण का स्तर 16.3 प्रतिशत था।**
- **2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था।**
- 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 33% **बच्चे अल्पवजनी और ठिगनेपन** (Stunting) **से ग्रसित हैं जबकि 67% रक्ताल्पता** से पीड़ित हैं।

---

150 Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test

151 Undernourished and Overlooked: A Global Nutrition Crisis in Adolescent Girls and Women

- **कोई भी क्षेत्र 2030 तक** किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को आधा करने तथा अल्पवजन के साथ जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं की सख्या में 30 प्रतिशत तक कमी करने के **वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़** रहा है।
- 2019 और 2021 के बीच **खाद्य असुरक्षा में लैंगिक अंतराल दोगुने से अधिक** हो गया है।

- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - विपणन प्रतिबंधों, अनिवार्य फ्रंट-ऑफ़-पैक लेबलिंग और कर आरोपण के माध्यम से **अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से सुरक्षा** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - आटा, खाना पकाने के तेल और नमक जैसे नियमित रूप से उपभोग किए जाने वाले **खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर फ़ूड फोर्टिफिकेशन** सुनिश्चित करने की जरूरत है।
  - किशोरियों और महिलाओं के सबसे सुभेद्य वर्ग की **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों** (नकदी हस्तांतरण व वाउचर सहित) **तक पहुंच का विस्तार** करना।
  - बाल विवाह तथा भोजन और घरेलू संसाधनों आदि के असमान वितरण जैसे **विभेदकारी लैंगिक और सामाजिक मानदंडों को समाप्त करने की जरूरत** है।

6.4.5. वीमेन, बिज़नेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट (Women, Business and the Law 2023 Report)

- यह रिपोर्ट **190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों का आकलन** करती है। आकलन के लिए आवागमन, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, मातृत्व, उद्यमिता जैसे कई संकेतकों का उपयोग किया गया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - वैश्विक स्तर पर **महिलाएं पुरुषों की तुलना में कानूनी अधिकारों के केवल 77 प्रतिशत का ही उपयोग** कर पाती हैं।
  - मौजूदा गति से, प्रत्येक क्षेत्र में **कानूनी लैंगिक समानता तक पहुंचने में कम से कम 50 साल** लगेंगे।
  - **कामकाजी महिलाओं के जीवन चक्र पर एक सूचकांक** प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारत को **100 में से 74.4 अंक** प्राप्त हुए हैं।

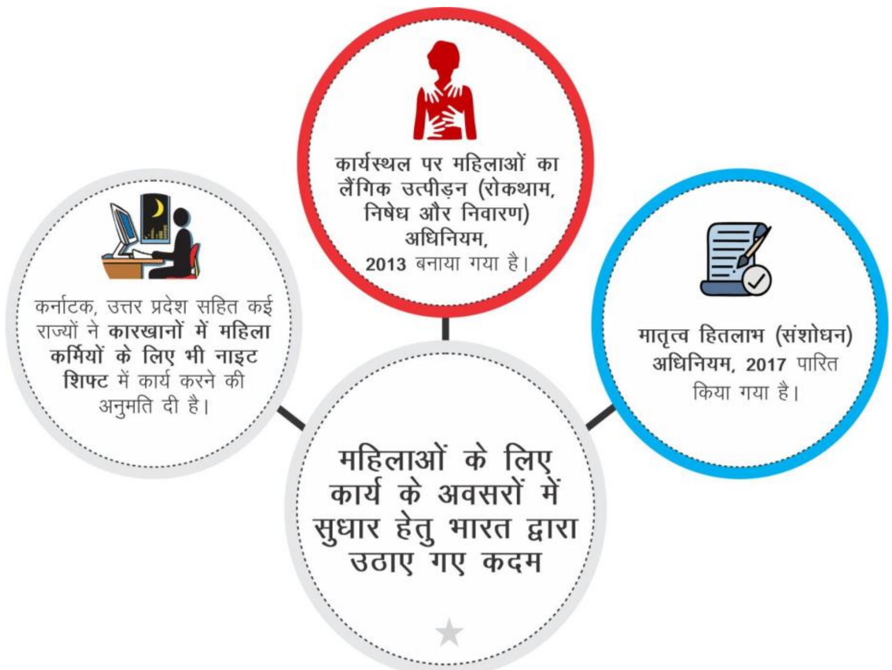

  - **भारत में किन सुधारों की आवश्यकता है?**
    - महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार करने की जरूरत है;
    - बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं के कार्य को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार की आवश्यकता है;
    - व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने में महिलाओं के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करना जरूरी है;
    - संपत्ति व विरासत में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है।
  - **भारत के लिए की गई प्रमुख सिफारिशें:**
    - महिलाओं के लिए कानूनी समानता में सुधार किए जाने चाहिए;
    - समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए;
    - महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट में कार्य करने की सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए;
    - औद्योगिक नौकरियों में उन्हें भी पुरुषों के समान नियोजित करना चाहिए आदि।

6.4.6. भारत में महिला और पुरुष 2022 (Women and Men in India 2022)

- यह भारत के लिंग संबंधी संकेतकों का **वार्षिक सांख्यिकीय संकलन है।**
  - इसे **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** ने जारी किया है।
- **मुख्य बिंदु:**

लिंगानुपात	• यह **2021 में 945 था।** इसके 2036 तक **952** तक पहुंचने की उम्मीद है।
जीवन प्रत्याशा	• यह 2015-19 के दौरान पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः **68.4 एवं 71.1** वर्ष तक पहुंच गई थी। • 2031-36 तक इसके **71.2 और 74.7 वर्ष** तक पहुंचने की उम्मीद है।
शिशु मृत्यु दर	• 2020 में 28 (28 पुरुष और 28 महिला)।
साक्षरता दर	• 2017 में **77.7%** (84.7% पुरुष और 70.3% महिला)।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	• 2021-22 में **41.3%** (57.3% पुरुष और 24.8% महिला)।

6.4.7. वीमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता (विन्स/WINS) अवाड्र्स 2023 {Women Icons Leading Swachhata (WINS) Awards 2023}

- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** ने WINS अवाड्र्स के पहले संस्करण की घोषणा की है।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य **महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा निजी तौर पर शहरी स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन में की गई प्रेरक एवं अनुकरणीय पहलों को मान्यता** देना है।
- कोई भी राज्य, राज्य विजेताओं के रूप में नामित महिलाओं का सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित कर सकता है। राज्य के नामांकन का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नवीनता, प्रभाव, विशिष्टता, स्थिरता और प्रतिकृति पर किया जाएगा।

6.4.8. स्वच्छोत्सव 2023 (Swachhotsav 2023)

- केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने "स्वच्छोत्सव 2023" का शुभारंभ किया। यह **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस (IZWD)**[152] **2023** के अवसर पर आरंभ किया गया है।
- स्वच्छोत्सव अभियान का उद्देश्य **'कचरा मुक्त शहर' (GFC)**[153] **के लक्ष्य को साकार** करना है। इसके लिए यह **महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देगा।**
  - प्रथम 'अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस' को **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम (UN-Habitat)** ने संयुक्त रूप से प्रायोजित किया था।
- MoHUA ने कहा है कि **स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U) 2.0 के तहत अक्टूबर 2024 तक 1,000 शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त शहर (GFC) बनाने का लक्ष्य** रखा गया है।
  - SBM-U 2.0 के तहत 2018 में **GFC-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल** शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच प्रतिस्पर्धी और मिशन-मोड भावना को प्रोत्साहित करना है।
- **SBM-U के तहत प्रमुख उपलब्धियां:**
  - **शहरी भारत 'खुले में शौच मुक्त (ODF)' बन गया है।**

---

[152] International Zero Waste Day

[153] Garbage Free Cities

- सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) पूरी तरह से ODF बन गए हैं,
- 3,547 ULBs कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों से युक्त ODF+ बन गए हैं,
- 1,191 ULBs शत-प्रतिशत मल गाद प्रबंधन के साथ ODF++ बन गए हैं।

  - भारत में 2014 में **17 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण** होता था। यह आज **चार गुना बढ़कर 75 प्रतिशत** हो गया है।

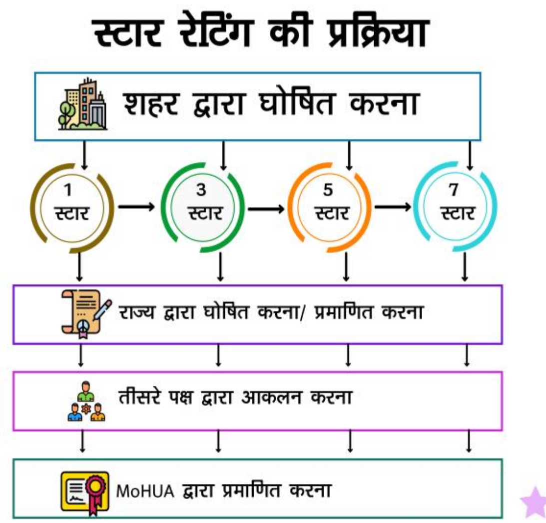

- **SBM-U 2.0 के बारे में:**
  - इसे **MoHUA केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित** कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य सभी शहरों को **'कचरा मुक्त'** बनाना है।
  - यह प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए **ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर ही पृथक्करण** करने पर बल देता है। इसके लिए यह **3Rs (रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल) सिद्धांतों** का उपयोग करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भारत 6G मिशन (Bharat 6G Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **"भारत 6G विजन"** दस्तावेज जारी किया है। इसका लक्ष्य **2030 तक 6G सेवाएं शुरू करना** है। इसके साथ ही **6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड** को भी लॉन्च किया गया।

6G के बारे में

- 6G नेटवर्क, 5G की अगली पीढ़ी है। यह 1 टेराबिट प्रति सेकंड (Tbps) तक की गति के साथ अल्ट्रा–लो लेटेंसी प्रदान करेगा। इसका संचालन रेडियो स्पेक्ट्रम की उच्च आवृत्ति वाली रेंज पर किया जाएगा।
- 6G मुख्यतः AI और मशीन लर्निंग आधारित बेहतर समाधान उपलब्ध करवाएगा। साथ ही, यह अत्यंत परिशुद्ध और तीव्र कनेक्टिविटी संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा।

5G और 6G नेटवर्क में अंतर

विशेषताएं	5G	6G
आवृत्ति बैंड	इसके लिए लो–बैंड और हाई–बैंड फ्रीक्वेंसी क्रमशः 6 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे और 24.25 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती है।	यह 95 GHz से 3 THz (टेराहर्ट्ज़) की फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करता है।
डेटा रेट	1 Gbps से 20 Gbps की डाउनलोडिंग और 20 Gbps – 10 Gbps की अपलोडिंग इंटरनेट स्पीड।	1 Tbps तक (5G से 100 गुना तेज)
लेटेंसी (एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश के प्रसार में होने वाला विलंब)	5 मिली सेकंड।	1 मिली सेकंड से भी कम।
ट्रैफिक कैपेसिटी	10 Mbps/m^2	1 to 10 Gbps/m^2

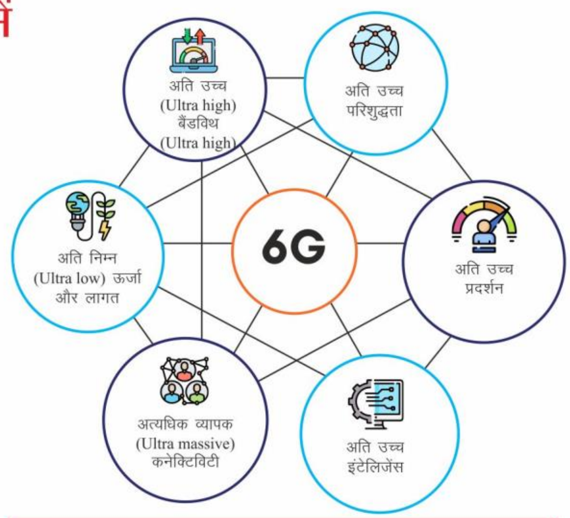

वैश्विक स्थिति

- **साउथ कोरिया** ने 2025 तक जारी रहने वाले **पहले चरण में** 6G से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (R&D) योजना की रूपरेखा तैयार की है।
- **युरोपियन विजन फॉर 6G नेटवर्क** में 6G की प्रमुख विशेषताओं की पहचान की गई है। इसमें इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रबंधन और नियंत्रण, एकीकृत वायरलेस सेंसिंग और संचार आदि शामिल हैं।

भारत 6G मिशन के बारे में

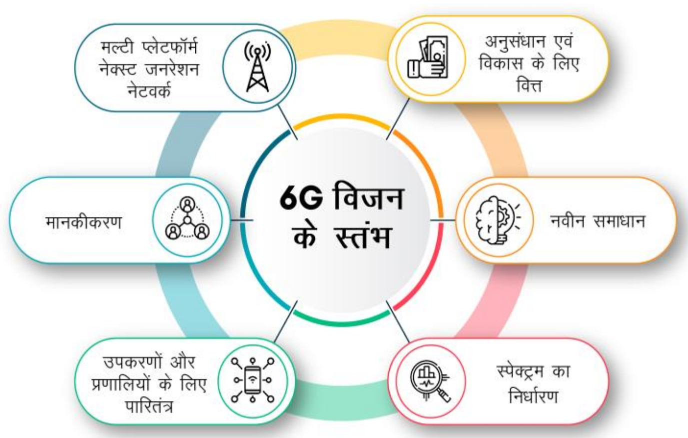

- भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को **टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G (TIG-6G)** द्वारा तैयार किया गया है। इस ग्रुप का गठन 2021 में संचार मंत्रालय के **दूरसंचार विभाग (DoT)** द्वारा किया गया था।
  - TIG-6G में **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों,** अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और **उद्योगों से जुड़े हुए सदस्य** शामिल हैं। इनका मकसद **भारत में 6G के विकास के लिए एक रोडमैप और कार्य योजना को विकसित करना है।**
- भारत 6G विजन दस्तावेज का **उद्देश्य** 6G नेटवर्क से संबंधित **तकनीकों को डिजाइन एवं विकसित करना तथा उन्हें लागू करना** है। यह विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए **सर्वव्यापी कुशल और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करता है।**

- **भारत एक 6G मिशन शुरू करेगा जो समग्र रूप से सभी संबद्ध प्रौद्योगिकियों को आपस में जोड़ेगा।** इस मिशन के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
- **भारत 6G मिशन को दो चरणों में विभाजित किया जाएगा:**
    - **चरण-1 (2023-2025):** यह **विचार-निर्माण का चरण होगा। इसमें निहित क्षमता एवं आगे के चरणों से जुड़े जोखिम को समझने** और प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) के कार्यान्वयन का परीक्षण करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
    - **चरण 2 (2025-2030):** यह भारत और वैश्विक समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए **संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों की अवधारणा पर विचार करने एवं उन्हें उपलब्ध कराने हेतु समर्पित होगा।**

- **एक शीर्ष निकाय का गठन:** मिशन की प्रगति पर पर नज़र रखनेके निरीक्षण, मिशन के लिए बजट को दो चरणों में विभाजित करने एवं चरण-वार उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए **एक शीर्ष निकाय का गठन किया जाएगा।**
    - यह शीर्ष निकाय **परियोजना की निगरानी करेगा, मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, 6G के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान करेगा,** उपकरणों और प्रणालियों के लिए **एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा,** अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त का निर्धारण करेगा आदि।
    - इसके द्वारा **नई प्रौद्योगिकियों पर मुख्य रूप से फोकस** किया जाएगा, जैसे- **टेराहर्ट्ज़ (THz) संचार, रेडियो इंटरफेस, टैक्टाइल इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता,** 6G उपकरणों के लिए नए एन्कोडिंग तरीके, वेवफॉर्म चिपसेट आदि।

भारत 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशें

- **नवोन्मेषी वित्त-पोषण तंत्र की स्थापना करना:** अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग, स्टार्ट-अप, शिक्षा जगत एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समर्थन करने के लिए।
- **स्टार्ट-अप के माध्यम से समाधानों पर बल देना:** परिवहन, जल, पावर ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, डिजिटल ट्विन्स एवं स्मार्ट शहर जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए।
- **स्पेक्ट्रम का साझा उपयोग करना:** विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले बैंड में, जहां प्रसार प्रकाश के समान अधिक होता है।
- **कंजस्टेड स्पेक्ट्रम बैंड का युक्तिकरण करना:** उद्योग 4.0 और अब तक कम उपयोग किए गए बैंड में उद्यम उपयोग (Enterprise Use) के मामले में कैप्टिव नेटवर्क को अपनाने के लिए।
- **वैश्विक मानक फोरम में भागीदारी और योगदान करना:** हमारे नवाचार की इंटरऑपरेबिलिटी और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए।
- **फाइबर-ब्रॉडबैंड:** प्रत्येक घर एवं सघन वायरलेस तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए भी, जहां मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए वायरलेस संचार ही मुख्य साधन है।
- **नए मल्टी-सेंसर मैन-मशीन इंटरफेस और डिवाइस का उपयोग करना:** टैक्टाइल इंटरनेट, परिवेश जागरूकता और वास्तविक 3D अनुभव प्रदान करने के लिए एज क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना।
- **अन्य: सर्वव्यापी कवरेज के लिए अंतरिक्ष-स्थलीय एकीकरण; (Sub-) टेराहर्ट्ज बैंड से युक्त संचार और सेंसिंग के लिए।**

 ©Vision IAS

6G प्रौद्योगिकी का महत्व

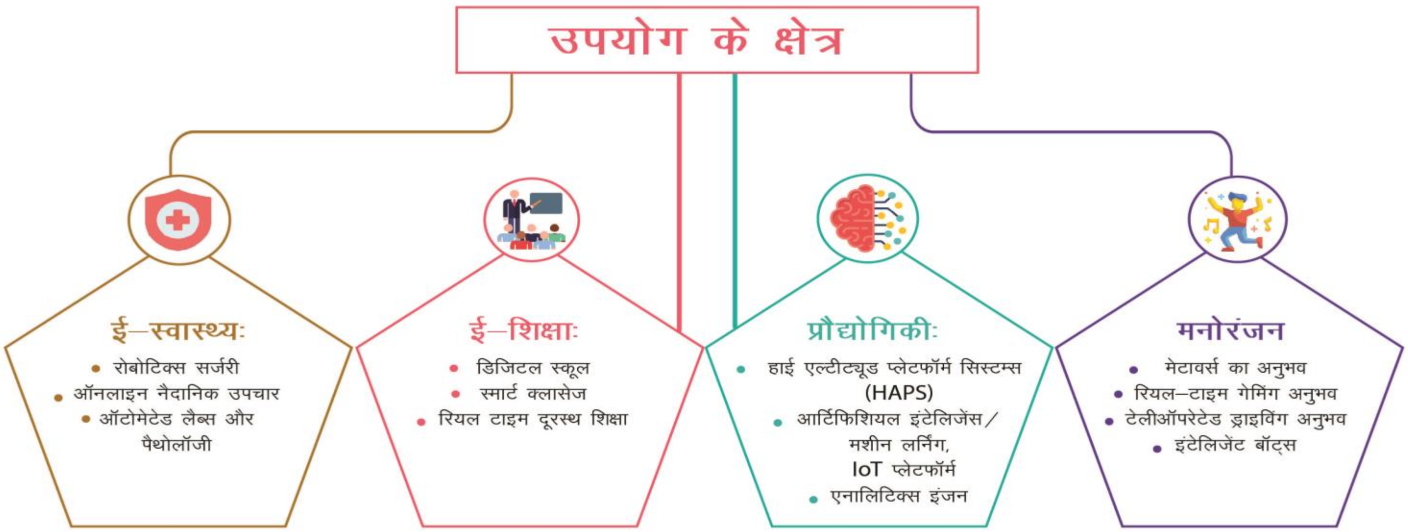

- **बेहतर कनेक्टिविटी:** 6G **शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए ई-सेवाओं की प्रदायगी में मौजूद अंतराल को भरने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - 6G **संयुक्त राष्ट्र (UN) के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को प्राप्त करने में में मदद करेगा। इसके अलावा, यह जीवन की गुणवत्ता और अवसरों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- **आर्थिक विकास:** 6G **क्षेत्रीय और सामाजिक अवसंरचना** तथा आर्थिक अवसरों की उपलब्धता में **मौजूद अंतर को काफी हद तक कम कर देगा।**
  - इस प्रकार, यह **ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं इससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी प्रदान** करेगा।
- **प्रौद्योगिकीय प्रगति:** 6G में **गैर-स्थलीय नेटवर्क (Non-terrestrial networks: NTNs)** शामिल होंगे, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह **पारंपरिक 2D नेटवर्क आर्किटेक्चर** को **3D स्पेस में कार्य करने में** सक्षम बनाएगा।
  - NTNs के उदाहरण हैं- **लो एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (LAPs), हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPs), मानव रहित हवाई वाहन (UAVs) और उपग्रह।**
- **इस्तेमाल के क्षेत्र:** 6G प्रौद्योगिकी के विविध उपयोग से उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रकों को लाभ होगा।
- **उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:** उद्योग 4.0 और उद्योग 5.0 को आगे बढ़ाने के मामले में उद्योगों के लिए 6G का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा।

संबंधित तथ्य

ITU[154] के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का दिल्ली में उद्घाटन किया गया

- यह **भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान** को सेवाएं प्रदान करेगा।
- भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ मार्च 2022 में एक **मेजबान देश समझौते[155]** पर हस्ताक्षर किए थे।
- यह राष्ट्रों के बीच समन्वय को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में परस्पर लाभकारी **आर्थिक सहयोग** को बढ़ावा देगा।
- ITU की **विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा** अक्टूबर 2024 में दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

---

154 International Telecommunication Union/ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

155 Host Country Agreement

6G तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कम निवेश:** आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, भारत ने 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% ही R&D पर खर्च किया, जबकि चीन में R&D पर खर्च 2.4% और यूरोपीय संघ में 2.3% था।
- **ब्रेन ड्रेन:** भारत में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग स्नातक तैयार होते हैं, लेकिन इनमें से से 48% बेरोजगार रहते हैं। **संयुक्त राष्ट्र 'विश्व प्रवासन रिपोर्ट- 2022'** के अनुसार, विश्व **आर्थिक प्रवासन की उच्चतम दर** की ओर अग्रसर है।
- **टेराहर्ट्ज़ (THz) कम्युनिकेशन:** THz सिग्नल हवा में काफी कमजोर हो जाता है। यह ट्रांसमिशन रेंज को सीमित करता है तथा अवरोधों द्वारा इसे आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है।
    - साथ ही, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 6G युग के टेराहर्ट्ज में भी वही समस्याएं होंगी जो वर्तमान मिलीमीटर वेव में हैं, जैसे-
        - **कवर करने की कमजोर क्षमता,**
        - **नेटवर्क स्थापित करने की उच्च लागत,**
        - **टर्मिनल्स का अपरिपक्व इकोसिस्टम, आदि।**
    - **स्थिरता सुनिश्चित करना:** 6G तीव्र विकास को प्रेरित कर सकता है। किंतु इसके लिए 6G को संधारणीयता के साथ संतुलित करना होगा, क्योंकि 6G उपकरणों के कार्बन फुटप्रिंट अधिक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

हालांकि, 6G नेटवर्क अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन विजन दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि भारत एडवांस दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त करे। भारत में विकसित दूरसंचार प्रौद्योगिकियां सस्ती हैं और वैश्विक कल्याण में अपना योगदान देती हैं।

7.2. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) **2030 तक** अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना बना रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के **पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 'गगनयान'** का उद्देश्य पृथ्वी की **निम्न भू-कक्षा (LEO)**[156] **में मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन** करना है। यह **भविष्य के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम का अग्रदूत** है।
- ISRO ने **उप-कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन मिशन**[157] के लिए कुछ व्यवहार्य अध्ययन किए हैं।
- गगनयान मिशन की सफलता के बाद, अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में गतिविधियां तेज की जाएंगी।

	उप कक्षीय पर्यटन	कक्षीय पर्यटन
ऊंचाई	लगभग 100 कि.मी.	400 कि.मी. से ऊपर
विशेषताएं	कुछ मिनटों के लिए कम गुरुत्व वाले परिवेश का अनुभव करना और अंतरिक्ष से गोलाकार पृथ्वी के मनोरम दृश्य को देखना।	अंतरिक्ष यान को ऐसे प्रक्षेपवक्र में रखा जाता है जहां वह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कम-से-कम एक कक्षा में बना रहे।

156 Low Earth Orbit

157 Sub-orbital space tourism mission

अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में

- अंतरिक्ष पर्यटन वस्तुतः ब्रह्मांड से संबंधित **वाणिज्यिक गतिविधि** का एक रूप है। इसमें शामिल हैं– **पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाना, रॉकेट लॉन्च को देखना, तारों को देखना या किसी अंतरिक्ष–केंद्रित गंतव्य पर जाना** आदि।
- अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में कई कंपनियां पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं, जैसे– **ब्लू ऑरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, एलन मस्क की स्पेसएक्स** आदि।
- भारत में अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे– **गगनयान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE), पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान – प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (RLV-TD)** आदि।

अंतरिक्ष पर्यटन के विभिन्न प्रकार

- **उप–कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन**
- **कक्षीय उड़ान**
- **पृथ्वी की कक्षा से परे पर्यटन,** जैसे– चंद्रमा तक जाना और वापस आना।

2021 में **वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का आकार 598** मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कारक

- **तकनीकी प्रगति में वृद्धि,** प्रौद्योगिकी में लगातार उन्नत रूपांतरण, अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता आदि।
- **अंतरिक्ष पर्यटन की घटती लागत,** उदाहरण के लिए– स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसे नए वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाताओं के उद्भव से एक प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण हुआ है।
- **व्यापक आर्थिक प्रभाव:** अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार अगले 10 वर्षों में अरबों डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा।
- अंतरिक्ष पर्यटन के जरिए **सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा।**

अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित चुनौतियां

- **उच्च लागत:** अंतरिक्ष पर्यटन बहुत महंगा है। इसकी कीमत प्रति सीट हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है, जिससे अधिकांश लोगों के लिए यह पहुंच से बाहर हो जाता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** अंतरिक्ष पर्यटन उड़ानों से कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ सकता है तथा यह जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है।
- **ध्वनि प्रदूषण:** अंतरिक्ष यान द्वारा उत्पन्न शोर पृथ्वी पर लोगों और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है तथा अंतरिक्ष में रेडियो संचार और नेविगेशन उपकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **उत्तरदायित्व और विनियमन का अभाव:** अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग अपेक्षाकृत नया है तथा यात्रियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं।
- **ओजोन परत का क्षरण:** पर्यटकों को निम्न भू-कक्षा में ले जाने वाले विमान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है और पृथ्वी की सतह पर हानिकारक UV विकिरण को बढ़ा सकता है।
- **अंतरिक्ष मलबे:** अंतरिक्ष पर्यटन और कक्षा में उपग्रहों की स्थापना ने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे की मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- **कारमन रेखा** औसत समुद्र तल से 100 कि.मी. ऊंचाई पर मौजूद एक काल्पनिक सीमा है। यह **पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष की शुरुआत के मध्य की सीमा का निर्धारण करती है।**

अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य

- **ऐसे कानूनों और विनियमों को बनाने की आवश्यकता** है जो निजी क्षेत्रक के विनियमन सहित अंतरिक्ष पर्यटन के मुद्दों को विनियमित करें।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station: ISS) के अलावा भी, **रहने योग्य अन्य संरचना/ स्टेशन की आवश्यकता पड़ सकती है।**
- **अंतरिक्ष पर्यटन** में भविष्य में रोजगार सृजन, अंतरिक्ष के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था एवं नवाचार को बढ़ावा देने सहित पृथ्वी पर **कई सामाजिक आर्थिक कारकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता** है।
- तेजी से बढ़ते इस उद्योग से जलवायु संबंधी क्षति को कम करने के लिए **पर्यावरण विनियमन की आवश्यकता** है।

क्या आप जानते हैं?

- जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा से पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन को लेकर उनकी मौजूदा धारणा में व्यापक बौद्धिक बदलाव आता है। इसे **ओवरव्यू इफ़ेक्ट** कहते हैं।

निष्कर्ष

यह संभावना है कि अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग अगले दशक के दौरान और अधिक विकसित होगा, क्योंकि इसमें प्रवेश संबंधी बाधाएं कम हो जाएंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लागत कम होगी और अंततः अंतरिक्ष यात्रा सभी के लिए सस्ती होगी।

संबंधित सुर्ख़ियां

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है। यह अपने **स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV)** का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष संचालित होने वाले मिशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है।

- SSLV पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर ऊपर निम्न भू-कक्षा (LEO) में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला **पहला हल्का स्वदेशी रॉकेट** है।
- यह **500 किलोग्राम भार के पेलोड या उपग्रहों** को अंतरिक्ष में ले जा सकता है।
- SSLV **नैनो और माइक्रो उपग्रहों को लक्षित** करता है, जिनका वजन क्रमशः 10 किलोग्राम और 100 किलोग्राम से कम होता है। यह मांग-आधारित प्रक्षेपण सेवाओं की पेशकश करता है।
- SSLV अधिक मिशनों की शुरुआत करने के लिए निजी फर्मों से **छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग** को पूरा कर सकता है।

अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में अधिक जानने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #37: अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य के लिए विकल्प

7.3. वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस (टी.बी.) शिखर सम्मेलन {One World Tuberculosis (TB) Summit}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **विश्व टी.बी. दिवस (24 मार्च)** के अवसर पर **वन वर्ल्ड टी.बी. समिट** को संबोधित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका आयोजन **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** तथा **स्टॉप टी.बी. पार्टनरशिप** द्वारा भारत के 'वन अर्थ, वन हेल्थ' के दृष्टिकोण के तहत किया गया था।
- विश्व टी.बी. दिवस 2023 की **थीम** है- **हां! हम**

टी.बी. को खत्म कर सकते हैं! (Yes! We can end TB!)

- इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **'लीडिंग द वे इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2023'** शीर्षक से वार्षिक टी.बी. रिपोर्ट जारी की गई।
- दुनिया में टी.बी. के मामलों की **सबसे अधिक संख्या** भारत में है। इसे **दुनिया की टी.बी. राजधानी** के रूप में भी जाना जाता है।

शिखर सम्मेलन में शुरू की गई पहलें

टी.बी. मुक्त पंचायत	लघु टी.बी. निवारक उपचार {Shorter TB Preventive Treatment (TPT)}	टी.बी. के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल
गांवों के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिलकर गांव के हर **मरीज को स्वस्थ रखने का संकल्प** लेंगे।	इसके तहत देश भर में लघु **3HP {(आइसोनियाज़िड (H) और रिफैपेंटाइन (प्रिफ़्टिन) (P) की 12 साप्ताहिक खुराकें)}** विधि का उपयोग किया जाएगा।	इसमें वीडियो, एनिमेशन के रूप में **परामर्श और क्षमता निर्माण** हेतु उपयोग के लिए आसान उपकरणों को शामिल किया गया है। साथ ही, इंटरनेट और मोबाइल फोन-आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषाओं में विवरण पुस्तिकाएं भी प्रदान की जाएंगी।

टी.बी. के उच्च बोझ के कारण

- **निदान और उपचार में देरी: स्वयं अपना उपचार** करना और **कम जागरूकता** उपचार में देरी का कारण बनती है।
  - बच्चों में **टी.बी. का पता लगाना** भी विशेष रूप से कठिन है।
- **नवीनतम उपकरणों की कमी:** भारत के अधिकांश हिस्सों में **टी.बी. का पता दिन के अलग-अलग समय पर लिए गए दो स्प्यूटम स्मीयर्स (लार या बलगम का सैंपल) से लगाया जाता** है। इनका विश्लेषण एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा माइक्रोस्कोप का उपयोग करके किया जाता है।
  - यह एक **धीमी प्रक्रिया** है और इसमें **त्रुटि की भी अधिक संभावनाएं** होती हैं।
- **पहचान:** इसका जीवाणु **अव्यक्त अवस्था (Latent stage)** में कोई लक्षण नहीं दिखाता है। 40 प्रतिशत से अधिक मरीज़ अव्यक्त टी.बी. वाले हैं।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना:** सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अत्यधिक बोझिल है और निजी प्रणाली **पारदर्शी या उच्च निगरानी वाली नहीं** है।
  - **कम बजट, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी** आदि भी बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
- **दवा प्रतिरोध:** टी.बी. के नए प्रकारों ने **आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन जैसी पहली पंक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिरोध** विकसित कर लिया है।
- **प्रदूषण:** अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक **पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में रहने से सक्रिय टी.बी. संक्रमण** हो सकता है।
- **सामाजिक बहिष्कार:** इसे **सामाजिक बहिष्कार** का भी कारण माना जाता है, जिसके कारण लोग इसका खुलासा करने में संकोच करते हैं।
- **अन्य कारक:** कुपोषण, कोविड-19, मधुमेह, एच.आई.वी., धूम्रपान की लत, शराब के प्रभाव आदि सुभेद्यता को और बढ़ाती हैं।

टी.बी. रिपोर्ट 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- टी.बी. रोगी पंजीकरण में **56%** का सुधार हुआ है। भारत के 722 (94%) जिलों ने TPT का विस्तार किया है।
- सबसे अधिक मामले **दिल्ली (प्रति लाख आबादी पर 546)** और सबसे कम **केरल (प्रति लाख आबादी पर 67)** में सामने आए हैं।
- 2022 में अधिसूचित मामलों में उपचार शुरू करने की दर **95.5%** थी।
- 2022 में **मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टी.बी. {MDR-TB/ रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी (RR)} टी.बी. में वृद्धि** देखी गई है।

टी.बी. उन्मूलन के लिए शुरू की गई पहलें

राष्ट्रीय स्तर पर:

- **टी.बी. के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) (2017-2025):** इसके चार स्तंभ हैं- **पहचान (Detect) - उपचार (Treat) - रोकथाम (Prevent) – क्षमता निर्माण (Build)।**
  - NSP में, भारत ने **2023 तक** टी.बी. के कारण **प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 77 मामलों** और इससे होने वाली मृत्यु को कम कर इसे **6 तक सीमित करने का लक्ष्य** निर्धारित किया था।
- **निक्षय पोषण योजना (NPY), 2018:** इसके तहत **पोषण संबंधी जरूरतों** के लिए प्रति माह 500 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) किया जाता है।

- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)[158], 2020** जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Revised National Tuberculosis Control Programme: RNTCP) के रूप में जाना जाता था।
  - इसका उद्देश्य 2030 के **वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले अर्थात् 2025 तक** भारत में टी.बी. के मामले को पूरी तरह से खत्म करना है।
- **प्रधान मंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान (PM TBMBA), 2022:** इसे निक्षय मित्र पहल के रूप में भी जाना जाता है। कोई **टी.बी. रोगियों को गोद** ले सकता है और उन्हें मासिक पोषण सहायता प्रदान कर सकता है। अभी तक निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत लगभग 10 लाख टी.बी. रोगियों को गोद लिया जा चुका है।
- **नए डायग्नोस्टिक टेस्ट:** CB-NAAT (कार्ट्रिज-बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट), TrueNat (टी.बी. के लिए रैपिड टेस्टिंग) आदि।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन:** इसके तहत टी.बी. के मरीजों की बेहतर निगरानी और इलाज के लिए **डिजिटल हेल्थ आई.डी.** बनाई गई है।
- **अन्य:** टी.बी. से बचाव के लिए छह माह के कोर्स की जगह तीन माह का इलाज, **इंद्रधनुष कार्यक्रम** में बी.सी.जी का टीका शामिल करना आदि।

क्या आप जानते हैं?

- **भारत** ने टी.बी. के मामलों के प्रसार की निगरानी करने के लिए एक **परिष्कृत गणितीय मॉडल** विकसित किया है। भारत ऐसा करने वाला **दुनिया का पहला देश है।**
- यह इस रोग के प्राकृतिक इतिहास, संक्रमण के व्यक्तिगत मामलों, स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार आदि पर आधारित है।
- भारतीय मॉडल द्वारा पता लगाए गए टी.बी. के मामले, WHO द्वारा पता लगाए गए मामलों की तुलना में बहुत कम हैं।

वैश्विक स्तर पर:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की टी.बी. समाप्ति रणनीति:** इसका उद्देश्य 2030 तक नए मामलों की संख्या में **80% की कमी** करना, मृत्यु दर में **90% की कमी** करना और विनाशकारी लागत को शून्य करना है।
  - 1993 में इसे वैश्विक आपात घोषित किया गया था। साथ ही, इसके द्वारा **डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट-शॉर्ट कोर्स (DOTS)** की शुरुआत की गई।
- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** इसमें **लक्ष्य 3 के तहत 2030 तक** टी.बी. महामारी को समाप्त करना शामिल है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए अभिनव तरीके

- **छत्तीसगढ़:** TPT के लिए **ग्राम स्वास्थ्य समिति** को शामिल करना।
- **तमिलनाडु:** 3HP की लघु TPT दवाओं की स्थानीय खरीद।
- **महाराष्ट्र और राजस्थान:** एक्टिव केस-फाइंडिंग (ACF) के दौरान जेल के कैदियों, अन्य जोखिम समूहों और वर्गों में TPT की शुरुआत।

आगे की राह

- **एकीकृत दृष्टिकोण:** इसमें एक **स्वच्छ जीवन शैली, पोषण आहार का सेवन और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल** सेवाएं शामिल होनी चाहिए।
- **मानव संसाधन विकास:** राष्ट्रीय टी.बी. संस्थान (NTI), बेंगलुरु और अन्य संस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **प्रारंभिक निदान और निगरानी:** नवीनतम तकनीकों को अपनाकर, जागरूकता पैदा करना आदि।
- **अनुसंधान और विकास (R&D): दवाओं आदि में अनुसंधान और विकास** के लिए निजी कंपनी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** निक्षय मित्र पहल जैसी सरकारी पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.4.1. बायो-कंप्यूटर (Bio-computers)

- जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने **बायो-कंप्यूटर बनाने** के लिए **"ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस (OI)"** पर शोध करने की योजना बनाई है।

[158] National Tuberculosis Elimination Programme

 ©Vision IAS

- ऑर्गेनॉइड **स्टेम कोशिकाओं से प्राप्त सूक्ष्म व स्व-संगठित त्रि-आयामी कोशिकाएं या ऊतक** होते हैं।
- प्रस्तावित शोध में जैविक हार्डवेयर के रूप में **ब्रेन ऑर्गेनॉइड, अर्थात् प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग** किया जाएगा।

- **बायो-कंप्यूटर:** ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं, जिनमें **इलेक्ट्रॉनिक घटकों की बजाय जैविक मूल के घटकों (जैसे DNA के अणुओं) का उपयोग** किया जाता है।

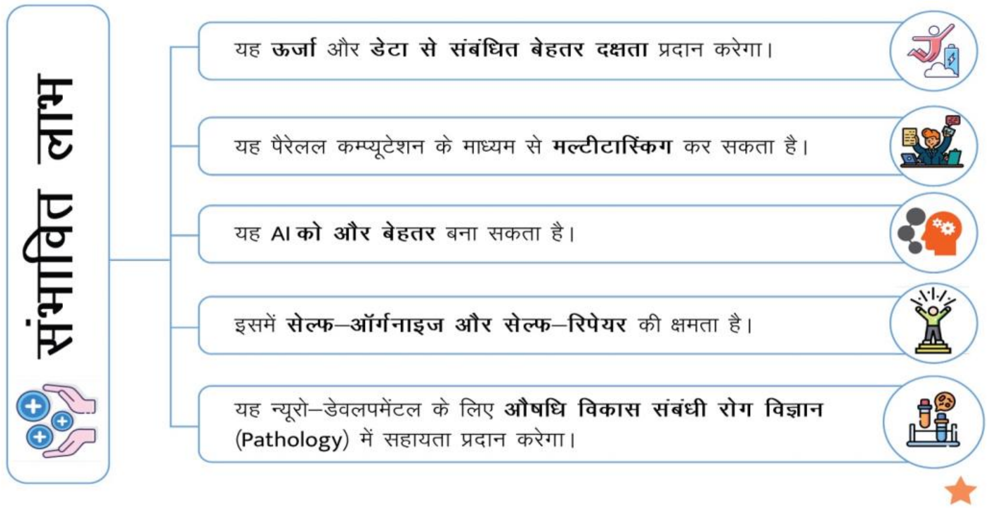

7.4.2. क्वांटम कम्युनिकेशन (Quantum Communication)

- भारत में पहली बार **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित एक अत्यधिक सुरक्षित लिंक स्थापित** किया गया है। C-DOT दूरसंचार विभाग के अधीन है।
- **क्वांटम कम्युनिकेशन** को संचार के माध्यम के रूप में समझा जा सकता है। इसके तहत डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक अत्यधिक सुरक्षित रूप से **भेजने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग** किया जाता है। इस प्रकार यह पारंपरिक संचार प्रणालियों की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित है।
  - **की (Key) बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के तहत डेटा और कीज़ को क्लासिकल बिट्स** के रूप में भेजा जाता है। इन **क्लासिकल बिट्स** को इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल पल्सेस के रूप में भेजा जाता है। **क्लासिकल बिट्स 1 और 0 का प्रतिनिधित्व करती हैं।**
- हालांकि, **क्वांटम संचार नेटवर्क में डेटा को क्यूबिट्स के माध्यम से भेजा** जाता है।
  - **क्यूबिट्स कण आमतौर पर सुपरपोजिशन अवस्था** में प्रकाश के फोटॉन्स होते हैं। इसका अर्थ है कि ये कई अवस्थाओं में होते हैं तथा **1 और 0 के कई संयोजनों को** प्रदर्शित कर सकते हैं।
  - यदि इसके तहत भेजे जाने वाले डेटा को कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है, तो **अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम अवस्था 1 या 0 पर 'ठहर' (collapses) जाती है और अंततः हैक करने का प्रयास भी रिकॉर्ड** हो जाता है।
- यह गुण **अत्यधिक संवेदनशील डेटा का संचार करने के लिए क्वांटम कीज़ डिस्ट्रीब्यूशन या QKD नामक प्रक्रिया पर आधारित नेटवर्क बनाने** में मदद करता है।
  - QKD के तहत **एन्क्रिप्टेड डेटा को क्लासिकल बिट्स के रूप में भेजा** जाता है। इस **एन्क्रिप्टेड डेटा को पढ़ने के लिए, डिक्रिप्शन कीज़ को क्यूबिट्स का उपयोग करके क्वांटम अवस्था में भेजा** जाता है।

7.4.3. सोडियम के सेवन में कमी (Sodium Intake Reduction)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि **विश्व 2025 तक सोडियम सेवन को 30 प्रतिशत तक कम करने के अपने वैश्विक लक्ष्य से बहुत दूर है।**
- सोडियम, एक आवश्यक पोषक तत्व है। हालांकि, इसका **अधिक मात्रा में सेवन करने से हृदय रोग, स्ट्रोक और असमय मौत का खतरा बढ़ जाता है।**
  - सोडियम का **मुख्य स्रोत टेबल सॉल्ट** (सोडियम क्लोराइड) है।
- **नमक का वैश्विक औसत सेवन WHO की सिफारिश के दोगुने से अधिक** होने का अनुमान है। WHO के अनुसार, प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक (एक चम्मच) का सेवन करना चाहिए।

7.4.4. प्रक्षेपण यान मार्क-3 {Launch Vehicle Mark 3 (LVM-3)}

- इसरो (ISRO) के सबसे भारी प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM-3) ने **वनवेब के 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न भू कक्षा में सफलतापूर्वक** स्थापित किया।
- यह LVM-3 की लगातार छठी सफल उड़ान थी।
  - इसी के साथ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने **वनवेब के 72 उपग्रहों को निम्न-भू कक्षा में प्रक्षेपित करने के अपने अनुबंध का सफलतापूर्वक अनुपालन** किया है। वनवेब के 36 उपग्रहों को अक्टूबर 2022 में प्रक्षेपित किया गया था।
  - **NSIL अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य** करता है। यह **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) की वाणिज्यिक शाखा** है।
- यह मिशन **बड़े मिशनों की जिम्मेदारी लेने की इसरो की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित** करता है। साथ ही, **उपग्रहों के समूह को प्रक्षेपित करके वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में रिक्तता भरने के सामर्थ्य** को भी दर्शाता है। (इसरो के प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण यानों के लिए इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **LVM3 के बारे में** (पहले इसे **भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान-मार्क III या GSLV-MK3** कहा जाता था)
  - यह **तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान** है। ये तीन चरण हैं:
    - **पहला चरण- तरल ईंधन वाला इंजन और ठोस ईंधन द्वारा संचालित दो स्ट्रैप ऑन मीटर;**
    - **दूसरा चरण- तरल ईंधन द्वारा संचालित, तथा**
    - **तीसरा चरण- क्रायोजेनिक इंजन।**
  - इसकी भार वहन करने की क्षमता **निम्न-भू कक्षा (LEO) तक 8 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक 4 टन तक** की है।
  - यह वैश्विक अंतरिक्ष वाणिज्यिक बाजार के लिए इसरो का **दूसरा रॉकेट** है। ऐसा पहला रॉकेट **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** है।
  - **इससे प्रक्षेपित किए गए/जाने वाले प्रमुख मिशनों में शामिल हैं-** चंद्रयान-2, गगनयान (मानव अंतरिक्ष उड़ान), चंद्रयान-3 और आदित्य L1 (सूर्य का अध्ययन करने का मिशन) आदि।
- वनवेब **भारत की भारती एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम का एक संयुक्त उद्यम है।** इसका उद्देश्य **दुनिया भर में हाई-स्पीड व लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान** करना है।
  - वनवेब उपग्रह 1,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर **LEO में कार्य** करते हैं।

7.4.5. उपग्रह का नियंत्रित री-एंट्री प्रयोग (Controlled Re-Entry of Satellite)

- **इसरो ने** मिशन पूरा कर चुके मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) **उपग्रह का नियंत्रित री-एंट्री प्रयोग सफलतापूर्वक** संपन्न किया।
- **MT-1** का प्रक्षेपण **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसे **उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन** करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था।
- **नियंत्रित री-एंट्री के तहत बड़े उपग्रह/रॉकेट यान को उनकी वास्तविक कक्षा से अधिक निम्न कक्षा** में लाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका प्रभाव निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित रहे।

- **UN/IADC** (इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी) ने **'अंतरिक्ष मलबा उपशमन दिशा-निर्देश'** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्न भू-कक्षा (LEO) में स्थित किसी **ऑब्जेक्ट** का मिशन-काल समाप्त होने पर उसे कक्षा से हटाने (Deorbiting) की सिफारिश करते हैं। **यह निम्नलिखित तरीकों से संपन्न होता है:**
    - ऑब्जेक्ट की सुरक्षित प्रभाव क्षेत्र में **नियंत्रित री-एंट्री** के माध्यम से,
    - इसे **ऐसी कक्षा में लाकर जहां इसका कक्षीय जीवनकाल 25 वर्ष से कम** हो जाए।
- अंतरिक्ष मलबे में **प्राकृतिक (उल्कापिंड) और कृत्रिम (मानव निर्मित),** दोनों तरह के पिंड शामिल होते हैं।
    - इनमें से **अधिकतर मलबा LEO में मौजूद है।** हालांकि, कुछ मलबा **भू-स्थिर कक्षा** में भी विद्यमान हो सकता है।
        - LEO आमतौर पर पृथ्वी से **1,000 कि.मी. से कम ऊंचाई** पर मौजूद कक्षा है। हालांकि, इसकी न्यूनतम ऊंचाई **160 कि.मी.** तक हो सकती है।
- **अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए इसरो की प्रमुख पहलें**
    - **इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM):** यह टकराव के खतरे वाले ऑब्जेक्ट्स की लगातार निगरानी करने और अंतरिक्ष मलबों से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए उत्तरदायी है।
    - **नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (NETRA) प्रोजेक्ट:** यह अंतरिक्ष मलबे की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है।

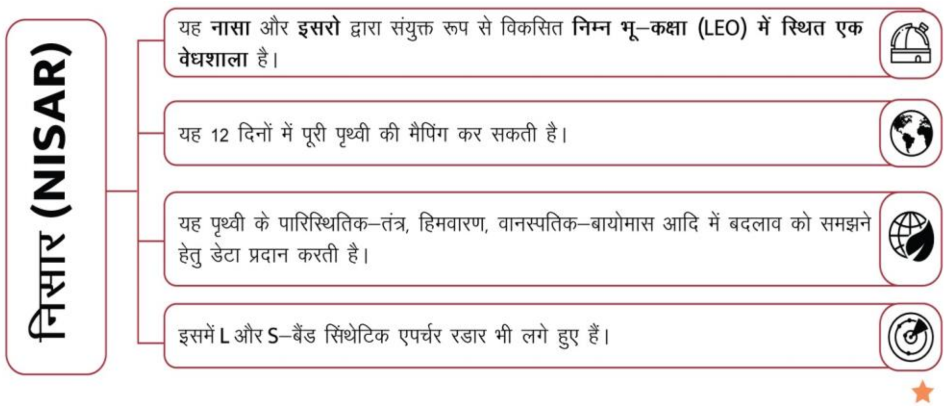

- **अन्य संबंधित सुर्ख़ियां**
    - इसरो को नासा से **नासा-इसरो SAR (NISAR/निसार) नामक उपग्रह** प्राप्त हो गया है।

7.4.6. पैलेट-बीम प्रणोदन (Pellet-Beam Propulsion)

- नासा की एक नई प्रस्तावित **प्रणोदन प्रणाली सैद्धांतिक रूप से 5 वर्षों से कम समय में सौर मंडल की सीमाओं से परे भारी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित कर** सकती है। इसके तहत **अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में और आगे भेजने के लिए** पैलेट-बीम के धक्का बल का इस्तेमाल किया जाएगा।
- पैलेट-बीम अवधारणा आंशिक रूप से **ब्रेकथ्रू स्टारशॉट पहल से प्रेरित** है। इस पहल के तहत **'लाइट-सैल (light-sail)' प्रणोदन प्रणाली** पर कार्य किया जा रहा है।
    - इस **अवधारणात्मक प्रणोदन प्रणाली के संचालन के लिए दो अंतरिक्ष यानों की आवश्यकता** होती है। एक, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस के लिए भेजा जाएगा और दूसरा, जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा।
    - पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान, इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान पर **लघु सूक्ष्म कणों की बीम को शूट (प्रक्षेपित) करेगा।**
    - ये कण **लेज़र से गर्म** किए जाते हैं, जिससे उनका **एक हिस्सा प्लाज्मा की अवस्था में बदल** जाता है। इससे **पेलेट्स को और अधिक गति** मिलती है। इस प्रक्रिया को **लेज़र एब्लेशन** के रूप में जाना जाता है।
    - इन पेलेट्स की गति **120 कि.मी./सेकंड** तक हो सकती है।

7.4.7. खाद्य विकिरण (Food Irradiation)

- प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसे **गामा किरणों से विकिरणित** किया जाएगा।
- **प्याज की जल्दी खराब होने वाली प्रकृति, प्रसंस्करण का निम्न स्तर और भंडारण का दोषपूर्ण बुनियादी ढांचा प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान (लगभग 25 प्रतिशत) का कारण** बनता है।
    - **विकिरण (Irradiation) प्याज में अंकुरण को रोकता है।** इस प्रकार कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है।

- खाद्य विकिरण में खाद्य संरक्षण के लिए **आयनकारी विकिरणों से प्राप्त ऊर्जा का नियंत्रित उपयोग** किया जाता है। ये आयनकारी विकिरण हैं- गामा किरणें, इलेक्ट्रॉन और एक्स-रे।
    - विकिरण **उन जैविक प्रक्रियाओं को बाधित करता है, जो उत्पादों के क्षय का कारण बनती हैं।**
    - गामा किरण, एक्स-रे या इलेक्ट्रॉन खाद्य में **किसी भी प्रकार की रेडियोधर्मिता उत्पन्न नहीं होने** देते हैं।

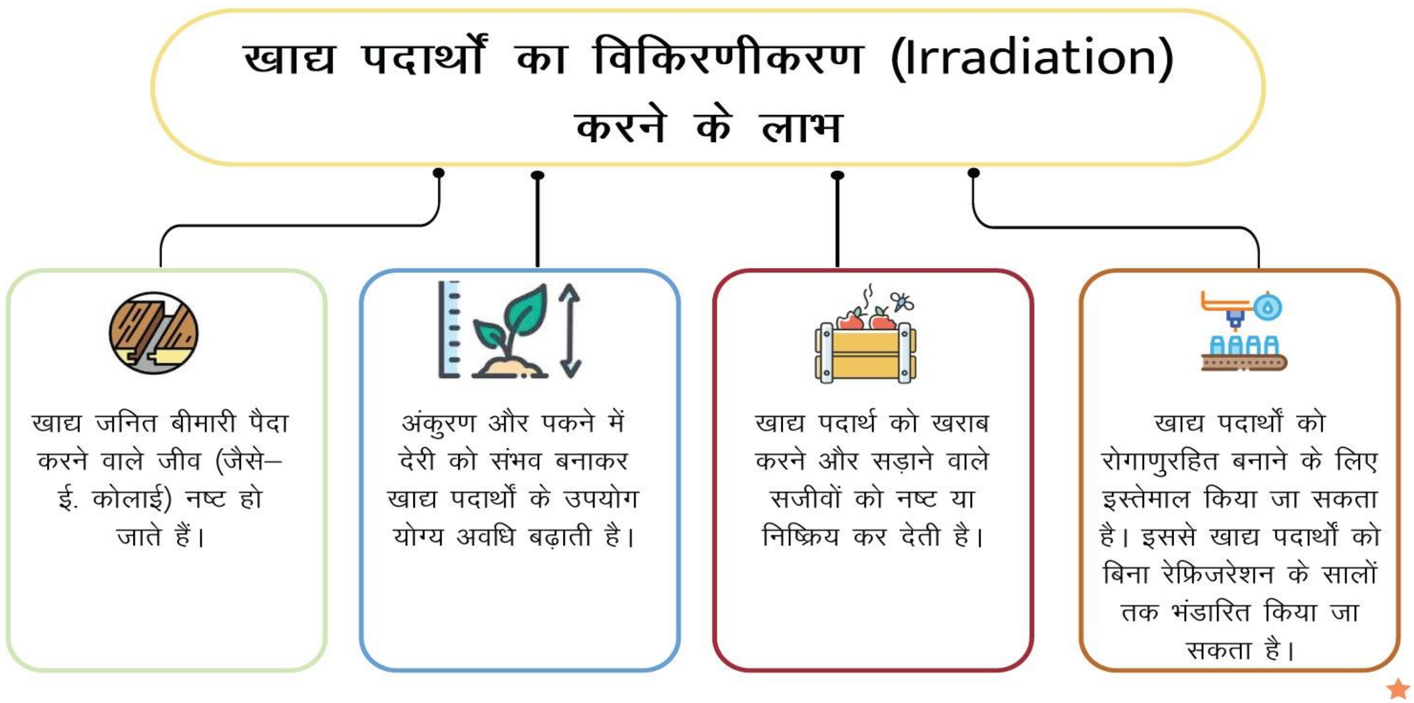

- **खाद्य पदार्थों पर उपयोग के लिए स्वीकृत विकिरण के स्रोत:**
    - **कोबाल्ट (कोबाल्ट 60) या सीज़ियम (सीज़ियम 137)** के रेडियोधर्मी रूपों से निकलने वाली **गामा किरणें। इनका चिकित्सा व दंत उत्पादों को जीवाणु रहित बनाने** के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
    - खाद्य में लक्षित पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की एक उच्च-ऊर्जा वाली धारा को परावर्तित करके **एक्स-रे** का सृजन किया जाता है।
    - इलेक्ट्रॉन बीम (या ई-बीम) एक्स-रे की तरह होती है और यह उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है जो इलेक्ट्रॉन त्वरक द्वारा खाद्य पदार्थों में संचालित की जाती है।

7.4.8. कैंडिडा ऑरिस (C. ऑरिस) {Candida Auris (C. auris)}

- यह मानव शरीर में खतरनाक संक्रमण पैदा करने वाला एक **मल्टी-ड्रग प्रतिरोधी कवक** है। वर्तमान में **संयुक्त राज्य अमेरिका** में इसका संक्रमण फैल रहा है।
- इसकी पहली बार पहचान **2009 में जापान** में हुई थी।
    - इसके ज्यादातर मामले **स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों,** जैसे- **अस्पतालों और नर्सिंग होम** में दर्ज किए गए हैं।
    - इसका संक्रमण **दूषित सतहों** के संपर्क में आने से या **संक्रमित व्यक्ति के संपर्क** में आने से फैलता है।
    - **लक्षण: बुखार आना और ठंड लगना।** इसके लक्षण एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करने के बाद भी नहीं जाते है।
    - **मृत्यु दर: 30-60% के बीच** होने का अनुमान है।

7.4.9. प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2023 (Technology and Innovation Report 2023)

- यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD)** द्वारा जारी की गई है।
- यह रिपोर्ट **हरित नवाचार की अवधारणा** पर केंद्रित है। हरित नवाचार में ऐसी नई या बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना या उपलब्ध कराना शामिल है, जिनका **कार्बन फुटप्रिंट अपेक्षाकृत कम हो** तथा जो अवसर के नए मार्ग खोलती हों।

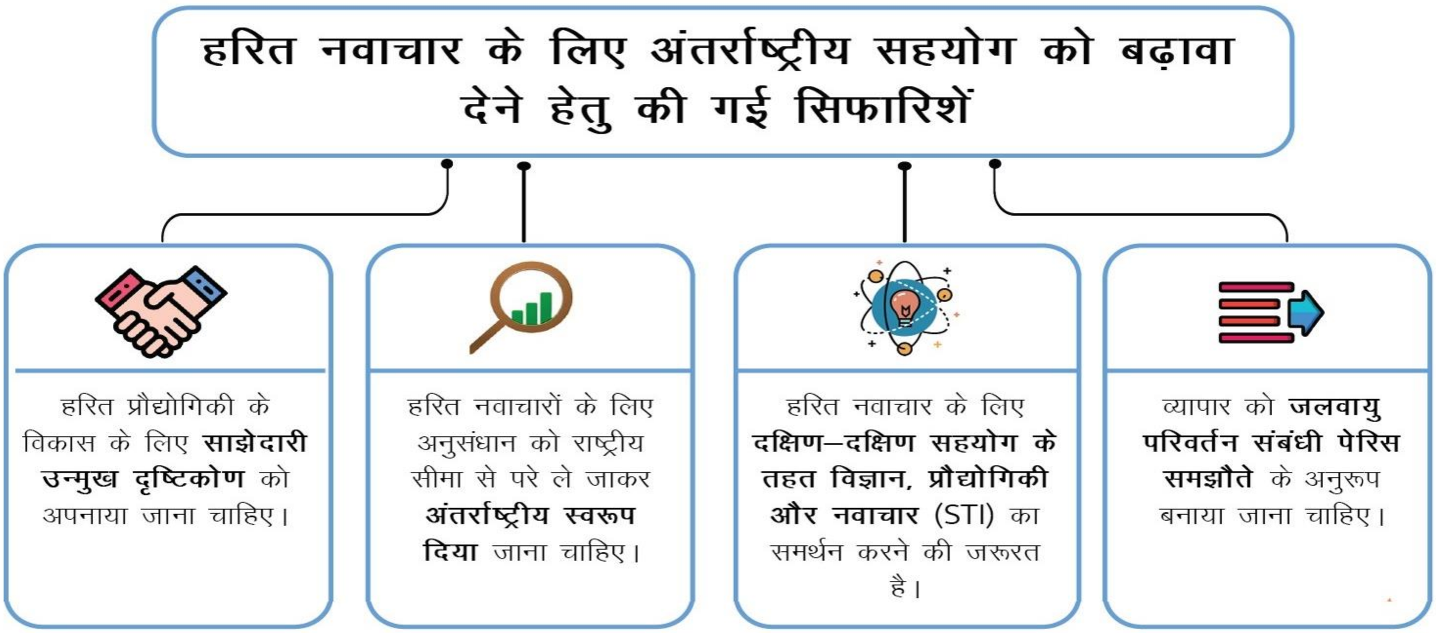

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **उत्तर-दक्षिण विश्व के मध्य गहरा विभाजन:** यूरोपीय संघ के देश अनुसंधान और विकास पर अपनी जीडीपी का 3 प्रतिशत तक व्यय करते हैं। इसके विपरीत, कुछ विकासशील देश केवल 1 प्रतिशत ही खर्च कर पा रहे हैं।
    - 2015 के पेरिस समझौते के बाद **अधिकतर देशों ने अपनी जलवायु-परिवर्तन संबंधी 'हरित आधिकारिक विकास सहायता (ODA)' में वृद्धि** की है।
    - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन:** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF),** पर्यावरणीय उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों (ESTs) का हस्तांतरण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्त-पोषण स्रोत है।
        - UNFCCC का **संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN)** विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

7.4.10. वैभव फेलोशिप (VAIBHAV Fellowships)

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **अनिवासी भारतीय (NRI) शोधकर्ताओं के लिए 'वैभव फेलोशिप'** की शुरुआत की है।
- वैभव फेलोशिप का उद्देश्य **भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान इकोसिस्टम में सुधार** लाना है।
    - यह विदेशी संस्थानों की/के फैकल्टी/ शोधकर्ताओं के भारत में आगमन के द्वारा **भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक तथा शोध सहयोग की सुविधा** प्रदान करेगा।

7.4.11. 'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो' पहल (Learning Science via Standards Initiative)

- इस पहल को **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने छात्रों के लिए** शुरू किया है। इसका उद्देश्य **'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने' के लिए छात्रों को प्रेरित** करना है।
    - यह पहल BIS द्वारा पूर्व में संचालित पहल की निरंतरता में है। BIS द्वारा पूर्व में संचालित पहल के तहत **देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 'मानक क्लब' स्थापित** किए जा रहे हैं।
- यह पहल **वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित** है। यह श्रृंखला विद्यार्थियों को संबंधित भारतीय मानकों में वर्णित अलग-अलग उत्पादों की गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण, कार्य तथा परीक्षण में **उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद** करेगी।
    - **BIS के अधिकारी और संसाधन कर्मी विद्यार्थियों के लिए पाठ योजनाओं का संचालन करेंगे।** इसका उद्देश्य परस्पर संवादात्मक तरीके से सीखने के अनुभव को साझा करना है।

7.4.12. सैंड बैटरी (Sand Battery)

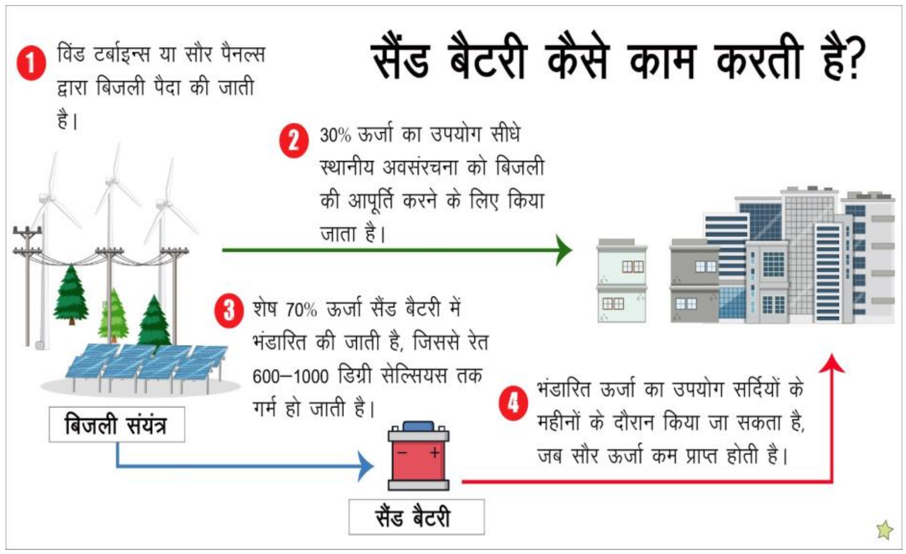

- हाल ही में, **फिनलैंड ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी** स्थापित की है। यह बैटरी कई महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊष्मा को भंडारित कर सकती है।
- **सैंड बैटरी एक उच्च तापमान वाला तापीय ऊर्जा भंडारण** है। यह रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग भंडारण के माध्यम के रूप में करता है। यह **रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहीत** करता है।
    - इसका मुख्य उद्देश्य **अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति तथा उच्च क्षमता वाले भंडारण** के रूप में कार्य करना है।
    - इसमें ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग **घरों को गर्म रखने या गर्म भाप** प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, इसका उपयोग कुछ उद्योगों (विशेषकर ऐसे संयंत्रों में जो जीवाश्म-ईंधन पर निर्भर होते हैं) में **उच्च तापमान प्रक्रिया हेतु ऊष्मा प्रदान** करने के लिए भी किया जा सकता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

 ©Vision IAS

8. संस्कृति (Culture)

8.1. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 को **वायकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष** के रूप में मनाया जाएगा। **केरल और तमिलनाडु** ने संयुक्त रूप से **शताब्दी समारोह का उद्घाटन** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वायकोम पुरस्कार:** वायकोम पुरस्कार **ई. वी. रामास्वामी की जयंती (17 सितंबर, 2023)** पर प्रदान किया जाएगा।
- **पुरस्कार प्राप्तकर्ता:** यह पुरस्कार उन **उल्लेखनीय परिवर्तनकारियों को प्रदान किया जाएगा, जो दमित लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं।**
- **वायकोम सत्याग्रह स्मारक संग्रहालय** का उद्घाटन केरल सरकार ने 2020 में **वायकोम** में किया था।

ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार'

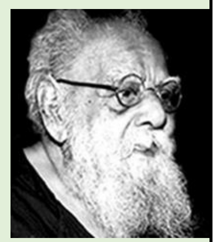

- इनका जन्म 1879 में हुआ था। वे 20वीं सदी के एक **तर्कवादी द्रविड़ समाज सुधारक** थे।
- **राजनीतिक योगदान:**
  - वह **वायकोम सत्याग्रह में सबसे अग्रिम पंक्ति** में थे। बाद में उन्होंने **1925 में आत्म-सम्मान आंदोलन की शुरुआत** की थी।
  - उन्होंने **द्रविड़ कड़गम** (जिसे पहले **जस्टिस पार्टी** के नाम से जाना जाता था) की स्थापना की थी।
- **वैचारिक योगदान:**
  - उन्होंने **निम्न-जाति के लोगों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के पक्ष में तर्क** दिया था।
  - उन्होंने जोर देकर कहा था कि **"प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सोचना चाहिए, एक-दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए और तर्कसंगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए।"**

आंदोलन की पृष्ठभूमि

- **जातिगत भेदभाव:** दमित वर्ग के लोगों विशेषकर **एझावाओं के लिए वायकोम महादेव मंदिर के आसपास की चार सड़कों पर चलने पर रोक** लगा दी गई थी।
  - एझावा और पुलाया जैसी **निचली जातियों को अपवित्र** माना जाता था। साथ ही, उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए अलग-अलग नियम भी बनाए गए थे।
- **नेता: टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन** और कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद **के. केलप्पन** को वायकोम सत्याग्रह आंदोलन का **अग्रदूत** माना जाता है। **के.पी. केशव मेनन** केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के तत्कालीन सचिव थे। **के. केलप्पन को 'केरल का गांधी'** भी कहा जाता है।
  - मंदिर में प्रवेश का मुद्दा पहली बार **टी. के. माधवन ने 1917 में अपने समाचार-पत्र देशाभिमानी** के संपादकीय में उठाया था।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) अधिवेशन:** वर्ष 1923 में टी. के. माधवन के कहने पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के **काकीनाडा अधिवेशन में KPCC ने अस्पृश्यता को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाने के लिए एक संकल्प** अपनाया था।
  - इसके बाद, KPCC द्वारा गठित **कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने जनवरी 1924** में आंदोलन के आयोजन की जिम्मेदारी ग्रहण की थी।

सत्याग्रह की घटनाएं

- **सत्याग्रह की शुरुआत:** 30 मार्च, 1924 को

सत्याग्रहियों ने **दमित वर्ग के लिए प्रतिबंधित की गई सार्वजनिक सड़कों की ओर** जुलूस निकाला।

- **जॉर्ज जोसेफ की भूमिका:** इन्होंने कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने **तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष 'पेरियार' ई.वी. रामास्वामी** से भी अभियान का नेतृत्व करने का आग्रह किया था।
- **महात्मा गांधी का आगमन:** महात्मा गांधी 1925 में वायकोम पहुंचे और अलग-अलग जाति के समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की। साथ ही, **त्रावणकोर की रानी सेतुलक्ष्मी बाई (महारानी रीजेंट) से भी भेंट की।**
    - उनकी इस भेंट के परिणामस्वरूप एक **शाही घोषणा** जाए की गई। इसके द्वारा वायकोम महादेव मंदिर के सभी सार्वजनिक मार्गों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया।

- **पेरियार के तहत आंदोलन:** महात्मा गांधी और सी. राजगोपालाचारी के मार्गदर्शन में, **पेरियार ने इस आंदोलन की समाप्ति तक इसका नेतृत्व** किया।
    - उन्होंने **स्वयंसेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के माध्यम से जनता का समर्थन** प्राप्त किया।
    - वे **त्रावणकोर के दीवान से मिलने के लिए गठित एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा** थे।
    - उन्होंने **महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद और सी. राजगोपालाचारी के साथ बैठकें** की थीं।

आंदोलन का परिणाम

- **समझौता समाधान:** वायकोम सत्याग्रह को **30 नवंबर, 1925 को आधिकारिक तौर पर वापस** ले लिया गया था। इसे **महात्मा गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त डब्ल्यू.एच. पिट** के बीच परामर्श के बाद समाप्त किया गया था।
    - **सभी कैदियों की रिहाई और वायकोम मंदिर के लिए चार सड़कों में से तीन तक पहुंच प्रदान करने के बाद एक समझौता** किया गया था।
- **महात्मा गांधी और पेरियार के बीच दरार:** वायकोम सत्याग्रह ने **गांधीजी और पेरियार के बीच मतभेद** को उजागर कर दिया था। गांधीजी ने जहां इसे हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा था, वहीं पेरियार ने इसे जाति-आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई बताया था।
    - **पेरियार आंशिक सफलता से खुश नहीं थे** और उन्होंने अंततः कुछ महीनों बाद **कांग्रेस छोड़** दी थी।
- **मंदिर प्रवेश उद्घोषणा: वर्ष 1936 में,** सत्याग्रह के समापन के लगभग एक दशक बाद, त्रावणकोर के महाराजा द्वारा **ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर** किए गए थे। इस उद्घोषणा ने **त्रावणकोर के मंदिरों में वंचित जातियों के प्रवेश पर लगे सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा** दिया था।

जॉर्ज जोसेफ

- इनका जन्म 1887 में हुआ था। इन्होंने **वायकोम सत्याग्रह** का नेतृत्व किया था।
- **होम रूल आंदोलन के प्रति आकर्षित:** वह भारत के स्वशासन के मुद्दे पर ब्रिटिश जनता को संवेदनशील बनाने के लिए एनी बेसेंट द्वारा ब्रिटेन भेजी गई तीन सदस्यीय समिति के नेताओं में से एक थे।
- **साहित्यिक योगदान:** वे **इलाहाबाद** से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रवादी समाचार-पत्र **द इंडिपेंडेंट** के संपादक थे और बाद में **यंग इंडिया** के भी संपादक बने थे।
- **बाद में भागीदारी:** वह **मदुरै में रोलेट सत्याग्रह के नेता** थे और **असहयोग आंदोलन में** शामिल हुए थे।

निष्कर्ष

- इस सत्याग्रह ने **राष्ट्रव्यापी मंदिर प्रवेश आंदोलन** की शुरुआत की थी, जो आज तक जारी है। इसने **भारत में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच एक सेतु का भी निर्माण** किया था। हालांकि, **वायकोम सत्याग्रह जाति के नाम पर नैतिकता, समानता और न्याय से इनकार करने जैसे संरचनात्मक भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह** था।

अन्य प्रमुख मंदिर प्रवेश आंदोलन		
अरुविप्पुरम आंदोलन (1888)	**कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930)**	**गुरुवायूर में सत्याग्रह (1931-32)**
यह **केरल के अरुविप्पुरम गांव में श्री नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन** था। यह मंदिर में प्रवेश के समान अधिकारों के लिए शुरुआती आंदोलनों में से एक था।	वर्तमान नासिक में **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को मंदिर में प्रवेश के अधिकार के रूप में आरम्भ किया गया था, लेकिन इसका झुकाव अधिकारों की समानता की ओर अधिक था।	यह वर्तमान **त्रिसूर** में मंदिर में प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह था। इसका नेतृत्व **के. केलप्पन** ने किया था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी और कांग्रेस के अनुरोध पर इसे छोड़ दिया गया था।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. भारत में पुरावशेष (Antiquities in India)

- वर्ष 1947 से **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 486 पुरावशेषों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।**
- पुरावशेषों (Antiquities) को **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (AATA) के तहत परिभाषित** किया गया है। पुरावशेष के अंतर्गत **निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया जाता है-**
  - सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरालेख और कला या शिल्प कौशल से जुड़ी कोई अन्य कृति; तथा
  - किसी भवन या गुफा से अलग किया गया कोई भाग (Article), वस्तु (Object) या चीज (Thing).
- 2007 में **राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन** (NMMA) शुरू किया गया था। इसे **AATA के अंतर्गत परिभाषित पुरावशेषों का एक डेटाबेस तैयार करने का कार्य** सौंपा गया है।
  - NMMA ने अब तक **3.52 लाख पुरावशेष पंजीकृत किए हैं।**
- सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के साधनों पर **यूनेस्को कन्वेंशन, 1970** की भारत द्वारा अभिपुष्टि की गई है। **सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी** के निषेध और रोकथाम संबंधी उपाय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - भारत में, **AATA बिना लाइसेंस के ऐसे पुरावशेषों के निर्यात को फौजदारी अपराध के अंतर्गत** रखता है। ऐसे पुरावशेषों के निर्यात के लिए ASI लाइसेंस प्रदान करता है।
- पुरावशेषों को **पुनः प्राप्त किया जा सकता है।** इसके लिए **स्वामित्व का प्रमाण** प्रस्तुत कर द्विपक्षीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया जा सकता है। इसमें उपर्युक्त **यूनेस्को कन्वेंशन की भी मदद** ली जा सकती है।

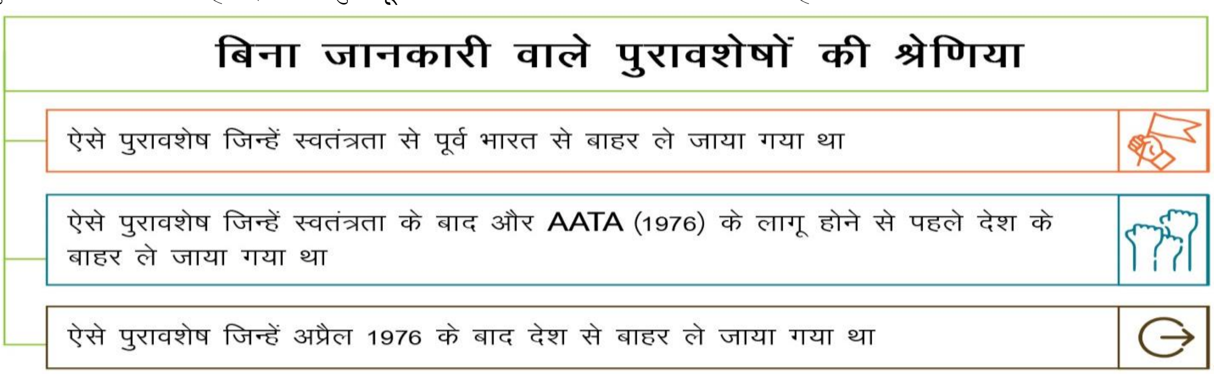

8.2.2. मतुआ समुदाय (Matua Community)

- **प्रधान मंत्री ने लोगों से पश्चिम बंगाल में मतुआ महा मेला देखने** का आग्रह किया है।
- इस मेले का आयोजन **श्री हरिचंद ठाकुर (1812-1878) की जयंती** पर किया जाता है। हरिचंद ठाकुर **मतुआ नामक हिंदू धर्म के वैष्णव उप-संप्रदाय** के संस्थापक थे।
  - उन्होंने **बंगाली भाषा में दोहे लिखे** थे। साथ ही, सामुदायिक सशक्तीकरण के प्राथमिक माध्यम के रूप में **शिक्षा और मजबूत संगठन बनाने पर बल दिया था।**

- वे एक **वर्गविहीन व जातिविहीन समाज की स्थापना** करना चाहते थे।

- **मतुआ नामशूद्र** हैं और अनुसूचित जाति समूह से संबंधित है। इस समुदाय को **19वीं शताब्दी के दौरान अस्पृश्य माना** जाता था।
    - मतुआ समुदाय विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद **भारत आकर बस गया था।**

8.2.3. कट्टूनायकन्न जनजाति (Kattunayakan Tribe)

- **डॉक्यूमेंट्री "एलिफेंट व्हिस्परर्स" को ऑस्कर पुरस्कार मिलना कट्टुनायकन जनजाति की संरक्षण विरासत** का भी सम्मान है।
- वे भारत के **75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** में से एक हैं।
- यह जनजाति **तमिलनाडु और केरल (नीलगिरी व आसपास के क्षेत्र)** के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- **भाषा:** इनकी भाषा सभी **द्रविड़ भाषाओं** का मिश्रण है।
- **धार्मिक प्रथाएं:** ये उनकी संस्कृति में गहन रूप से निहित हैं। यह समुदाय जानवरों, पक्षियों, वृक्षों, चट्टानों, सांपों और लगभग सभी प्राकृतिक रचनाओं की पूजा करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. हेल्थकेयर में AI नैतिकता (AI Ethics in Healthcare)

परिचय

ICMR[159] ने **बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थकेयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के लिए देश का पहला नैतिक दिशा-निर्देश** जारी किया है। ये दिशा-निर्देश **स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग** और नई दिल्ली स्थित ICMR के **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल** द्वारा तैयार किए गए हैं।

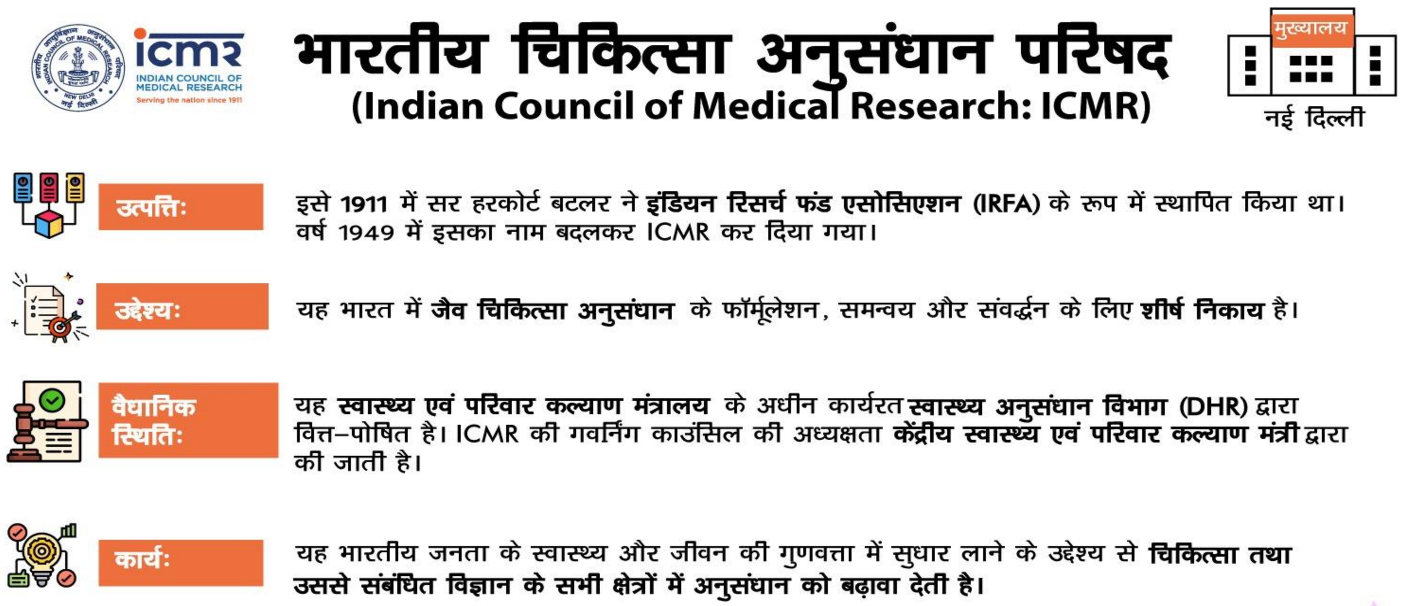

दिशा-निर्देशों का उद्देश्य

- **AI प्रौद्योगिकियों की सक्रिय भागीदारी की दिशा में प्रयास करना:** इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थकेयर प्रदान करने में **AI आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रभावी लेकिन सुरक्षित विकास, वर्गीकरण और अंगीकरण** को प्रोत्साहित करना है।
- **हितधारकों की भागीदारी:** ये दिशा-निर्देश हेल्थकेयर क्षेत्र से संबद्ध **AI अनुसंधान में शामिल सभी हितधारकों** के लिए जारी किए गए हैं। इनमें डेवलपर्स, तकनीशियन, शोधकर्ता, चिकित्सक, नैतिकता संबंधी समितियां, संस्थान, प्रायोजक और फंडिंग करने वाले संगठन शामिल हैं।

हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI की आवश्यकता क्यों?

- **निदान और जांच (Diagnostics and Screening):**
  - यह चिकित्सा निदान में **मानवीय त्रुटि को कम करने** और इसकी सटीकता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
  - रोग निदान के **ज्ञात तरीकों में व्यापक वृद्धि** कर सकता है।
  - **साक्ष्य-आधारित उपचार एल्गोरिदम के प्रयोग को बढ़ाने** और परिणामों के पूर्वानुमान की दिशा में प्रयासों को गति प्रदान कर सकता है।
- **चिकित्सीय, दवाओं की खोज और विकास:**
  - यह **दवा की खोज और टीके के विकास** की दिशा में एपिटोप (Epitope) की पहचान करने में मदद कर सकता है।
  - **सटीक चिकित्सा (Precision medicine):** आनुवंशिकता के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर सकता है।
  - बड़े डेटासेट का उपयोग करके बीमारी के परिणामों के आकलन में मदद कर सकता है।
- **क्लिनिकल देखभाल:**
  - इंटरैक्टिव चैटबॉट्स और डिजिटल निगरानी उपकरणों के माध्यम से **टेलीमेडिसिन तथा स्वयं की देखभाल प्रदान कर सकता है।**
  - **उपचार की निरंतरता, प्रेरणा, रिमाइंडर्स और देखभाल नेटवर्क के निर्माण** के लिए समाधान उपलब्ध करा सकता है।
- **महामारी विज्ञान और रोग की रोकथाम:**
  - यह रोगों के कारकों तथा निर्धारकों की पहचान और उनकी प्रवृत्तियों, पैटर्न एवं रोगों का पता लगा सकता है।

---

[159] Indian Council of Medical Research/ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

- AI समाधान की सहायता से **बड़े पैमाने पर निवारक हस्तक्षेप योजना** को सक्षम किया जा सकता है। AI समाधान चिकित्सा से संबंधित छवियों के विश्लेषण, सामाजिक, व्यावहारिक और स्वास्थ्य संबंधी डेटा की जांच की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं।

- **स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली:**
  - यह स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से **उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकता है।**
  - **नैदानिक दस्तावेज़ीकरण (Clinical documentation) का स्वचालन को सुनिश्चित कर सकता है।**

हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI के उपयोग से जुड़े हितधारक और उनके हित	
हितधारक	AI के उपयोग से जुड़े उनके हित
हेल्थकेयर प्रदाता	• एक्स-रे, MRI जैसे उपकरणों से प्राप्त छवियों के विश्लेषण के माध्यम से अत्यधिक सटीक तरीके से रोग का पता लगाया जा सकता है। साथ ही, AI का उपयोग करके व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान की जा सकती हैं। • रोगी का रिकॉर्ड बनाए रखने जैसे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
फार्मास्यूटिकल उद्योग	• दवा विकास प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है और संभावित नए उत्पादों की पहचान की जा सकती है। • दवाओं और बीमारियों के बीच संभावित संबंधों तथा पैटर्न का पता लगाकर दवाओं के नए उपयोगों की पहचान की जा सकती है।
स्वास्थ्य बीमा	• प्रस्तुत दावों में विसंगतियों का पता लगाकर दावों की सत्यता की जाँच की जा सकती है। • सेवा से वंचित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
रोगी	• पहुंच और देखभाल की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकता है। • समय से पहले रोग निदान उपलब्ध और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर सकता है। • बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई (Follow-up) और बेहतर दवा प्रणाली को सुनिश्चित कर सकता है।
सरकार	• कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए तैयारी की गति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य संबंधी SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। • स्वास्थ्य क्षेत्रक में बेहतर नीति निर्माण और संसाधन आवंटन को सुनिश्चित कर सकता है।

हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI प्रौद्योगिकी के लिए ICMR द्वारा जारी नैतिक सिद्धांत

- **स्वायत्तता:** AI आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली द्वारा रोगी की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
  - चिकित्सा से संबंधित निर्णयों में AI के उपयोग से पहले रोगी की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए।
- **सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण:** रोगियों/ प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - अनपेक्षित या इरादतन दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर परीक्षण, नियंत्रण तंत्र और फीडबैक तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **विश्वसनीयता:** डेवलपर्स, चिकित्सा पेशेवरों, रोगियों, उपयोगकर्ताओं और नियामकों के लिए AI प्रौद्योगिकियां सुगम या समझने योग्य होनी चाहिए।
  - यह वैध, नैतिक, विश्वसनीय, वैज्ञानिक रूप से उचित और पारदर्शी भी होनी चाहिए।
- **डेटा गोपनीयता:** डेटा गोपनीयता के तहत व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच तथा इसमें किसी प्रकार का संशोधन और/ या व्यक्तिगत डेटा की हानि को रोकने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - एकत्र किए जा रहे डेटा और इसके उपयोग के उद्देश्य पर

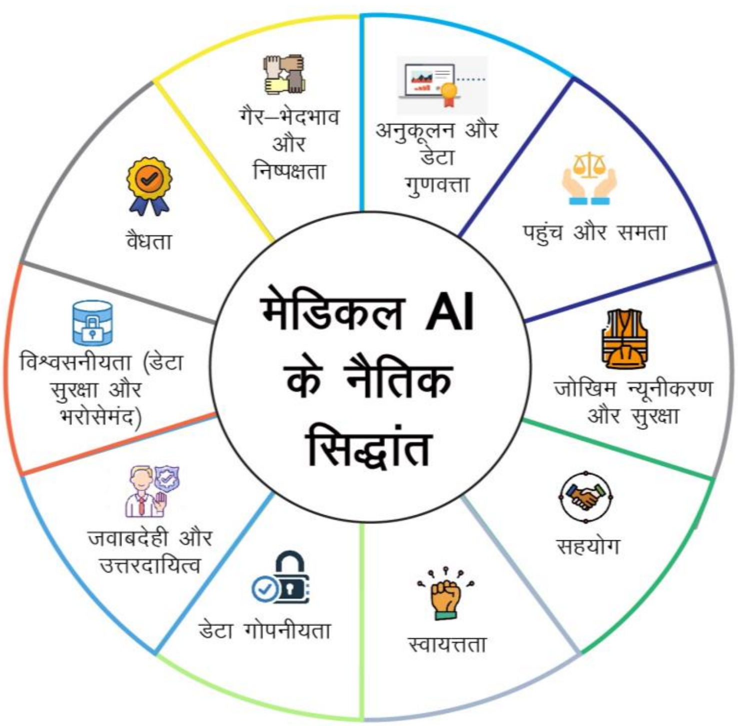

उपयोगकर्ताओं का नियंत्रण होना चाहिए।

- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व:** इसे निवारण तंत्र और नियमित लेखा-परीक्षा की सहायता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - 'ह्यूमन वारंटी' का उपयोग कर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। यह AI प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके उपयोग में रोगियों तथा चिकित्सकों के मूल्यांकन/ प्रतिक्रिया को शामिल करता है।
- **पहुंच, समता और समावेशिता:** स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए AI को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि अधिकतम संभावित समान उपयोग और पहुंच को प्रोत्साहित किया जा सके। इस पर आयु, लिंग, लैंगिकता, आय, नस्ल, जातीयता, योग्यता, यौन ओरिएंटेशन या अन्य विशेषताओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
  - AI के विकास के लिए डेटासेट पक्षपाती नहीं होना चाहिए और पूर्वाग्रह, त्रुटियों, भेदभाव आदि से मुक्त होना चाहिए।

भारत में हेल्थकेयर और अनुसंधान की दिशा में AI प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017:** NHP डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना पर केंद्रित है।
- **नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (NDHB), 2019:** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रणाली विकसित करना है, जिसमें डेटा अनामिता (Data anonymization) और डी-आइडेंटिफिकेशन के एकीकृत नैतिक सिद्धांत शामिल होंगे।
- **प्रस्तावित DISHA:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हेल्थकेयर में डिजिटल सूचना सुरक्षा अधिनियम (DISHA)[160], 2018 प्रस्तावित किया गया है। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रसार और उपयोग को मानकीकृत तथा विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण व स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज की स्थापना पर बल दिया गया है।
- **दिशा-निर्देश:** मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए ICMR के राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देश, 2017

आगे की राह (5E दृष्टिकोण)

- **मूल्यांकन करना (Evaluate):** स्वास्थ्य देखभाल में AI के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **विवरण देना (Enumerate):** हेल्थकेयर डिलीवरी में AI के इस्तेमाल में बाधक प्रमुख मुद्दों और कमियों का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।
- **हितधारकों को शामिल करना (Engage):** एक समग्र समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक अंतःविषय सहयोगी रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नीति निर्माता जैसे हितधारक शामिल हैं।
- **लागू करना (Enforce):** मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन की सहायता से AI के उपयोग में नैतिक नियमों को लागू किया जाना चाहिए।
- **निष्पादन (Execute):** स्वास्थ्य देखभाल में AI के इस्तेमाल की स्वीकृति तथा उसकी उपयोगिता को व्यापक बनाने के लिए समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

9.2. पशु अधिकारों की नैतिकता (Ethics of Animal Rights)

परिचय

हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज़ से कहा है कि **आवारा कुत्तों** के प्रति क्रूरता और नफरती व्यवहार न कर उनके प्रति करुणा और सहयोग दिखाएं। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने भारत में पशुओं की देखभाल और उनके कल्याण से संबंधित पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। कोर्ट की यह टिप्पणी यह प्रदर्शित करता है कि एक समाज के रूप में हम पशुओं को कैसे देखते हैं।

पशु कल्याण के बारे में लोगों की धारणा पशुओं के अस्तित्व के बारे में **उनके नैतिक विचारों से प्रेरित होती है।**

पशु अधिकारों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण

- **पशुओं के मूलभूत/ प्राकृतिक अधिकार:** इस दृष्टिकोण के अनुसार, पशुओ के भी अपने मूलभूत/ प्राकृतिक अधिकार हैं। ऐसे में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार पूरी तरह से मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने चाहिए।
  - इसमें यह तर्क दिया जाता है कि मांस, दूध, अंडे, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि सहित सभी उद्देश्यों के लिए पशुओं का उपयोग समाप्त होना चाहिए।
- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह तर्क दिया जाता है कि अगर किन्हीं कारणों से मनुष्यों और/या पशुओं के कल्याण में समग्र वृद्धि होती है, तो कुछ पशुओं के कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कुछ गतिविधियां न्यायोचित हैं।

---

[160] Digital Information Security in Healthcare Act

- उदाहरण के लिए- मांस के लिए पशुवध करना नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, यदि
    - पशुओं का जीवन यथोचित रूप से अच्छा था,
    - दर्द रहित तरीके से उनका वध किया गया था, और
    - उस मांस को खाने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी लाभ मांस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं के कल्याण की लागत से अधिक था।
- **प्रकृति के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण:** 'प्रकृति के प्रति सम्मान' का दृष्टिकोण प्रजातियों के नुकसान या उनकी विलुप्ति की चिंता पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सभी पशु मूल्यवान हैं क्योंकि वे किसी न किसी प्रजाति या समूह का हिस्सा हैं और एक प्रजाति का नुकसान या विलुप्त होना चिंता का विषय है।
    - यह दृष्टिकोण आनुवंशिक हेर-फेर को समग्र पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे के रूप में देखते हुए इसे हतोत्साहित करता है।
- **संबंध-परक दृष्टीकोण:** इसमें तर्क दिया गया है कि कुछ पशुओं के साथ लोगों के भावनात्मक संबंधों के आधार पर पशुओं के प्रति लोगों के अलग-अलग दायित्व हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** जंगली जानवरों की तुलना में लोगों की अपने पालतू पशुओं के प्रति अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि लोगों का पशुओं के साथ एक अलग रिश्ता होता है।

पशु अधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण

भारत का दृष्टिकोण निम्नलिखित भारतीय परिस्थितियों के लिए लागू कुछ विचारों का मिश्रण है:

- पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम सहित **पशुओं का संरक्षण और उनके प्रति करुणा।**
    - भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-A में कहा गया है कि सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे जीवित प्राणियों के प्रति करुणा प्रदर्शित करें।
    - भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-A में राज्य को यह दायित्व दिया गया है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।
- **जीवन का अधिकार:** 2014 में, **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज और अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के प्रावधानों का विस्तार कर इसे जानवरों के लिए लागू कर दिया। दूसरे शब्दों में, जानवरों के अधिकारों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में लाया गया। इसकी मदद से पशुओं को उनके प्राकृतिक अधिकार, गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

जानवरों को वर्मिन घोषित करना

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की धारा 62 **केंद्र को किसी भी प्रजाति के वन्य जीवों को निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी क्षेत्र में 'वर्मिन' के रूप में घोषित करने का अधिकार देती है। इसमें अनुसूची I में निर्दिष्ट जीव शामिल नहीं हैं।**
- **किसी भी पशु को 'वर्मिन' के रूप में शामिल करने से सीमित समय के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में** उनकी हत्या/ शिकार **वैध हो जाता है।**
- इससे पहले, **कई जानवरों,** जैसे- जंगली सूअर, नील गाय, रीसस मकाक आदि को विभिन्न राज्यों में **वर्मिन घोषित किया गया है।**

- **भारत में पशुओं के लिए गैर-मानव प्राणी (Non-Human Personhood) की अवधारणा:** 2019 में, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने **करनैल सिंह वाद** में एवियन और जलीय प्रजातियों सहित **पशु जगत के सभी जानवरों** को वैधानिक मान्यता प्रदान की थी।
    - हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को *'इन लोको पेरेंटिस (in loco parentis)'* (माता-पिता का स्थान) घोषित किया गया था।
    - उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी 2018 के **नारायण दत्त भट्ट वाद** में कुछ इसी तरह का फैसला दिया था।
- **पशु संरक्षण के लिए कानून:**

- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:** इसे पशुओं को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के लिए लाया गया था।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA) 1972:** यह अधिनियम किसी भी जंगली जीव या पक्षी को मारने, पकड़ने, अवैध शिकार करने, ज़हर देने या नुकसान पहुँचाने पर रोक लगाता है।
- **भारतीय दंड संहिता 1860:** इसके अंतर्गत निर्दिष्ट धारा 428 और 429 में किसी जानवर को मारने या अपंग बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

पशु अधिकार प्रणाली के निर्माण के सिद्धांत

जानवरों के अधिकार अलग-अलग देशों, परिवेशों और स्थितियों के संदर्भ में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। एक नैतिक पशु अधिकार प्रणाली का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार किया जा सकता है:

फाइव फ्रीडम फ्रेमवर्क	**अवधारणात्मक फ्रेमवर्क**	**पांच डोमेन वाला मॉडल**
यह ऐसी पशु देखभाल प्रथाओं का वर्णन करता है जो नकारात्मक अनुभवों को कम कर सकते हैं। **इन पांच स्वतंत्रताओं में शामिल हैं:** • **भूख-प्यास** से मुक्ति। • **तकलीफ** से मुक्ति। • **दर्द, चोट या बीमारी** से मुक्ति। • **सामान्य व्यवहार करने की स्वतंत्रता।** • **भय और तनाव** से मुक्ति।	यह पशु की स्थिति पर सिद्धांतों को निर्दिष्ट/ प्रस्तुत करता है। • **प्रभावी अवस्था:** एक जानवर का एहसास या उसकी भावनाएं। • **प्राकृतिक व्यवहार:** एक जानवर की स्वाभाविक व्यवहार करने की क्षमता। • **कार्यप्रणाली:** एक जानवर का स्वास्थ्य और जैविक कार्यप्रणाली।	सकारात्मक कल्याण दृष्टिकोण पर आधारित, जिसमें निम्नलिखित पांच डोमेन शामिल हैं: • **पोषण** • **पर्यावरण** • **स्वास्थ्य** • **व्यवहार** • **मानसिक स्वास्थ्य**

निष्कर्ष

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जानवरों की देखभाल करना मनुष्य का नैतिक दायित्व है, क्योंकि दोनों जीवित रहने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इस प्रकार मानवीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित ढांचे की आवश्यकता है।

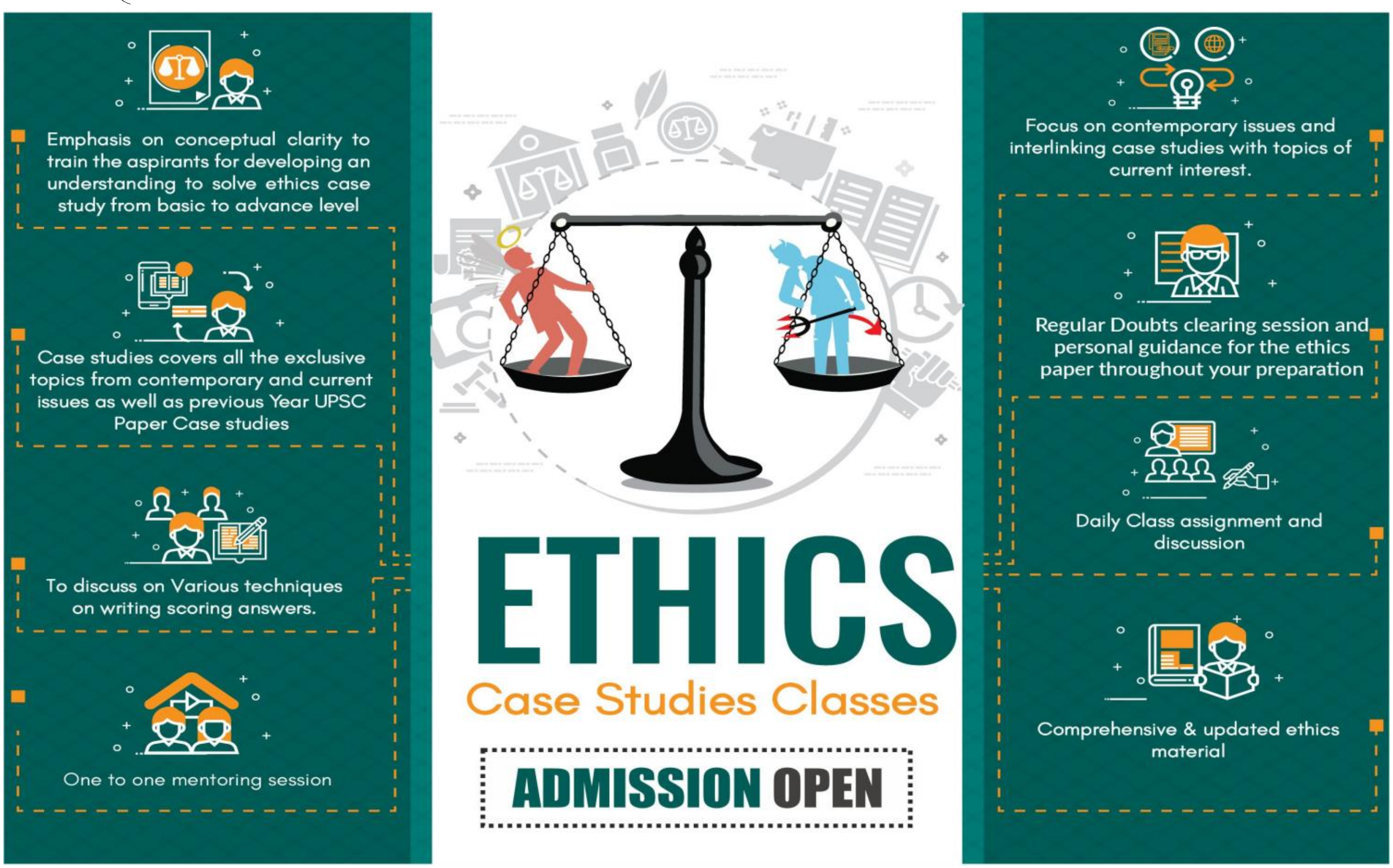

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. समर्थ (वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना) योजना (Samarth: Scheme for Capacity Building in Textiles Sector Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **समर्थ योजना** की समयावधि को बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रकों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में **मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम** उपलब्ध कराना।
• संगठित **वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में रोजगार सृजित करने** में उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाना। इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर किया जाता है।
    • देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए **मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा आजीविका के संधारणीय प्रावधान** को सक्षम बनाना।
	• यह **वस्त्र मंत्रालय** का एक अम्ब्रेला कौशल उन्नयन कार्यक्रम है।
	    ○ यह योजना **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** द्वारा तैयार की गई थी।
	• इस **योजना का लक्ष्य 10 लाख व्यक्तियों** (9 लाख संगठित और 1 लाख पारंपरिक क्षेत्रकों में) **को प्रशिक्षित करना** है।
	• इसे **कार्यान्वयन भागीदारों (Implementing Partners: IPs)** के माध्यम से लागू किया जाता है।
	
	• योजना के कार्यान्वयन में अपनाई गई **प्रमुख प्रक्रियाएं** इस प्रकार हैं:
	    ○ **कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों को समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है।**
	    ○ कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए **एक सिरे से दूसरे सिरे तक डिजिटल समाधान** प्रदान करना।
	• प्रशिक्षु **भारत के नागरिक होने चाहिए** और उनकी आयु 14 वर्ष से अधिक तथा उनके पास **आधार कार्ड होना चाहिए** (जब तक कि आधार अधिनियम, 2016 के तहत छूट नहीं दी गई हो)।
	• **इसे उन्नत सुविधाओं से युक्त बनाया गया है, जैसे:**
	    ○ आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS)[161]।
	    ○ प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम
	    ○ निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र को सुगम बनाने के लिए अलग-अलग हितधारकों हेतु मोबाइल ऐप।
	    ○ मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा तृतीय पक्ष का मूल्यांकन और प्रमाणन।
	    ○ वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि की

[161] Aadhaar Enabled Biometric Attendance System

	ऑनलाइन निगरानी। ○ प्रशिक्षण केंद्रों को न्यूनतम 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ○ वस्त्र मंत्रालय से नामित शिकायत निवारण अधिकारी के अधीन लोक शिकायत निवारण तंत्र। • **वित्त-पोषण:** योजना संबंधी सहायता केवल योजना के अधीन मंत्रालय द्वारा सहमत MSDE के सामान्य मानदंडों के अंतर्गत शामिल किए गए लागत शीर्षों के लिए ही होगी। • **प्लेसमेंट:** संगठित वस्त्र क्षेत्रक में पाठ्यक्रमों और रोजगार का लिंकेज अनिवार्य है। इसमें **प्रवेश स्तर पर 70% और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए 90% प्लेसमेंट अनिवार्य** है। ○ **पारंपरिक क्षेत्रक के पाठ्यक्रमों में पारिश्रमिक मुआवजा दिया जा रहा है।** ○ स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण** उपलब्ध कराया जाएगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

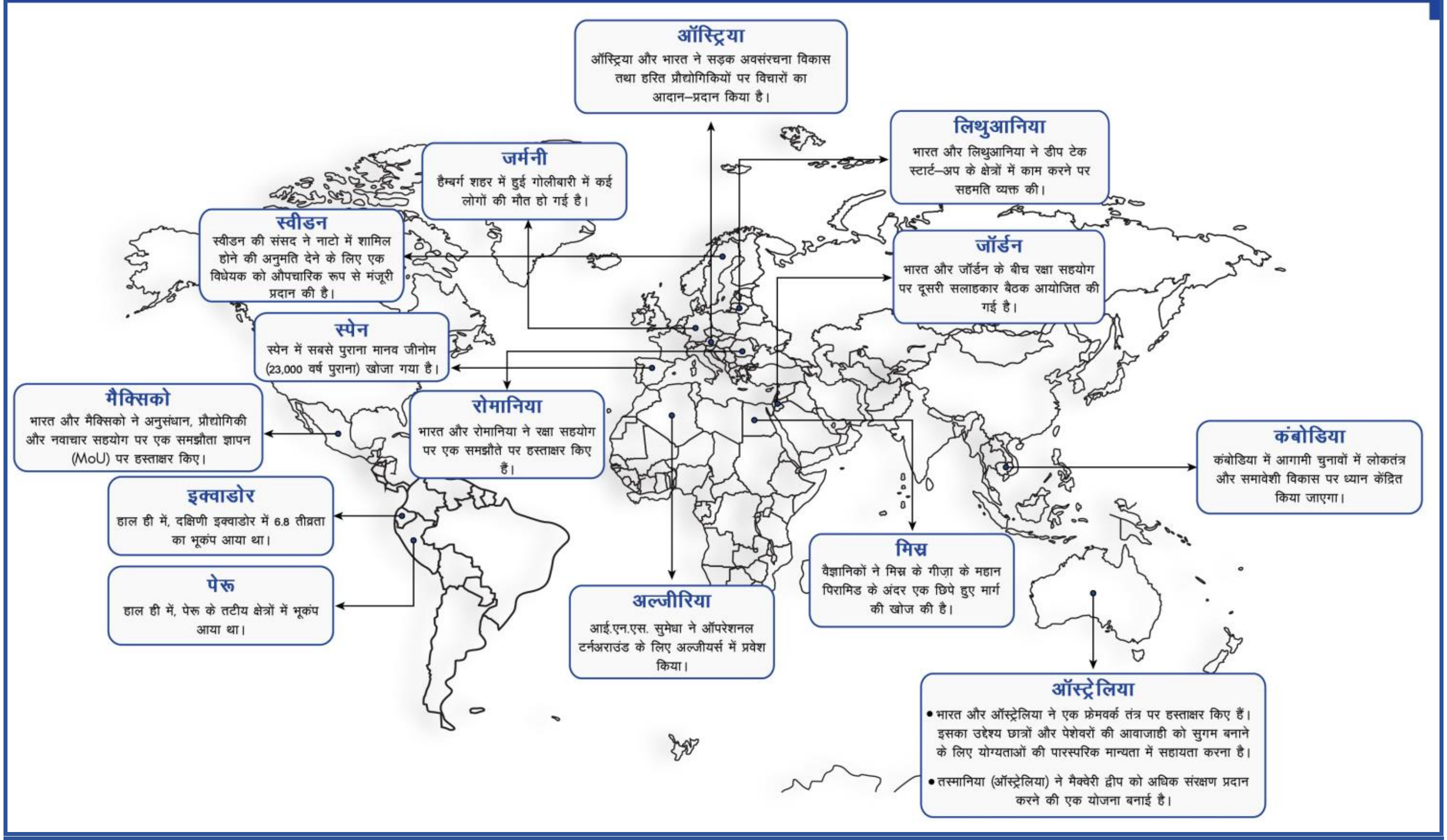

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

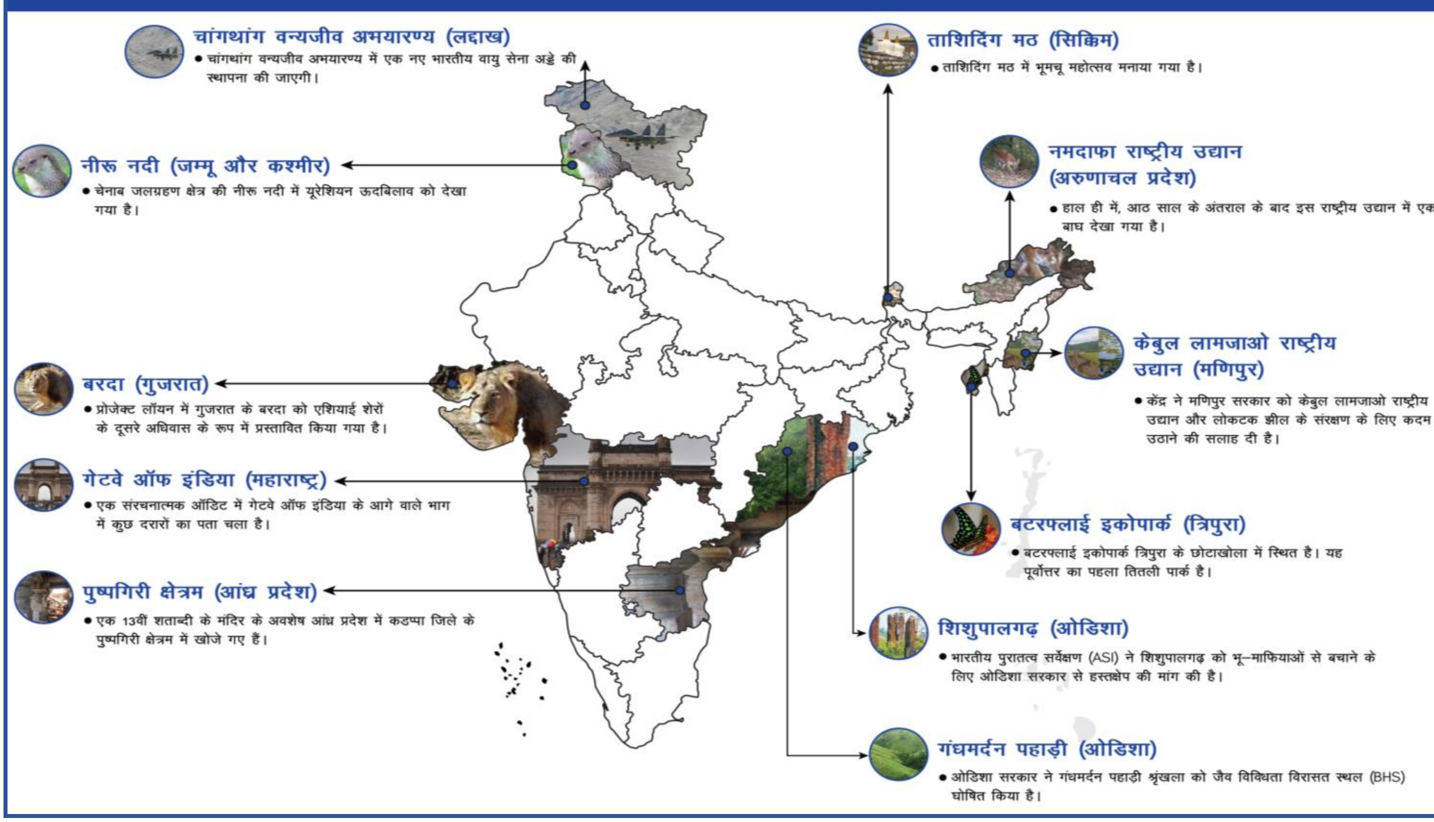

सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 भगवान बसवेश्वर	• भगवान बसवेश्वर **12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म कर्नाटक** में हुआ था। • वे दक्षिण भारत में **सामाजिक–धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन** के लिए जाने जाते हैं। • 13वीं शताब्दी में **पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण** की रचना की थी। इसमें **बसवन्ना** के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण है। • उन्होंने **लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा कर्मकांडों को खारिज** कर दिया था। • वे **अहिंसा** के एक प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव और पशु बलि की निंदा की थी। • उनका दर्शन **अरिवु (सच्चा ज्ञान), लोकाचार (सही आचरण) और अनुभव (ईश्वरीय अनुभूति)** के सिद्धांतों पर आधारित था। • उन्होंने **वीरशैव** नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित और प्रेरित किया था। ये शिव के उत्साही और वीर उपासक थे।	• **समतावाद और श्रम की गरिमा:** ▸ उन्होंने आर्थिक स्थिति और धन के पदानुक्रम पर आधारित अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए कई कविताओं की रचना की। ▸ अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा और श्रम की मान्यता के अधिकार का समर्थन किया।
 नादप्रभु हिरिया केंपेगौड़ा	• इनका संबंध **कर्नाटक में प्रमुख कृषि समुदाय वोक्कालिगा** से था। वे **16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में एक सामंत सरदार** थे। ▸ उन्हें बेंगलुरु के संस्थापक (16वीं शताब्दी) के रूप में जाना जाता है। • **सामाजिक सुधार:** उन्हें **'बंदी देवारू' के दौरान अविवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की अंतिम दो उंगलियों को काटने की प्रथा को प्रतिबंधित करने का श्रेय** भी दिया जाता है। • **पुस्तकें:** वे बहुभाषी थे और उन्होंने **तेलुगु में एक यक्षगान नाटक 'गंगागौरी विलास'** की रचना की थी।	• **सामुदायिक सेवा और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान:** ▸ उन्होंने लोगों की पेयजल और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में लगभग 1,000 झीलों का विकास किया। ▸ 'बंदी देवारू' प्रथा पर रोक लगाकर उन्होंने मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान प्रकट किया।
 महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय	• इनका जन्म नासिक के कवलाणा गांव में हुआ था। वे 1875 से 1939 तक **बड़ौदा (अब वडोदरा) राज्य के महाराजा थे।** • एक शासक के रूप में उन्होंने **बाल विवाह पर प्रतिबंध, तलाक पर कानून, अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास आदि सामाजिक सुधारों** की शुरुआत की थी। • **आर्थिक विकास से जुड़ी पहलें:** उन्होंने रेलमार्ग व पेयजल के लिए जलाशयों का निर्माण कराया था। **वर्ष 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा** की स्थापना की थी। • इन्होंने **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, दादाभाई नौरोजी और श्री अरबिंदो घोष** को संरक्षण प्रदान किया था।	• **सामाजिक उत्तरदायित्व और दूरदर्शी नेतृत्व:** ▸ उन्होंने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जैसे कई सामाजिक सुधार शुरू किए। ▸ उन्होंने आर्थिक पहल शुरू करके अपने दूरदर्शी नेतृत्व का प्रदर्शन किया।
 श्यामजी कृष्ण वर्मा	• इनका जन्म **गुजरात के मांडवी** में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में अपनी शिक्षा पूरी की थी। वे **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक** रहे थे। • वर्ष 1905 में उन्होंने **'द इंडिया हाउस'** और **'द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट'** की स्थापना की थी। इन संगठनों ने **ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों के बीच मौजूद कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए एक मिलन–केंद्र** के रूप में कार्य किया था। अभियोजन से बचने के लिए वे **1907 में पेरिस चले** गए थे। • वे **बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष** बने थे। उन्होंने **वीर सावरकर को प्रेरित** किया था, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। वर्ष 2010 में **मांडवी के निकट 'क्रांति तीर्थ' नामक एक स्मारक** का उद्घाटन किया गया था।	• **देशभक्ति और निस्वार्थता:** ▸ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्र राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करने का निर्णय किया।
 स्वामी सहजानंद सरस्वती	• ये एक **सन्यासी** के साथ–साथ एक **क्रांतिकारी** भी थे। इन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की **राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति समर्पित** कर दिया था। • इन्होंने **बिहार के शाहाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में असहयोग आंदोलन के आयोजन** में प्रमुख भूमिका निभाई थी। • वर्ष 1924 से 1928 तक इनकी गतिविधियां **खादी के प्रचार–प्रसार और शराबबंदी पर केंद्रित** रहीं। ▸ इन्होंने **सिमरी में एक खादी बुनाई केंद्र तथा बिहटा में राजनीतिक और संस्कृत शिक्षण के लिए एक आश्रम** की स्थापना की थी। • इन्हें **'किसान प्राण' (किसानों का जीवन) के रूप में संबोधित** किया गया था। • **पुस्तकें / प्रकाशन:** पटना से हिंदी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका **हुंकार, द** अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार: हाउ इट वर्क्स, गया के किसानों की करुण कहानी आदि।	• **सामुदायिक विकास और निःस्वार्थ सेवा:** ▸ उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साधन के रूप में खादी और शराबबंदी को बढ़ावा दिया। ▸ उन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। यह असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी और खादी बुनाई केंद्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से स्पष्ट होता है।
 चारू (या चरण) चंद्र बोस	• इनका जन्म **खुलना** (अब बांग्लादेश का हिस्सा) में हुआ था। वे एक **क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी** थे। इन्हें **अलीपुर बम कांड (1909) में** फांसी की सजा दी गई थी। • वे दिव्यांग थे। वे **अनुशीलन समिति** से जुड़े हुए थे और एक क्रांतिकारी **संगठन युगांतर** के सदस्य भी थे। ▸ उन्होंने कोलकाता और हावड़ा में अलग–अलग प्रेस तथा समाचार–पत्रों के लिए भी कार्य किया था।	• **साहस और देशभक्ति:** ▸ उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत की आजादी के लिए निडरता से लड़ाई लड़ी। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया।

 श्री मोरारजी देसाई	• श्री मोरारजी देसाई का जन्म **गुजरात** में हुआ था। वे **1918 में बंबई की प्रांतीय सिविल सेवा** में शामिल हुए थे। • उन्होंने बारह वर्षों तक **डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य** किया था। वर्ष 1930 में वे **महात्मा गांधी** के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। ▸ वर्ष 1931 में वे **अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी** के सदस्य बने थे। • स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने अलग–अलग क्षमताओं में देश की सेवा की थी। वे वर्ष **1977 से 1979 तक देश के प्रधान मंत्री रहे थे।** ▸ उन्हें भारत (भारत रत्न) और पाकिस्तान (निशान–ए–पाकिस्तान) के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।	• **नेतृत्वकर्ता और जन–भावना से प्रेरितः** ▸ उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए व्यापक प्रयास किए और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए काम किया। ▸ उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा पर जोर दिया। लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी।
 डॉ. जी.एन. रामचंद्रन	• जी.एन. रामचंद्रन का जन्म शताब्दी समारोह, विज्ञान में उनकी अनूठी खोजों और उत्कृष्ट उपलब्धियों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। • उनका जन्म **केरल में कोचीन के पास एर्नाकुलम** में हुआ था। जी.एन.रामचंद्रन **भारत के एक प्रसिद्ध जैवभौतिकीवेत्ता** थे। • **उनके प्रमुख योगदान** ▸ उन्होंने **1954 में गोपीनाथ करथा के साथ मिलकर कोलेजन (श्लेषजन) की तिहरी कुंडलित संरचना** की खोज की थी। यह हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ▸ उन्होंने **वर्ष 1963 में रामचंद्रन प्लॉट** के नाम से एक सिद्धांत विकसित किया था। इसे **प्रोटीन संरचना के मानक विवरण** के रूप में उपयोग किया जाता है। ▸ उन्होंने **कंवल्शन (सवलन) तकनीक का उपयोग करके शैडोग्राफ से छवि पुनर्निर्माण के सिद्धांत का विकास** किया था। • वे वर्ष 1981 में विश्व सांस्कृतिक परिषद के संस्थापक सदस्य थे। • **पुरस्कारः** उन्हें 1961 में **भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार** प्रदान किया गया था।	• **वैज्ञानिक जिज्ञासा और विनम्रताः** ▸ उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने संरचनात्मक आणविक जीव विज्ञान में खोज के लिए प्रेरित किया। ▸ अपने अभूतपूर्व कार्य और ढेर सारी प्रशंसाओं के बावजूद, वे विनम्र बने रहे और जैव सूचना विज्ञान की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहे।
 हेमू कालाणी	• इनका जन्म संयुक्त भारत के **सिंध क्षेत्र** में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक **क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे।** • उन्हें **सिंध का भगत सिंह भी कहा** जाता है। वे **स्वराज सेना** (एक युवा संगठन) के सदस्य थे। • उन्होंने **ब्रिटिश विरोधी साहित्य का वितरण** किया था और **1942 में भारत छोड़ो आंदोलन** में भी शामिल हुए थे। • वर्ष 1942 में, उन्होंने हथियारों से लदी ब्रिटिश रेल को **पटरी से उतारने और लूटने का प्रयास** किया था। इस रेल में रखे हथियारों का इस्तेमाल उस समय चल रहे **बलूचिस्तान आंदोलन को दबाने** के लिए किया जाना था। ▸ हालांकि, इस अभियान में वे पकड़े गए थे और 19 साल की कम आयु में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी।	• **देशभक्ति और सत्यनिष्ठाः** ▸ वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए हृदय से प्रतिबद्ध थे और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ▸ वह अपने विश्वासों पर अडिग रहे और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थे।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

www.visionias.in

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021
from various programs of VisionIAS
2 AIR
ANKITA AGARWAL
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
3 AIR
GAMINI SINGLA
4 AIR
AISHWARYA VERMA
5 AIR
UTKARSH DWIVEDI
6 AIR
YAKSH CHAUDHARY
7 AIR
SAMYAK S JAIN
8 AIR
ISHITA RATHI
9 AIR
PREETAM KUMAR
YOU CAN BE NEXT
HEAD OFFICE: Apsara Arcade, 1st Floor, 1/8-B, Near Gate 7, Karol Bagh Metro Station, Delhi
+91 8468022022 +91 9019066066
Mukherjee Nagar Center: 635, Opposite Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
DELHI
JAIPUR
LUCKNOW
PUNE
AHMEDABAD
BHOPAL
GUWAHATI
HYDERABAD
CHANDIGARH
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC
www.visionias.in